



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2022-23



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2022-2023 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21-24
001. राज्य विधान मंडल	25
002. मंत्रि परिषद्	26
003. सचिवालय	27
004. जिला प्रशासन	28
005. प्रशासनिक सेवाएं	29-32
006. न्याय प्रशासन	33-35
007. निर्वाचन	36-38
008. राजस्व	39-40
009. वन	41-45
010. विविध सामान्य सेवाएं	46
011. विविध सामाजिक सेवाएं	47-49
012. अन्य कर	50-54
013. आबकारी	55
014. बिक्री कर	56-59
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	60
016. पुलिस	61-67
017. कारागार	68-69
018. जन-सम्पर्क	70
019. लोक निर्माण कार्य	71-82
020. आवास	83-85
021. सड़कें एवं पुल	86-95
022. क्षेत्र का विकास	96-100

023.	श्रम तथा रोजगार	101-104
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	105-132
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	133-134
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	135-161
027.	पेय जल योजना	162-182
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	183-186
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	187-199
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	200-300
031.	पुर्नवास एवं सहायता	301
032.	नागरिक आपूर्ति	302-304
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	305-328
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	329-345
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	346-354
036.	सहकारिता	355-356
037.	कृषि	357-370
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	371-372
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	373-378
040.	राजकीय उपक्रम	379
041.	सामुदायिक विकास	380-385
042.	उद्योग	386-390
043.	खनिज	391-392
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	393-394
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	395
046.	सिंचाई	396-422
047.	पर्यटन	423-424
048.	विद्युत्	425-427
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	428
050.	ग्रामीण रोजगार	429-430
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	431-529
परिशिष्ट – व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण		530-533

विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय *तिरछे* अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)			
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	19,45,44	..	19,19,17
ब्याज अदायगियां प्रभारित	3,07,33,28,29	..	3,06,01,90,21
लोक सेवा आयोग प्रभारित	87,31,41	..	77,21,94
लोक ऋण प्रभारित	..	10,48,10,19,53	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत प्रभारित	93,60,60 57,01	86,98,95 33,58
002. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	20,98,00	..	20,16,08
003. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	29,45,91,85 7,90	29,24,40,57 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	7,22,35,43 1,14,63	6,60,21,06 1,14,57
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	5,39,44,11 6	3,60,00,00 ..	4,48,64,30 ..
006. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	14,91,51,69 2,04,47,23	13,96,73,62 1,95,18,46
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	1,61,77,71 1,16	1,28,81,19 80

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)			
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	10,68,93,73 28	8,50,68,39 25
009. वन दत्तमत प्रभारित	10,06,00,82 30,00	3,48,67,58 ..	8,82,34,32 27,69
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	13,93,55,44	..	13,92,76,26
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	71,51,28 3	14,08,03 ..	64,77,31 ..
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	12,79,33,36 71	96,25,06 ..	11,61,10,36 70
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,80,82,54 13,07	1 ..	1,73,32,63 13,06
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	15,33,47,24 19	3 ..	9,68,78,60 19
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	2,57,41,19,69 20,00,04	2,53,61,97,71 19,36,03
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	85,09,72,48 2,32,39	1,55,68,47 ..	79,07,96,52 2,29,67
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	2,82,90,46 1,14,32	2,68,48,15 1,14,30

लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	2,18,25,34
..	3
3,17,79,62	1,23,66,50	30,87,96
..	2,31
..	79,18
8,88,37	6,73,97	5,19,66
..	3
36,92,23	1,18,23,00	59,32,83
..	1
..	7,49,91	1
..	1
..	5,64,68,64	3
..
..	3,79,21,98
..	64,01
92,33,94	6,01,75,96	63,34,53
..	2,72
..	14,42,31
..	2

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	1,88,88,83 1	1,86,15,90 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	5,80,45,32 30,49	20,53,33,15 ..	5,41,25,31 30,46
020. आवास दत्तमत	79,30,96	1,13,43,02	75,26,87
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	43,66,89,63 42,42	58,51,85,51 ..	45,09,09,81 38,23
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	25,28,64 3	2,54,50,99 6,08	22,43,26 ..
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	16,10,23,36 4	6,00,01 ..	13,60,77,00 ..
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	4,16,43,58,24 61,46,84	16,35,59,32 ..	3,73,62,42,25 49,59,50
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	4,36,95,34 3	3,00,01 ..	4,05,76,73 ..
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	1,33,58,78,41 1,07,52	14,62,16,52 ..	1,17,71,45,47 83,30
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	44,79,07,20 4,10,68	46,16,97,51 ..	44,75,26,46 4,06,32

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	
(₹ सहस्र में)			
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
दत्तमत	13,41,87,97	6,80,00,00	6,09,77,20
प्रभारित	1
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास			
दत्तमत	59,60,43,31	28,40,15,98	50,92,18,86
प्रभारित	17,19	1	17,16
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास			
दत्तमत	2,04,88,92,02	63,54,61,59	1,80,86,88,07
प्रभारित	2,72	..	2,69
031. पुनर्वास एवं सहायता
032. नागरिक आपूर्ति			
दत्तमत	7,79,83,85	4,76,01	7,25,15,38
प्रभारित	1
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
दत्तमत	1,39,52,81,36	2,75,66,45	1,28,90,78,62
प्रभारित	1,17	..	91
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत			
दत्तमत	44,59,15,27	..	29,46,58,44
प्रभारित	1
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत	7,69,85,28	21,98,26,98	6,05,97,39
प्रभारित	1
036. सहकारिता			
दत्तमत	16,86,51,44	11,43,14	12,41,83,20
प्रभारित	1

लेखों का सारांश

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)					
6,80,00,00	7,32,10,77
..	1
19,52,44,15	8,68,24,45	8,87,71,83
..	3	1
36,69,72,14	24,02,03,95	26,84,89,45
..	3
..
85,51	54,68,47	3,90,50
..	1
2,13,02,04	10,62,02,74	62,64,41
..	26
..	15,12,56,83
..	1
3,71,21,74	1,63,87,89	18,27,05,24
..	1
10,91,76	4,44,68,24	51,38
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)			
037. कृषि दत्तमत प्रभारित	47,85,43,75 74,17	3,35,03,06 ..	35,71,63,18 48,46
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण दत्तमत प्रभारित	1,65,35,07 5	1,40,95 ..	1,57,56,34 ..
039. पशुपालन एवं चिकित्सा दत्तमत प्रभारित	22,30,86,61 3	1,42,00,09 ..	21,26,95,48 ..
040. राजकीय उपक्रम दत्तमत प्रभारित	1,90,10 1	1 ..	1,65,75 ..
041. सामुदायिक विकास दत्तमत प्रभारित	99,09,97,83 1	34,25,00 ..	60,54,43,26 ..
042. उद्योग दत्तमत प्रभारित	5,82,08,58 3	7,46,40 ..	5,64,05,69 ..
043. खनिज दत्तमत प्रभारित	1,69,53,41 23,99	6,20,30,06 ..	1,54,65,62 23,96
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण दत्तमत प्रभारित	29,95,12 1	3,83,50 ..	24,48,69 ..
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत

लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
1,89,47,07	12,13,80,57	1,45,55,99
..	25,71
1,30,48	7,78,73	10,47
..	5
1,02,63,97	1,03,91,13	39,36,12
..	3
..	24,35	1
..	1
22,57,09	38,55,54,57	11,67,91
..	1
6,84,00	18,02,89	62,40
..	3
4,11,99,82	14,87,79	2,08,30,24
..	3
..	5,46,43	3,83,50
..	1
..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)			
046. सिंचाई			
दत्तमत	27,01,39,59	37,73,88,78	24,38,69,41
प्रभारित	3,08,70	1,13,71	3,06,78
047. पर्यटन			
दत्तमत	2,11,29,85	81,34,47	2,09,08,55
प्रभारित	9,01	..	9,00
048. विद्युत			
दत्तमत	1,56,40,39,86	16,90,74,29	1,56,40,39,37
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन			
दत्तमत	5,06	..	4,11
050. ग्रामीण रोजगार			
दत्तमत	53,32,24,42	9,70	34,06,16,93
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना			
दत्तमत	2,37,91,91,29	71,72,68,50	2,13,19,60,11
योग			
दत्तमत	22,88,04,33,40	4,31,99,50,18	20,32,76,64,73 @
प्रभारित	3,11,41,99,36	10,48,11,39,33	3,09,77,47,39
कुल योग	25,99,46,32,76	14,80,10,89,51	23,42,54,12,12

@ पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (-) ₹ 02 हजार का अन्तर है।

लेखों का सारांश

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)					
22,30,98,81	2,62,70,18	15,42,89,97	
1,08,86	1,92	4,85	
59,90,77	2,21,30	21,43,70	
..	1	
7,33,01,18	49	9,57,73,11	
..	95	
..	19,26,07,49	9,70	
40,26,70,28	24,72,31,18	31,45,98,22	
2,47,05,98,92	2,56,69,88,85	1,84,93,51,26	1,42,20,18	..	
12,57,38,75,60	1,64,51,97	4,96	..	2,09,27,41,23	
15,04,44,74,52	2,58,34,40,82	1,84,93,56,22	1,42,20,18	2,09,27,41,23	

2022-23 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

राजस्व अनुभाग में निम्नलिखित एक दत्तमत अनुदान पर आधिक्य का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
01.	021- सड़कें एवं पुल	1,42,20,17,980	..

पूंजीगत अनुभाग में निम्नलिखित एक प्रभारित विनियोग का आधिक्य का व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
01.	लोक ऋण	..	2,09,27,41,22,745

2022-23 के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई विनियोग/अग्रिम नहीं लिया गया ।

2022-23 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2022-23 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

दत्तमत

	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
<i>(₹ सहस्र में)</i>			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	20,32,76,64,73	2,47,05,98,92	22,79,82,63,65
घटाइये : वसूलियों का योग	77,74,79,00	47,34,07,99	1,25,08,86,99
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	19,55,01,85,73	1,99,71,90,93	21,54,73,76,66
<i>प्रभारित</i>			
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
<i>(₹ सहस्र में)</i>			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	3,09,77,47,39	12,57,38,75,60	15,67,16,22,99
घटाइये : वसूलियों का योग	3,84	..	3,84
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	3,09,77,43,55	12,57,38,75,60	15,67,16,19,15

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 530-533 पर दिया गया है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

राजस्थान सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही राजस्थान सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे राजस्थान सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए राजस्थान के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत राजस्थान के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और राजस्थान सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 9 नवम्बर 2023

स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	19,03,79	19,45,44	19,19,17	- 26,27
अनुपूरक	41,65			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2023)

26,27

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. ₹ 26.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 41.65 लाख का विनियोजन अत्यधिक था।

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	2,88,38,11,00		
अनुपूरक	18,95,17,29	3,07,33,28,29	3,06,01,90,21 - 1,31,38,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,34,88,67

टिप्पणीयां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 13,138.08 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2022 (₹ 0.28 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 1,89,517.01 लाख) में लिया गया ₹ 1,89,517.29 लाख का कुल अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
- ₹ 13,138.08 लाख की अन्तिम बचत के सन्दर्भ में ₹ 13,488.67 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	46,47,94			
अनुपूरक	40,83,47	87,31,41	77,21,94	- 10,09,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				10,09,47

टिप्पणीयां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 1,009.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन हेतु लिया गया ₹ 4,083.47 लाख का विनियोजन अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
102. राज्य लोक सेवा आयोग			
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,647.94		
अ.	4,083.47	7,721.94	7,721.94
पु.	- 1,009.47		..

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन हेतु लिया गया ₹ 4,083.47 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

मार्च, 2023 को ₹ 1,009.47 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) सदस्यों के दो पद, एक पद सदस्य सचिव, एक पद मुख्य परीक्षा नियंत्रक, (सुपर टाईम स्केल) एक पद आर.ए.एस. (सुपर टाईम स्केल) तथा विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 136 पदों के रिक्त रहने, (ii) विभिन्न परीक्षाओं के कम आयोजन होने, (iii) जिला कलेक्टरों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित अनुपयोजित राशि वापिस लौटाने तथा (iv) परीक्षाओं की विज्ञप्तियों के संबंध में विज्ञापन पर कम व्यय हुआ क्योंकि संभावित परीक्षाएं जिनके लिए विभिन्न विभागों से अभ्यर्थनाएं प्राप्त हुई थी, का आयोजन नहीं किये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

पूंजी	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
मूल	7,27,14,78,37	10,48,10,19,53	12,57,37,60,76 + 2,09,27,41,23 (आधिक्य ₹ 2,09,27,41,22,745)
अनुपूरक	3,20,95,41,16		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ :

पूंजी

- व्यय विनियोग से ₹ 2,09,27,41,22,745 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- ₹ 20,92,741.23 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा अन्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 32,09,541.16 लाख का विनियोजन अपर्याप्त था।
- आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रहा:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम			
(01) अर्थोपाय अग्रिम-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01	0.01	3,53,227.00 + 3,53,226.99

राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि ₹ 3,53,226.99 लाख का आधिक्य व्यय ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट (टी.एस.ए.) के अस्थायी विचलन के प्रबन्धन के लिए शीर्ष के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत राज्य को प्रदत्त अतिरिक्त तरलता सुविधा के उपयोग हेतु राशि आहरित की गयी। विभिन्न विकास योजनाओं तथा अनियमित राजस्व प्राप्तियों में व्यय की प्रगति को बनाये रखने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश के साथ मैचिंग राज्यांश को जारी करने के लिए बजट प्रावधान से अधिक अर्थोपाय अग्रिम सुविधा का उपयोग किया गया था।

यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गये अर्थोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार को बजट प्रावधान करना अपेक्षित था, क्योंकि 2022-23 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अर्थोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान बिना उचित प्रावधान किये ही कर दिया। कार्यालय महालेखाकार द्वारा इससे वित्त विभाग को सूचित किया गया था लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य व्यय प्रदर्शित हुआ।

लोक ऋण - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम			
(02) विशेष आहरण सीमा			
मू.	52,00,000.00	84,00,000.00	1,01,38,613.00 + 17,38,613.00
अ.	32,00,000.00		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति हेतु विशेष आहरण सीमा के पुनर्भुगतान हेतु लिया गया ₹ 32,00,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य को देखते हुए अपर्याप्त था।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि ₹ 17,38,613.00 लाख का आधिक्य व्यय भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य सरकार के खाते में होने वाले अस्थायी विचलन के मिलान करने के लिए विशेष आहरण सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अन्तर्गत आवशन ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के विरुद्ध विशेष आहरण सीमा के तहत अस्थायी विचलन का प्रबन्धन किया जाता है।

विभिन्न विकास योजनाओं तथा अनियमित राजस्व प्राप्तियों में व्यय की प्रगति को बनाये रखने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश के साथ मैचिंग राज्यांश को जारी करने के लिए बजट प्रावधान से अधिक अर्धोपाय अग्रिम सुविधा का उपयोग किया गया था।

यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गये अर्धोपाय अग्रिम के पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार को बजट प्रावधान करना अपेक्षित था, क्योंकि 2022-23 के दौरान शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अर्धोपाय अग्रिम का पुनर्भुगतान बिना उचित प्रावधान किये ही कर दिया। कार्यालय महालेखाकार द्वारा इससे वित्त विभाग को सूचित किया गया था लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य व्यय प्रदर्शित हुआ।

6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज
101. एकमुश्त कर्ज
- (02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज
- [07] जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ए.डी.बी.

मू.	5,399.08	6,301.44	6,301.44	..
पु.	902.36			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 902.36 लाख की अतिरिक्त निधियां नवीन ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गई।

09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज
101. एकमुश्त कर्ज
- (02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज
- [14] राजस्थान जल क्षेत्र लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट परियोजना (जाइका)

मू.	2,826.87	6,824.47	7,725.73	+ 901.26
अ.	171.98			
पु.	3,825.62			

31 मार्च 2022 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,825.62 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज राशि नामे करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। राशि विदेशी मुद्रा दर में अस्थिरता से संबंधित है।

₹ 901.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

लोक ऋण - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[24] राजस्थान जल पुनर्गठन कार्यक्रम फेज- II			
मू.	96.22	230.77	230.77
पू.	134.55		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा से ₹ 134.55 लाख की अतिरिक्त निधियां बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान करने हेतु उपलब्ध कराई गई जो विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव के कारण मूल अनुमान से अत्यधिक थी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[06] राजस्थान वानिकी विकास योजना फेज- II जे.आई.सी.ए.			
मू.	3,547.40	2,949.23	2,949.23
पू.	- 598.17		..

31 मार्च 2023 को ₹ 598.17 लाख का प्रावधान बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान अनुमान से कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया क्योंकि विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव था।

लोक ऋण - (समाप्त)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017-18 एवं इसके पश्चात् के अन्य कर्ज			
[13] राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना (ए.डी.बी.)			
मू.	3,806.60		
घु.	- 3,806.60		

₹ 3,806.60 लाख का प्रावधान ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु अनुमानित था। मूलधन की किश्त को दूसरी छःमाही में चुकाना था, परन्तु भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की राशि की मांग नहीं किए जाने के कारण 31 मार्च 2023 को ₹ 3,806.60 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	93,60,60	93,60,60	86,98,95	– 6,61,65
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				6,61,67
प्रभारित				
मूल	57,01	57,01	33,58	– 23,43
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				23,43

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान सभा –प्रतिबद्ध				
मू .	4,815.25	4,230.00	4,230.00	..
पु .	– 585.25			

₹ 585.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विधान सभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि (क) मंत्रीमण्डल के विस्तार के पश्चात मंत्रीमण्डल में कुछ नये सदस्यों के शामिल होने के परिणामस्वरूप इन सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान अन्य लेखा मद से किया गया तथा (ख) तीन विधानसभा सदस्यों की मृत्यु होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 002 – मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मंत्रिपरिषद्

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	15,70,05	20,98,00	20,16,08	- 81,92
अनुपूरक	5,27,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				98,18

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. ₹ 81.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 527.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. ₹ 81.92 लाख की अन्तिम बचत के संदर्भ में, ₹ 98.18 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 003 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और
 3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,38,95,27	29,45,91,85	29,24,40,57	- 21,51,28
अनुपूरक	26,06,96,58			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				21,51,21
प्रभारित				
मूल	2	7,90	..	- 7,90
अनुपूरक	7,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				7,90

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,151.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,60,696.58 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 004 - जिला प्रशासन
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2053. जिला प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,07,12,51	7,22,35,43	6,60,21,06	- 62,14,37
अनुपूरक	15,22,92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				62,14,33
प्रभारित				
मूल	4	1,14,63	1,14,57	- 6
अनुपूरक	1,14,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन और भत्ते के भुगतान पर व्यय तथा वाहनों की खरीद की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,522.92 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन				
093. जिला स्थापनाएँ				
(03) जिलाधीश कार्यालय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	17,328.25	14,383.19	14,401.69	+ 18.50
पु.	- 2,945.06			

₹ 2,945.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते की दरों में अनुमान से कम वृद्धि होने को आरोपित की गयी ।

₹ 18.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।

800. अन्य व्यय

(03) सुशासन व्यवस्था-प्रतिबद्ध

मू.	727.29	609.58	609.61	+ 0.03
पु.	- 117.71			

₹ 117.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 198 स्वीकृत पदों में से 115 पदों के रिक्त रहने तथा सहायक निदेशक का पद रिक्त रहने के कारण 22 जिलों में किराये के वाहनों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग,
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,
2062. सतर्कता और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

पूंजी – 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,98,85,02	5,39,44,11	4,48,64,30	- 90,79,81
अनुपूरक	2,40,59,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				90,82,61
प्रभारित				
मूल	6	6	..	- 6
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				6
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,60,00,00	3,60,00,00	..	- 3,60,00,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,60,00,00
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 9,079.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं पर हुये व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 24,059.09 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- ₹ 9,079.81 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 9,082.61 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 2,710.14 लाख, ₹ 4,284.12 लाख, ₹ 5,997.09 लाख, ₹ 3,656.81 लाख तथा ₹ 9,079.81 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.32 प्रतिशत से 21.99 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये ।

अनुदान संख्या 005 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2051. लोक सेवा आयोग				
103. कर्मचारी चयन आयोग				
(01) राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड- प्रतिबद्ध				
मू.	4,282.20	17,825.87	17,825.82	- 0.05
अ.	21,122.00			
पु.	- 7,578.33			

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा स्थापना/प्रशासनिक कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 21,122.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 7,578.33 लाख की प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 7,578.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर तथा सीनियर सैकण्डरी स्तर) के परीक्षा आवेदन अनुमान से कम प्राप्त हुए, (ii) पदों के रिक्त रहने के कारण किराये के वाहनो पर कम व्यय होने तथा कुछ पदों पर वाहनो की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (iii) मार्च, 2023 के अन्तिम दिवसों में कोषालयो द्वारा बिल पारित नहीं किये जाने को आरोपित की गई

2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव

(06) नागरिक विमानन निदेशालय

[01] नागरिक विमानन निदेशालय-प्रतिबद्ध

मू.	498.45	238.06	238.05	- 0.01
पु.	- 260.39			

₹ 260.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सरकार द्वारा राजकीय बेड़े में उपलब्ध वायुयान ('जहाँ है जैसी है') की स्थिति के आधार पर वायुयानों की नीलामी का निर्णय लेने के उपरान्त राजकीय वायुयानों के संयंत्रों तथा उपकरणों पर कम व्यय होने, (ii) राजकीय वायुयानो की नीलामी के निर्णय के पश्चात पायलेट्स का नियोजन नही होने (iii) कुछ पदों के रिक्त रहने, (iv) विमानों की नीलामी के कारण मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकता नही होने तथा (v) किशनगढ एयरपोर्ट के विद्युत प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव

(07) क्षेत्रीय उड़ान सम्पर्क योजना

[01] सेवा प्रदाताओं को सहायता

मू.	1,500.00	280.04	280.04	..
पु.	- 1,219.96			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,219.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय उड़ान सम्पर्क योजना में उड़ानों में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 005 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(10) राजस्थान भवन, नई दिल्ली			
[01] राजस्थान भवन, नई दिल्ली –प्रतिबद्ध			
मू.	749.41		
		579.42	579.41
पु.	- 169.99		- 0.01

₹ 169.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों के स्थानान्तरण के कारण वेतन तथा भत्तों, संविदा सेवाओं तथा मैस व्यवस्था पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित की गई क्योंकि वित्तीय वर्ष के मध्य में राजस्थान भवन का संचालन इसके नवीनीकरण के कारण बन्द कर दिया गया था ।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरीश चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,009.11		
		1,127.63	1,127.53
पु.	118.52		- 0.10

31 मार्च 2023 को पुनर्विविनियोजन द्वारा ₹ 118.52 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सेवा बैंच-2021 के नव चयनित प्रशिक्षु अधिकारियों के वेतन तथा भत्तो पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई । क्योंकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान लेखा सेवा के इस बैंच का प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ होना प्रस्तावित था, जो 2021-22 में देरी से शुरू हुआ। इस कारण इस प्रशिक्षण व्यय का अधिकांश हिस्सा वर्ष 2022-23 में हुआ ।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि

(12) चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस

[01] चाणक्यपुरी, नई दिल्ली गेस्ट हाउस –प्रतिबद्ध

मू.	265.21		
		414.29	414.28
पु.	149.08		- 0.01

31 मार्च 2023 को पुनर्विविनियोजन के द्वारा ₹ 149.08 लाख की अतिरिक्त निधियां मौजूदा राजस्थान भवन के नवीनीकरण के कारण चाणक्यपुरी गेस्ट हाउस को राजस्थान भवन का दर्जा देने के कारण अतिथियों की संख्या में वृद्धि के कारण खाद्य, मैस व्यवस्था तथा संविदा सेवाओं पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई ।

अनुदान संख्या 005 – (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(01) नागरिक विमानन निदेशालय			
[01] हेलीकोप्टर/वायुयान सम्बन्धी व्यय			
मू.	36,000.00
पु.	- 36,000.00

31 मार्च 2023 को ₹ 36,000.00 लाख का समस्त प्रावधान वायुयान की खरीद के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	13,00,47,49			
अनुपूरक	1,91,04,20			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		14,91,51,69	13,96,73,62	– 94,78,07
प्रभारित				
मूल	1,90,13,77			
अनुपूरक	14,33,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		2,04,47,23	1,95,18,46	– 9,28,77
				94,85,28

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 9,478.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 19,104.20 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- ₹ 9,478.07 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 9,485.28 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(01) जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय				
मू.	35.01			
अ.	491.19			
पु.	– 255.75			
		270.45	270.44	– 0.01

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों में कम्प्यूटीकरण हेतु लिया गया ₹ 491.19 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

31 मार्च 2023 को ₹ 255.75 लाख का प्रावधान (i) न्यायालय को पेपर रहित बनाने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय को हार्डवेयर वस्तुओं की कम आपूर्ति और (ii) वर्ष के दौरान ई-कोर्ट प्रोजेक्ट-II के तहत फर्मों द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति नही करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 006 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(21) राजस्थान न्यायिक अकादमी			
[01] राजस्थान न्यायिक अकादमी –प्रतिबद्ध			
मू.	644.66	492.78	492.77
पु.	- 151.88		- 0.01

31 मार्च 2023 को ₹ 151.88 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में 40 पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा नवीन वेतनमान (जनवरी, 2006 से स्वीकृत) के बकाया भुगतान का कम आहरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम देरी से प्रारम्भ होने तथा अधिनस्थ कार्यालयों में प्रथम क्लर्क वर्कशॉप-2023 की दिनांक निर्धारित नहीं होने के कारण प्रशिक्षण पर कम व्यय होने, (iii) अनुमानित लागत से कम दर पर सामग्री प्राप्त होने तथा (iv) संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. सिविल और सेशनस न्यायालय
(23) महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन (निर्भया फंड)
[01] राजस्थान न्यायिक अकादमी –प्रतिबद्ध

मू.	3,083.00	4,242.72	4,234.10	- 8.62
अ.	5,968.79			
पु.	- 4,809.07			

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा न्यायिक अधिकारियों के नवीन वेतनमान के अनुसार वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 5,968.79 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 4,809.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) योजना के तहत भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वेतन में दोहरा प्रावधान प्राप्त किया गया इससे, न्यायिक अधिकारियों द्वारा नये वेतनमान (जनवरी, 2006 से स्वीकृत) के बकाया की कम निकासी के परिणामस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ तथा (ii) लेखाशीर्ष केन्द्रीय प्रायोजित योजना से संबंधित हैं। पब्लिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) से संबंधित नयी प्रक्रिया के तहत-राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट- निर्भया फण्ड) योजना के तहत भारत सरकार की सिंगल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.)-कार्यान्वयन एजेंसियां (आई.ए.) और राजस्थान के वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य कर्मचारियों के वेतन से टी डी एस, जी पी एफ. आदि की वैधानिक कटौती एस.एन. ए. बैंक खाते से स्थानान्तरण/भुगतान ई-ग्रास संचालन पोर्टल के माध्यम से भुगतान में कठिनाईयों को देखते हुए माईनस में जमा कराया गया, ताकि भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार को व्यय की पुनर्भरण राशि पी.एफ.एम.एस. पर परिलक्षित हो सके।

₹ 8.62 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

116. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण
(02) किराया एवं अपीलीय न्यायाधिकरण
[01] किराया न्यायाधिकरण –प्रतिबद्ध

मू.	457.26	347.60	347.60	..
पु.	- 109.66			

₹ 109.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों और अन्य संवर्गों के पद को सम्मिलित करते हुए 15 पद रिक्त रहे तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा नये वेतनमान (जनवरी, 2006 से स्वीकृत) का बकाया कम आहरित होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 006 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
116. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण			
(02) किराया एवं अपीलीय न्यायाधिकरण			
[02] अपील किराया न्यायाधिकरण -प्रतिबद्ध			
मू.	276.72	156.57	156.57
पु.	- 120.15		..

31 मार्च 2023 को ₹ 120.15 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों द्वारा अन्य संवर्गों के पदों को सम्मिलित करते हुए 25 पद रिक्त रहे तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा नये वेतनमान (जनवरी 2006 से स्वीकृत) का बकाया कम आहरित हुआ ।

प्रभारित

1. ₹ 928.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,433.46 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
2. ₹ 928.77 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 931.18 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।

अनुदान संख्या 007 – निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन और
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,45,85,21			
अनुपूरक	15,92,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		1,61,77,71	1,28,81,19	- 32,96,52
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	1,14			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		1,16	80	- 36
				32,57,34

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,592.50 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु मानदेय के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 1,592.49 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 3,296.52 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 39.18 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2015. निर्वाचन				
103. निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण				
(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार-प्रतिबद्ध				
मू.	4,926.89			
अ.	1,592.48			
पु.	- 1,649.16			
		4,870.21	4,846.66	- 23.55

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु मानदेय के भुगतान हेतु लिया गया प्रावधान ₹ 1,592.48 लाख का शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 1,649.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ/पर्यवेक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 23.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 007- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार-प्रतिबद्ध			
मू.	500.00	398.92	398.62
पु.	- 101.08		
31 मार्च 2023 को ₹ 101.08 लाख का प्रावधान (i) जलपान और यात्रा भत्ते के लंबित बिलों का भुगतान नहीं होने तथा (ii) कंप्यूटर के क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
108. मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना			
(01) चुनाव सम्बन्धी प्रभार-प्रतिबद्ध			
मू.	400.00	253.30	251.37
पु.	- 146.70		
31 मार्च 2023 को ₹ 146.70 लाख का प्रावधान कम संख्या में इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्रों की छपाई और कार्डों की टेस्टिंग में अधिक समय लगने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,500.00	420.73	416.56
पु.	- 2,079.27		
31 मार्च 2023 को ₹ 2,079.27 लाख का प्रावधान महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा राज्य के चुनाव आयोग को 2019-20 से 2021-22 में हुए पंचायती राज चुनावों के पूरा होने के बाद समस्त ईवीएम मशीन वापिस नहीं करने से पंचायती राज के आम चुनाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,243.25 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 836.02 लाख) किया गया। इन राज्यों से ईवीएम मशीनें ऋण आधार पर मांगी गई थी लेकिन पंचायत/स्थानीय निकायों में चुनाव लगातार आयोजित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केवल कुछ ईवीएम मशीनें अन्य राज्य चुनाव आयोगों को उनके व्यय पर वापिस की गयी। चुनाव संबंधी खर्च में मितव्ययिता के कारण भी बचत हुई थी।			
₹ 4.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 007 – (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
102. निर्वाचन अधिकारी			
(01) निर्वाचन विभाग			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,791.55		
अ.	0.02	6,558.10	6,549.22
पु.	766.53		- 8.88

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 766.53 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर व्यय में वृद्धि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 8.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 008 - राजस्व

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व,
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं और
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	10,68,93,73			
अनुपूरक	..	10,68,93,73	8,50,68,39	- 2,18,25,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,18,23,37
प्रभारित				
मूल	4			
अनुपूरक	24	28	25	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 8,235.98 लाख, ₹ 12,435.91 लाख, ₹ 14,313.32 लाख, ₹ 12,879.97 लाख तथा ₹ 21,825.34 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.88 प्रतिशत से 20.42 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
103. भू-अभिलेख				
(02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	93,049.93			
पु.	- 16,764.42	76,285.51	76,285.50	- 0.01

₹ 16,764.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान 5,000 पटवारियों की भर्ती नहीं होने तथा बड़े हुए महंगाई भत्ते पर अनुमानों से कम व्यय होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय तथा (ii) वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में कोषालयो द्वारा बिल पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 008 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(03) प्रशिक्षण विद्यालय			
[03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर –प्रतिबद्ध			
मू.	5,813.93		
		898.43	898.17
पु.	- 4,915.50		- 0.26
<p>₹ 4,915.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रिक्त पदों के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा कार्यालय व्यय कम होने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।</p>			
103. भू-अभिलेख			
(07) राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम			
मू.	100.00		
	
पु.	- 100.00		..
<p>31 मार्च 2023 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्व विभाग के वेब पोर्टल के रखरखाव के संबंध में एन आई सी एस आई द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
099. राजस्व बोर्ड			
(02) राजस्व अपीलीय अधिकारी-प्रतिबद्ध			
मू.	932.23		
		791.67	791.66
पु.	- 140.56		- 0.01
<p>₹ 140.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा महंगाई भत्ते की दरों में अनुमान से कम वृद्धि को आरोपित की गयी।</p>			

अनुदान संख्या 009 – वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी – 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	10,06,00,82	10,06,00,82	8,82,34,32	- 1,23,66,50
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,23,60,16
प्रभारित				
मूल	30,00	30,00	27,69	- 2,31
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,31
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,28,89,29	3,48,67,58	3,17,79,62	- 30,87,96
अनुपूरक	19,78,29			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				30,73,90
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 10,471.32 लाख, ₹ 9,570.31 लाख, ₹ 14,289.31 लाख, ₹ 18,908.31 लाख तथा ₹ 12,366.50 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 11.98 प्रतिशत से 18.89 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,500.01	2,953.07	2,950.56
पु.	- 546.94		
			- 2.51

₹ 546.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों /कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. वानिकी
102. सामाजिक एवं कृषि वानिकी
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी और जैव-विविधता परियोजना चरण-II

मू.	373.27	195.88	195.88	..
पु.	- 177.39			

31 मार्च 2023 को ₹ 177.39 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना फेज-II हेतु राशि कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

01. वानिकी
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(04) पंचायतीराज संस्थानों में स्थानान्तरित कर्मचारियों का संस्थापन व्यय
[01] जिला परिषदों को अनुदान (सामान्य)

मू.	875.00	706.92	706.92	..
पु.	- 168.08			

31 मार्च 2023 को ₹ 168.08 लाख का प्रावधान जिला परिषदों में कार्यरत वन कार्मिकों के वेतन के लिए अनुदान आवश्यकतानुसार जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
110. वन्य जीव परिरक्षण
[01] बाघ परियोजना,रणथम्भोर

मू.	6,643.71	3,754.25	3,760.41	+ 6.16
पु.	- 2,889.46			

₹ 2,889.46 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 6.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(03) वन क्षेत्रों का रख-रखाव			
मू.	2,927.40		
पु.	- 1,855.08	1,072.32	1,071.37
			- 0.95
31 मार्च 2023 को ₹ 1,855.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(11) वन्यजीव क्षेत्रों का संधारण			
[01] राज्य वन्यजीव संरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	6,264.26		
पु.	- 669.35	5,594.91	5,594.92
			+ 0.01
₹ 669.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने के कारण पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
112. सार्वजनिक उद्यान			
[01] लोक निर्माण विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	2,180.32		
पु.	- 406.50	1,773.82	1,769.56
			- 4.26
31 मार्च 2023 को ₹ 406.50 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4.26 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण			
[01] प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत व्यय			
मू.	4,206.00		
पु.	- 1,450.89	2,755.11	2,753.71
			- 1.40
31 मार्च 2023 को ₹ 1,450.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	14,617.00		
पु.	- 1,603.25	13,013.75	13,006.80
			- 6.95
31 मार्च 2023 को ₹ 1,603.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.95 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,978.29 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 3,087.96 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 14.06 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 4,003.16 लाख, ₹ 1,862.45 लाख, ₹ 1,956.00 लाख, ₹ 2,637.71 लाख तथा ₹ 3,087.96 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.86 प्रतिशत से 38.29 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(07) जैव-विविधता संरक्षण (वन संरक्षण एवं परिस्थितिक पर्यटन)			
मू.	0.01		
अ.	445.40	9.75	9.75
पु.	- 435.66		..
फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कर्षों के निष्पादन हेतु लिया गया ₹ 445.40 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			

31 मार्च 2023 को ₹ 435.66 लाख का प्रावधान (i) उदयपुर संभाग में वन क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव एवं नियंत्रण हेतु उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा (ii) आधुनिक उपकरणों एवं वाहनो की खरीद हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) एकीकृत वन सुरक्षा योजना			
[01] सुरक्षा एवं विकास कार्य			
मू.	284.72		
पु.	- 239.18	45.54	45.54
31 मार्च 2023 को ₹ 239.18 लाख का प्रावधान फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेन्ट(एफपीएम) के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(01) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	1,452.56		
पु.	- 1,136.02	316.54	316.54
31 मार्च 2023 को ₹ 1,136.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 916.64 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 219.38 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 009 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
110. वन्य जीवन			
(06) बाघ परियोजना रणथम्भौर			
मू.	403.40		
पु.	- 383.71		
	19.69	15.91	- 3.78
31 मार्च 2023 को ₹ 383.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(03). प्राकृतिक अनुभव केन्द्र			
[01]. वन विभाग के माध्यम से			
मू.	500.00		
पु.	- 500.00		

31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यावरण वृक्षारोपण			
मू.	837.00		
पु.	206.30		
	1,043.30	1,043.30	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 206.30 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	10,38,42,11			
अनुपूरक	3,55,13,33	13,93,55,44	13,92,76,26	- 79,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				80,27

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 79.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 35,513.33 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
- ₹ 79.18 लाख की अन्तिम बचत के संदर्भ ₹ 80.27 का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।

अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान
 पर पूंजीगत परिव्यय

			कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व					
दत्तमत					
मूल	54,93,27				
अनुपूरक	16,58,01		71,51,28	64,77,31	– 6,73,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)					6,64,84
प्रभारित					
मूल	3				
अनुपूरक	..		3	..	– 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)					3
पूंजी					
दत्तमत					
मूल	14,08,03				
अनुपूरक	..		14,08,03	8,88,37	– 5,19,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)					5,19,66

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 673.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,658.01 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान से लिये गये ₹ 1,657.99 लाख अत्यधिक थे।
- ₹ 673.97 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 9.13 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 1,216.97 लाख, ₹ 1,543.99 लाख, ₹ 1,565.27 लाख, ₹ 1,922.69 लाख तथा ₹ 673.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.42 प्रतिशत से 34.50 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 011 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्त अक्षयनिधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान तथा धर्मपुरा-प्रतिबद्ध			
मू.	1,882.51		
अ.	4.99	1,697.53	1,696.84
पु.	- 189.97		- 0.69

₹ 189.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन एवं भत्तो पर, (अ) आयुक्त का पद रिक्त रहने, (ब) नए सेवादारो, पुजारी और प्रबन्धक के पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति में देरी होने तथा (स) महंगाई भत्ते की दरों में अपेक्षित वृद्धि की समय पर घोषणा नहीं होने के कारण कम व्यय होने तथा (ii) विभागीय पुजारी द्वारा बिल देरी से प्रस्तुत करने को आरोपित की गई ।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(12) विज्ञान एवं तकनीक

[01] स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	861.37		
पु.	- 149.32	712.05	710.31
			- 1.74

₹ 149.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक

पुनरूद् भवन

102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय

(08) आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंध

[01] आर्द्र भूमि प्राधिकरण

मू.	142.00		
पु.	- 130.19	11.81	11.81
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 130.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 563.77 लाख, ₹ 696.14 लाख, ₹ 309.89 लाख, ₹ 173.17 लाख तथा ₹ 519.66 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 36.08 प्रतिशत से 74.56 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	140.00		
पु.	- 128.65	11.35	11.35
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 128.65 लाख का प्रावधान राज्य सरकार से विकास कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने से कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(03) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य

मू.	185.00			
पु.	- 185.00

31 मार्च 2023 को ₹ 185.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार से विकास कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने से कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

800. अन्य व्यय

(02) विज्ञान एवं तकनीक

मू.	1,083.01			
पु.	- 205.99	877.02	877.02	..

31 मार्च 2023 को ₹ 205.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,
2041. वाहन कर,
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और
3055. सड़क परिवहन
पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	10,88,53,98			
अनुपूरक	1,90,79,38	12,79,33,36	11,61,10,36	- 1,18,23,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,19,13,55
प्रभारित				
मूल	4			
अनुपूरक	67	71	70	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	96,25,06			
अनुपूरक	..	96,25,06	36,92,23	- 59,32,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				59,32,83

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 11,823.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 19,079.38 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 11,823.00 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, ₹ 11,913.55 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 12,882.14 लाख, ₹ 9,780.88 लाख, ₹ 15,218.80 लाख, ₹ 20,604.55 लाख तथा ₹ 11,823.00 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.24 प्रतिशत से 17.68 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण -प्रतिबद्ध			
मू .	3,000.00	15.09	15.09
पु .	- 2,984.91		..

31 मार्च 2023 को ₹ 2,984.91 लाख का प्रावधान सेंट्रल प्रेस, नासिक से गैर-न्यायिक स्टाम्पों की छपाई के अंतिम बिल देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसलिए 2022-23 के दौरान भुगतान नहीं किया जा सका।

3055. सड़क परिवहन
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों की सहायता
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वी.जी.एफ.
के लिए अनुदान

मू	10,000.00	941.00	941.00	..
पु .	- 9,059.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 9,059.00 लाख का प्रावधान ग्रामीण परिवहन सेवा का संचालन नहीं होने के कारण वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

800. अन्य व्यय
(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से

मू	9,627.53	2,676.28	2,676.05	- 0.23
अ.	0.02			
पु .	- 6,951.27			

₹ 6,951.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों द्वारा ट्रॉमा सेंटर की स्थापना/उसके सुदृढ़ीकरण/ट्रॉमा देखभाल से संबंधित कार्यों के लिए उपकरणों की खरीद पर कम व्यय करने और लंबित दायित्वों का भुगतान नहीं करने, (ii) सड़क सुरक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न विभागों से कम प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसके परिणामस्वरूप समर्पित सड़क सुरक्षा निधि के माध्यम से कम व्यय करने, (iii) मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अन्तर्गत घायल व्यक्ति के निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज से संबंधित मामले को अंतिम रूप नहीं देने के परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी को निधियां जारी नहीं करने, (iv) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) द्वारा आर.एस.आर.टी.सी. के वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन स्थापित करने के लिए प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत नहीं करने, (v) सड़कों को दुर्घटनामुक्त बनाने के लिए तीन राजमार्गों में 21 स्थानों पर यातायात सहायता पोस्ट की स्थापना नहीं करने तथा (vi) सार्वजनिक परिवहन के प्रोजेक्ट लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन निधि (निर्भया योजना) का अनिवार्य अनुपालन नहीं होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(10) मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना			
[01] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं (समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से संचालित योजना)			
मू.	500.00		
		1.00	0.95
पु .	- 499.00		- 0.05

₹ 500.00 लाख का प्रावधान सड़क दुर्घटना में घायल को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को ₹ 5000 की प्रोत्साहन राशि जारी करने के लिए अनुमानित था।

यद्यपि, विभाग द्वारा मांग प्रस्तुत नहीं करने के कारण ₹ 499.00 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
(01) स्टाम्प विक्रय			
[01] अभिकर्ताओं को विक्रय पर कमीशन -प्रतिबद्ध			
मू .	4,000.01		
		7,013.98	7,103.98
पु .	3,013.97		+ 90.00

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,013.97 लाख की अतिरिक्त निधियां स्टाम्प विक्रेताओं/स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड/बैंकिंग संस्थानों को स्टाम्प की बड़ी हुई बिक्री के अनुसार कमीशन के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 90.00 लाख का अंतिम आधिक्य स्टाम्पों की बिक्री पर कमीशन के भुगतान के कारण था ।

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क			
(03) जोड़िये-मद 2040-001(05) एवं 101-(03) से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय -प्रतिबद्ध			
मू .	757.90		
		994.68	994.57
पु .	236.78		- 0.11

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 236.78 लाख की अतिरिक्त निधियां बिक्री कर, बिजली कर, मनोरंजन कर एवं जीएसटी की राजस्व प्राप्ति के संग्रहण के अनुपात में किये गये व्यय के अनुसार संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय का समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] पर्यावरण एवं प्रदूषण प्रबन्धन			
मू.	1,800.00		
		4,755.84	4,756.07
पु .	2,955.84		+ 0.23

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,955.84 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में क्रेता को ई-वाहन की खरीद पर सहाय्य हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 376.28 लाख, ₹ 1,115.50 लाख, ₹ 2,612.97 लाख, ₹ 7,493.63 लाख तथा ₹ 5,932.83 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 10.38 प्रतिशत से 84.28 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
050. भूमि तथा भवन			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] सिविल कार्य			
मू.	7,500.01		
		1,267.00	1,267.00
पु .	- 6,233.01		..

31 मार्च 2023 को ₹ 6,233.01 लाख का प्रावधान (i) लोक निर्माण विभाग द्वारा काले/सुभेद्य धब्बों के सुधार पर कम व्यय करने, (ii) चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर्स के सिविल कार्यों का कम निष्पादन होने तथा (iii) आर.एस.आर.डी.सी. को पूर्व में जारी निधियां के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) को 31 ट्रैफिक पार्कों की स्थापना के लिए शेष राशि जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,532.78 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 700.23 लाख) किया गया।

- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
- (08) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण

मू.	600.00		
		200.00	200.00
पु .	- 400.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 400.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा लाडनू एवं मकराना में बस स्टैण्ड निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता होने से निवेश कम करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) बस स्टेण्डों का निर्माण/जीर्णोद्धार			
[01] परिवहन विभाग			
मू.	1,500.00	2,200.23	2,200.23
पु.	700.23		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.23 लाख की अतिरिक्त निधियां जोधपुर में आधुनिक बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क
पूंजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,80,82,54	1,80,82,54	1,73,32,63	- 7,49,91
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				7,49,90
प्रभारित				
मूल	1	13,07	13,06	- 1
अनुपूरक	13,06			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	2,263.63	1,576.87	1,576.88	+ 0.01
पु.	- 686.76			

₹ 686.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नव जीवन योजना के अन्तर्गत पुनर्वास एवं अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किये जाने के परिणामस्वरूप, अन्य विधिक सूचनाओं के प्रकाशन के लिए किये गये प्रावधान को छोड़कर विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत कम व्यय होने तथा (ii) पदों के रिक्त रहने तथा एरियर के भुगतान नही होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 014 - बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर और

2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार

पूंजी - 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	15,33,47,24			
अनुपूरक	..	15,33,47,24	9,68,78,60	- 5,64,68,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5,64,68,03
प्रभारित				
मूल	6			
अनुपूरक	13	19	19	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3			
अनुपूरक	..	3	..	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 26,620.76 लाख, ₹ 8,666.50 लाख, ₹ 8,956.82 लाख, ₹ 9,859.57 लाख तथा ₹ 56,468.64 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल प्रावधान की 5.99 प्रतिशत से 36.82 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 014 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[02] ब्याज अनुदान			
मू. 150.00	37.08	37.08	..
पु. - 112.92			
31 मार्च 2023 में ₹ 112.92 लाख का प्रावधान वास्तविक प्राप्ति के अनुसार ब्याज अनुदान के दावों के अन्तिमीकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि			
मू. 72,483.00	8,719.64	8,719.64	..
पु. - 63,763.36			
31 मार्च 2023 को ₹ 63,763.36 लाख का प्रावधान निवेश सहाय्य के दावों के वास्तविक प्राप्ति के अनुसार अन्तिमीकरण के कारण अभ्यर्पित (₹ 51,776.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,987.09 लाख) किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[05] एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडि			
मू. 2,466.00	1,098.29	1,098.29	..
पु. - 1,367.71			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[08] एम्पलायमेंट जनरेशन सब्सिडि (रिप्स-2014)			
मू. 1,330.00	999.41	999.41	..
पु. - 330.59			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,698.30 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान रिप्स-2010 तथा रिप्स 2014 से संबंधित एम्पलायमेंट जनरेशन सब्सिडी के दावों के वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार अन्तिमीकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 014 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय			
[01] मुख्यालय- प्रतिबद्ध			
मू.	3,000.18		
पु.	- 337.90	2,662.28	2,662.28

31 मार्च 2023 को ₹ 337.90 लाख का प्रावधान वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) में राज्य हिस्सेदारी, कर सूचना विनियम प्रणाली (टीआईएनएक्सवाईएस) और मुख्यालय में सक्रिय तकनीकी सहायता इकाई के संबंध में प्राप्त वास्तविक दावों के अनुसार भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय- प्रतिबद्ध			
मू.	4,100.54		
पु.	868.12	4,968.66	4,968.68

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 868.12 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 को तैयार करने के लिए परामर्श एजेंसी पर व्यय करने, (ii) कम्प्यूटीकरण और तत्संबंधित संचार पर व्यय होने, (iii) विज्ञापनों आदि पर गत वर्षों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु तथा (iv) संविदा जैसेकि, सुरक्षा, होम गार्ड, रेक्सको, सफाई आदि के लिए संविदा पर विविध सेवाओं के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

001. निदेशन और प्रशासन
(02) डिवीजनल कर्मचारी वर्ग- प्रतिबद्ध

मू.	3,775.68		
पु.	1,211.27	4,986.95	4,986.57

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,211.27 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) शीर्ष के अन्तर्गत सृजित पदों पर अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय होने, (ii) संगठनिक ढांचे के पुनर्गठन उपरान्त नव स्थापित कार्यालयों हेतु फर्नीचर का क्रय करने तथा सॉफ्टवेयर में फाईल्स के डाटा फिडिंग करने तथा, (iii) विजनस ऑडिट विंग 1 से 6 जयपुर तथा 2 वृत्त कार्यालयों हेतु किराये पर लिये गये बी.एस.एन.एल भवन के किराये भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण
(01) जल संरक्षण उपकर निधि -प्रतिबद्ध

मू.	20,000.00		
पु.	4,918.95	24,918.95	24,918.95

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,918.95 लाख की अतिरिक्त निधियां उपकर के वास्तविक संग्रह के अनुसार जल संरक्षण उपकर को निधि में स्थानान्तरण करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 014 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार			
001. निदेशन और प्रशासन			
(04) मद 2040-001-(08) से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का अनुपातिक व्यय			
[01] अनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण- प्रतिबद्ध			
मू.	4,292.69		
पु.	1,090.44		
	5,383.13	5,382.91	- 0.22
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,090.44 लाख की अतिरिक्त निधियां बिक्री कर, बिजली कर, मनोरंजन कर और जीएसटी के संग्रह पर किये गये संयुक्त स्थापना व्यय के अनुपातिक समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(03) हॉटल्स एवं टूर ऑपरेटर्स को राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का पुनर्भरण			
[01] हॉटल्स एवं टूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराये गये राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का पुनर्भरण			
मू.	0.01		
पु.	3,315.00		
	3,315.01	3,315.01	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,315.00 लाख की अतिरिक्त निधियां हॉटल्स एवं टूर ऑपरेटर द्वारा जमा कराये गये एवं देय कर के पुनर्भरण संबंधी प्राप्त दावों के निस्तारण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 015 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,44,29,16,05	2,57,41,19,69	2,53,61,97,71	- 3,79,21,98
अनुपूरक	13,12,03,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,32,58,43
प्रभारित				
मूल	10,00,04	20,00,04	19,36,03	- 64,01
अनुपूरक	10,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,00,04

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 37,921.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,31,203.64 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 37,921.98 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 24,663.55 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

प्रभारित

- ₹ 64.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 64.01 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 100.04 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 016 – पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2055. पुलिस और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
पूंजी – 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	80,95,05,66	85,09,72,48	79,07,96,52	- 6,01,75,96
अनुपूरक	4,14,66,82			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				6,09,37,00
प्रभारित				
मूल	20,04	2,32,39	2,29,67	- 2,72
अनुपूरक	2,12,35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,72
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,55,68,47	1,55,68,47	92,33,94	- 63,34,53
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				48,95,45

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 41,466.82 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 60,175.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 60,937.00 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।

अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(01) अपराधिक शाखा			
[03] अपराधिक शाखा			
मू.	1,162.02		
		284.33	220.93
पु.	- 877.69		- 63.40
31 मार्च 2023 को ₹ 877.69 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 63.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
109. जिला पुलिस			
(02) केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि के लिये रक्षादल			
[01] केन्द्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,080.02		
		1,832.76	1,832.76
पु.	- 247.26		..
31 मार्च 2023 को ₹ 247.26 लाख का प्रावधान विभाग द्वारा बैंकों को पुनर्भरण आधार पर उपलब्ध कराये जा रहे बैंक गार्ड पदों को राज्य सरकार द्वारा समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप रिक्त पदों के कारण कर्मचारियों को अन्य स्थान पर पदस्थापित किये जाने को अभ्यर्पित किया गया।			
109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[03] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,653.01		
अ.	1,080.00	2,735.90	2,735.89
पु.	- 997.11		- 0.01
फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा रिक्त पदों के भरने के कारण वेतन तथा भत्तों पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,080.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2023 को ₹ 997.11 लाख का प्रावधान संशोधित अनुमान में जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन में तैनात कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, बकाया तथा समर्पण अवकाश का नकदीकरण इस शीर्ष की बजाय सामान्य शाखा के माध्यम से होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. जिला पुलिस			
(11) सामान्य पुलिस			
[01] सामान्य पुलिस निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	4,32,509.60		
अ.	30,452.27	4,20,233.29	4,20,195.66
पु.	- 42,728.58		- 37.63

अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 30,452.27 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अनावश्यक था ।

₹ 42,728.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण का भुगतान नहीं होने, नई भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ, (ii) कॉस्टेबल भर्ती, 2021 की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा राजकॉम्प से बिलों की प्राप्ति नहीं होने के कारण कार्यालय व्यय पर कम व्यय हुआ, (iii) हथियारों, कांटेदार तारों, पोटा हट की खरीद तथा अधिनस्थ कार्यालयों में हथियारों के रखरखाव के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस प्रणाली के माध्यम से नहीं हुआ तथा (iv) विद्युत तथा जल प्रभार पर व्यय नहीं होने, (v) वर्दीधारी पुलिस कर्मियों की वर्दी पर कम व्यय होने तथा (vi) रिक्त पदों के कारण रात्रिगश्त एवं यातायात व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु नियोजित होमगार्ड को मानदेय के भुगतान पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 37.63 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(03) कम्प्यूटर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,802.01		
अ.	0.01	1,604.44	1,601.11
पु.	- 197.58		- 3.33

₹ 197.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण का भुगतान नहीं होने, नई भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(03) विधि-विज्ञान शाला का आधुनिकीकरण

मू.	352.00
पु.	- 352.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 352.00 लाख का समस्त प्रावधान पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने एवं तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(08) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण

मू.	131.30
पु.	- 131.30			

31 मार्च 2023 को ₹ 131.30 लाख का समस्त प्रावधान पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने एवं तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(09) स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एस.पी.सी.)
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत
विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

मू.	510.21	286.52	244.46	- 42.06
पु.	- 223.69			

31 मार्च 2023 को ₹ 223.69 लाख का प्रावधान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बीकानेर को आवश्यकतानुसार निधियाँ हस्तान्तरित के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 42.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
106. सिविल रक्षा			
(02) अग्नि सेवा-प्रतिबद्ध			
मू.	795.55	617.41	617.40
पु.	- 178.14		

₹ 178.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 120 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

106. सिविल रक्षा

(03) सिविल सुरक्षा

[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	2,512.38	1,858.11	1,858.18	+ 0.07
पु.	- 654.27			

₹ 654.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 150 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) मानदेय पर कम व्यय हुआ क्योंकि 34 ड्राइवरों का भुगतान मुख्य शीर्ष 2245-'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' के माध्यम से हुआ, (iii) एन ई लाइनो के बिलो का समय पर प्राप्त नहीं होना तथा (iv) भवन का किराया जमा नहीं होने को आरोपित की गयी।

107. होम गार्ड

(01) नगरीय गृह रक्षा

मू.	7,431.52	6,947.69	6,947.76	+ 0.07
अ.	420.00			
पु.	- 903.83			

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा गृह रक्षकों के मानदेय पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 420.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 903.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि (क) 14 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा (ख) जनवरी 2023 से देय मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान नहीं हुआ क्योंकि वित्त विभाग का आदेश 25.03.2023 को जारी तथा, (ii) प्रशिक्षण पर कम व्यय हुआ क्योंकि (क) 3923 में से केवल 491 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया तथा (ख) राज्य सरकार द्वारा हॉल्ट भत्ते पर रोक लगाने के परिणामस्वरूप 12 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान 1095 स्वयंसेवकों को हॉल्ट भत्ते का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

107. होम गार्ड

(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत
शहरी गृह रक्षा हेतु राशि

मू.	287.07
पु.	- 287.07			

31 मार्च 2023 को ₹ 287.07 लाख का समस्त प्रावधान पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत भारत सरकार से योजना की मंजूरी नहीं मिलने एवं तदनुसार राज्य सरकार से बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
107. होम गार्ड			
(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना			
[02] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि			
मू.	117.01
पु.	- 117.01

31 मार्च 2023 को ₹ 117.01 लाख का समस्त प्रावधान पुलिस बल के आधुनिकीकरण के तहत भारत सरकार से योजना की मंजूरी नहीं मिलने एवं तदनुसार राज्य सरकार से बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

4. शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, सम्पूर्ण प्रावधान की कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(01) सामान्य पुलिस			
[04] रेलवे वारंट-प्रतिबद्ध			
मू.	600.00	..	+ 829.25
पु.	- 600.00	..	+ 829.25

31 मार्च 2023 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान रेल द्वारा यात्रा पर व्यय का पूर्व निर्धारण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि रेलवे से प्राप्त रेल वारंट का समायोजन कार्यालय महालेखाकार द्वारा किया जाता है ।

यद्यपि, वर्ष के दौरान ₹ 829.25 लाख के रेलवे वारंट प्राप्त हुए और बिना प्रावधान के राज्य के लेखों में समायोजित किये गये थे । रेलवे वारंट के ऐसे समायोजन का व्यय प्रत्येक माह में किया जाता है और कार्यालय महालेखाकार द्वारा संबंधित बजट नियंत्रक विभाग को भी सूचित किया गया था ।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 6,334.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,439.08 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 3,448.37 लाख, ₹ 6,709.08 लाख, ₹ 3,978.99 लाख, ₹ 6,550.47 लाख तथा ₹ 6,334.53 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल प्रावधान की 15.64 प्रतिशत से 40.69 प्रतिशत के बीच थी । प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[01] आपराधिक शाखा			
मू.	524.00
पु.	- 524.00
31 मार्च 2023 को ₹ 524.00 लाख का समस्त प्रावधान विभाग द्वारा व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[02] सामान्य पुलिस			
मू.	6,439.43	5,036.78	- 1,439.08
पु.	- 1,402.65	3,597.70	- 1,439.08
31 मार्च 2023 को ₹ 1,402.65 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 1,439.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[03] वितंतु पुलिस			
मू.	1,887.22
पु.	- 1,887.22
31 मार्च 2023 को ₹ 1,887.22 लाख का समस्त प्रावधान ए.पी.सी.ओ. (एसोसिएशन ऑफ पब्लिक सेफ्टी कम्युनिकेशन ऑफिशियल्स) फेज- II डिजिटल रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ जयपुर कमीशनरेट तथा उपकरणों व सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना की संभावना वर्ष के दौरान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,369.55 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 517.67 लाख) किया गया।			
210. अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण			
(01) सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दाण्डिक			
न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	300.00
पु.	- 300.00
31 मार्च 2023 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 016 – (समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय				
211. पुलिस आवास				
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	1,000.00	750.00	750.00	..
पु.	- 250.00			
211. पुलिस आवास				
(03) आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	2,217.79	1,168.55	1,168.55	..
पु.	- 1,049.24			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,299.24 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय				
207. राज्य पुलिस				
(02) जिला पुलिस				
[01] सामान्य पुलिस				
मू.	2,000.01	2,470.62	2,470.62	..
पु.	470.61			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 470.61 लाख की अतिरिक्त निधियां नये वाहनो की खरीद हेतु उपलब्ध कराई गयी।

अनुदान संख्या 017 – कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,47,71,51			
अनुपूरक	35,18,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		2,82,90,46	2,68,48,15	- 14,42,31
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	1,14,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		1,14,32	1,14,30	- 2
				11,35,09

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,442.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,518.95 लाख का प्रावधान अत्यधिक था
- ₹ 1,442.31 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 307.22 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2056. जेल				
001. निदेशन और प्रशासन				
(01) प्रशासन				
[01] मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,371.21			
पु.	- 266.83			
		1,104.38	1,120.71	+ 16.33

₹ 266.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) वाहनों की खरीद पर कम व्यय होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी के कारण बन्दियों की ई-पेशी होने तथा न्यायालय में कैदियों की पेशी कम होने के कारण रोडवेज बस वारन्ट तथा रेल्वे वारन्ट पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 16.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(06) जेलों में विडियों कांफ्रेंसिंग सुविधा			
मू.	601.72		
अ.	1,182.20	1,405.71	1,135.62
पु.	- 378.21		- 270.09

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मशीनरी तथा संयंत्रों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,182.20 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 648.30 लाख (₹ 378.21 लाख+ ₹ 270.09 लाख) की कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 378.21 लाख का प्रावधान (i) विभिन्न वस्तुओं की निविदा में अनुमान से कम दर पर प्राप्त होने से विभिन्न आईटमों की खरीद पर कम व्यय होने तथा कुछ आईटमों को स्थापित करने के अभाव में भुगतान को रोकने तथा (ii) मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों पर कैंदियों के व्यवहार पद्धति के विश्लेषण पर तथा परियोजना से संबंधित आकस्मिक व्यय की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 270.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,15,52,73			
अनुपूरक	73,36,10	1,88,88,83	1,86,15,90	- 2,72,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,72,89
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 272.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विज्ञापन, बिक्री, प्रचार और विस्तार पर किये गये व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 7,336.10 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 019 - लोक निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2059. लोक निर्माण कार्य

- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,
 4403. पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	5,80,45,30		
अनुपूरक	2	5,80,45,32	5,41,25,31 - 39,20,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			38,94,15
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	30,48	30,49	30,46 - 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			
पूँजी			3
दत्तमत			
मूल	19,94,20,32	20,53,33,15	13,10,50,41 - 7,42,82,74
अनुपूरक	59,12,83		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			7,34,76,69

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 3,920.01 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 25.86 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 6,247.55 लाख, ₹ 11,354.92 लाख, ₹ 12,689.84 लाख, ₹ 7,932.53 लाख तथा ₹ 3,920.01 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 6.75 प्रतिशत से 22.50 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू .	7,038.44		
पु .	- 693.42	6,345.02	6,344.72
			- 0.30

₹ 693.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू .	27,933.31		
पु .	- 3,801.00	24,132.31	24,105.18
			- 27.13

₹ 3,801.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

₹ 27.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(01) अनुसंधान- प्रतिबद्ध			
मू .	2,633.42		
पु .	- 528.97	2,104.45	2,101.70
			- 2.75

₹ 528.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,279.51		
		861.60	861.07
			- 0.53
पु.	- 417.91		
31 मार्च 2023 को ₹ 417.91 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए			
[01] विशेष एवं सामान्य मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	5,922.51		
		5,241.51	5,222.24
			- 19.27
पु.	- 681.00		
₹ 681.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 19.27 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(04) पंजीयक, राजस्व मण्डल-प्रतिबद्ध			
मू.	500.00		
		199.14	199.14
			..
पु.	- 300.86		
31 मार्च 2023 को ₹ 300.86 लाख का प्रावधान अधीनस्थ विभागों से रखरखाव एवं मरम्मत के कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(18) पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर- प्रतिबद्ध			
[02] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	362.00		
		122.63	122.63
			..
पु.	- 239.37		
31 मार्च 2023 को ₹ 239.37 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के निजी निक्षेप खाते में विद्युत कार्यों हेतु पर्याप्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण निधियों का हस्तान्तरण न होने के कारण अभ्यर्पित की गयी।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	400.00		
पु.	3,497.72	3,897.72	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,497.72 लाख की अतिरिक्त निधियां रखरखाव एवं मरम्मत पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

5. **उचन्त** – लघु शीर्ष “उचन्त” अस्थायी रूप से प्राप्ति एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के हैं। यद्यपि, उनको पूर्ण रूप देने और अंतिम रूप से लेखांकित करने के पूर्व मूल्यों का आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, “उचन्त” में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

- (i) **स्टॉक** – इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष “खरीद” भी परिचालित किया गया है। अतः उप भाग स्टॉक, भण्डार में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किया जाता है जिसके द्वारा अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष को दर्शाता है।
- (ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** – इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, भण्डार का मूल्य जो अभी अपलिखित नहीं किया गया हो तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।
- (iii) **वर्कशाप उचन्त** – सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं। 2022-23 में इस अनुदान में “उचन्त” लेन देनों का विश्लेषण “उचन्त” के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

“उचन्त” लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+) 453.61	(+) 453.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 223.33	(+) 223.33
योग	(+) 676.94	(+) 676.94

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 5,912.83 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,912.82 लाख अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 74,282.74 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 806.05 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 46,445.00 लाख, ₹ 38,312.26 लाख, ₹ 56,517.49 लाख, ₹ 34,285.62 लाख तथा ₹ 74,282.74 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 30.51 प्रतिशत से 54.67 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	2,400.00		
पु .	- 661.01		
	1,738.99	1,738.99	..
31 मार्च 2023 को ₹ 661.01 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर			
(आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	3,000.00		
पु .	- 500.00		
	2,500.00	2,500.00	..
31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने/कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर			
(आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू .	1,108.00		
पु .	- 1,108.00		

31 मार्च 2023 को ₹ 1,108.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	33,000.00	12,078.71	12,078.71
पु.	- 20,921.29		..

31 मार्च 2023 को ₹ 20,921.29 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[06] न्याय प्रशासन विभाग			
मू.	1,100.00	983.67	983.67
पु.	- 116.33		..

31 मार्च 2023 को ₹ 116.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलें)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,830.40	1,283.42	1,283.42
पु.	- 546.98		..

31 मार्च 2023 को ₹ 546.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

₹ 1,283.42 लाख के कुल व्यय में से माह मार्च, 2023 में राजस्थान पुलिस हाउसिंग (₹ 1,169.80 लाख) तथा यू.आई.टी. अलवर (₹ 24.63 लाख) के निजी निक्षेप खाते में ₹ 1,194.83 लाख हस्तान्तरित किये गये।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	5,857.01	4,216.82	4,216.82
पु.	- 1,640.19		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,640.19 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

₹ 4,216.82 लाख के कुल व्यय में से, ₹ 600.00 लाख 31.03.2023 को राजस्थान पुलिस हाउसिंग के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित किये गये।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[02] गृह रक्षा विभाग			
मू. 356.04	177.62	177.62	..
पु. - 178.42			
31 मार्च 2023 को ₹ 178.42 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(08) सामान्य भवन (गृह अभियोजन भवन)			
मू. 281.05	100.01	100.01	..
पु. - 181.04			
31 मार्च 2023 को ₹ 181.04 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू. 3,517.00	2,718.84	2,718.84	..
पु. - 798.16			
31 मार्च 2023 को ₹ 798.16 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)			
मू. 1,297.53	818.09	818.09	..
पु. - 479.44			
31 मार्च 2023 को ₹ 479.44 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू. 298.44	22.49	22.49	..
पु. - 275.95			
31 मार्च 2023 को ₹ 275.95 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80. सामान्य 051. निर्माण (30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)			
मू . 756.40	544.47	544.47	..
पु . - 211.93			
31 मार्च 2023 को ₹ 211.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य 051. निर्माण (55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)			
मू . 752.25	224.43	224.43	..
पु . - 527.82			
31 मार्च 2023 को ₹ 527.82 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य 051. निर्माण (57) राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का भवन निर्माण [01] कार्यालय भवन निर्माण			
मू . 0.01	..	- 743.97	- 743.97
पु . - 0.01			
₹ 743.97 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य 051. निर्माण (58) सामान्य भवन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) [01] कार्यालय भवन निर्माण			
मू . 663.80	329.08	329.08	..
पु . - 334.72			
31 मार्च 2023 को ₹ 334.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य 051. निर्माण (59) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के लिए) [01] निर्माण कार्य			
मू . 200.00	55.35	55.35	..
पु . - 144.65			
31 मार्च 2023 को ₹ 144.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(60) सामान्य भवन, नागरिक सुरक्षा विभाग			
[01] नागरिक सुरक्षा विभाग के लिए भवन निर्माण			
मू.	240.17	2.07	2.07
पु.	- 238.10		..
31 मार्च 2023 को ₹ 238.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(61) ई.वी.एम. वेयर हाउस निर्माण			
[01] राज्य निर्वाचन आयोग			
मू.	680.00	137.67	137.67
पु.	- 542.33		..
31 मार्च 2023 को ₹ 542.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,122.87	1,473.11	1,473.11
पु.	- 649.76		..
31 मार्च 2023 को ₹ 649.76 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	8,821.50	52.08	52.08
पु.	- 8,769.42		..
31 मार्च 2023 को ₹ 8,769.42 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. पॉलीटेकनिक			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	181.44		
पु .	- 124.66	56.78	56.78
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 124.66 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(01) आयुर्वेदिक (इसमें फार्मसी शामिल है)			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	610.00		
पु .	- 605.48	4.52	4.52
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 605.48 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	998.35		
पु .	- 995.56	2.79	2.79
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 995.56 लाख का प्रावधान वित्त विभाग से निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने और विभाग के आधुनिकीकरण की व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	230.43		
पु .	- 230.43		
	
31 मार्च 2023 को ₹ 230.43 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	510.01		
पु .	- 272.18	237.83	203.84
			- 33.99
31 मार्च 2023 को ₹ 272.18 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 33.99 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	353.55		
पु .	- 251.93	101.62	101.62
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 251.93 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	98,098.00		
अ.	5,912.81	59,228.00	59,228.00
पु .	- 44,782.81		..
फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपुरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लिया गया ₹ 5,912.81 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 44,782.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
101. भवन			
(02) अन्य कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	579.91		
पु .	- 540.55	39.36	39.36
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 540.55 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 019 – (समाप्त)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. के माध्यम से			
मू .	1,600.00		
पु .	567.31		
		2,167.31	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 567.31 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
मू .	370.00		
पु .	438.50		
		808.50	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 438.50 लाख का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	14,900.00		
पु .	11,070.28		
		25,970.28	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,070.28 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	6,063.00		
पु .	1,168.49		
		7,231.49	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,168.49 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 020 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास
पूँजी - 4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	76,75,94			
अनुपूरक	2,55,02	79,30,96	75,26,87	- 4,04,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,03,86
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	1,13,43,01			
अनुपूरक	1	1,13,43,02	53,90,74	- 59,52,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				59,52,05

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सरकारी रिहायशी आवासों की मरम्मत तथा रख रखाव पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 255.02 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत (जो अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
-------	--	------------	---------------------------------	-------------------

2216. आवास

05. साधारण पूल आवास

053. रख रखाव तथा मरम्मत

(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)

[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध

मू. 1,375.77

पु. - 338.89

1,036.88

1,036.88

..

₹ 338.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(07) राजस्व विभाग के रिहायशी भवन- प्रतिबद्ध			
मू.	150.00	49.87	49.87
पु.	- 100.13		..

31 मार्च 2023 को ₹ 100.13 लाख का प्रावधान राजस्व विभाग के रिहायशी भवन के मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजी

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 899.43 लाख, ₹ 6,358.60 लाख, ₹ 4,706.89 लाख, ₹ 4,567.84 लाख तथा ₹ 5,952.28 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट का 35.50 प्रतिशत से 70.66 प्रतिशत तक रही। निरन्तर बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	943.00	409.60	409.60
पु.	- 533.40		..

31 मार्च 2023 को ₹ 533.40 लाख का प्रावधान मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 020 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	8,700.00	3,547.62	3,547.40
पु.	- 5,152.38		- 0.22

31 मार्च 2023 को ₹ 5,152.38 लाख का प्रावधान मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,008.92 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 143.46 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. सरकारी रिहायशी भवन
700. अन्य आवास
(09) V एवं VI श्रेणी तथा अन्य आवास
[90] निर्माण कार्य

मू.	200.00	47.59	47.59	..
पु.	- 152.41			

01. सरकारी रिहायशी भवन
700. अन्य आवास
(11) III एवं IV श्रेणी के आवास
[90] निर्माण कार्य

मू.	330.00	109.82	109.82	..
पु.	- 220.18			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 372.59 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	800.00	900.96	900.96
पु.	100.96		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.96 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 021 - सड़कों एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3054. सड़क तथा सेतु
 पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	38,43,16,04	43,66,89,63	45,09,09,81	+ 1,42,20,18
अनुपूरक	5,23,73,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				86,29,15
प्रभारित				
मूल	1	42,42	38,23	- 4,19
अनुपूरक	42,41			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,19
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	58,51,85,51	58,51,85,51	45,74,40,88	- 12,77,44,63
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,78,57,60

टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- व्यय अनुदान से ₹ 1,42,20,17,980 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- ₹ 14,220.18 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 52,373.59 लाख का प्रावधान अपर्याप्त था।
- ₹ 14,220.18 लाख के अंतिम आधिक्य के संदर्भ में, ₹ 8,629.15 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक था।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

4. आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रहा:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100% केन्द्र)			
[02] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू .	0.01		
पु .	- 0.01		
		..	22,849.50 + 22,849.50

गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रावधान अनुमानित करना चाहिये क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है तथा बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

2022-23 के दौरान, इस शीर्ष में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रावधान अनुमानित नहीं किया गया, लेकिन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा रखरखाव के तहत ₹ 22,849.50 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय बिना प्रावधान के दर्शाया गया है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2021-22 के दौरान भी ₹ 26,691.50 लाख का व्यय बिना प्रावधान के दर्शाया गया था।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
800. अन्य व्यय
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार
[03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	175.00			
पु .	1,565.21			
		1,740.21	1,740.21	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,565.21 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रशिक्षण/संगोष्ठी/उत्सव/ प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
107. रेल सुरक्षा निर्माण कार्य
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध

मू .	100.00			
पु .	299.91			
		399.91	399.91	..

31 मार्च 2023 को ₹ 299.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण

मू .	2,18,500.00			
अ.	52,373.59			
पु .	29,126.41			
		3,00,000.00	3,00,000.00	..

31 मार्च 2023 को ₹ 29,126.41 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) भारतीय सड़क कांग्रेस एवं अन्य समकक्ष संस्थान-प्रतिबद्ध			
मू.	10.00		
पु.	108.29	118.29	118.29
			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 108.29 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रशिक्षण/संगोष्ठी/उत्सव/ प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित आधिक्य को बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] सड़कों का संधारण-प्रतिबद्ध			
मू.	12,008.11		
पु.	- 3,955.39	8,052.72	8,052.73
			+ 0.01

₹ 3,955.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. राजकीय राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना
[01] अतिरिक्त परिचालन लागत

मू.	176.00		
पु.	- 115.61	60.39	60.29
			- 0.10

₹ 115.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. राजकीय राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना
[02] आधुनिकीकरण

मू.	958.00		
पु.	- 897.47	60.53	60.53
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 897.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
105. रख-रखाव तथा मरम्मत			
(01) सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
[01] महानगरों के अतिरिक्त शहरी सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
मू .	27,476.00
पु .	- 27,476.00
31 मार्च 2023 को ₹ 27,476.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] जिला सड़कें- प्रतिबद्ध			
मू .	6,851.71	5,321.18	5,321.18
पु .	- 1,530.53		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,530.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत - प्रतिबद्ध			
मू .	33,001.21	27,843.69	27,843.69
पु .	- 5,157.52		..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,157.52 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,519.07 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,638.45 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
मू .	1,000.00	733.33	733.33
पु .	- 266.67		..
31 मार्च 2023 को ₹ 266.67 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध			
मू .	1,190.18		
पु .	- 181.36		
		1,008.82	1,008.82

31 मार्च 2023 को ₹ 181.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
(04) रोड कट की मरम्मत-प्रतिबद्ध

मू .	200.00		
पु .	- 100.81		
		99.19	99.19

31 मार्च 2023 को ₹ 100.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- 6. केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्प्रीट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राज्य सरकार द्वारा अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 80,000.00 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान ₹ 80,000.00 लाख अनुमोदित योजनाओं पर व्यय किया गया।

31 मार्च 2023 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 1,370.57 लाख का शेष था।

2022-23 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2022-23 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 1,27,744.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 1,27,857.60 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
2. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 90,375.53 लाख, ₹ 45,997.12 लाख, ₹ 1,29,506.35 लाख, ₹ 1,00,758.08 लाख तथा ₹ 1,27,744.63 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 12.23 प्रतिशत से 30.55 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू .	35,031.90		
पु .	- 30,781.88		
		4,250.02	4,240.84
			- 9.18
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू .	1,339.46		
पु .	- 1,145.05		
		194.41	199.95
			+ 5.54
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू .	65,313.85		
पु .	- 30,941.63		
		34,372.22	34,397.66
			+ 25.44

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 62,868.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष "5054-03-337(04)" के अंतर्गत ₹ 9.18 लाख की अंतिम बचत तथा शीर्ष "5054-03-337(10) और (11)" के अंतर्गत ₹ 30.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(12) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू .	89,699.61		
		20,438.73	20,333.35
			- 105.38
पु .	- 69,260.88		
31 मार्च 2023 को ₹ 69,260.88 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। जिसके तथा ₹ 105.38 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II विश्व बैंक			
[01] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन			
मू .	278.40		
		13.45	13.45
			..
पु .	- 264.95		
31 मार्च 2023 को ₹ 264.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[03] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. – XXVII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	61,134.10		
		45,205.13	45,185.68
			- 19.45
पु .	- 15,928.97		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[04] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. – XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू .	6,963.00		
		4,013.63	4,012.48
			- 1.15
पु .	- 2,949.37		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 18,878.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "5054-04-337(17) [03]" के अंतर्गत ₹ 19.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू .	95,479.10		
पु .	- 73,099.23		
	22,379.87	22,379.87	..

31 मार्च 2023 को ₹ 73,099.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 45,675.91 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 27,423.32 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू .	0.01		
पु .	- 0.01		
	..	411.68	+ 411.68

गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रावधान अनुमानित करना चाहिये क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है तथा मण्डल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

2022-23 के दौरान, इस शीर्ष में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रावधान अनुमानित नहीं किया गया, लेकिन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा रखरखाव के तहत ₹ 411.68 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय बिना प्रावधान के दर्शाया गया है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) निर्माण			
मू.	3,434.50	4,472.81	4,472.48
पु.	1,038.31		
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) भूमि अवाप्ति का भुगतान			
मू.	206.07	420.77	420.77
पु.	214.70		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,253.01 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	38,466.40	62,734.88	62,727.97
पु.	24,268.48		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,268.48 लाख की अतिरिक्त निधियां योजनाओं के विस्तार एवं नयी योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
₹ 6.91 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू.	350.00	1,726.18	1,724.00
पु.	1,376.18		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,376.18 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
04. जिला तथा अन्य सड़कें				
337. सड़क निर्माण कार्य				
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें				
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. - XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)				
मू.	2,088.90	4,735.78	4,681.34	
पु.	2,646.88			- 54.44
04. जिला तथा अन्य सड़कें				
800. अन्य व्यय				
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम				
[01] ग्रामीण सड़कें				
मू.	10,303.50	25,753.01	25,726.24	
पु.	15,449.51			- 26.77
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,096.39 लाख की अतिरिक्त निधियां योजनाओं के विस्तार एवं नयी योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण उपलब्ध कराई गई । यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 81.21 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।				
04. जिला तथा अन्य सड़कें				
800. अन्य व्यय				
(06) शहरी सड़कें				
मू.	3,434.50	5,792.93	5,792.93	
पु.	2,358.43			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,358.43 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।				
04. जिला तथा अन्य सड़कें				
800. अन्य व्यय				
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	22,324.25	46,277.63	46,245.44	
पु.	23,953.38			- 32.19
04. जिला तथा अन्य सड़कें				
800. अन्य व्यय				
(23) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	89,297.00	1,12,430.26	1,12,416.69	
पु.	23,133.26			- 13.57
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 47,086.64 लाख की अतिरिक्त निधियां योजनाओं के विस्तार एवं नयी योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण उपलब्ध कराई गई । यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 45.76 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।				

अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और

2705. कमान क्षेत्र विकास

पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	25,28,57			
अनुपूरक	7	25,28,64	22,43,26	- 2,85,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,85,37
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	..	3	..	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,54,50,95			
अनुपूरक	4	2,54,50,99	1,41,36,84	- 1,13,14,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,13,09,57
प्रभारित				
मूल	5			
अनुपूरक	6,03	6,08	5,98	- 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				10

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

पूंजी

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 12,180.83 लाख, ₹ 13,667.04 लाख, ₹ 8,005.08 लाख, ₹ 7,566.83 लाख तथा ₹ 11,314.15 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 31.53 प्रतिशत से 50.99 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत के कारणों में से एक भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति रहा।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
800. अन्य व्यय			
(02) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)			
[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	6,120.00
पु.	- 6,120.00
31 मार्च 2023 को ₹ 6,120.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,448.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,672.00 लाख) किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	4,670.50
पु.	- 4,670.50
31 मार्च 2023 को ₹ 4,670.50 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा नयी स्वीकृतियों/कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,407.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,263.50 लाख) किया गया।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
103. भाखडा और गंग क्षेत्र का विकास			
(03). अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[02]. अमर सिंह जस्साना परियोजना			
मू.	871.50	294.46	294.46
पु.	- 577.04
31 मार्च 2023 को ₹ 577.04 लाख का प्रावधान खाला के निर्माण की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
105. सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट			
(04) मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय विकास (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) बीकानेर के माध्यम से			
मू. 2,033.50	1,028.67	1,028.67	..
पु. - 1,004.83			
31 मार्च 2023 को ₹ 1,004.83 लाख का प्रावधान खाला के निर्माण की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[03] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज II			
मू. 8,639.56	4,836.30	4,833.99	- 2.31
पु. - 3,803.26			
31 मार्च 2023 को ₹ 3,803.26 लाख का प्रावधान (i) अधिकारियों के अन्य विभागों में स्थानान्तरण होने के कारण पद रिक्त रहने से वेतन और मजदूरी पर कम व्यय होने, (ii) मार्च, 2023 के अन्तिम कार्य दिवसों में कर्मचारियों के बकाया बिलों के पास नही होने, (iii) केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वित्त विभाग से निधियां स्वीकृत नहीं होने तथा (iv) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित की गयी ।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डंग जिले			
101. डंग क्षेत्र विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू. 610.00	1,688.30	1,688.30	..
पु. 1,078.30			

अनुदान संख्या 022 – (समाप्त)**4. मण्डी विकास निधि –**

चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में *मण्डी विकास निधि* स्थापित की गयी थी।

यह निधि जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2023 को निधि में जमा शेष ₹ 4.82 लाख था जो कि वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास तथा
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	14,30,23,36		
अनुपूरक	1,80,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		16,10,23,36	13,60,77,00 – 2,49,46,36
प्रभारित			
मूल	4		
अनुपूरक	..	4	.. – 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,49,37,13
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	6,00,01		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		6,00,01	5,98,64 – 1,37

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 24,946.36 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के लिए सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 18,000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(11) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	46,378.00		
पु.	- 7,304.78		
		39,073.22	39,072.54 – 0.68

अनुदान संख्या 023 – (क्रमशः)

31 मार्च 2023 ₹ 7,304.78 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) संशोधित अनुमानों में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के व्यय सीमा में कटौती, (ii) वाहनो को देरी से किराये में लेने के परिणामस्वरूप वाहन किराया व्यय में कमी, (iii) लाभार्थियों को पोशाको का वितरण न होने और (iv) विभागीय पोर्टल के भुगतान राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी करने के कारण संशोधित अनुमानों में बजट प्रावधान में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
(04) स्टूडेंट्स (स्किल स्ट्रेन्थिंग फॉर इण्डस्ट्रीयल वैल्यू एन्हेसमेंट)			
[01] कौशल संवर्धन			
मू .	2,600.00
पु .	-2,600.00

31 मार्च 2023 को ₹ 2,600.00 लाख का समस्त प्रावधान पूर्व में जारी निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के अभाव में योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आगामी किश्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021			
[01] इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत सहायता			
मू .	3,435.00	1,082.36	1,082.36
पु .	- 2,352.64		..

31 मार्च 2023 को ₹ 2,352.64 लाख का प्रावधान योजना के तहत लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(04) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू .	10,000.00		
अ.	18,000.00	15,000.00	15,000.00
पु .	- 13,000.00		..

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के तहत सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 18,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 13,000.00 लाख का प्रावधान योजना के तहत लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,896.64 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,103.36 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू .	1,233.62
पु .	- 1,233.62
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू .	2,745.81
पु .	- 2,745.81

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 3,979.43 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
101. औद्योगिक सम्बन्ध			
(03) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	826.15	1,095.53	1,095.36
पु .	269.38		- 0.17
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 269.38 लाख की अतिरिक्त निधियां श्रम न्यायालय और औद्योगिक श्रम न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों को 01.01.2016 से देय सातवे वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने, उनके एल.टी.सी. दावों के बिलों के भुगतान और सातवे वेतन आयोग के अनुसार कोर्ट कैम्पो के स्थानान्तरण और दौरे के बिलों पर यात्रा व्यय के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
02. रोजगार सेवाएं			
101. रोजगार सेवाएं			
(01) सामान्य कार्यालय			
मू .	57.01	301.35	301.35
पु .	244.34		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 244.34 लाख की अतिरिक्त निधियां एक माह में दो मेगा जॉब फेयर आयोजित करने के निर्णय की अनुपालना में जयपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर संभागीय स्तर कार्यालयों में मेगा जॉब फेयर के आयोजन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 023 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
101. रोजगार सेवाएं			
(06) नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट (मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज)			
[01] मॉडल करियर सेन्टर			
मू .	238.92	347.72	347.72
पु .	108.80		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 108.80 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना की सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में 01.04.2022 को नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट की केन्द्रीय सहायता की शेष राशि के हस्तान्तरण के लिए उपलब्ध करायी गयी ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा एक वाणिज्यिक बैंक में खोले गये सिंगल नोडल एजेंसी के एक अलग बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। बैंक खाते में धन राशि के ऐसे हस्तान्तरण को शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्यय माना जाता है ।

02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[01] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)			
मू .	3,434.00	5,150.00	5,150.00
पु .	1,716.00		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,716.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू .	3,285.11	3,710.33	3,710.31
पु .	425.22		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 425.22 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) कार्मिकों की पदोन्नति और अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के इस शीर्ष में स्थानान्तरण होने से वेतन और भत्तों का भुगतान, (ii) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य हेतु अनुदेशकों के रिक्त पदों पर पदस्थापित गेस्ट फेकल्टी को मानदेय का भुगतान, (iii) बिजली टैरिफ की दरों में वृद्धि और आई.टी.आई. को अपने भवन में स्थानान्तरित करने के कारण बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान और (iv) नवीन स्थापित आई.टी.आई. द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्य हेतु कच्चे माल एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री के क्रय पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 024 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

2202. सामान्य शिक्षा,

2203. तकनीकी शिक्षा,

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और

2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और

6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,93,54,29,49	4,16,43,58,24	3,73,62,42,25	- 42,81,15,99
अनुपूरक	22,89,28,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				34,80,99,99
प्रभारित				
मूल	1,50,09	61,46,84	49,59,50	- 11,87,34
अनुपूरक	59,96,75			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				11,87,34
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	12,30,43,85	16,35,59,32	10,72,28,16	- 5,63,31,16
अनुपूरक	4,05,15,47			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5,64,54,15

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,28,928.75 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,28,928.71 लाख का प्रावधान ₹ 4,28,115.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।
- ₹ 4,28,115.99 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 80,016.00 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) सामान्य व्यय-निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,918.09	1,710.37	1,710.37
पु.	- 207.72		

₹ 207.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की पदोन्नति होने से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
001. निदेशन तथा प्रशासन
(03) राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण
[01] प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से

मू.	9,000.00	5,560.26	5,560.26
अ.	0.01		
पु.	- 3,439.75		

₹ 3,439.75 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने को आरोपित की गयी ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय

मू.	450.03
पु.	- 450.03

31 मार्च 2023 को ₹ 450.03 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा छात्र सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पुरानी पॉलिसियों का नवीनीकरण नहीं होने तथा नई पॉलिसियाँ जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय
(05) प्राथमिक पाठशालाएं (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)-प्रतिबद्ध

मू.	21,538.31	19,199.46	19,199.74	+ 0.28
पु.	- 2,338.85			

₹ 2,338.85 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस मद के बजाय अन्य शीर्ष से होने एवं सुनिश्चित कैरियर प्रगति के बकाया का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(07) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
[01] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	2,802.02	2,428.27	2,428.23
पु.	- 373.75		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(08) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
[01] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	2,206.14	1,967.69	1,967.67
पु.	- 238.45		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 612.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत के बाद माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के विलय के कारण वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(09) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोशाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू.	20,800.00	13,913.72	12,457.42
पु.	- 6,886.28		
31 मार्च 2023 को ₹ 6,886.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 1,456.30 लाख की अन्तिम बचत छात्रों को डीबीटी के माध्यम से निःशुल्क पोशाक राशि हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण रही।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता			
(14) शिक्षाकर्मी बोर्ड			
[01] निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	8,097.50	5,052.97	5,052.97
पु.	- 3,044.53		
31 मार्च 2023 को ₹ 3,044.53 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष के मध्य शिक्षाकर्मी बोर्ड को समग्र शिक्षा में स्थानान्तरित करने के परिणामस्वरूप वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(01) मिड डे मील			
[02] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	92,360.00		
अ.	26,470.00	76,200.49	76,200.49
पु.	- 42,629.51		..

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मिड-डे-मिल पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 26,470.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 42,629.51 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 113. समग्र शिक्षा
- (01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा
- [01] समग्र शिक्षा पर व्यय-सामान्य

मू.	6,76,550.01			
अ.	1,70,884.75	7,06,826.46	6,27,247.89	- 79,578.57
पु.	- 1,40,608.30			

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा समग्र शिक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,70,884.75 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,40,608.30 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीयंश और आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने को आरोपित की गयी।

₹ 79,578.57 लाख की अन्तिम बचत भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण रही।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 113. समग्र शिक्षा
- (01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा
- [04] स्टार परियोजना (सामान्य)

मू.	11,467.00			
पु.	- 6,044.93	5,422.07	5,422.07	..

31 मार्च 2023 को ₹ 6,044.93 लाख का प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीयंश एवं अनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 01. प्रारम्भिक शिक्षा
- 113. समग्र शिक्षा
- (02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा
- [01] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) पर व्यय

मू.	5,420.01			
पु.	- 1,576.65	3,843.36	3,629.57	- 213.79

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

₹ 1,576.65 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीयंश एवं अनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने को आरोपित की गयी।

₹ 213.79 लाख की अन्तिम बचत भारत सरकार से प्राप्त निधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण रही।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	1,88,570.21		
पु.	- 33,099.74	1,55,470.47	1,55,459.14
			- 11.33

₹ 33,099.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सीधी भर्ती से नव नियुक्त चयनित शिक्षकों को वेतन के लिए वर्ष के दौरान वेतन प्रक्रिया देरी से शुरू होने, (ii) नवनियुक्त शिक्षकों का कम संख्या में कार्यग्रहण करने तथा (iii) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत के पश्चात् शिक्षकों का माध्यमिक विद्यालयों में विलय से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 11.33 लाख की अन्तिम बचत वेतन और भत्तों की राशि वापस जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा				
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(07) निरीक्षण				
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	12,789.79			
पु.	- 1,339.87	11,449.92	11,449.75	- 0.17

₹ 1,339.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंत्रालयिक संवर्ग में पुनर्गठन के कारण उच्च पदों में वृद्धि होना और कनिष्ठ सहायकों के पदों में कमी होने से वेतन और भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा				
800. अन्य व्यय				
(14) शिक्षा का अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण-सामान्य व्यय				
मू.	32,000.00			
पु.	- 6,306.27	25,693.73	25,483.74	- 2,09.99

₹ 6,306.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

₹ 209.99 लाख की अन्तिम बचत इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से शिक्षा का अधिकार के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण रही।

02. माध्यमिक शिक्षा				
107. छात्रवृत्तियां				
(07) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां				
मू.	6,400.00			
पु.	- 6,400.00

31 मार्च 2023 को ₹ 6,400.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साईकल वितरण			
मू.	8,815.00	240.51	240.51
पु.	- 8,574.49		..
31 मार्च 2023 को ₹ 8,574.49 लाख का प्रावधान निःशुल्क साईकल वितरण योजना के तहत निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(13) राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा			
मू.	180.20
पु.	- 180.20		..
31 मार्च 2023 को ₹ 180.20 लाख का समस्त प्रावधान चिरंजीवी बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त छात्रों के बीमा को कवर करने के कारण छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(29) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	4,000.00	2,073.09	2,073.09
पु.	- 1,926.91		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,926.91 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जनसहभागिता विकास योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण पर आवश्यकतानुसार किये गये व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(30) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार			
[02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू.	1,600.00	1,095.65	1,095.65
पु.	- 504.35		..
31 मार्च 2023 को ₹ 504.35 लाख का प्रावधान स्कूटी की अपेक्षित संख्या और दरों के अनुसार स्कूटी वितरण पर किये गये व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(32) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के संचालन पर व्यय			
मू.	561.00	195.00	195.00
पु.	- 366.00		..
31 मार्च 2022 को ₹ 366.00 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार वेतन हेतु अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(34) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम			
[01] सामान्य व्यय			
मू.	340.00	220.75	220.76 + 0.01
पु.	- 119.25		
31 मार्च 2023 को ₹ 119.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[04] विकलांग एकीकृत शिक्षा			
मू.	2,205.27	1,910.29	1,910.28 - 0.01
पु.	- 294.98		
₹ 294.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण			
[01] उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान (आई.ए.एस.ई)			
मू.	573.01	250.36	247.45 - 2.91
अ.	0.01		
पु.	- 322.66		
31 मार्च 2023 को ₹ 322.66 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,899.75	1,692.65	1,692.65
पु.	- 207.10		..
₹ 207.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू.	1,349.22	20.31	20.31
पु.	- 1,328.91		..
₹ 1,328.91 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(12) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
[02] बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	721.31	598.67	598.68
पु.	- 122.64		+ 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 122.64 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	2,000.00	1,755.39	1,755.39
पु.	- 244.61		..
31 मार्च 2023 को ₹ 244.61 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन-पत्र कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
112. उच्च शिक्षा के संस्थान			
(03) अन्य संस्थाओं को शोध हेतु सहायता			
[01] कॉलेज शिक्षा के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	500.00
पु.	- 500.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(10) संस्कृत विद्यालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	20,585.04	18,208.13	18,208.14
पु.	- 2,376.91		+ 0.01
₹ 2,376.91 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदोन्नति पर इस शीर्ष के बजाय अन्य शीर्ष से वेतन तथा भत्तों के भुगतान और सुनिश्चित कैरियर प्रगति के माध्यम से बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
800. अन्य व्यय			
(04) वंशावली संरक्षण एवं सवर्द्धन अकादमी को अनुदान			
[01] वंशावली संरक्षण एवं सवर्द्धन अकादमी			
मू.	500.01	60.00	60.00
पु.	- 440.01		..
₹ 440.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(02) राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति			
मू.	178.50	63.61	63.61
पु.	- 114.89		..
31 मार्च 2023 को ₹ 114.89 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति हेतु कम आवेदन-पत्र प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्थान तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम			
[01] शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम			
मू.	750.00
पु.	- 750.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 750.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(04) शारीरिक शिक्षा विद्यालय			
[01] शारीरिक शिक्षा विद्यालयों का संचालन व्यय- प्रतिबद्ध			
मू.	839.08	732.13	732.12
पु.	- 106.95		- 0.01
₹ 106.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(16) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	266.00
पु.	- 266.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 266.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(33) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण			
[01] आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	2,542.00	1,615.50	1,615.50
पु .	- 926.50		..

31 मार्च 2023 को ₹ 926.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

103. पुरातत्व विज्ञान

(06) स्मारक एवं संग्रहालय

[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से

मू .	1,560.75	814.63	814.63	..
पु .	- 746.12			

31 मार्च 2023 को ₹ 746.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम				
(02) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम(मिड डे मिल)				
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार				
मू .	0.01	14,837.72	14,837.72	..
अ .	11,573.58			
पु .	3,264.13			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,264.13 लाख की अतिरिक्त निधियां मिड डे मिल पर व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत समग्र शिक्षा			
[04] राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी), उदयपुर पर व्यय			
मू .	1,622.00		
पु .	1,272.72	2,894.72	2,894.72
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,272.72 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयंश की उपलब्धता और परिणामतः राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(05) मरदसा स्कूल			
मू .	7,000.01		
पु .	3,215.98	10,215.99	10,215.99
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,215.98 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) मरदसा में कार्यरत शिक्षा सहायकों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने, (ii) मरदसा पैरा-शिक्षकों की कोरोना काल में कार्य करने के दौरान कोविड से मृत्यु होने पर सहायता, (iii) मरदसा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 500 चयनित मरदसों में स्मार्ट कक्षा कक्ष की स्थापना तथा (iv) मरदसा में बुनियादी संरचना, कम्प्यूटरीकरण, फर्नीचर और सुविधाओं के विकास के कारण मरदसा स्कूलों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
[01] सामान्य व्यय			
मू .	100.42		
पु .	173.95	274.37	274.38
			+ 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 173.95 लाख की अतिरिक्त निधियां नये पदों के सृजन के कारण वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) साधारण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	5,543.69		
पु .	951.35	6,495.04	6,495.03
			- 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 951.35 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः नये पदों के सृजन के कारण वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (20) गार्गी पुरस्कार	मू. 10,000.00 पु. 1,095.61	11,095.61	11,095.61 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,095.61 लाख की अतिरिक्त निधियां गार्गी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वास्तविक पात्र छात्राओं के अनुसार उपलब्ध करायी गयी ।			
02. माध्यमिक शिक्षा 113. समग्र शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापक प्रशिक्षण [04] अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीटीई)	मू. 0.02 पु. 259.98	260.00	260.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 259.98 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालयों को सहायता (20) विश्वविद्यालयों को अनुदान [02] जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	मू. 11,400.00 पु. 1,534.07	12,934.07	14,300.00 + 1,365.93
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,534.07 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 1,365.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालयों को सहायता (20) विश्वविद्यालयों को अनुदान [06] एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर	मू. 1,200.01 पु. 1,174.99	2,375.00	2,375.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,174.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान (03) राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिये)	मू. 4,236.11 पु. 1,302.40	5,538.51	5,538.52 + 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,302.40 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(10) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू .	1,388.00		
पु .	1,060.86	2,448.86	2,448.86
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,060.86 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(17) शिक्षण संस्थाओं को सहायता			
[01] कालेज शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू .	0.06		
पु .	619.94	620.00	620.00
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 619.94 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(01) छात्रवृत्ति और वजीफा			
मू .	2,501.00		
पु .	3,818.17	6,319.17	6,319.17
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,818.17 लाख की अतिरिक्त निधियां छात्रवृत्ति हेतु अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना			
[01] कॉलेज शिक्षा			
अ .	0.01		
पु .	154.94	154.95	154.95
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 154.94 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(06) नवभारत साक्षरता कार्यक्रम			
[01] साक्षरता विभाग के माध्यम से			
अ .	0.01		
पु .	583.29	583.30	583.30

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 583.29 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा परिणामतः राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. भाषा विकास
103. संस्कृत शिक्षा
(02) संस्कृत महाविद्यालय

मू .	260.23	446.28	446.26	- 0.02
पु .	186.05			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 186.05 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य, प्रोफेसर एवं व्याख्याता के पद पर कार्यरत कर्मिकों को सातवे वेतन आयोग के एरियर के भुगतान एवं तदनुसार इन कर्मिकों के मासिक वेतन में वृद्धि तथा (ii) विद्यासंबल योजना के तहत रिक्त पदों पर विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी को मानदेय भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. भाषा विकास
103. संस्कृत शिक्षा
(09) संस्कृत महाविद्यालय
[01] संस्थापन व्यय- प्रतिबद्ध

मू .	4,528.05	5,229.99	5,229.97	- 0.02
पु .	701.94			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 701.94 लाख की अतिरिक्त निधियां राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य, प्रोफेसर एवं व्याख्याता के पद पर कार्यरत कर्मिकों को सातवे वेतन आयोग के एरियर के भुगतान एवं तदनुसार इन कर्मिकों के मासिक वेतन में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य
003. प्रशिक्षण
(04) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय (प्राथमिक स्तर)
[01] प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू .	1,034.54	1,434.18	1,434.05	- 0.13
पु .	399.64			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 399.64 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(04) माणिक्य लाल वर्मा टेक्स टाईल इन्स्टीट्यूट, भीलवाडा को अनुदान			
मू .	750.00		
अ .	0.01	900.00	900.00
पु .	149.99		..
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(06) अभियांत्रिक कॉलेज, अजमेर को अनुदान			
मू .	1,000.00		
अ .	0.01	1,800.00	1,800.00
पु .	799.99		..
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(10) महिला अभियांत्रिक कॉलेज, अजमेर को अनुदान			
मू .	1,000.00		
अ .	0.01	1,250.00	1,250.00
पु .	249.99		..
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(11) अभियांत्रिक एवं तकनीकी कॉलेज, बीकानेर को अनुदान			
मू .	0.01		
पु .	212.99	213.00	213.00
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,412.96 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय
(01) साधारण व्यय

मू .	407.51		
अ .	0.01	568.89	568.89
पु .	161.37		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 161.37 लाख की अतिरिक्त निधियां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार शैक्षणिक कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा बकाया के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णयानुसार भी बकाया राशि का भुगतान किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(02) केन्द्रीय सहायता के तहत बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
मू.	2,577.51	3,615.03	3,615.03
पु.	1,037.52		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,037.52 लाख की अतिरिक्त निधियां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार शैक्षणिक कार्मिकों को एवं सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा बकाया के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णयानुसार भी बकाया राशि का भुगतान किया गया।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(07) साधारण व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	20,095.94	22,301.89	22,301.89
पु.	2,205.95		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,205.95 लाख की अतिरिक्त निधियां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार शैक्षणिक कार्मिकों को एवं सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा बकाया के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के निर्णयानुसार भी बकाया राशि का भुगतान किया गया।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(09) विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक सोसायटी, उदयपुर			
[01] तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01	149.38	149.38
पु.	149.37		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 149.37 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक सोसायटी, उदयपुर को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(02) खेल विभाग-विविध खेल कार्यक्रम			
मू.	3,600.00	10,263.57	10,263.57
पु.	6,663.57		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,663.57 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के आयोजन, (ii) युवा बोर्ड से संबंधित कार्यक्रम तथा (iii) ओपन जिम और फिटनेस सेन्टर के संचालन हेतु व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (03) भारत स्काउट व गाइड को अनुदान			
मू .	1,391.04		
पु .	2,469.99		
		3,861.03	3,861.03
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,469.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य में स्काउट एवं गाइड से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रोहट(पाली) में 18 वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
104. खेल-कूद (08) पैरा क्रीडा अकादमी [01] खेल विभाग के माध्यम से			
मू .	0.02		
पु .	2,298.04		
		2,298.06	2,298.06
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,298.04 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) पैरा अकादमी, जयपुर के लिए आवर्ती/गैर-आवर्ती व्यय, (ii) राजस्थान राज्य खेल परिषद के प्रदर्शन प्रशिक्षण केन्द्र तथा (iii) पैरा अकादमी, जोधपुर के संचालन के लिए राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण लिमिटेड को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
104. खेल-कूद (10) राजस्थान उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केन्द्र [01] खेल विभाग के माध्यम से			
मू .	0.02		
पु .	855.98		
		856.00	856.00
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 855.98 लाख की अतिरिक्त निधियां जोधपुर में राजस्थान उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी ।			
2205. कला एवं संस्कृति 001. निदेशन एवं प्रशासन (01) शान्ति एवं अहिंसा निदेशालय [01] प्रधानास्पद व्यय			
मू .	267.11		
पु .	163.18		
		430.29	430.11
			- 0.18
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 163.18 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
102. निदेशन एवं प्रशासन (12) स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्वेच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू .	150.00		
पु .	254.64		
		404.64	410.64
			+ 6.00
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 254.64 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 6.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
104. अभिलेखागार			
(01) अभिलेखागार			
[01] प्रधानास्पद			
मू.	57.02		
	534.71	534.72	+ 0.01
पु.	477.69		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 477.69 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य पुरालेखा विभाग में उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों को ऑनलाइन करने हेतु इनकी माइक्रोफिल्मिंग एवं डिजिटिजेशन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

प्रभारित

- ₹ 1,187.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,996.75 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) साधारण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	50.00		
अ.	2,550.00	1,634.02	..
पु.	- 965.98		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,250.00 लाख का अनुपूरक विनियोजन शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 965.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजी

दत्तमत

- 56,331.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 56,454.15 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 12,755.57 लाख, ₹ 10,598.52 लाख, ₹ 19,792.78 लाख, ₹ 73,983.87 लाख तथा ₹ 56,331.16 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.63 प्रतिशत से 63.92 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू .	14,000.00
पु.	- 14,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 14,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[02] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू .	210.00
पु.	- 210.00
31 मार्च 2023 को ₹ 210.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश नहीं जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(13) समग्र शिक्षा अभियान			
[03] स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय			
मू .	680.00	563.87	563.87
पु.	- 116.13
31 मार्च 2023 को ₹ 116.13 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(14) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य			
मू .	2,180.00
पु.	- 2,180.00
31 मार्च 2023 को ₹ 2,180.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के पूरा नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(17) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत निर्माण कार्य			
[01] माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण कार्य			
मू.	2,182.00
पु.	- 2,182.00
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(18) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	2,500.00
पु.	- 2,500.00
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(19) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण			
मू.	2,183.00
पु.	- 2,183.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 6,865.00 लाख का समस्त प्रावधान नाबार्ड योजनाओं के तहत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(20) समग्र शिक्षा अभियान			
[01] निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	39,200.00	6,779.42	6,779.42
पु.	- 32,420.58		..
31 मार्च 2023 को ₹ 32,420.58 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 11,288.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 21,132.35 लाख) किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(21) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय			
[01] कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	1,380.00	1,242.00	1,242.00
पु.	- 138.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 138.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(23) नाबार्ड आर आई डी एफ XXVII माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	22,000.00	9,000.00	9,000.00
पु.	- 13,000.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 13,000.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,247.14 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,752.86 लाख) किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(24) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में निर्माण कार्य			
मू.	600.00	207.94	207.94
पु.	- 392.06		..
31 मार्च 2023 को ₹ 392.06 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(24) अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[02] सैनिक स्कूल झुंझुनू में निर्माण कार्य			
मू.	600.00
पु.	- 600.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 600.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(06) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] भवन			
मू.	600.34	169.64	169.64
पु.	- 430.70		..
31 मार्च 2023 को ₹ 430.70 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का कम निष्पादन किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(07) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	1,898.00
पु.	- 1,898.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,898.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(09) विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य			
[02] एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू.	1,000.00	600.00	600.00
पु.	- 400.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 400.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(10) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,000.00
पु.	- 5,000.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सामान्य शिक्षा			
205. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(01) राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान			
[01] संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	300.00	129.98	129.98
पु.	- 170.02		..
31 मार्च 2023 को ₹ 170.02 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का कम निष्पादन किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	2,048.72	438.88	438.87
पु.	- 1,609.84		- 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 1,609.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(03) नेशनल कैडेट कोर			
[01] बडी शाखा			
मू.	927.63	228.33	228.33
पु.	- 699.30		..
31 मार्च 2023 को ₹ 699.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(04) पैरा क्रीडा अकादमी			
[01] खेल विभाग के माध्यम से			
मू.	500.00		
पु.	- 198.00	302.00	302.00
31 मार्च 2023 को ₹ 198.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण लिमिटेड को <i>आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी</i> के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(06) राजस्थान उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केन्द्र			
[01] खेल विभाग के माध्यम से			
मू.	1,000.00		
पु.	- 1,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु मांग के प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(08) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	240.00		
पु.	- 185.19	54.81	54.81
31 मार्च 2023 को ₹ 185.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(01) अरबी एवं फारसी शोध संस्थान			
मू.	220.00		
पु.	- 190.97	29.03	29.03
31 मार्च 2023 को ₹ 190.97 लाख का प्रावधान (i) हस्तलिखित पाठ और शारा एवं शरीफ रिकॉर्ड्स के अनुरक्षण एवं संरक्षण से संबंधित बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने, (ii) निदेशक की प्रतिनियुक्ति के विस्तार की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कोषाधिकारी, टॉक द्वारा संस्थान के सभी बिल पारित करना बन्द करने और (iii) शहर के निकासी की शिकायत पर कला, साहित्य एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, जयपुर द्वारा जांच दल गठित होने के कारण सभी कार्यों की तकनीकी जांच पूरी नहीं होने से अनुरक्षण एवं संरक्षण कार्यों के बकाया बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति अधिकरण (आर एच पी पी ए)			
[01] राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति अधिकरण में निर्माण कार्य			
मू .	903.00
पु .	- 903.00
31 मार्च 2023 को ₹ 903.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(04) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (ए डी एम ए)			
[01] आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण में निर्माण कार्य			
मू .	600.00	450.00	450.00
पु .	- 150.00
31 मार्च 2023 को ₹ 150.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ को उधार			
मू .	360.00
पु .	- 360.00
31 मार्च 2023 को ₹ 360.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(16) विद्यालयों के जर्जर भवन			
[01] माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनरुद्धार			
मू .	0.01	2,800.00	2,800.00
पु .	2,799.99

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,799.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, 31.03.2023 को समस्त राशि ₹ 2,800.00 लाख सर्व शिक्षा अभियान के व्यक्तिगत निक्षेप खाते में हस्तान्तरित कर दिये गये।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध निधियां और उसके बाद हस्तान्तरित की गयी निधियां अनावश्यक थीं।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(25) राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों (अग्रेजी माध्यम) में छात्रावास निर्माण			
[01] राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों (अग्रेजी माध्यम) में निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
पु.	399.99	400.00	400.00

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 399.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, ₹ 400.00 लाख की समस्त राशि माह फरवरी, 2023 में सर्व शिक्षा अभियान के व्यक्तिगत जमा खाते में हस्तान्तरित कर दी गयी।

01. सामान्य शिक्षा
202. माध्यमिक शिक्षा
(26) नाबार्ड आर आई डी एफ XXVIII के तहत माध्यमिक
विद्यालयों में निर्माण कार्य
[01] माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य

अ .	10,515.42		
पु .	2,484.58	13,000.00	13,000.00

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,484.58 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. सामान्य शिक्षा
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
(09) विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य
[03] डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

मू .	1,250.00		
पु .	4,750.00	6,000.00	6,000.00

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,750.00 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. सामान्य शिक्षा
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
(11) सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन
[01] निर्माण कार्य

मू .	5,000.00		
पु .	10,000.00	15,000.00	15,000.00

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(01) मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना			
[01] मदरसा स्कूलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु			
मू.	0.01		
पु.	1,984.15	1,984.16	1,984.16 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,984.15 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(04) आई.आई.आई.टी. के निर्माण हेतु			
मू.	0.01		
पु.	1,030.99	1,031.00	1,031.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,030.99 लाख की अतिरिक्त निधियां आई.आई.आई.टी, कोटा के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयांश के अनुपात में राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(05) राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान			
[01] खेल विभाग के माध्यम से			
मू.	500.00		
पु.	1,100.00	1,600.00	1,600.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,100.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य सडक विकास एवं निर्माण लिमिटेड को उपलब्ध करायी गयी।			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर			
[01] राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में निर्माण कार्य			
मू.	400.00		
पु.	500.00	900.00	900.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
₹ 900.00 लाख के कुल व्यय में से मार्च, 2023 में ₹ 700.00 लाख जोधपुर विकास प्राधिकरण के व्यक्तिगत जमा खाते में हस्तान्तरित किये गये।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

4. निम्न शीर्षों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान प्रावधान किया था, जिस पर 2021-22 के दौरान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति की गयी थी तथा इन शीर्षों के संचालन के लिए सहमति नहीं दी गयी थी क्योंकि इन स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों के अन्तर्गत दर्ज किया गया व्यय राजस्व व्यय प्रकृति का है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(09) विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] हरिदेव जोशी जनसम्पर्क एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय			
मू. 7,000.00	6,877.00	7,000.00	+ 123.00
पु. - 123.00			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(09) विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य			
[02] एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू. 1,000.00	600.00	600.00	..
पु. - 400.00			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
(09) विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य			
[03] डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू. 1,250.00	6,000.00	6,000.00	..
पु. 4,750.00			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(03) राज. धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति अधिकरण (आर एच पी पी ए)			
[01] राज. धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति अधिकरण में निर्माण कार्य			
मू. 903.00
पु. - 903.00			

अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(04) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण (ए डी एम ए)			
[01] आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण में निर्माण कार्य			
मू.	600.00	450.00	450.00
पु.	- 150.00		..

ये पूंजीगत शीर्ष वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वायत्त संस्थाओं/निकायों में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु खोले गये थे। प्रारम्भ में, उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान मौजूदा नियमों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्षों में किया गया था इसलिए इन पूंजीगत शीर्षों को खोलने के लिए उस वर्ष में कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किया तथा व्यय को दर्ज किया गया। यह व्यय जीएफ एण्ड एआर, सरकारी लेखा नियम-1990 और भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.-2) के उल्लंघन में गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन

पूँजी – 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय और
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,36,95,33			
अनुपूरक	1	4,36,95,34	4,05,76,73	- 31,18,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				31,24,04
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	..	3	..	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	3,00,01			
अनुपूरक	..	3,00,01	..	- 3,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,00,01
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				
राजस्व				
दत्तमत				

1. ₹ 3,118.61 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 3,124.04 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।

अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

2. बचत (अन्य शीर्षों के तहत हुये आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशक, निरीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,849.28		
पु.	- 327.17	1,522.11	..

₹ 327.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं लेखा कार्मिकों के स्थानान्तरण के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय

(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना

[01] विश्व बैंक पोषित

मू.	7,825.01		
पु.	- 2,703.49	5,121.52	5,127.47 + 5.95

₹ 2,703.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थान के नये कार्यालय के सृजन के कारण व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं पर कम व्यय होने तथा निदेशक, निरीक्षण विभाग के लिए संधारित होने वाले ऑडिट प्रबन्धन प्रणाली के लिए आई.टी. हार्डवेयर क्रय नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ऑडिट प्रबन्धन प्रणाली की गतिविधि बन्द कर दी गयी थी।

800. अन्य व्यय

(05) राजस्थान राज्य सेवा प्रदाय वॉर रूम

[01] राजस्थान राज्य सेवा प्रदाय वॉर रूम

मू.	1,418.02		
पु.	- 343.60	1,074.42	..

₹ 343.60 लाख प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) राजस्थान फाइनेशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड को वित्तीय सहायता			
[01] राजस्थान फाइनेशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड में निवेश			
मू.	300.00		
पु.	- 300.00

31 मार्च 2023 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
2211. परिवार कल्याण और
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,33,58,78,15	1,33,58,78,41	1,17,71,45,47	– 15,87,32,94
अनुपूरक	26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
प्रभारित				
मूल	44,17	1,07,52	83,30	– 24,22
अनुपूरक	63,35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	8,62,12,35	14,62,16,52	7,43,28,62	– 7,18,87,90
अनुपूरक	6,00,04,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 1,58,732.94 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 120.39 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [01] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	मू. 3,111.11 पु. - 394.47	2,716.64	2,716.42 - 0.22

31 मार्च 2023 को ₹ 394.47 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[08] सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर

मू.	2,000.02	1,706.08	1,704.74	- 1.34
पु.	- 293.94			

₹ 293.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 9 पदों के रिक्त रहने तथा औषधियों एवं भेषज पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[50] प. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल,
जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	773.42	670.98	670.97	- 0.01
पु.	- 102.44			

31 मार्च 2023 को ₹ 102.44 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[74] जिला अस्पताल, बीकानेर-प्रतिबद्ध

मू.	1,182.01	951.85	951.84	- 0.01
पु.	- 230.16			

₹ 230.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[08] सामान्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू.	82,866.01	64,081.02	64,070.38
पु.	- 18,784.99		- 10.64

₹ 18,784.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) व्यावसायिक सेवाओं और छात्रवृत्ति के वितरण पर व्यय के लिए अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उठाई गई कम मांग और (iii) पदों के रिक्त रहने के कारण वर्दी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 10.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियाँ-प्रतिबद्ध			
मू.	13,813.61	10,930.90	10,929.35
पु.	- 2,882.71		- 1.55

₹ 2,882.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] क्षेत्रीय और जिला स्थापना			
मू.	558.51	168.96	168.96
पु.	- 389.55		..

₹ 389.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) निदेशन और प्रशासन			
मू.	1,184.14	947.24	946.50
पु.	- 236.90		- 0.74

₹ 236.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कैरियर प्रगति के मामलो को मंजूरी नहीं देने एवं अधिकारियों और कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) पूर्व निर्धारित तिथि पर आरोग्य मेले का आयोजन नहीं होने और (iii) वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई योजना को मंजूरी नहीं मिलने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(04) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, शहरी-प्रतिबद्ध			
मू .	1,944.66		
पु .	- 226.70		
	1,717.96	1,717.97	+ 0.01
<p>₹ 226.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की पदोन्नति एवं अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने तथा 50 चिकित्सकों के सहायक निदेशक/वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के पश्चात वेतन निर्धारण प्रक्रिया के अन्तिमीकरण न होने से वेतन एवं भत्तों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी ।</p>			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
200. अन्य पद्धतियां			
(02) प्राकृतिक चिकित्सा			
मू .	683.96		
पु .	- 216.79		
	467.17	467.17	..
<p>31 मार्च 2023 को ₹ 216.79 लाख का प्रावधान अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने एवं वित्तीय वर्ष में आश्वासित कैरियर प्रगति प्रकरणों की स्वीकृति नहीं होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।</p>			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(03) ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	2,668.01		
पु .	- 615.97		
	2,052.04	2,052.05	+ 0.01
<p>₹ 615.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।</p>			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(02) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू .	80,077.51		
पु .	- 8,498.61		
	71,578.90	71,566.60	- 12.30
<p>₹ 8,498.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।</p>			
<p>₹ 12.30 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।</p>			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन [04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध	मू. 77,866.03 पु. - 12,010.85	65,855.18	65,837.63 - 17.55
₹ 12,010.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों एवं वर्दी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 17.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन [05] स्वास्थ्य उप-केन्द्र-प्रतिबद्ध	मू. 7,313.01 पु. - 1,002.88	6,310.13	6,307.98 - 2.15
₹ 1,002.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 103. यूनानी (02) अस्पताल और औषधालय [01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण, यूनानी-प्रतिबद्ध	मू. 752.53 पु. - 149.26	603.27	603.26 - 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 149.26 लाख का प्रावधान कुल 72 स्वीकृत पदों में से 10 पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कर्मचारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 800. अन्य व्यय (01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से [01] आयुर्वेद विभाग	मू. 7,488.16 पु. - 7,488.16
31 मार्च 2023 को ₹ 7,488.16 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[22] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू .	42,545.88	34,594.43	34,584.45
पु .	- 7,951.45		

₹ 7,951.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 276 पदों के रिक्त रहने, 22 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने तथा कुछ कार्मिकों के अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) 31.03.2023 तक दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् कार्य ग्रहण रिपोर्ट जमा नहीं कराने के कारण 2022 बैच के 628 रेजीडेंट चिकित्सकों को वजीफा का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 9.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

06. लोक स्वास्थ्य				
001. निदेशन और प्रशासन				
(03) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान				
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर				
मू .	397.16	268.09	268.09	
अ.	0.01			..
पु .	- 129.08			

₹ 129.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(06) दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम			
[20] दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण-प्रतिबद्ध			
मू .	1,216.69	818.79	818.78
पु .	- 397.90		

31 मार्च 2023 को ₹ 397.90 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

06. लोक स्वास्थ्य			
104. औषध नियंत्रण			
(01) औषध नियंत्रण स्थापना			
[03] औषध नियंत्रण के माध्यम से- प्रतिबद्ध			
मू .	2,053.26	1,841.83	1,841.41
पु .	- 211.43		

₹ 211.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
(03) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू.	563.76	416.34	416.30
पु.	- 147.42		- 0.04
₹ 147.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतो को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी- प्रतिबद्ध			
मू.	13,586.31	11,262.37	11,252.71
पु.	- 2,323.94		- 9.66
₹ 2,323.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों के कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
₹ 9.66 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(06) जनता क्लीनिक			
[01] निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	200.02	29.80	29.80
पु.	- 170.22		..
31 मार्च 2023 को ₹ 170.22 लाख का प्रावधान जनता क्लिनिकों की कम स्थापना के कारण अभ्यर्पित किया गया। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय प्रावधान किये जिसके अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र के लिए 5 पद स्वीकृत किये गये। इन केन्द्रों को जनता क्लिनिक के रूप में काम लेने के लिए राज्य सरकार ने राज्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल दो पद स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप प्रावधान प्रयुक्त नहीं हुआ।			
06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(08) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	1,53,525.00	1,29,500.00	1,29,500.00
पु.	- 24,025.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 24,025.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा प्रथम पॉलीसी वर्ष 2021-22 में आवेदनों के कम भुगतान होने तथा योजना के अन्तर्गत कम परिवारों का पंजीयन होने के कारण राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन अभिकरण (आरएसएचएए) को राशि लौटाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण 003. प्रशिक्षण (02) आक्जलरी नर्स, मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
मू .	1,948.94		
पु .	- 375.03	1,573.91	1,573.84
			- 0.07
₹ 375.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
105. क्षतिपूर्ति (03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय [06] नई जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन			
मू .	302.00		
पु .	- 102.87	199.13	199.13
			..
₹ 302.00 लाख का प्रावधान चयनित संस्थाओं जिन्होंने जनसंख्या स्थिरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, को पुरस्कार राशि दिये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, चुनी हुई संस्थाएं, जिन्होंने योजना के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु निर्धारित मापदण्ड का पालन नहीं किया था, योजना से बाहर हो गयी और ₹ 33.87 लाख की अव्ययित राशि चालान द्वारा सरकारी खाते में जमा कराने के परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 102.87 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित की गयी।			
105. क्षतिपूर्ति (03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय [11] असफल नसबंदी प्रकरणों में मुआवजा			
मू .	300.00		
पु .	- 172.86	127.14	127.14
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 172.86 लाख का प्रावधान जिलों से असफल नसबन्दी प्रकरणों के अनुमान से कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां (01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
मू .	1,400.00		
पु .	- 1,400.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,400.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से परम्परागत गर्भ निरोधक प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेन्स सर्विस (इ.एम.आर.आई.)			
मू .	10,475.61		
		2,362.00	2,362.00
पु .	- 8,113.61		..

31 मार्च 2023 को ₹ 8,113.61 लाख का प्रावधान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार की *प्रदर्शन सुधार योजना* (पी आई पी) से अधिक थी ।

800. अन्य व्यय
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

मू .	1,99,934.90		
		1,31,556.58	1,31,556.58
पु .	- 68,378.32		..

₹ 68,378.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने को आरोपित की गयी, क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार की *प्रदर्शन सुधार योजना* (पी आई पी) से अधिक थी ।

800. अन्य व्यय
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)

मू .	4,760.80		
	
पु .	- 4,760.80		..

31 मार्च 2023 को ₹ 4,760.80 लाख का समस्त प्रावधान राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि राज्य की आयोजना सीमा भारत सरकार की *प्रदर्शन सुधार योजना* (पी आई पी) से अधिक थी ।

800. अन्य व्यय
(10) मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना
[01] मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस

मू .	1,961.01		
	
पु .	- 1,961.01		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,961.01 लाख का समस्त प्रावधान योजना का व्यय *राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन* (एन.एच.एम.) के माध्यम से होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि योजना को एन.एच.एम. द्वारा *प्रदर्शन सुधार योजना* में शामिल किया गया था।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू .	666.01		
पु .	1,341.95		
	2,007.96	2,007.97	+ 0.01

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,341.95 लाख की अतिरिक्त निधियां चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर, अजमेर तथा बीकानेर को बजट सहित पद हस्तान्तरित कर चिकित्सा अधिकारियों के लीव रिजर्व के 2000 स्वीकृत पदों में से सेवा के दौरान पी.जी. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चिकित्सकों को वेतन भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[14] सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर			
मू .	1,177.52		
पु .	199.57		
	1,377.09	1,377.09	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 199.57 लाख की अतिरिक्त निधियां 128 नर्सिंग स्टाफ की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर वेतन निर्धारण होने और मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने के कारण वेतन और भत्तों पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[17] माहात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर			
मू .	1,516.66		
पु .	199.95		
	1,716.61	1,716.61	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 199.95 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) नर्स ग्रेड- II की नई भर्ती होने और कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्षों से इस शीर्ष में कार्यग्रहण करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर, (ii) नये उपकरणों की स्थापना और नये वार्ड/लैब के निर्माण के कारण बिजली की अधिक खपत पर तथा (iii) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के संचालन हेतु संविदा कर्मियों (फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर और गैर- कुशल श्रमिक) को भुगतान पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[53] संक्रामक रोग संस्थान एवं कमला नेहरू चेस्ट एण्ड टी.बी. अस्पताल, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	456.31	664.98	664.97
पु.	208.67		- 0.01

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 208.67 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) नर्स ग्रेड- II की नई भर्ती और कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्षों से हस्तान्तरित होकर इस शीर्ष में कार्यग्रहण के कारण वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय होने, (ii) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, आर.जी.एच.एस. तथा निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत नये उपकरणों के संचालन और अधिक मरीजों के उपचार पर विद्युत की अधिक खपत होने के कारण तथा (iii) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के संचालन हेतु संविदा कर्मियों (फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर और गैर- कुशल श्रमिक) को भुगतान पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[63] गंगाशहर सैटेलाइट अस्पताल, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू.	93.11	367.13	367.13
पु.	274.02		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 274.02 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन और भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[01] सामान्य अस्पताल			
मू.	11,396.49	15,476.66	15,473.73
पु.	4,080.17		- 2.93

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,080.17 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2022-23 के दौरान नये चिकित्सा संस्थान खोलने के कारण 545 पदों के सृजन तथा उन पर कर्मचारियों के पदस्थापन करने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] अस्पताल तथा औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)			
मू.	2,418.04	2,734.93	2,734.94
पु.	316.89		+ 0.01

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 316.89 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में अतिरिक्त पदों के सृजन के कारण वेतन तथा भत्तों पर तथा सीकर, कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में 6 नये आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय हेतु फर्नीचर क्रय पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101. आयुर्वेद (06) आयुर्वेद विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान [01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान	मू. 2,057.00 पु. 533.00	2,590.00	2,590.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 533.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन और भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 001. निदेशन और प्रशासन (01) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	मू. 459.23 अ. 0.01 पु. 610.37	1,069.61	1,069.61 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 610.37 लाख की अतिरिक्त निधियां मरम्मत और रखरखाव एवं संविदा सेवाओं पर व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105. एलोपैथी (01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा [01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	मू. 10,370.35 पु. 5,174.56	15,544.91	15,542.51 - 2.40
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,174.56 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) नर्स ग्रेड- II का पदस्थापन और कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने तथा (ii) बजट भाषण 2022-23 की उद्घोषणा की अनुपालना में कैडर पुनर्गठन के पश्चात् विभिन्न वर्गों में कुल 53 पदों की वृद्धि के कारण वेतन तथा भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105. एलोपैथी (01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा [03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	मू. 912.52 पु. 355.07	1,267.59	1,267.59 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 355.07 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने, केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज-III के अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए नये राजपत्रित पदों की स्वीकृति करने तथा सी.एस.पी.जी. अध्ययन अवकाश वेतन (अर्द्ध छात्रवृत्ति) का भुगतान करने के कारण वेतन तथा भत्तों, (ii) मार्च 2022 से पी.जी. विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं को वजीफा का बकाया भुगतान और सी.एस.पी.जी. अध्ययन अवकाश वेतन बकाया (अर्द्ध छात्रवृत्ति) का भुगतान, (iii) विभिन्न नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय बहुसांस्कृतिक संस्थान (एन.एम.सी.आई.) एवं विश्वविद्यालय मान्यता शुल्क के भुगतान और यू.जी. एवं पी.जी. सीटों में वृद्धि तथा (iv) चिकित्सा अस्पताल में सुपरस्पेशियलिटी सुविधाओं में संविदा सेवाओं पर कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को भुगतान पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	1,675.91		
पु .	294.28		
		1,970.19	1,969.90
			- 0.29

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 294.28 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105. एलोपैथी
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को अनुदान
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

मू .	149.01			
पु .	400.99			
		550.00	550.00	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.99 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105. एलोपैथी
(06) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी
[01] सहायतार्थ अनुदान

मू .	20,150.01			
पु .	5,344.22			
		25,494.23	25,595.20	+ 100.97

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,344.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 100.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
800. अन्य व्यय
(01) निःशुल्क जाँच योजना
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर

मू .	3,365.90			
पु .	2,699.34			
		6,065.24	6,053.11	- 12.13

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,699.34 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) स्वीकृत पदों के अनुसार वेतन के आहरण के कारण वेतन तथा भत्तों तथा (ii) राजकीय चिकित्सा संस्थान में निःशुल्क ओ. पी. डी. एवं आई.पी. डी. सुविधाओं के लिए बजट में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में निःशुल्क जांच के कारण रोगियों की संख्या बढ़ने से उपभोज्यों/अभिकर्मकों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 12.13 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जाँच योजना			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू .	1,481.00		
पु .	531.32	2,012.32	2,012.32
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 531.32 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत निःशुल्क जांच के कारण सामग्री और आपूर्ति तथा निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत संविदा सेवाओं पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को किये भुगतान पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जाँच योजना			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू .	1,204.01		
पु .	159.42	1,363.43	1,362.52
			- 0.91
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 159.42 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जाँच योजना			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू .	1,990.31		
पु .	1,053.37	3,043.68	3,043.68
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,053.37 लाख की अतिरिक्त निधियां अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मियों को वर्ष 2021-22 के बकाया वेतन और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय व्यय, संविदा सेवाओं, सामग्री एवं आपूर्ति तथा निःशुल्क जांचों की संख्या में वृद्धि के लिए भुगतान के लिए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जाँच योजना			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू .	2,030.21		
पु .	756.56	2,786.77	2,785.00
			- 1.77
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 756.56 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[01] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू .	2,250.00		
		3,220.40	3,210.44
पु .	970.40		- 9.96

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 970.40 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में मुफ्त ओ.पी.डी. तथा आई.पी.डी. सुविधाओं के संबंध में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क औषधियों एवं भेषज की सुविधाओं के कारण रोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण औषधियों एवं भेषज की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 9.96 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[02] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू .	390.00		
		505.12	505.10
पु .	115.12		- 0.02

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.12 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[03] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू .	670.00		
		1,167.38	1,167.38
पु .	497.38		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 497.38 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत मुफ्त जांच, निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत संविदा सेवाओं पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्माशिष्ट, रेडियोग्राफर तथा अकुशल कर्मचारियों को भुगतान तथा निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत भेषज और औषधियों के क्रय के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[04] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू .	243.00	396.88	395.33
पु .	153.88		
			- 1.55

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 153.88 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
800. अन्य व्यय
(02) निःशुल्क दवा योजना
[05] निःशुल्क दवा योजना-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर

मू .	670.00	1,118.39	1,118.39	..
पु .	448.39			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 448.39 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के कार्यान्वयन के लिए संविदा सेवाओं, औषधियों एवं दवाइयों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

06. लोक स्वास्थ्य
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण
(23) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-प्रतिबद्ध

मू .	4,541.81	5,069.00	5,063.48	- 5.52
पु .	527.19			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 527.19 लाख की अतिरिक्त निधियां नये सृजित पदों पर किये पदस्थापन के कारण वेतन तथा भत्तों पर किये गये व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

₹ 5.52 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

06. लोक स्वास्थ्य
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
[01] राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को सहायता

मू .	40,700.00	45,500.00	45,500.00	..
पु .	4,800.00			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अन्तर्गत दवाओं और सर्जिकल टांकों पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को अधिक सहायता देने तथा आयोजना सीमा मे बदलाव के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी			
मू.	280.61	449.65	449.64
पु.	169.04		- 0.01

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 169.04 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में 310 नये पदों के सृजन एवं उन पदों पर पदस्थापन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूँजी

दत्तमत

1. फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 60,004.17 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 71,887.90 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 100.41 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 7,195.86 लाख, ₹ 7,801.62 लाख, ₹ 6,428.26 लाख, ₹ 6,148.63 लाख तथा ₹ 71,887.90 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी, जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.04 प्रतिशत से 49.17 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के लिए विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	6,869.01	2,113.47	2,113.48
पु.	- 4,755.54		+ 0.01

31 मार्च 2023 को ₹ 4,755.54 लाख का प्रावधान (i) 2022-23 से पूर्व बनायी गयी धर्मशालाओं के संबंध में बकाया दायित्वों के लिए स्वीकृति जारी नहीं होने, (ii) सैटेलाइट हॉस्पिटल, खैरथल (अलवर) का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाना तय होने, (iii) चिडासन एवं अमरपुरा उपस्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य अन्य लेखा शीर्षों से करवाने की स्वीकृति जारी होने, (iv) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचौर (जालौर) के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं होने, (v) ट्रोमा सेन्टर, हलेना, जिला भरतपुर के निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं मिलने तथा (vi) निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने से मशीनरी एवं उपकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(16) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)			
[01] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)			
मू .	721.24
पु .	- 721.24
31 मार्च 2023 को ₹ 721.24 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(17) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)			
अ .	15,209.90	8,861.54	8,861.54
पु .	- 6,348.36
फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूर्क अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों के लिए लिया गया ₹ 15,209.90 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2023 को ₹ 6,348.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
200. अन्य स्वास्थ्य योजनाएं			
(01) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू .	1,398.00	449.52	449.52
अ.	0.01
पु .	- 948.49
31 मार्च 2023 को ₹ 948.49 लाख का प्रावधान (i) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत सात खाद्य प्रयोगशालाओं के निर्माण के संबंध में कार्यकारी अभिकरण (मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) से कम मांग की प्राप्ति तथा (ii) इन नयी प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों के पूर्ण न होने से उपकरणों की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान			
[01] खाद्य सुरक्षा निदेशालय, जयपुर			
मू .	341.00
पु .	- 341.00
31 मार्च 2023 को ₹ 341.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	26,337.84	12,894.47	12,894.47
अ.	14,116.68		
पु.	- 27,560.05		
फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यो हेतु लिया गया ₹ 14,116.68 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2023 को ₹ 27,560.05 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 21,149.15 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,410.90 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद			
(04) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय			
मू.	1,995.00	1,750.00	1,750.00
पु.	- 245.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 245.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,000.02	3,037.63	3,037.63
अ.	2,518.00		
पु.	- 480.39		
फरवरी, 2023 में मशीनरी और उपकरण की खरीद पर खर्च की पूर्ति के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,518.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 480.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रोबोटिक सिस्टम की खरीद के लिए निविदा निरस्त होने तथा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी विभाग के लिए फाइब्रो स्केन उपकरण का भुगतान नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	315.99	198.99	198.98
पु.	- 117.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 117.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[07] चिकित्सा शिक्षा निदेशालय			
मू .	0.03		
अ.	1,999.99	1,401.04	1,401.04
पु .	- 598.98		..
फरवरी, 2023 में निर्माण कार्यों के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,999.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2023 को ₹ 598.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[01] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू	7,150.00		
अ.	4,665.44
पु .	- 11,815.44		..
फरवरी, 2023 में मशीनरी और उपकरण की खरीद पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 4,665.44 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2023 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
31 मार्च 2023 को ₹ 11,815.44 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(13) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू .	728.00		
पु .	- 728.00
31 मार्च 2023 को ₹ 728.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(13) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[02] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज			
मू .	1,837.46		
पु .	- 1,837.46
31 मार्च 2023 को ₹ 1,837.46 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(14) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	174.00
पु.	- 174.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 174.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	500.02	300.00	300.01 + 0.01
पु.	- 200.02		
31 मार्च 2023 को ₹ 200.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	1,300.02	780.00	780.00 ..
पु.	- 520.02		
31 मार्च 2023 को ₹ 520.02 लाख का प्रावधान उपकरणों की खरीद के लिए प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने/योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[04] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज			
मू.	343.47	206.07	206.07 ..
पु.	- 137.40		
31 मार्च 2023 को ₹ 137.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105. एलोपैथी (15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि [05] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	मू. 1,800.02 पु. - 720.02	1,080.00	1,080.00 ..
31 मार्च 2023 को ₹ 720.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105. एलोपैथी (15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि [06] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय	मू. 0.02 अ. 10,998.00 पु. - 10,998.02
फरवरी, 2023 में निर्माण कार्यों तथा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 10,998.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2023 को समस्त प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया। 31 मार्च 2023 को ₹ 10,998.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105. एलोपैथी (16) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III [01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	मू. 435.01 पु. - 435.01
31 मार्च 2023 को ₹ 435.01 लाख का समस्त प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण हेतु कार्यकारी अभिकरण एच एस सी सी लिमिटेड/एच.आई.टी.ई.एस. को निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कार्यकारी अभिकरण को भुगतान कार्य की समीक्षा के पश्चात् किये गये कार्य के समानुपात में किया जाना था।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105. एलोपैथी (18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II [02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	मू. 2,300.00 पु. - 900.00	1,400.00	1,400.00 ..
31 मार्च 2023 को ₹ 900.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	3,088.00		
अ .	936.14	1,943.39	1,943.39
पु .	- 2,080.75		..

फरवरी, 2023 में मशीनरी और उपकरण की खरीद पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 936.14 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 2,080.75 लाख का प्रावधान योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां हस्तान्तरित न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि पी जी सीटों में अभिवृद्धि योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य दोनों के हिस्से की स्वीकृति वित्त वर्ष 2022-23 के अन्तिम कार्य दिवस को रात्रि 9:00 बजे जारी की गयी थी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	1,800.00		
पु .	- 600.00	1,200.00	1,199.90
			- 0.10

31 मार्च 2023 को ₹ 600.00 लाख का प्रावधान उपकरणों की खरीद और निर्माण कार्यों के लिए प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने/योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू .	700.00		
अ .	0.01	420.00	420.00
पु .	- 280.01		..

31 मार्च 2023 को ₹ 280.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(21) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू .	2,500.01		
पु .	- 2,249.31	250.70	250.70
			..

₹ 2,249.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(24) पीजी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	600.01		
पु .	- 100.01	500.00	500.00 ..

31 मार्च 2023 को ₹ 100.01 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा उम्मेद अस्पताल में पी जी मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी संस्थान भवन के निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(25) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर

मू .	1,000.01			
अ.	2,699.99	3,200.00	3,200.00	..
पु .	- 500.00			

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,699.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान (i) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर में कार्यकारी अभिकरण राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा भवन के निर्माण पर कम व्यय और (ii) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सार्वजनिक खरीद नियम में राजस्थान पारदर्शिता के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील का निर्णय लम्बित रहने तक आगे की प्रक्रिया रोकने परिणामतः चिकित्सा भौतिकी मात्रा मापी उपकरण की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू .	100.02		
पु .	910.29	1,010.31	1,010.31 ..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 910.29 लाख की अतिरिक्त निधियां चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिकृत हृदय प्रयोगशाला/कैथ लैब की स्थापना हेतु तथा चिकित्सा महाविद्यालय में हृदय विज्ञान, अन्तःस्त्रावविज्ञान, पाचन विज्ञान, जठर विज्ञान, चिकित्सा कैंसर विज्ञान, शल्य कैंसर विज्ञान और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा विभाग में सुपर स्पेशिएलिटी सेवाएं देने हेतु नये उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू .	0.04		
पु .	236.05	236.09	236.09
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 236.05 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के प्रसार के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू .	2,796.41		
पु .	287.02	3,083.43	3,083.42
			- 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 287.02 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण की अनुपालना में जिला अस्पताल, पावटा में लम्बित कार्यों को पूरा करने एवं महात्मा गांधी अस्पताल में संक्रामक रोग वार्ड का निर्माण कार्य सम्पादित करवाने के लिए उपलब्ध करायी गयी ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(12) स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू .	1,040.21		
अ .	1,999.99	3,553.72	3,553.72
पु .	513.52		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 513.52 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में राज्य कैंसर संस्थान के लिए लीनियर एक्सीलरेटर मशीन की खरीद के आदेश जारी होने के कारण सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल के माध्यम से ₹ 1,000.00 लाख की राशि आहरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू .	1,700.00		
पु .	801.30	2,501.30	2,501.01
			- 0.29
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 801.30 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में सवाई मान सिंह अस्पताल में आईपीडी टावर के निर्माण के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को राशि हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमश)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(20) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	7,000.01		
पु.	772.36	7,772.37	7,772.37
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 772.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(27) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,500.01		
पु.	1,299.99	2,800.00	2,800.00
₹ 1,500.01 लाख का प्रावधान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (स्वायत्तशासी संस्थान) में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन करने हेतु विश्वविद्यालय को अनुदान जारी करने के बजाय पूंजी प्रकृति के व्यय करने हेतु अनुमानित था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ₹ 1,299.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भी इसी उद्देश्य हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(27) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[02] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज			
मू.	100.00		
अ.	0.01	514.00	514.00
पु.	413.99		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 413.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)

3. निम्न शीर्षों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान प्रावधान किया था, जिस पर 2021-22 के दौरान महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति की गयी थी तथा इन शीर्षों के संचालन के लिए अनुमति नहीं दी गयी थी क्योंकि इन स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों के अन्तर्गत किया गया व्यय राजस्व व्यय प्रकृति का है :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान				
105. एलोपैथी				
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि				
[04] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज				
मू.	343.47	206.07	206.07	
पु.	- 137.40			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान				
105. एलोपैथी				
(15) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि				
[05] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर				
मू.	1,800.02	1,080.00	1,080.00	
पु.	- 720.02			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान				
105. एलोपैथी				
(27) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय				
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर				
मू.	1,500.01	2,800.00	2,800.00	
पु.	1,299.99			..
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान				
105. एलोपैथी				
(27) स्वास्थ्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय				
[02] झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज				
मू.	100.00	514.00	514.00	
अ.	0.01			..
पु.	413.99			

ये पूंजी शीर्ष वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वायत्त संस्थाओं/निकायों में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु खोले गये। प्रारम्भ में, वर्तमान नियमों के अनुसार उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान मौजूदा नियमों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्षों में किया गया था इसलिए इन पूंजीगत शीर्षों को खोलने के लिए उस वर्ष में कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान किया तथा व्यय को दर्ज किया गया। यह जीएफ एण्ड एआर, सरकारी लेखा नियम-1990 और भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.-2) के उल्लंघन में व्यय के गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 027 - पेय जल योजना
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2215. जलपूर्ति तथा सफाई
पूंजी - 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	43,92,66,36			
अनुपूरक	86,40,84	44,79,07,20	44,75,26,46	- 3,80,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,79,60
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	4,10,67	4,10,68	4,06,32	- 4,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,36
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	46,16,97,40			
अनुपूरक	11	46,16,97,51	16,64,69,66	- 29,52,27,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				29,08,63,02

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 380.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 8,640.84 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,95,227.85 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,364.83 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 1,04,381.89 लाख, ₹ 1,02,252.63 लाख, ₹ 63,842.46 लाख, ₹ 89,011.11 लाख तथा ₹ 2,95,227.85 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 19.27 प्रतिशत से 63.94 प्रतिशत के बीच थी। 2018-19 से 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	2,520.00		
पु.	- 758.77	1,761.23	1,761.23
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जल पूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू.	550.00		
पु.	- 131.43	418.57	418.57
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं क्रमोन्नयन			
मू.	650.00		
पु.	- 471.86	178.14	178.14
01. जलपूर्ति			..
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू.	525.00		
पु.	- 350.91	174.09	157.70
			- 16.39

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[67] बोराबास मंडाना जलपूर्ति योजना			
मू .	1,076.22
पु .	- 1,076.22
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[70] कम्प्यूटरीकरण/स्काडा सिस्टम/ई-गवर्नेन्स इत्यादि			
मू .	250.00	48.12	39.41
पु .	- 201.88		- 8.71
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[81] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू .	540.90	262.66	262.66
पु .	- 278.24		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू .	454.80	232.53	232.53
पु .	- 222.27		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू .	1,648.80	221.39	221.39
पु .	- 1,427.41		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[86] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,904.22
पु .	- 1,904.22		
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 6,823.21 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
शीर्ष "4215-01-101(01)[22] तथा [70] " के अंतर्गत ₹ 25.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(07) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	2,200.00	1,249.65	1,249.53
पु .	- 950.35		- 0.12
31 मार्च 2023 को ₹ 950.35 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[02] बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना, फेज-II (शहरी)			
मू.	6,535.09	4,379.46	3,444.74
पु .	- 2,155.63		- 934.72
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[09] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना, चरण तृतीय (शहरी)			
मू.	26,508.10	15,455.50	15,455.50
पु .	- 11,052.60		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी की जिले हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	1,828.05	784.30	784.30
पु .	- 1,043.75		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 14,251.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यो पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष "4215-01-101(11)[02]" के अंतर्गत ₹ 934.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[12] शहरी जलप्रदाय योजना, उदयपुर के लिए जयसमंद पेयजल संवर्धन परियोजना			
मू.	457.01
पु .	- 457.01		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[13] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू.	4,279.14
पु .	- 4,279.14		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 4,736.15 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[15] चुरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरू बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (शहरी भाग)			
मू.	1,725.46
पु .	- 1,725.46
31 मार्च 2023 को ₹ 1,725.46 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[12] जवाई पाली जालौर जल पूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना) (नाबार्ड)			
मू .	2,219.54
पु .	- 2,219.54
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[20] फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट भीनाय-मसूदा फैज-II			
मू .	106.92
पु .	- 106.92
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[61] गरड़दा पेयजल परियोजना			
मू .	3,092.02
पु .	- 3,092.02

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[70] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXI)			
मू .	2,650.31
पु .	- 2,650.31		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[73] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXIV)			
मू .	4,707.64
पु .	- 4,707.64		
उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 12,776.43 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[55] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू .	11,138.43	8,696.32	..
पु .	- 2,442.11		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[59] नहरों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण (बीकानेर)			
मू .	3,215.07	1,177.94	1,162.43
पु .	- 2,037.13		- 15.51
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[69] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXVI)			
मू .	2,337.87	1,414.33	1,414.33
पु .	- 923.54		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[74] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई. डी.एफ. XXV)			
मू .	1,548.65		
पु .	- 1,545.36	3.29	0.93
			- 2.36
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 6,948.14 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
शीर्ष "4215-01-102(01)[59]" के अंतर्गत ₹ 15.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(12) पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू .	1,261.21		
पु .	- 667.04	594.17	593.74
			- 0.43
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू .	1,897.85		
पु .	- 530.22	1,367.63	1,367.63
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू .	550.00		
पु .	- 510.45	39.55	33.34
			- 6.21
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना (ई.ए.पी.)			
मू .	231.37		
पु .	- 127.01	104.36	104.36
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागोर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-11 (ई ए पी)			
मू .	1,896.11		
		836.31	847.67
पु .	- 1,059.80		+ 11.36
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेंट्स का सुदृढीकरण-रिजुविनेशन			
मू .	500.00		
		38.83	38.83
पु .	- 461.17		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाडा जल पूर्ति परियोजना			
मू .	233.47		
		66.23	66.23
पु .	- 167.24		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(79) इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू .	20,794.24		
		6,371.55	6,211.91
पु .	- 14,422.69		- 159.64

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 17,945.62 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष "4215-01-102(21) तथा (79)" के अंतर्गत ₹ 165.85 लाख की अंतिम बचत तथा शीर्ष "4215-01-102(45)" के अंतर्गत ₹ 11.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू .	90,240.37	17.78	17.78
पु .	- 90,222.59		..
31 मार्च 2023 को ₹ 90,222.59 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 69,124.30 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 21,098.29 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निरीक्षण एवं अनुश्रवण			
मू .	2,308.72	0.01	0.01
पु .	- 2,308.71		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,308.71 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[03] जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियां			
मू .	8,850.07
पु .	- 8,850.07		..
31 मार्च 2023 को ₹ 8,850.07 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[04] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलप्रदाय योजना			
मू .	120.93
पु .	- 120.93		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[05] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू .	1,060.13
पु .	- 1,060.13
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[06] चूरू-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू .	1,274.47
पु .	- 1,274.47
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[08] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबाड)			
मू .	883.45
पु .	- 883.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[10] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू .	4,417.19
पु .	- 4,417.19
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[11] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू .	1,274.47
पु .	- 1,274.47

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[12] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	883.45
पु.	- 883.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[13] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	12,525.50
पु.	- 12,525.50
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[14] चम्बल-भरतपुर क्लस्टर परियोजना-प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	2,208.60
पु.	- 2,208.60
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[15] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	974.98
पु.	- 974.98
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[16] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू.	1,712.57
पु.	- 1,712.57

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[17] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू .	883.45
पु .	- 883.45		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[18] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू .	2,650.32
पु .	- 2,650.32		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[20] जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू .	2,208.60
पु .	- 2,208.60		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[23] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू .	883.45
पु .	- 883.45		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू .	2,650.32
पु .	- 2,650.32		

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[25] झुन्झुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चुरु बिसाउ परियोजना			
मू .	1,766.88
पु .	- 1,766.88		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[26] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू .	1,325.16	..	- 28.59
पु .	- 1,325.16		- 28.59
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[27] बीसलपुर फागी परियोजना			
मू .	441.73
पु .	- 441.73		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[28] अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू .	662.59
पु .	- 662.59		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[30] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना			
मू .	13,251.54
पु .	- 13,251.54		

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[31] पाली जिले की सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई.जी.एन.पी.वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू .	1,325.16
पु .	- 1,325.16
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[32] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले की हिंडौली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू .	4,779.25
पु .	- 4,779.25
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[33] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू .	13,251.54
पु .	- 13,251.54
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[35] बीकानेर जिले की डूंगरगढ़ कस्बा तथा श्री डूंगरगढ़ तथा लुणकरणसर ब्लाक के 108 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	2,650.32
पु .	- 2,650.32
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[36] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
मू .	2,208.60
पु .	- 2,208.60

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[37] चुरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरू बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (ग्रामीण भाग)			
मू .	883.45
पु .	- 883.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[38] झालावाड़ जिले की राजगढ बांध से झालरापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)			
मू .	883.45
पु .	- 883.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[39] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू .	883.45
पु .	- 883.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[40] जिले की शिवगंज तहसील के 70 ग्रामों को जवाई बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराया जाना			
मू .	883.45
पु .	- 883.45
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[41] जोधपुर जिले की क्षेत्रीय जल प्रदाय भेर हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू .	2,208.60
पु .	- 2,208.60

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[42] चित्तोड़गढ़ जिले के भैसरोड़गढ़ ब्लॉक के 38 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना			
मू .	665.24
पु .	- 665.24
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[43] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल भीलवाड़ा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	3,975.47
पु .	- 3,975.47
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[44] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू .	2,650.32
पु .	- 2,650.32
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[45] जल जीवन मिशन के तहत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन संरचना एवं केकड़ी सरवाड पेयजल योजना का संवर्धन एवं सुदृढीकरण			
मू .	1,593.09
पु .	- 1,593.09

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[46] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण भाग- 'अ'			
मू .	1,051.44
पु .	- 1,051.44
उपरोक्त छत्तीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 93,952.61 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
शीर्ष "4215-01-102(99) [26]" के अंतर्गत ₹ 28.59 लाख ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[19] चम्बल-बूंदी कलस्टर पेयजल परियोजना			
मू .	176.70	5.88	..
पु .	- 170.82	5.88	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[21] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू .	14,923.35	280.15	..
पु .	- 14,643.20	280.15	..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[22] क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नावां तहसील			
मू .	441.73	39.12	..
पु .	- 402.61	39.12	..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(99) जल जीवन मिशन			
[34] वृहद पेयजल परियोजना मे रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
मू .	32,253.01	5,321.00	5,321.00
पु .	- 26,932.01		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 42,148.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
मू .	38,823.06	45,335.95	44,079.79
पु .	6,512.89		- 1,256.16
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] जवाई-पाली-जालोर जलपूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)			
मू .	25.37	550.83	550.83
पु .	525.46		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जल पूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू .	1,790.47	2,672.36	2,672.36
पु .	881.89		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानिया-ओसियां-बावड़ी-भोपालगढ जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू .	123.28		
पु .	251.77	375.05	375.05
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू .	379.58		
पु .	1,074.86	1,454.44	1,454.44
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[57] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना जिला बूंदी (विस्तार चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना) (ग्रामीण)			
मू .	39.60		
पु .	251.59	291.19	291.19
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू .	68.70		
पु .	180.54	249.24	249.24
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(54) फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू .	78.61		
पु .	405.58	484.19	484.19

अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू .	850.51	1,146.23	..
पु .	295.72	1,146.23	..

उपरोक्त नो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 10,380.30 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा शीर्ष "4215-01-101(01) [02]" के अंतर्गत ₹1,256.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[49] ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम कार्यक्रम			
अ.	0.01	589.63	- 589.63
पु .	589.62	..	- 589.63

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 589.62 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी, यद्यपि, समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा। निधियों के आवर्धन और प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

6. **उचन्त लेन-देन** : 2022-23 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उचन्त उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+) 3,352.97	..	30.85	(+) 3,322.12
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 3,221.17	(+) 3,221.17
योग	(+) 6,574.14	..	30.85	(+) 6,543.29

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	11,59,04,76			
अनुपूरक	1,82,83,21	13,41,87,97	6,09,77,20	- 7,32,10,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				7,16,50,82
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	6,80,00,00			
अनुपूरक	..	6,80,00,00	6,80,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 18,283.21 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 18,283.19 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय बजट अनुमान से भी कम था।
- ₹ 73,210.77 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,559.95 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 24,276.27 लाख, ₹ 21,378.99 लाख, ₹ 4,370.21 लाख, ₹ 29,125.65 लाख तथा ₹ 73,210.77 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.77 प्रतिशत से 54.56 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जल संरक्षण उप कर निधि से व्यय			
[03] राजीव गांधी जल संचय योजना			
मू .	0.01		
अ .	18,283.18
पु .	- 18,283.19		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत जल संरक्षण उपकर निधि से अधिक कार्यों की स्वीकृति पर व्यय को पूरा करने के लिए लिया गया प्रावधान ₹ 18,283.18 लाख अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2023 को ₹ 18,283.19 लाख का समस्त प्रावधान प्रारूप परियोजना रिपोर्ट की देरी से मंजूरी के कारण राजीव गांधी जल संचय योजना -द्वितीय चरण के लिए निधियां जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. बंजर भूमि विकास
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(10) राजीव गाँधी जल संचय योजना
[01] जल संरक्षण योजना (सामान्य)

मू .	27,200.00			
पु .	- 26,172.62	1,027.38	1,027.38	..

31 मार्च 2023 को ₹ 26,172.62 लाख का प्रावधान निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 13,384.88 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,787.74 लाख) किया गया क्योंकि राजीव गांधी जल संचय योजना -द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु प्रारूप परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन देरी से प्राप्त हुआ।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
[01] अनुदान

मू .	36,900.00			
पु .	- 17,096.02	19,803.98	16,674.04	- 3,129.94

31 मार्च 2023 को ₹ 17,096.02 लाख का प्रावधान 01.04.2022 को योजना के अन्तर्गत अनुपयोजित राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप अभ्यर्पित किया गया।

31 मार्च 2023 को ₹ 3,129.94 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 028 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.)			
[01] अनुदान			
मू .	5,000.00
पु .	- 5,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)			
[01] अनुदान			
मू .	2,500.00	1,000.00	1,000.00
पु .	- 1,500.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,500.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
104. डीआरडीए प्रशासन			
(01) मुख्यालय			
मू .	585.39	15.34	15.34
पु .	- 570.05
31 मार्च 2023 को ₹ 570.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू .	1,582.16
पु .	- 1,582.16
31 मार्च 2023 को ₹ 1,582.16 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(09) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू .	5,000.00		
पु .	- 4,500.00	500.00	500.00
31 मार्च 2023 को ₹ 4,500.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
800. अन्य व्यय			
(10) ग्रामीण रोजगार हेतु राज्य अनुदान			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू .	10,000.00		
पु .	- 9,502.15	497.85	497.85
31 मार्च 2023 को ₹ 9,502.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)			
वाटरशेड कम्पौनेन्ट			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू .	24,041.51		
पु .	12,677.84	36,719.35	36,719.35
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,677.84 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(14) राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉआपरेटिव			
फेडरेशन लिमिटेड			
[01] महिला निधि हेतु अनुदान			
अ .	0.02		
पु .	- 0.02	..	1,564.98 + 1,564.98
₹ 1,564.98 लाख का बिना प्रावधान के व्यय के किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2052. सचिवालय सामान्य सेवाएं,

2217. शहरी विकास और

3055. सड़क परिवहन

पूंजी - 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,

5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,

6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और

7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	48,28,13,04	59,60,43,31	50,92,18,86	- 8,68,24,45
अनुपूरक	11,32,30,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				8,68,24,38
प्रभारित				
मूल	2	17,19	17,16	- 3
अनुपूरक	17,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	15,49,82,19	28,40,15,98	19,52,44,15	- 8,87,71,83
अनुपूरक	12,90,33,79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				8,90,50,84
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 86,824.45 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,13,230.27 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2023 में लिया गया ₹ 1,13,230.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 1,08,418.55 लाख, ₹ 90,058.24 लाख, ₹ 1,37,800.70 लाख, ₹ 88,005.53 लाख तथा ₹ 86,824.45 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 14.57 प्रतिशत से 21.45 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) स्थानीय निकायों के संचालक			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,637.18		
		1,264.89	1,264.88
पु.	- 372.29		- 0.01

₹ 372.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा संविदात्मक सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान

मू.	26,387.58			
		23,166.57	23,166.57	..
पु.	- 3,221.01			

31 मार्च 2023 को ₹ 3,221.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
(36) स्वच्छ भारत मिशन
[01] स्वच्छ भारत मिशन

मू.	2,558.77			
		646.24	646.24	..
पु.	- 1,912.53			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,912.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों,
नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं
[01] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (सामान्य)

मू.	3,571.88			
	
पु.	- 3,571.88			

31 मार्च 2023 को ₹ 3,571.88 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[01] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	10,028.74		
अ.	8,444.75	14,317.75	..
पु.	- 4,155.74		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत प्राप्त अनुदान के कारण लिया गया ₹ 8,444.75 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 4,155.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[04] मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	20,194.86		
अ.	19,507.96	19,507.96	..
पु.	- 20,194.86		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत प्राप्त अनुदान के कारण लिया गया ₹ 19,507.96 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 20,194.86 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[13] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (सामान्य)			
मू.	541.15		
पु.	- 541.15

31 मार्च 2023 को ₹ 541.15 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[16] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (सामान्य)			
मू.	2,072.15
पु.	- 2,072.15

31 मार्च 2023 को ₹ 2,072.15 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	200.00	27.65	27.59
पु.	- 172.35		- 0.06

31 मार्च 2023 को ₹ 172.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[01] स्वच्छ भारत मिशन			
मू.	6,027.44	1,522.28	1,522.28
पु.	- 4,505.16		..

31 मार्च 2023 को ₹ 4,505.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (सामान्य)			
मू.	3,297.12
पु.	- 3,297.12

31 मार्च 2023 को ₹ 3,297.12 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[01] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए अबाध्य अनुदान (सामान्य)			
मू.	25,033.22		
अ.	12,216.21	24,677.88	24,677.88
पु.	- 12,571.55		..

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंषाओं के तहत प्राप्त अनुदान के कारण लिया गया ₹ 12,216.21 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 12,571.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित
अनुदान से संचालित योजनाएं
- [04] नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए पेयजल एवं ठोस
अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु बाध्य अनुदान (सामान्य)

मू.	37,549.87		
अ.	18,324.28	37,016.86	37,016.86
पु.	- 18,857.29		..

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंषाओं के तहत प्राप्त अनुदान के कारण लिया गया ₹ 18,324.28 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 18,857.29 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित
अनुदान से संचालित योजनाएं
- [07] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए
नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (सामान्य)

मू.	1,369.12		
पु.	- 1,369.12

31 मार्च 2023 को ₹ 1,369.12 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित			
अनुदान से संचालित योजनाएं			
[10] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों			
के लिए अनुदान (सामान्य)			
मू.	5,242.65
पु.	- 5,242.65

31 मार्च 2023 को ₹ 5,242.65 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट			
शीर्ष 8229-200-(10) में अन्तरण (सामान्य)			
मू.	5,000.00
पु.	- 5,000.00

31 मार्च 2023 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[08] जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (सामान्य)			
मू.	343.45	621.79	..
पु.	278.34	621.79	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 278.34 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	1,388.74	2,029.07	2,029.07
पु.	640.33		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 640.33 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास(शहरी)			
मू.	224.22	2,977.15	2,977.15
पु.	2,752.93		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,752.93 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(48) इन्दिरा गांधी रसोई योजना			
[01] सामान्य			
मू.	0.01	3,031.54	3,031.54
पु.	3,031.53		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,031.53 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजना की क्रियान्विति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सडकों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार			
[01] सडको की मरम्मत/सुधार/पुनरुद्धार (सामान्य)			
मू.	164.86	4,121.40	4,121.40
पु.	3,956.54		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,956.54 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	3,673.71	5,921.05	5,921.05
पु.	2,247.34		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,247.34 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	13,514.02	17,038.83	17,038.83
पु.	3,524.81		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,524.81 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 88,771.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए सितम्बर, 2022 (₹ 17,710.15 लाख) और फरवरी, 2023 (₹ 1,13,323.64 लाख) में लिया गया ₹ 1,29,033.79 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 88,771.83 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 89,050.84 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 19,680.13 लाख, ₹ 48,961.28 लाख, ₹ 6,055.55 लाख, ₹ 36,788.97 लाख तथा ₹ 88,771.83 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.09 प्रतिशत से 37.64 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू. 343.45	103.04	103.04	..
पु. - 240.41			
31 मार्च 2023 को ₹ 240.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर ओ बी)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू. 343.45	15.11	15.11	..
पु. - 328.34			
31 मार्च 2023 को ₹ 328.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(06) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू. 6,704.00	1,782.69	1,782.69	..
अ. 5,543.65			
पु. - 10,464.96			
फरवरी, 2023 में अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 5,543.65 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
31 मार्च 2023 को ₹ 10,464.96 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू. 10,853.00	5,426.50	5,426.50	..
पु. - 5,426.50			

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	10,853.00		
		5,426.50	..
पु.	- 5,426.50		
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(01) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	10,853.00		
		5,426.50	..
पु.	- 5,426.50		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 16,279.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शीर्ष पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड) में निवेश और अनुदान जारी करने के बजाय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु निधियां जारी करने के लिए खोले गये।

स्मार्ट सिटी योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार या तो कम्पनियों में शेयर पूंजी के माध्यम से निवेश कर सकती हैं या उन्हें अनुदान जारी कर सकती हैं। इसलिए राज्य सरकार की उपरोक्त कार्यवाही सरकारी लेखा नियम-1990, स्मार्ट सिटी योजना के दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.-2) के अनुरूप नहीं हैं। यद्यपि इस मुद्दे को इस अनुदान के माध्यम से प्रकाश में लाया गया था, हांलाकि, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान भी इन मदों के तहत प्रावधान किया।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
051. निर्माण
(03) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
[01] स्वायत्त शासन विभाग

मू.	2,747.60		
		1,888.98	..
पु.	- 858.62		

31 मार्च 2023 को ₹ 858.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
051. निर्माण
(04) टाउन हॉल निर्माण
[01] स्वायत्त शासन विभाग

मू.	274.76		
	
पु.	- 274.76		

31 मार्च 2023 को ₹ 274.76 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	16,485.60		
पु.	- 7,525.98	8,959.62	8,959.62
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 7,525.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(08) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	5,000.00		
पु.	- 5,000.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(09) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ .	53,457.31		
पु .	- 46,895.55	6,561.76	6,561.76
			..
फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 53,457.31 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2023 को ₹ 46,895.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 41,673.03 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,222.52 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(10) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ .	3,786.70		
पु .	- 3,786.70
			..
फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु लिया गया ₹ 3,786.70 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2023 को ₹ 3,786.70 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 029 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
051. निर्माण			
(11) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी)			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण ट्रांच-2 (ईएपी)			
अ .	5,236.09	4,563.83	..
पु .	- 672.26	4,563.83	..

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 5,236.09 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 672.26 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] परिवहन विभाग			

मू .

137.38

..

..

..

पु .

- 137.38

31 मार्च 2023 को ₹ 137.38 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(06) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] प्रोग्राम लोन			
मू .	20,444.38	24,849.23	..
पु .	4,404.85	24,849.23	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,404.85 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) कोटा में सीवरेज लाइन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, पंपिंग स्टेशन और हाउस सीवरेज कनेक्शन से संबंधित कार्यों, (ii) चांदमल का बाग, बीकानेर में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए सम्प वेल इनलेट चैंबर, पंपिंग स्टेशन और पंपिंग मुख्य लाइन इत्यादि से संबंधित कार्य, (iii) सवाईमाधोपुर और उदयपुर में सीवर लाइन चालू करना और (iv) माउंट आबू में पुराने सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की री-वैम्पिंग का कार्य की त्वरित प्रगति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 – जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2055.	पुलिस,
	2056.	जेल,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2404.	डेयरी विकास,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3054.	सड़क तथा सेतु,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3075.	अन्य परिवहन सेवाएं,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय,
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
4415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय,
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
4851.	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
6408.	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
6425.	सहकारिता के लिए कर्ज,
6700.	मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज,
6801.	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
7055.	सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल	2,03,99,91,35			
अनुपूरक	89,00,67	2,04,88,92,02	1,80,86,88,07	- 24,02,03,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				22,09,44,71

प्रभारित

मूल	3			
अनुपूरक	2,69	2,72	2,69	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	60,54,61,20	63,54,61,59	36,69,72,14	- 26,84,89,45
अनुपूरक	3,00,00,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				26,78,49,40

टिप्पणियां तथा टीकाएं:**राजस्व****दत्तमत**

- ₹ 8,900.67 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से, सितम्बर, 2022 में लिया गया ₹ 8,900.26 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
- ₹ 2,40,203.95 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 19,259.24 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 70,022.84 लाख, ₹ 1,52,010.66 लाख, ₹ 1,21,737.99 लाख, ₹ 1,89,189.18 लाख तथा ₹ 2,40,203.95 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.50 प्रतिशत से 11.72 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[06] स्टार परियोजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना पर व्यय)			
मू.	2,361.00	1,474.83	1,474.83
पु.	- 886.17		

31 मार्च 2023 को ₹ 886.17 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
113. समग्र शिक्षा
- (02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा
- [03] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत जनजातिय क्षेत्र उपयोगना पर व्यय (टी.एस.पी.)

मू.	801.60	328.55	314.80	- 13.75
पु.	- 473.05			

₹ 473.05 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने को आरोपित की गयी।

₹ 13.75 लाख की अंतिम बचत भारत सरकार से प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण रही।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	7,800.00		
पु.	- 1,920.58	5,879.42	5,869.83
			- 9.59

31 मार्च 2023 को ₹ 1,920.58 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 9.59 लाख की अंतिम बचत इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से शिक्षा के अधिकार के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(12) मिड डे मील
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ

मू.	29,478.40			
पु.	- 17,749.40	11,729.00	11,729.00	..

31 मार्च 2023 को ₹ 17,749.40 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 10,177.94 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 7,571.46 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(15) स्कूल वापसी अभियान
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय

मू.	4,000.00			
पु.	- 1,102.90	2,897.10	2,628.55	- 268.55

31 मार्च 2023 को ₹ 1,102.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीयंश प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 268.55 लाख की अंतिम बचत विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक की राशि डीबीटी के द्वारा हस्तांतरित नहीं किये जाने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(16) सहरिया क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता
[01] प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से

मू.	190.00			
पु.	- 190.00

31 मार्च 2023 को ₹ 190.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को निधियां लौटाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	7,640.00		
पु.	- 5,426.38	2,213.62	2,213.62
			..
₹ 5,426.38 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[04] कक्षा 6-8 के बालकों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	2,300.00		
पु.	- 278.64	2,021.36	2,021.36
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 278.64 लाख का प्रावधान कक्षा 6-8 तक के विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	17,653.02		
पु.	- 2,179.02	15,474.00	15,474.01
			+ 0.01
₹ 2,179.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[06] लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	54,627.63		
पु.	- 6,709.66	47,917.97	47,917.96
			- 0.01

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[07] बालिका के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,908.12		
पु.	- 680.11	5,228.01	5,228.01
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 7,389.77 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[11] अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकल का वितरण			
मू.	1,822.50		
पु.	- 1,720.12	102.38	102.38
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,720.12 लाख का प्रावधान निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(27) सहरिया क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों को आर्थिक सहायता			
[01] सहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता			
मू.	175.00		
पु.	- 175.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 175.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(28) जनजाति क्षेत्र के बालकों को प्रतीष्ठित विद्यालयों में अध्ययन सुविधा			
[01] जनजाति क्षेत्र के बालकों को राज्य के प्रतीष्ठित विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा			
मू.	1,750.00		
अ.	0.01		
पु.	- 1,750.01
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,750.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिए			
मू.	241.03
पु.	- 241.03		
31 मार्च 2023 को ₹ 241.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. भाषा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
[01] संस्कृत विद्यालय			
मू.	1,604.58	1,440.97	1,440.98 + 0.01
पु.	- 163.61		
₹ 163.61 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदोन्नति होने के कारण वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस शीर्ष के बजाय अन्य लेखा शीर्षों से होने तथा आश्वासित कैरियर प्रगति के बकाया का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(09) राजस्थान तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम			
[01] शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम			
मू.	300.00
पु.	- 300.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	401.00	230.67	230.67 ..
पु.	- 170.33		
31 मार्च 2023 को ₹ 170.33 लाख का प्रावधान संवेदकों द्वारा सरवर किले (अजमेर) में मरम्मत एवं रखरखाव कार्य का निष्पादन कम करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) अन्य अस्पताल			
[01] अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू.	11,239.21		
पु.	- 2,227.35		
	9,011.86	9,010.00	- 1.86
₹ 2,227.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अस्पताल तथा औषधालय-आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू.	4,311.87		
पु.	- 439.59		
	3,872.28	3,872.27	- 0.01
₹ 439.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों एवं अधिकारियों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने तथा आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के मामलों की स्वीकृति नहीं होने को आरोपित की गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
मू.	1,469.78		
पु.	- 1,469.78		

31 मार्च 2023 को ₹ 1,469.78 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना की राज्य वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	1,290.00		
पु.	- 316.58		
	973.42	971.66	- 1.76
₹ 316.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बैच 2022 के 628 रेजिडेंट डॉक्टरों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 31.03.2023 तक ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण स्टाइपेंड का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	2,940.02		
पु.	- 815.42	2,124.60	2,124.46
			- 0.14
₹ 815.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्ते, छात्रवृत्ति और वजीफे पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) जनता क्लीनिक			
[01] डी.एम.एच.एस. के माध्यम से			
मू.	300.02		
पु.	- 296.21	3.81	3.81
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 296.11 लाख का प्रावधान जनता क्लीनिक की कम स्थापना होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय प्रावधान किया जिसके तहत प्रत्येक केन्द्र के लिए पांच पद स्वीकृत किये गये। इन केन्द्रों को जनता क्लीनिक के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य मद के तहत कुल दो पद स्वीकृत किये जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान का उपयोग नहीं हो सका।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(14) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	29,850.00		
पु.	- 5,800.00	24,050.00	24,050.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,800.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रथम पॉलिसी वर्ष 2021-22 में कंपनी द्वारा दावों का कम भुगतान करने तथा योजना के तहत कम परिवारों का पंजीकरण होने के कारण राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी (आर एस एच ए ए) को राशि वापस करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2211. परिवार कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जिला परिवार केन्द्रों का संचालन			
[02] जनजातीय क्षेत्र हेतु परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	2,254.31		
पु.	- 484.37	1,769.94	1,769.95
			+ 0.01
₹ 484.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा जिला अस्पताल, चूरू में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के स्वीकृत पदों को राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी को हस्तांतरित करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण उपकेन्द्रों का संचालन			
[02] जनजातीय क्षेत्र हेतु ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू.	10,101.51		
पु.	- 1,028.49	9,073.02	9,073.03 + 0.01

31 मार्च 2023 को ₹ 1,028.49 लाख का प्रावधान कुछ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का आहरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। वित्त विभाग के निर्णय के अनुसार इस योजना के तहत जिला कार्यालयों में स्वीकृत पदों को उनके स्वीकृत पदों के अनुसार अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में स्थानांतरित किया जाना था, जहां से वेतन देयक तैयार किये जाते हैं, यह स्थानांतरण प्रक्रिया नवंबर से वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रही परिणामस्वरूप अधिकांश अधीनस्थ कार्यालयों से सूचना के अभाव में पदों का स्थानांतरण नहीं हो सका/देरी से स्थानांतरण हुआ।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना

मू.	2,055.70		
पु.	- 1,650.70	405.00	405.00 ..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,650.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

मू.	37,693.70		
पु.	- 14,117.05	23,576.65	23,576.65 ..

₹ 14,117.05 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी को आरोपित की गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन. यू.एच.एम.)
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन. यू.एच.एम.)

मू.	933.90		
पु.	- 933.90

31 मार्च 2023 को ₹ 933.90 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना			
[01] मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस			
मू.	385.01
पु.	- 385.01		

31 मार्च 2023 को ₹ 385.01 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इस शीर्ष का व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	5,178.41	4,546.30	4,546.30
पु.	- 632.11		..

31 मार्च 2023 को ₹ 632.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जन जातियों के लिए)			
मू.	502.15	126.82	126.82
पु.	- 375.33		..

31 मार्च 2023 को ₹ 375.33 लाख का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू.	700.96
पु.	- 700.96		

31 मार्च 2023 को ₹ 700.96 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[18] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	406.65
पु.	- 406.65
31 मार्च 2023 को ₹ 406.65 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,182.90	751.48	751.48
पु.	- 431.42
31 मार्च 2023 को ₹ 431.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोगना			
मू.	2,652.03	154.01	154.01
पु.	- 2,498.02
31 मार्च 2023 को ₹ 2,498.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (टी.एस.पी.)			
मू.	647.04
पु.	- 647.04
31 मार्च 2023 को ₹ 647.04 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[09] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (टी.एस.पी.)			
मू.	268.68
पु.	- 268.68
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[12] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (टी.एस.पी.)			
मू.	1,028.84
पु.	- 1,028.84
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,297.52 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[07] मोटर यान कराधान अधिनियम के अंतर्गत अधिभार का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	4,243.00	3,390.33	3,390.33
पु.	- 852.67		..
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[08] ग्रीन टैक्स का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	3,484.00	3,002.25	3,002.25
पु.	- 481.75		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[09] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार का			
आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13)			
में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	6,911.00		
		5,635.42	5,635.42
पु.	- 1,275.58		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,610.00 लाख का प्रावधान संबंधित निधियों में राशि के कम हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[03] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष			
8229-200-(10) में अन्तरण (टी.एस.पी.)			
मू.	2,000.00		
	
पु.	- 2,000.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान शहरी विकास निधि को निधियों का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू.	30,500.00		
		25,356.48	25,356.48
पु.	- 5,143.52		..

31 मार्च 2023 को ₹ 5,143.52 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[24] जनजाति समुदाय को कोचिंग हेतु अनुदान			
मू .	520.00		
पु .	- 386.55	133.45	133.45
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 386.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[49] मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड			
मू .	500.00		
पु .	- 445.00	55.00	55.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 445.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[14] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत जनजाति विकास हेतु विविध कार्यक्रम			
मू .	982.83		
पु .	- 471.23	511.60	511.60
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 471.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के किसानों हेतु सहायता			
[01] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
मू .	500.00		
पु .	- 500.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास			
[01] पीवीटीजी विकास अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा आजीविका एवं अन्य विविध कार्यक्रम			
मू.	259.00	45.00	45.00
पु.	- 214.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 214.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	12,010.00	7,599.04	7,599.04
पु.	- 4,410.96		..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,410.96 लाख का प्रावधान मुख्यतः संशोधित अनुमान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की व्यय सीमा में कटौती करने तथा लाभार्थियों को पोशाक का वितरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण (उड़ान)			
मू.	2,800.00	3,911.33	3,911.33
अ.	2,100.00		..
पु.	- 988.67		
सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु लिया गया ₹ 2,100.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2023 को ₹ 988.67 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन के कम वितरण के परिणामस्वरूप तीसरी किस्त जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[08] प्रोत्साहन एवं सम्मान हेतु			
मू.	282.76	1.66	1.66
पु.	- 281.10		..
31 मार्च 2023 को ₹ 281.10 लाख का प्रावधान महिला दिवस पर पुरस्कार हेतु कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[11] अनुसूचित जन जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	7,931.00	6,603.91	6,603.91
पु.	- 1,327.09		
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[12] अनुसूचित जन जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	3,811.00	3,073.18	3,073.19
पु.	- 737.82		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,064.91 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार प्रशासनिक शुल्क पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जन जातियों के लिये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	82,200.00	72,168.49	72,168.49
पु.	- 10,031.51		
31 मार्च 2023 को ₹ 10,031.51 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के बाहर चले जाने/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु होने से पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जन जातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू. 32,400.00			
पु. - 4,755.12	27,644.88	27,644.88	..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जन जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू. 8,300.00			
पु. - 1,011.35	7,288.65	7,288.65	..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जन जातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू. 3,900.00			
पु. - 976.36	2,923.64	2,923.64	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 6,742.83 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के बाहर चले जाने/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु होने से पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[14] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू.	2,898.19	1,150.07	1,150.05
पु.	- 1,748.12		- 0.02
31 मार्च 2023 को ₹ 1,748.12 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पोषण मिशन के केन्द्रीयों के प्रारम्भिक शेष के अनुपात में राज्यांश योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था जो मूल बजट अनुमान से कम था, (ii) वर्ष के दौरान भारत सरकार से केन्द्रीयों प्राप्त नहीं होने तथा (iii) बजट प्रावधान की शेष राशि के अनुपात में राज्यांश को एन.एन.एम. के बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[15] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू.	1,870.71	878.01	877.94
पु.	- 992.70		- 0.07
31 मार्च 2023 को ₹ 992.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[03] जल आयोजन हेतु अनुदान			
मू.	20,400.01
पु.	- 20,400.01		
31 मार्च 2023 को ₹ 20,400.01 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहू			
मू.	213.00	48.83	48.83
पु.	- 164.17		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	3,900.00		
		1,464.83	
पु.	- 2,435.17	1,464.83	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,599.34 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किस्त प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त मार्च, 2023 में जारी की गयी थी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[23] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	807.00		
		584.41	
पु.	- 222.59	584.41	..
31 मार्च 2023 को ₹ 222.59 लाख का प्रावधान मार्च, 2023 के अंतिम कार्य दिवसों में योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में केंद्र और राज्य के हिस्से का हस्तांतरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि केंद्र के हिस्से की तीसरी किस्त 24.03.2023 को प्राप्त हुई थी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[24] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	500.00		
		167.08	
पु.	- 332.92	167.09	+ 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 332.92 लाख का प्रावधान भारत सरकार से दूसरी किस्त की स्वीकृति दिनांक 29.03.2023 को प्राप्त हो गयी थी परन्तु वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक कोषालय में जमा नहीं हो सकी, फलस्वरूप योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में केन्द्र एवं राज्यांश का हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	1,135.46		
		145.05	
पु.	- 990.41	145.05	..
31 मार्च 2023 को ₹ 990.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[33] बीज विकास			
मू.	335.45		
पु.	- 331.11	4.34	4.34
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 331.11 लाख का प्रावधान इस योजना से संबंधित व्यय मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से व्यय किये जाने तथा योजना के अन्तर्गत केवल बकाया दायित्वों का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[34] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पोषिक अनाज			
मू.	520.00		
पु.	- 159.16	360.84	360.84
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 159.16 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किस्त प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त माह मार्च, 2023 में जारी की गयी थी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[32] कृषि यंत्रिकरण पर अनुदान			
मू.	1,800.00		
पु.	- 1,800.00
			..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[34] भूमिहीन श्रमिकों को सहायता			
मू.	1,800.00		
पु.	- 1,800.00
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 3,600.00 लाख का समस्त प्रावधान इस शीर्ष के बजाय मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसान कल्याण निधि के द्वारा किए गए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[35] जैविक खेती के लिए सहायता			
मू.	180.00
पु.	- 180.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 180.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान जैविक खेती मिशन का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	1,500.00	422.50	422.50
पु.	- 1,077.50		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,077.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। राज्य के बड़े क्षेत्र में प्रचलित शुष्क जलवायु तथा बागवानी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर अनचाही जलवायु दशाओं के प्रभाव के कारण योजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु सहायता (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	3,900.00	2,328.67	2,328.67
पु.	- 1,571.33		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,571.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी लागत ड्रिप संयंत्रों की प्रचलित इकाई लागत से कम होने से कम अनुदान के कारण किसानों द्वारा कम रुचि दिखाने से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। योजना में किसानों की रुचि इसलिए भी कम रही क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत आदिवासी किसानों के लिए कोई विशिष्ट अनुदान श्रेणी निर्धारित नहीं की गई थी। इसके अलावा भारत सरकार से अंतिम किश्त देर से प्राप्त होना, वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में कोषागारों में बिल जमा न करना तथा एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते से अनुदान के बिल पास न होना भी बचत के कारण रहे।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[06] फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता			
मू.	422.00	0.48	0.48
पु.	- 421.52		..
31 मार्च 2023 को ₹ 421.52 लाख का प्रावधान फल बगीचों की स्थापना हेतु अनुदान इस शीर्ष के स्थान पर कृषक कल्याण कोष से जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[09] ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	1,300.01
पु.	- 1,300.01
31 मार्च 2023 को ₹ 1,300.01 लाख का समस्त प्रावधान ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना हेतु इस मद के स्थान पर कृषक कल्याण कोष से 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सौर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	1,400.00	707.85	..
पु.	- 692.15	707.85	..
31 मार्च 2023 को ₹ 692.15 लाख का प्रावधान मई, 2022 में ई.एन.आर. आई. के साथ अनुबंध की समाप्ति के बाद दरों और फर्म को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप लक्ष्य के अनुसार सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	745.00	244.14	..
पु.	- 500.86	244.14	..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	1,153.50	305.86	..
पु.	- 847.64	305.86	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,348.50 लाख का प्रावधान योजना के सिंगल नोडल बैंक खाते में निधियों का हस्तांतरण कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया था क्योंकि भारत सरकार से योजना की द्वितीय किश्त 29.03.2023 को प्राप्त होने से वित्त विभाग के पोर्टल पर निधियां जमा नहीं हुईं।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	450.00
पु.	- 450.00

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[13] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	360.00
पु.	- 360.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 810.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के सिंगल नोडल बैंक खाते को निधियां हस्तान्तरित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार से योजना की द्वितीय किश्त 29.03.2023 को प्राप्त होने से वित्त विभाग के पोर्टल पर निधियां जमा नहीं हुई।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(71) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	471.94	241.50	241.50
पु.	- 230.44		..
31 मार्च 2023 को ₹ 230.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(80) पी.एम.-कुसुम कंपोनेट हेतु सहायता			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	3,900.00	2,397.24	2,397.24
पु.	- 1,502.76		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,502.76 लाख का प्रावधान मई, 2022 में ई.एन.आर. आई. के साथ अनुबंध की समाप्ति के बाद दरों और फर्म को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप लक्ष्य के अनुसार सौर ऊर्जा पंप सयंत्र की स्थापना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(81) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	6,500.00	1,169.04	1,168.90
पु.	- 5,330.96		- 0.14
31 मार्च 2023 को ₹ 5,330.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी लागत ड्रिप संयंत्रों की प्रचलित इकाई लागत से कम होने से कम अनुदान के कारण कृषकों द्वारा कम रुचि दिखाने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। योजना में कृषकों की रुचि इसलिए भी कम रही क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत आदिवासी कृषकों के लिए कोई विशिष्ट अनुदान श्रेणी निर्धारित नहीं की गई थी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) पशु पालन विभाग			
[29] पशुधन नस्ल सुधार योजना हेतु अनुदान			
मू.	500.00	32.31	32.31
पु.	- 467.69		..
31 मार्च 2023 को ₹ 467.69 लाख का प्रावधान योजना के मई, 2022 में पूरा होने पर कार्यकारी अभिकरण जे.के. के बकाया बिलों के भुगतान पर निर्णय नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(13) जोखिम प्रबन्धन			
[01] पशुधन एवं पशुपालकों का बीमा			
मू.	435.00	140.00	140.00
पु.	- 295.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 295.00 लाख का प्रावधान बजट उदघोषणा के अनुसार बीमा कंपनियों से समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन नहीं होने और योजना शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(17) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाईल वेटेनरी यूनिट)			
मू.	636.00
पु.	- 636.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 636.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[03] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट शीर्ष 8229-00-104- (02) में अन्तरण			
मू.	30,000.00	18,300.00	18,300.00
पु.	- 11,700.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 11,700.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II			
मू.	163.33	..	86.09 + 86.09
पु.	- 163.33		
31 मार्च 2023 को ₹ 163.33 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा बिना प्रावधान के ₹ 86.09 लाख के व्यय करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	1,790.00	1,560.68	1,567.27 + 6.59
पु.	- 229.32		
31 मार्च 2023 को ₹ 229.32 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 6.59 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू.	9,721.00	1,909.00	1,909.00 ..
पु.	- 7,812.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 7,812.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप संबन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू.	6,300.00	4,751.86	4,751.86 ..
पु.	- 1,548.14		
31 मार्च 2023 को ₹ 1,548.14 लाख का प्रावधान पूर्व में जारी निधियों का 75 प्रतिशत उपयोग नहीं होने के कारण वित्त विभाग से अतिरिक्त निधियों की मांग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गांधी जल संचय योजना			
[02] जल संरक्षण योजना (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	5,600.00	175.24	175.24
पु.	- 5,424.76		..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,424.76 लाख का प्रावधान राजीव गांधी जल संचय योजना-द्वितीय चरण के कार्यान्वयन के लिए ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का देरी से अनुमोदन होने से निधियां जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	14,760.00	7,761.56	7,761.56
पु.	- 6,998.44		..
31 मार्च 2023 को ₹ 6,998.44 लाख का प्रावधान दिनांक 01.04.2022 को योजनान्तर्गत उपलब्ध अव्ययित राशि को दृष्टिगत रखते हुए एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दिशा-निर्देशानुसार अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[02] अनुदान			
मू.	2,000.00
पु.	- 2,000.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	2,38,077.00	85,867.97	85,867.97
पु.	- 1,52,209.03		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,52,209.03 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। भारत सरकार ने राज्य सरकार को नवीन लक्ष्य के स्थान पर 2021-22 के स्वीकृत प्रगतिशील आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	4,979.10		
पु.	- 560.23	4,418.87	4,418.87
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 560.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	446.26		
पु.	- 446.26
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 446.26 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	22,750.00		
पु.	- 14,616.10	8,133.90	8,133.90
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 14,616.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	910.00		
पु.	- 910.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 910.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	2,008.13		
पु.	- 1,028.67	979.46	979.46 ..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,028.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	19,916.40		
पु.	- 4,924.49	14,991.91	14,991.91 ..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,924.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	8,032.50		
पु.	- 4,114.71	3,917.79	3,917.79 ..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,114.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	74,686.50		
पु.	- 42,562.41	32,124.09	32,110.30 - 13.79
31 मार्च 2023 को ₹ 42,562.41 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 13.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	10,711.85
पु.	- 10,711.85		
₹ 10,711.85 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2023 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	30,121.88	14,683.61	14,674.25
पु.	- 15,438.27		- 9.36
31 मार्च 2023 को ₹ 15,438.27 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 9.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	350.00	70.00	70.00
पु.	- 280.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 280.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू.	2,000.00	200.00	200.00
पु.	- 1,800.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,800.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) ग्रामीण रोजगार हेतु राज्य अनुदान			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू.	4,000.00	97.84	97.84
पु.	- 3,902.16		..
31 मार्च 2023 को ₹ 3,902.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) यूनिट-II(नहर)-प्रतिबद्ध			
मू.	981.42		
पु.	- 173.74	807.68	807.68

₹ 173.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रिक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
मू.	161.76		
पु.	- 161.76

31 मार्च 2023 को ₹ 161.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) विद्युत शुल्क के प्रति अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	8,678.59		
पु.	- 8,678.59

31 मार्च 2023 को ₹ 8,678.59 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष के दौरान विद्युत बिलों के साथ उपभोक्ताओं से वसूले गए विद्युत शुल्क के एवज में विद्युत वितरण कंपनी को सहाय्य जारी नहीं किए जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) विद्युत शुल्क के प्रति अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	6,279.55		
पु.	- 6,279.55

31 मार्च 2023 को ₹ 6,279.55 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष के दौरान विद्युत बिलों के साथ उपभोक्ताओं से वसूले गए विद्युत शुल्क के एवज में विद्युत वितरण कंपनी को सहाय्य जारी नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	8,057.51
पु.	- 8,057.51

31 मार्च 2023 को ₹ 8,057.51 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष के दौरान विद्युत बिलों के साथ उपभोक्ताओं से वसूले गए विद्युत शुल्क के एवज में विद्युत वितरण कंपनी को सहाय्य जारी नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,710.55 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,346.96 लाख) किया गया।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	336.00
पु.	- 336.00

31 मार्च 2023 को ₹ 336.00 लाख का समस्त प्रावधान विद्युत वितरण कंपनी को कंपाउंडिंग शुल्क के एवज में सहाय्य जारी नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) ग्रिड से जुड़े हुए पम्प सेटों के सौर ऊर्जाकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	238.28
पु.	- 238.28

31 मार्च 2023 को ₹ 238.28 लाख का समस्त प्रावधान कृषक ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना के अंतर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
[01] महानगरों के अतिरिक्त शहरी सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
मू.	5,392.00
पु.	- 5,392.00

31 मार्च 2023 को ₹ 5,392.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू.	990.00	252.00	252.00
पु.	- 738.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 738.00 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.) के पास गत वर्ष की अव्ययित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[28] राजनेट			
मू.	1,800.00	1,008.00	1,008.00
पु.	- 792.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 792.00 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी और राजनेट परियोजना के अन्तर्गत राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के पास अव्ययित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[36] स्टार्ट अप			
मू.	280.00
पु.	- 280.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 280.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) वित्तीय सहायता के लिए स्टार्ट-अप के आवेदन अपेक्षित रूप से प्राप्त नहीं हुए, इसलिए स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाह भत्ता/सीड फण्ड/विपणन सहायता/तकनीकी निधि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने तथा (ii) कार्यशालाओं का कम आयोजन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजीव गांधी युवा कोर (आर. वाई. सी.)			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	1,060.00	443.01	443.01
पु.	- 616.99		..
31 मार्च 2023 को ₹ 616.99 लाख का प्रावधान (i) राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम देर से शुरू करने और अनुमान से कम प्रशिक्षुओं की संख्या के कारण मानदेय का कम भुगतान होने, (ii) निविदा प्रक्रिया में किसी भी फर्म की भागीदारी नहीं होने के कारण टैबलेट कंप्यूटर का क्रय नहीं होने तथा (iii) मोबाइल ऐप का मार्च, 2023 के अंतिम सप्ताह में भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
अ .	3,800.00
पु .	- 3,800.00		
सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,800.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन वर्ष की मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने हेतु लिया गया। यद्यपि, निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ₹ 3,800.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	242.10
पु .	- 242.10		
31 मार्च 2023 को ₹ 242.10 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू .	538.85
पु .	- 538.85		
31 मार्च 2023 को ₹ 538.85 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021			
[01] इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत सहायता			
मू .	675.00	175.46	175.46
पु .	- 499.54		..
31 मार्च 2023 को ₹ 499.54 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,000.00		
अ.	3,000.00	6,000.00	6,000.00
पु.	- 1,000.00		..

सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 3,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[06] राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद अंतर्गत अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टी.एस.पी.) पर व्यय			
मू.	320.95	624.26	624.26
पु.	303.31		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 303.31 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/संस्थापन			
[02] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	10,398.37		
अ.	0.01	13,852.05	13,825.68
पु.	3,453.67		- 26.37

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,453.67 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 26.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/संस्थापन			
[03] माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	9,600.00		
पु.	998.78		
		10,598.78	10,473.53
			- 125.25

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 998.78 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 125.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(14) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू.	0.01		
पु.	5,564.70		
		5,564.71	5,564.71
			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,564.70 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] खेल छात्रावासों का संचालन			
मू.	618.96		
पु.	254.74		
		873.70	871.99
			- 1.71

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 254.74 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	3,600.01		
पु.	6,348.03		
		9,948.04	9,911.38
			- 36.66

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,348.03 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 36.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	0.01		
पु.	2,696.49	2,696.50	2,681.33 - 15.77
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,696.49 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 15.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	1,571.59	2,687.00	2,686.99 - 0.01
पु.	1,115.41		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,115.41 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट उदघोषणा के अनुसार नवीन चिकित्सा संस्थानों के चालू करने के फलस्वरूप 309 नवसृजित पदों पर पदस्थापन के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	5,719.09	7,022.35	7,022.35 ..
पु.	1,303.26		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,303.26 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट उदघोषणा के अनुसार नवीन चिकित्सा संस्थानों के चालू करने के फलस्वरूप नवसृजित पदों पर पदस्थापन के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	1,200.00	1,499.57	1,499.57 ..
पु.	299.57		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 299.57 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	1,350.00		
		1,864.65	1,864.65
पु.	514.65		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 514.65 लाख की अतिरिक्त निधियां राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु, अध्ययन अवकाश वेतन बकाया (अर्द्ध छात्रवृत्ति) सी.एस.पी.जी. का भुगतान तथा मार्च, 2022 से पीजी छात्रों और प्रशिक्षुओं को वजीफा का बकाया भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय
समूह, अजमेर

मू.	650.81		
		923.95	923.95
पु.	273.14		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 273.14 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी
[01] सहायतार्थ अनुदान

मू.	4,650.00		
		5,583.76	5,622.25
पु.	933.76		+ 38.49

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 933.76 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 38.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

06. लोक स्वास्थ्य
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अनुदान

मू.	8,300.00		
		10,500.00	10,500.00
पु.	2,200.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,200.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत दवाओं एवं सर्जिकल टांके की मांग में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(48) इंदिरा गांधी रसोई योजना			
[03] जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
मू.	0.01	594.92	594.92
पु.	594.91		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 594.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[03] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (टी एस पी)			
मू.	1,968.08	2,809.76	2,809.76
पु.	841.68		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 841.68 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररुद्धार			
[03] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररुद्धार (टी एस पी)			
मू.	32.36	808.80	808.80
पु.	776.44		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 776.44 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(56) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (आई.ई.सी.)			
[03] स्थानीय निकाय विभाग (टी एस पी)			
अ.	0.01	163.67	163.67
पु.	163.66		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 163.66 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[06] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	720.95		
पु.	441.02	1,161.97	1,161.97
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 441.02 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(52) इंदिरा गांधी रसोई योजना			
[03] जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
मू.	0.01		
पु.	1,023.81	1,023.82	1,023.82
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,023.81 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार			
[03] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार (टी.एस.पी.)			
मू.	48.52		
पु.	1,164.68	1,213.20	1,213.20
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,164.68 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जनजाति के लिए सहयोग योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	1,100.00		
पु.	1,189.20	2,289.20	2,288.99
			- 0.21
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,189.20 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नई श्रेणियों को शामिल करने के परिणामस्वरूप अधिक आवेदन प्राप्त होने तथा कोरोना अवधि के पश्चात् अधिक विवाह होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जनजातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			

मू. 8,500.00

10,422.10

10,422.10

..

पु. 1,922.10

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,922.10 लाख की अतिरिक्त निधियां अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि ₹ 500 एवं ₹ 1,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 1,500 एवं ₹ 2,500 करने के कारण तथा तथा गत वर्ष की तुलना में मार्च, 2023 में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से

(09) अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुदान

मू. 400.00

834.50

834.50

..

पु. 434.50

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 434.50 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में शुरू होने के कारण गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)

[04] लोक स्वास्थ्य हेतु अनुदान

मू. 1,915.00

2,717.66

2,717.66

..

पु. 802.66

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 802.66 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)

[47] जनजाति विकास कोष अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य, डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, कुसुम, कौशल उन्नयन इत्यादि कार्यक्रम

मू. 1,800.00

6,964.05

6,964.05

..

पु. 5,164.05

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,164.05 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[48] जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रम			
मू.	350.00	1,975.48	1,975.48
पु.	1,625.48		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,625.48 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	582.11	753.84	747.58
पु.	171.73		- 6.26
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 171.73 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 6.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	1,741.00	2,910.33	2,909.60
पु.	1,169.33		- 0.73
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,169.33 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	786.61	1,039.89	1,039.54
पु.	253.28		- 0.35
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 253.28 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[06] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	31.00		
पु.	328.56	359.56	357.66
			- 1.90
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 328.56 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[07] महाविद्यालय स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	551.94	551.95	551.95
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 551.94 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[18] सहरिया के लिए एकीकृत विकास परियोजना हेतु अनुदान			
मू.	3,450.00		
पु.	680.05	4,130.05	4,130.05
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 680.05 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] महाविद्यालय स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	247.64	247.65	247.35
			- 0.30
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 247.64 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	1,801.00		
पु.	1,200.05		
	3,001.05	2,998.92	- 2.13

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.05 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(25) जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता			
[01] विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम			
मू.	2,000.00		
पु.	6,997.75		
	8,997.75	8,997.75	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,997.75 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[02] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (जनजाति क्षेत्र के लिए)			
मू.	674.00		
पु.	336.00		
	1,010.00	1,010.00	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 336.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[03] जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	409.00		
पु.	214.65	623.65	623.37
			- 0.28
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 214.65 लाख की अतिरिक्त निधियां साथिन (महिला सहायिका) को वास्तविक संख्या के अनुसार मानदेय का भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	20.00		
पु.	285.70	305.70	305.70
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 285.70 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) जीवन दुर्घटना बीमा योजना			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
मू.	2,700.00		
पु.	3,780.00	6,480.00	6,480.00
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,780.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अधिक दावें प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[08] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,320.00		
पु.	746.00	3,066.00	3,065.88
			- 0.12
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 746.00 लाख की अतिरिक्त निधियां आशा सहयोगिनी को मानदेय के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	15,000.00	16,810.92	16,810.87
पु.	1,810.92		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,810.92 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			- 0.05
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	1,283.94	1,523.08	1,523.02
पु.	239.14		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 239.14 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी यूनियन की दरों में वृद्धि एवं प्री-स्कूल किट के संबंध में गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			- 0.06
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	200.00	612.00	612.00
पु.	412.00		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 412.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) पशु पालन विभाग			
[02] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	1,986.58	2,818.54	2,818.15
पु.	831.96		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 831.96 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) पशुधन परिचारकों की नई भर्ती, पशुओं में गांठदार त्वचा रोग के कारण अनुबंध पर पशु चिकित्सकों और पशुधन परिचारकों की नियुक्ति और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद कार्मिकों को नियमित वेतनमान का भुगतान करने के कारण वेतन और भत्ते पर व्यय, (ii) मेडिकल केयर रिलीफ सोसाइटी के द्वारा विभागीय संस्थानों की मरम्मत और नवीकरण कार्य करने तथा (iii) पशुधन परिचर और जलधारी के रिक्त पदों के विरुद्ध होम गार्ड विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नागरिक स्वयंसेवकों को भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			- 0.39

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	2,112.81	2,936.45	2,936.45
पु.	823.64		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 823.64 लाख की अतिरिक्त निधियां पशुओं में गांठदार त्वचा रोग के इलाज पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2404. डेयरी विकास
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
- [01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान

मू.	14,000.00	16,000.00	16,000.00	..
पु.	2,000.00			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत पशुपालकों के लिए दूध की अनुदान राशि की दर ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 5 प्रति लीटर करने के फलस्वरूप राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (14) राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड
- [02] महिला निधि हेतु अनुदान (अनुसूचित जनजाति के लिए)

अ.	0.02	..	939.98	+ 939.98
पु.	- 0.02			

₹ 939.98 लाख बिना प्रावधान के व्यय करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान
- [05] सामान्य बुनियादी अनुदान (टाईड)
(अनुसूचित जनजातियों के लिए)

अ.	0.01	598.08	598.08	..
पु.	598.07			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 598.07 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[05] सामान्य बुनियादी अनुदान (टाईड)			
(अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
अ.	0.01		
		2,392.31	2,392.31
पु.	2,392.30		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,392.30 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[05] सामान्य बुनियादी अनुदान (टाईड)			
(अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
अ.	0.01		
		8,996.78	8,990.97
पु.	8,996.77		- 5.81
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,996.77 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 5.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	91,151.40		
		1,16,246.88	1,16,246.88
पु.	25,095.48		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	1,27,699.37		
		1,68,700.69	1,68,700.69
पु.	41,001.32		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	75,435.45		
पु.	23,878.59	99,314.04	99,314.04

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 89,975.39 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2022-23 में विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को दी गयी वास्तविक टैरिफ सहाय्य को राज्य सरकार द्वारा इन विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान के रूप में जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(07) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

मू.	979.61	1,375.07	1,375.07	..
पु.	395.46			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 395.46 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के क्रियान्वयन हेतु निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

मू.	0.01	471.07	471.07	..
पु.	471.06			

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

मू.	0.01	24,710.70	24,710.70	..
पु.	24,710.69			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,181.75 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित विद्युत् वितरण कंपनियों के 60 प्रतिशत नुकसान को अधिग्रहण करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		3,416.28	3,416.28
पु.	3,416.27		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		10,272.08	10,272.08
पु.	10,272.07		..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) विद्युत वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान) अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		4,511.64	4,511.64
पु.	4,511.63		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,199.97 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत वितरण निगमों को बकाया टैरिफ सहाय्य के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(05) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान

मू.	170.00		
		355.00	355.00
पु.	185.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण की उद्घोषणा के अनुसार खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(31) डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
अ.	0.05	187.18	187.18
पु.	187.13		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 187.13 लाख की अतिरिक्त निधियां डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) कार्मिक विभाग के माध्यम से			
[03] राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि के बजट मद 8229-200-06-01 में अन्तरण -टी.एस.पी.			
अ.	0.01	59,624.00	59,624.00
पु.	59,623.99		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59,623.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में किए गए प्रावधान के अनुसार राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि में निधियों के हस्तांतरण के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
अधिनियम के अनुच्छेद 6-ए के अनुसार, "किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां गत वर्ष की तुलना में 17.5 प्रतिशत से अधिक और कोई अन्य राजस्व प्राप्तियां, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे, यदि राज्य विधानमंडल इस संबंध में विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा, आगामी वर्ष में निधि में जमा की जाएगी।"			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	1,285.07	2,437.37	2,437.37
पु.	1,152.30		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,152.30 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) कुछ रिक्त पदों को भरने, (ii) डिगफेस्ट जयपुर और डिगफेस्ट जोधपुर का आयोजन करने तथा (iii) डिगफेस्ट जोधपुर के तहत राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के लिए विज्ञापन का भुगतान करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] जी. आई. एस.			
मू.	66.00	349.99	349.99
पु.	283.99		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 283.99 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जीआईएस प्लेटफॉर्म और आर्कजीआईएस का नवीकरण और रखरखाव, (ii) स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन प्लेटफॉर्म की स्थापना और रखरखाव, (iii) जीआईएस आधारित वेब एप्लिकेशन/मोबाइल ऐप और कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव और विकास, (iv) जीआईएस के लिए विशेषज्ञ सेवाएं, (v) जयपुर के 3डी शहर का कार्यान्वयन तथा (vi) नए कार्यों के साथ भवन योजना अनुमोदन प्रणाली का रखरखाव जैसे (ए) डिजिटल संग्रहालय की स्थापना, जीआईएस आधारित वेब एप्लिकेशन/मोबाइल ऐप के विकास और रखरखाव के लिए विशेषज्ञ सेवाओं की नियुक्ति, (बी) ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर)/वर्चुअल रियलिटी (वीआर) पहल/प्रौद्योगिकियों की विभिन्न घटनाओं की प्रदर्शनी, (सी) कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की खरीद, (डी) उपग्रह इमेजरी और छवि प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण और रखरखाव और (ई) अन्य सॉफ्टवेयर उपकरण/प्लेटफॉर्म/सेवाएँ का क्रय करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू.	392.00	887.00	887.00
पु.	495.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 495.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा के अनुपालन में सीएम हेल्पलाइन 181 को मजबूत करने के लिए कॉल सेंटर की सीटें 400 से बढ़ाकर 1,000 सीटें करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) राजस्थान जन आधार योजना			
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण			
मू.	2,040.00	2,700.00	2,700.00
पु.	660.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 660.00 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जन आधार कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सॉफ्टवेयर में संशोधन, जन आधार एप्लिकेशन के विकास, प्लेटफॉर्म पर माइग्रेसन आदि पर व्यय के लिए राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को निधियां जारी करने, (ii) भारतीय डाक विभाग के द्वारा जन आधार कार्ड के वितरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति तथा (iii) रिक्त पदों को भरने के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	4,494.50	6,083.00	6,083.00
पु.	1,588.50		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	5,000.00		
		9,232.19	+ 0.01
पु.	4,232.19	9,232.20	

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,820.69 लाख की अतिरिक्त निधियां कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को वर्ष 2022-23 तक बढ़ाये जाने के कारण निःशुल्क गेहूं वितरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन/कटौती अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[03] समग्र शिक्षा अंतर्गत के जनजातीय क्षेत्र उपयोजना पर व्यय			
मू.	1,39,855.01		
		1,41,979.34	- 27,515.57
पु.	2,124.33	1,14,463.77	

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,124.33 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 27,515.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,645.40		
		..	+ 7,802.92
पु.	- 7,645.40	7,802.92	

31 मार्च 2023 को ₹ 7,645.40 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 7,802.92 लाख का व्यय बिना प्रावधान करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 2,68,489.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2022 (₹ 30,000.21 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 0.18 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 30,000.39 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 2,68,489.45 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 640.05 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 77,881.07 लाख, ₹ 63,792.59 लाख, ₹ 1,27,929.14 लाख, ₹ 66,786.18 लाख तथा ₹ 2,68,489.45 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.34 प्रतिशत से 42.25 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 1,250.00	847.96	847.96	..
पु. - 402.04			
31 मार्च 2023 को ₹ 402.04 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू. 1,524.98	1,015.93	1,015.93	..
पु. - 509.05			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू. 859.00	600.00	600.00	..
पु. - 259.00			

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 768.05 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) न्यायिक भवन (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना)			
मू.	2,500.00		
		1,034.66	1,034.66
पु.	- 1,465.34		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,465.34 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माध्यमिक शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			

मू.	1,526.85		
	
पु.	- 1,526.85		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,526.85 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य			

मू.	440.00		
	
पु.	- 440.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 440.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			

मू.	362.00		
	
पु.	- 362.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 362.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	405.00
पु.	- 405.00
31 मार्च 2023 को ₹ 405.00 लाख का समस्त प्रावधान नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा में निर्माण कार्य पर व्यय			
मू.	2,600.00
पु.	- 2,600.00
31 मार्च 2023 को ₹ 2,600 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	9,500.00	1,275.23	..
पु.	- 8,224.77	1,275.23	..
31 मार्च 2023 को ₹ 8,224.77 लाख का समस्त प्रावधान नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा			
[01] गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में निर्माण कार्य			
मू.	500.00	312.50	..
पु.	- 187.50	312.50	..
31 मार्च 2023 को ₹ 187.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	682.14		
पु.	- 314.47	367.67	367.67
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 314.47 लाख का प्रावधान राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सीकर एवं उदयपुर के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	312.33		
पु.	- 312.33
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 312.33 लाख का समस्त प्रावधान समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप मशीनरी एवं उपकरणों का क्रय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	668.00		
पु.	- 294.83	373.17	373.17
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 294.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)			
मू.	5,421.00		
पु.	- 3,303.82	2,117.18	2,117.18
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 3,303.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	495.01		
		200.27	177.23
			- 23.04
पु.	- 294.74		

31 मार्च 2023 को ₹ 294.74 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती करने, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति तथा उपकरणों के क्रय के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 23.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	410.00		
		187.58	186.78
			- 0.80
पु.	- 222.42		

31 मार्च 2023 को ₹ 222.42 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने तथा मशीनरी एवं उपकरणों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,500.00		
		756.28	756.28
			..
पु.	- 1,743.72		

31 मार्च 2023 को ₹ 1,743.72 लाख का प्रावधान लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन क्रय के लिए भारत सरकार से कम निधिया प्राप्त होने तथा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और माइक्रोवेव एब्लेशन मशीन के लिए सिंगल पैनल सीलिंग माउंटेड डी.एस.ए. की आपूर्ति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	297.00		
	
			..
पु.	- 297.00		

31 मार्च 2023 को ₹ 297.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[02] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज			
मू.	360.59
पु.	- 360.59		
31 मार्च 2023 को ₹ 360.59 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	1,100.00	396.58	364.76 - 31.82
पु.	- 703.42		
31 मार्च 2023 को ₹ 703.42 लाख का प्रावधान नवीन कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
₹ 31.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	4,900.00	2,940.00	2,940.00 ..
पु.	- 1,960.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 1,960.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III।			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	150.01
पु.	- 150.01		
31 मार्च 2023 को ₹ 150.01 लाख का समस्त प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी एच.एस.सी.सी. लिमिटेड/एच.आई.टी.ई.एस. को निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । कार्य की समीक्षा के बाद किए गए कार्य के अनुपात में कार्यकारी एजेंसी को भुगतान किया जाना था।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	650.00		
		380.00	380.00
पु.	- 270.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 270.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	1,800.00		
		1,100.00	1,098.84
पु.	- 700.00		- 1.16
31 मार्च 2023 को ₹ 700.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंतिम घण्टों में निधियां हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	5,500.02		
		3,300.01	3,300.01
पु.	- 2,200.01		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,200.01 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	800.00		
		480.00	480.00
पु.	- 320.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 320.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू.	1,650.00
पु.	- 1,650.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,650.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	22,500.00	13,530.00	13,530.00
अ.	0.01		..
पु.	- 8,970.01		..
₹ 8,970.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	1,000.01
पु.	- 1,000.01
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	17,050.75	7,112.82	7,084.42
पु.	- 9,937.93		- 28.40
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-II			
मू.	358.62	36.27	36.27
पु.	- 322.35		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[52] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,085.61	1,183.49	1,156.32
पु.	- 2,902.12		- 27.17
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[76] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	2,092.17	1,636.19	1,636.19
पु.	- 455.98		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[89] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXVI)			
मू.	441.83	253.80	253.80
पु.	- 188.03		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[94] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXV)			
मू.	261.66	1.16	1.16
पु.	- 260.50		..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 14,066.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "4215-01-796(01) [01] और [52]" के अंतर्गत ₹ 55.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[81] गरडदा पेयजल परियोजना			
मू.	581.76
पु.	- 581.76		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[93] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXIV)			
मू.	889.23
पु.	- 889.23
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,470.99 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	7,673.08	6,684.21	6,511.15
पु.	- 988.87		- 173.06
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	472.50	258.33	258.33
पु.	- 214.17		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	324.00	99.88	99.88
पु.	- 224.12		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना- द्वितीय चरण (शहरी)			
मू.	1,240.87	924.52	549.68
पु.	- 316.35		- 374.84

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[61] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना, चरण तृतीय (शहरी)			
मू.	5,038.05	2,843.30	2,843.30
पु.	- 2,194.75		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले को हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	345.81	154.27	154.27
पु.	- 191.54		..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 4,129.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "4215-01-796(02) [02] और [58]" के अंतर्गत ₹ 547.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[17] बौराबास मंडाना जल प्रदाय योजना			
मू.	202.89
पु.	- 202.89		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[45] ईसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	360.22
पु.	- 360.22		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 563.11 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[65] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू.	805.11
पु.	- 805.11		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[67] चुरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरु बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (शहरी भाग)			
मू.	324.64
पु.	- 324.64
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,129.75 लाख का समस्त प्रावधान योजना को बन्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	17,732.83	6.75	6.75
पु.	- 17,726.08
31 मार्च 2023 को ₹ 17,726.08 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 17,726.07 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[03] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू.	199.47
पु.	- 199.47
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जल जीवन मिशन			
[04] चुरु-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू.	239.80
पु.	- 239.80

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबार्ड)			
मू.	166.23
पु.	- 166.23
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[08] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन ब्यावर-जवाजा			
मू.	831.09
पु.	- 831.09
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[09] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू.	239.80
पु.	- 239.80
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[10] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	166.23
पु.	- 166.23
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	2,356.66
पु.	- 2,356.66
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[12] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग- द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	415.55
पु.	- 415.55

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[13] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	183.45
पु.	- 183.45
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[14] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू.	322.22
पु.	- 322.22
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[15] बाडमेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	166.23
पु.	- 166.23
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	498.66
पु.	- 498.66
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[18] जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू.	415.55
पु.	- 415.55

उपरोक्त तेरह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 6,200.94 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[19] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू.	2,807.81	61.56	61.56
पु.	- 2,746.25		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,746.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[21] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	166.23
पु.	- 166.23		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू.	498.66
पु.	- 498.66		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[23] झुन्झुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चुरु बिसाउ परियोजना			
मू.	332.44
पु.	- 332.44		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू.	249.34
पु.	- 249.34		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[28] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना			
मू.	2,493.26
पु.	- 2,493.26
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[29] पाली जिले के सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई.जी.एन.पी. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू.	249.34
पु.	- 249.34
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[30] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले की हिंडौली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	899.21
पु.	- 899.21
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[31] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू.	2,493.26
पु.	- 2,493.26

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 7,381.74 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[32] वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एच.एफ.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
मू.	6,068.35	1,391.00	1,391.00
पु.	- 4,677.35		..
₹ 4,677.35 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[33] बीकानेर जिले की डूंगरगढ कस्बा तथा श्री डूंगरगढ तथा लुणकरणसर ब्लॉक के 108 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	498.66
पु.	- 498.66		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[34] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
मू.	415.55
पु.	- 415.55		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[35] चुरू जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरू बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (ग्रामीण भाग)			
मू.	166.23
पु.	- 166.23		..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[36] झालावाड़ जिले की राजगढ़ बांध से झालारापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)			
मू.	166.23
पु.	- 166.23
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[37] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू.	166.23
पु.	- 166.23
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[38] जिले की शिवगंज तहसील के 70 ग्रामों को जवाई बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने			
मू.	166.23
पु.	- 166.23
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[39] जोधपुर जिले की क्षेत्रीय जल प्रदाय भेर हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू.	415.55
पु.	- 415.55
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[41] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ़ तहसील की चम्बल भीलवाडा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	474.99
पु.	- 474.99

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[42] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना			
मू.	498.66
पु.	- 498.66
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[43] जल जीवन मिशन के तहत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन संरचना एवं केकडी सरवाड पेयजल योजना का संवर्धन एवं सुदृढीकरण			
मू.	299.75
पु.	- 299.75
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जल जीवन मिशन			
[44] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग-'अ'			
मू.	197.83
पु.	- 197.83
उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 3,465.91 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) न्यायिक आवास			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता सा.नि.वि. के माध्यम से)			
मू.	700.00	272.40	272.40
पु.	- 427.60		..
31 मार्च 2023 को ₹ 427.60 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,315.70	349.85	349.85
पु.	- 965.85		
31 मार्च 2023 को ₹ 965.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	539.20	370.70	370.70
पु.	- 168.50		
31 मार्च 2023 को ₹ 168.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	3,235.20	1,758.28	1,758.28
पु.	- 1,476.92		
31 मार्च 2023 को ₹ 1,476.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	2,129.80	1,064.90	1,064.90
पु.	- 1,064.90		
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	2,129.80	1,064.90	1,064.90
पु.	- 1,064.90		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	2,129.80		
		1,064.90	1,064.90
पु.	- 1,064.90		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 3,194.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

राज्य सरकार ने इन कंपनियों को निवेश या अनुदान जारी करने के बजाय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कंपनियों (कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत) को निधियां जारी करने के लिए 2021-22 के दौरान पूंजी अनुभाग के तहत उपरोक्त शीर्ष खोले गये।

स्मार्ट सिटी योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार या तो कंपनियों में शेयर पूंजी के द्वारा निवेश कर सकती है या उन्हें अनुदान जारी कर सकती है। इसलिए राज्य सरकार की उपरोक्त कार्रवाई सरकारी लेखा नियम 1990, स्मार्ट सिटी योजना के दिशानिर्देश और भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस)-.2 के अनुरूप नहीं है। यद्यपि, इस मुद्दे को इस अनुदान के द्वारा 2021-22 में उजागर किया गया था, यद्यपि, राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान भी इन मदों के तहत प्रावधान किया है।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(09) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से

मू.	2,000.00			
	
पु.	- 2,000.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को बन्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)
- [01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण

मू.	4,940.00			
		4,140.00	4,140.00	..
पु.	- 800.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 800.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[22] संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत जनजाति विकास हेतु अन्य पूंजीगत कार्यक्रम			
मू.	1,800.00	414.00	414.00
पु.	- 1,386.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,386.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹ 414.00 लाख का समस्त व्यय 31.03.2023 को आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, उदयपुर के निजी निक्षेप खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[10] कार्यालय भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण मय जनरेटर सेट			
मू.	250.00
पु.	- 250.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना को बन्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[28] धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण कार्य			
मू.	300.00	174.19	144.37
पु.	- 125.81		- 29.82

31 मार्च 2023 को ₹ 125.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 29.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23) सहरिया विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम			
[02] आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	1,000.01
पु.	- 1,000.01
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.01 लाख का समस्त प्रावधान योजना को बन्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(30) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास			
[01] पीबीटीजी विकास अंतर्गत आधारभूत विकास के कार्यक्रम			
मू.	761.91	59.38	59.38
पु.	- 702.53
31 मार्च 2023 को ₹ 702.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	160.00
पु.	- 160.00
31 मार्च 2023 को ₹ 160.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,200.00	1,891.92	1,891.92
पु.	- 308.08
31 मार्च 2023 को ₹ 308.08 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	500.00		
पु.	- 304.87	195.13	195.13
31 मार्च 2023 को ₹ 304.87 लाख का प्रावधान योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते को निधियां कम हस्तान्तरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि योजना की द्वितीय किश्त 29.03.2023 को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	900.00		
पु.	- 900.00
31 मार्च 2023 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उप-केन्द्रों/औषधालयों का निर्माण-नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,000.00		
पु.	- 750.00	250.00	250.00
31 मार्च 2023 को ₹ 750.00 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों का निर्माण			
[01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी-XXVII			
मू.	200.00		
पु.	- 200.00
31 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नंदीशाला योजना			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना			
मू.	5,700.00		
पु.	- 5,700.00
31 मार्च 2023 को ₹ 5,700.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) प्राकृतिक अनुभव केन्द्र			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	1,260.00
पु.	- 1,260.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 1,260.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना को बन्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	963.00
पु.	- 963.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 963.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा कार्यो/ नई स्वीकृतियों पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) माही केनाल सिस्टम का उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	14,200.00	5,404.75	5,404.75
पु.	- 8,795.25		..
31 मार्च 2023 को ₹ 8,795.25 लाख का प्रावधान कार्यो के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निर्माण कार्य	मू. 11,382.00 पु. - 4,080.73	7,301.27	7,301.27 ..
₹ 4,080.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
34. धोलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निर्माण कार्य	मू. 3,500.00 पु. - 1,880.27	1,619.73	1,619.73 ..
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निर्माण कार्य [03] निर्माण कार्य	मू. 3,159.28 पु. - 2,824.80	334.48	334.48 ..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 4,705.07 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
44. हाई लेवल कैनाल ऑन नांगलिया पिकअप वियर (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निदेशन तथा प्रशासन [01] निर्माण कार्य	मू. 11,000.00 पु. - 11,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 11,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
45. अपर हाई लेवल कैनाल ऑन माही डेम (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (01) निदेशन तथा प्रशासन [01] निर्माण कार्य	मू. 20,000.00 पु. - 17,669.93	2,330.07	2,330.07 ..
₹ 17,669.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	6,520.83	4,245.10	4,245.10
पु.	- 2,275.73		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,275.73 लाख का प्रावधान परियोजना की संशोधित वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप कार्य आदेश देरी से जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,100.00	780.30	780.30
पु.	- 319.70		..
31 मार्च 2023 को ₹ 319.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	1,368.99	272.48	272.48
पु.	- 1,096.51		..
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) गागरिन परियोजना			
मू.	560.00	195.92	195.92
पु.	- 364.08		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,460.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,702.00	885.44	885.44
पु.	- 1,816.56		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,816.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	7,253.52	683.35	683.34
पु.	- 6,570.17		- 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 6,570.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[06] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV			
मू.	1,100.00	805.77	805.77
पु.	- 294.23		..
31 मार्च 2023 को ₹ 294.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	11,077.06	9,751.88	9,751.88
पु.	- 1,325.18		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,325.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[03] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI			
मू.	1,302.14		
		640.14	640.14
पु.	- 662.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 662.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/ आधुनिकीकरण, नवीनीकरण			
मू.	868.00		
		245.58	245.57
पु.	- 622.42		- 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 622.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा तदानुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	348.29		
		11.76	11.76
पु.	- 336.53		..
31 मार्च 2023 को ₹ 336.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू.	3,759.00		
		1,050.58	1,050.58
पु.	- 2,708.42		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,708.42 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर			
मू.	2,000.01		
पु.	- 1,999.83	0.18	0.18
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,999.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	4,374.72		
पु.	- 4,003.58	371.14	371.14
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,940.00		
पु.	- 2,158.38	781.62	781.62
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,502.76		
पु.	- 4,827.76	3,675.00	3,675.00
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,029.00		
पु.	- 6,119.68	1,909.32	1,909.32
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,558.20		
पु.	- 6,707.96	1,850.24	1,850.24
			..

उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 23,817.36 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनियों द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[03] रिफायनरी (टी एस पी)			
मू.	39,500.00	24,000.00	24,000.00
पु.	- 15,500.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 15,500.00 लाख का प्रावधान एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफायनरी में किए गए व्यय के अनुसार निवेश किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	400.00	163.76	163.76
पु.	- 236.24		..
31 मार्च 2023 को ₹ 236.24 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	196.00
पु.	- 196.00		..
31 मार्च 2023 को ₹196.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वासि केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वासि केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2017-18 से 2021-22 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	6,874.80	810.38	810.21
पु.	- 6,064.42		- 0.17

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	262.85		
पु.	- 242.37	20.48	+ 1.30
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	12,850.75		
पु.	- 6,457.43	6,393.32	- 33.79
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	16,265.83		
पु.	- 12,697.03	3,568.80	- 1.43
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	11,997.20		
पु.	- 4,099.22	7,897.98	- 5.20
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,248.00		
पु.	- 539.46	708.54	708.54

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 30,099.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "5054-03-796 (10) और 04-796(04) [16]" के अंतर्गत ₹ 38.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	18,737.20		
पु.	- 14,343.87	4,393.33	4,393.33
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 14,343.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	1,616.64		
पु.	- 1,283.30	333.34	333.34
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,283.30 लाख का प्रावधान पर्यटन विकास कोष से विकास कार्यों के लिए कम स्वीकृति जारी होने और विकास कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए ₹ 333.34 लाख का समस्त व्यय मार्च, 2023 के अंतिम कार्य दिवसों में लेखों में अंतिम व्यय के रूप में लेखांकित करते हुए निजी निक्षेप खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	1,149.33		
पु.	- 1,120.39	28.94	28.94
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,120.39 लाख का प्रावधान (i) पर्यटन विकास कोष से विकास कार्यों हेतु व्यय किये जाने के कारण निधियों की बचत रही, (ii) विकास कार्यों की स्क्रिप्ट में संशोधन के कारण भरतपुर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन नहीं होने तथा (iii) मंडल तालाब पर बनी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए स्वीकृति कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	5,000.01		
पु.	- 894.38	4,105.63	4,105.63
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 894.38 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-सी.ए.टी.)			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	511.00		
पु.	- 319.00	192.00	192.00 ..

31 मार्च 2023 को ₹ 319.00 लाख का प्रावधान राजस्थान सोसायटी अधिनियम के तहत राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के पंजीकरण में देरी के कारण सॉफ्टवेयर लाइसेंस/उपकरण का क्रय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(09) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू.	24,000.00		
अ.	30,000.00
पु.	- 54,000.00		

सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 30,000.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल की मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने हेतु लिया गया। यद्यपि, निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ₹ 54,000.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित (₹ 7,800.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 46,200.00 लाख) किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महाविद्यालय शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,600.00		
पु.	1,568.57	4,168.57	4,168.57 ..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,568.57 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) निर्माण कार्य-आयुर्वेद विभाग			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	0.01		
पु.	359.99	360.00	360.00
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 359.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नवीन आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालयों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
अ.	0.01		
पु.	1,824.41	1,824.42	1,824.42
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,824.41 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,190.00		
पु.	633.26	1,823.26	1,823.26
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,288.00		
पु.	318.50	1,606.50	1,606.50

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 951.76 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड-28 चरण-I के तहत 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और नाबार्ड-28 चरण-II के तहत 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सिविल कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	895.01	3,164.36	3,164.36
पु.	2,269.35		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,269.35 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	1,647.52	1,955.11	1,955.11
पु.	307.59		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 307.59 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) ट्रॉमा अस्पताल और कमला नेहरू टी.बी. अस्पताल का निर्माण कराने तथा (ii) हॉस्टल और चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह में नवीनीकरण और पुनरुद्धार हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	85.01	966.14	966.14
पु.	881.13		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 881.13 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) पी.एम.एस.एस.वाई के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	0.02	168.00	168.00
पु.	167.98		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 167.98 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया दायित्वों का भुगतान करने, नेटवर्किंग और ई.पी.बी.एक्स. कार्य और फिक्स्ड फर्नीचर के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को निधियों का हस्तांतरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,893.49		
पु.	443.80		
		2,337.29	2,336.68
			- 0.61
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 443.80 लाख की अतिरिक्त निधियां एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में आई.पी.डी टावर के निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	500.01		
पु.	399.04		
		899.05	899.05
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 399.04 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षेत्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[58] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	71.80		
पु.	214.02		
		285.82	285.82
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[84] झूगरपुर आसपुर और दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	0.02		
पु.	853.43		
		853.45	853.45
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[04] जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना			
मू.	4.46		
पु.	5,241.25		
		5,245.71	5,245.71
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	338.11	552.72	552.72
पु.	214.61		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,523.31 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[02] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण			
मू.	6,500.00	8,491.61	8,491.61
पु.	1,991.61		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,991.61 लाख की अतिरिक्त निधियां विभिन्न विकास कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[03] आर.यू.आई.डी.पी. चतुर्थ चरण ट्रांच 2 (ई.ए.पी.)			
अ.	0.01	153.50	153.50
पु.	153.49		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 153.49 लाख की अतिरिक्त निधियां विभिन्न सीवरेज, जलपूर्ति और जल निकासी कार्यों में त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोग्राम लोन)			
मू.	4,000.00	5,967.88	5,967.88
पु.	1,967.88		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,967.88 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) कोटा में सीवरेज लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिंग स्टेशन एवं हाउस सीवरेज कनेक्शन से संबंधित कार्यों, (ii) संप वेल इनलेट चैंबर, पंपिंग स्टेशन एवं पंपिंग मेन लाइन आदि से संबंधित कार्यों, बीकानेर में चांदमल का बाग में जलभराव की समस्या का समाधान हेतु तथा (iii) सवाईमाधोपुर और उदयपुर में सीवर लाइन चालू करने हेतु त्वरित गति के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.02		
		3,070.47	3,070.47
पु.	3,070.45		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,070.45 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू.	0.01		
		1,191.17	1,191.17
पु.	1,191.16		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,191.16 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से विशेष/अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
₹ 1,191.17 लाख के कुल व्यय में से, ₹ 592.00 लाख 31.03.2023 को आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, उदयपुर के निक्षेप खाते में स्थानांतरित किये गये।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू.	72.00		
		1,188.00	1,188.00
पु.	1,116.00		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,116.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से विशेष/अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
₹ 1,188.00 लाख के कुल व्यय में से, ₹ 653.00 लाख 31.03.2023 को आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, उदयपुर के निक्षेप खाते में स्थानांतरित किये गये।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[02] जनजातीय लड़कों और लड़कियों के छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू.	200.00		
पु.	220.00	420.00	420.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[14] माँ-बाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण			
मू.	100.00		
पु.	500.00	600.00	600.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[23] छात्रावास भवनों में सोलर लाईट व पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	464.99	465.00	465.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[32] सड़क एवं पुलिया निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	1,021.99	1,022.00	1,022.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[34] जनजाति विकास कोष अंतर्गत जनजाति भागीदारी योजना से आधारभूत सुविधाओं का विकास			
अ.	1,000.00		
पु.	1,999.81	2,999.81	2,950.00
			- 49.81

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[35] जनजाति विकास कोष अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना			
मू.	0.01	250.00	250.00
पु.	249.99		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जन जाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जन जाति कल्याण निधि)			
[36] जनजाति कल्याण निधि मद अंतर्गत अन्य पूंजीगत कार्य			
मू.	0.01	5,130.00	5,130.00
पु.	5,129.99		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) विखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावास भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	500.00	1,246.34	1,205.49
पु.	746.34		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(29) जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता			
[01] विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत जनजाति विकास कार्यक्रम के तहत आधारभूत सुविधाओं का विकास			
मू.	7,000.00	13,496.62	13,496.62
पु.	6,496.62		

उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,829.73 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "4225-02-796(20)[34] एवं (22) [02]" के अंतर्गत ₹ 90.66 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) पशु चिकित्सा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर			
मू.	0.01		
		600.00	600.00
पु.	599.99		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 599.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (स्वायत्त निकाय) को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के स्थान पर पूंजीगत प्रकृति के व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। माह फरवरी, 2023 में ₹ 600.00 लाख का समस्त व्यय लेखों में अंतिम व्यय के रूप में लेखांकित करते हुए विश्वविद्यालय के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित किए गए।

इस स्वायत्त संस्थान के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा शीर्ष खोला गया था। प्रारंभ में उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्ष के तहत किया गया था, इसलिए इस पूंजीगत शीर्ष को खोलने की सहमति कार्यालय महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वारा नहीं दी गई थी क्योंकि उस वर्ष में निधियां राजस्व व्यय शीर्ष के तहत अनुदान के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वायत्त संस्थान/निकाय को जारी की जानी चाहिए थी।

2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्ष के तहत प्रावधान तथा व्यय दर्ज किया। यह जी.एफ.एण्ड ए.आर., सरकारी लेखा नियम, 1990 और भारतीय सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस)-2 के प्रतिकूल व्यय के गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	0.01		
		478.57	444.82
पु.	478.56		- 33.75

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 478.56 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 33.75 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डांग जिले			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] डांग क्षेत्र का विकास			
मू.	129.00		
		347.60	347.60
पु.	218.60		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 218.60 लाख की अतिरिक्त निधियां डांग क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों की सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[03] दाईं मुख्य नहर-आर.आई.डी.एफ.-XXII			
मू.	176.00		
पु.	257.35	433.35	433.35
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[09] बाईं मुख्य नहर-आर.आई.डी.एफ.-XXV			
मू.	494.00		
पु.	197.39	691.39	691.39
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 454.74 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु तथा व्यय में 13 प्रतिशत आनुपातिक शुल्क शामिल करना जो कि मूल अनुमान में शामिल नहीं था, हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	7.00		
पु.	735.64	742.64	742.64
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 735.64 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड में विनियोजन			
[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	2,799.99	2,800.00	2,800.00
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,799.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI			
मू.	435.47		
पु.	439.56	875.03	875.03
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 439.56 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/ (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,033.20		
पु.	1,112.80	2,146.00	2,146.00 ..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य			
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,640.00		
पु.	525.49	2,165.49	2,165.49 ..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,638.29 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) शहरी हाट निर्माण			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	30.01		
पु.	159.99	190.00	190.00 ..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 159.99 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जयपुर में शहरी हाट के विकास और आधुनिक संग्रहालय की स्थापना के लिए आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण के निजी निक्षेप खाते में निधियां हस्तांतरण करने तथा (ii) सीकर हाट से संबंधित अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजी निक्षेप खाते में निधियां हस्तांतरण करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	674.00		
पु.	177.53	851.53	851.53 ..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) शहरी सड़कें			
मू.	674.00		
		1,118.86	
पु.	444.86	1,118.86	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 622.39 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,548.80		
		10,702.55	
पु.	3,153.75	10,801.38	+ 98.83
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,153.75 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 98.83 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	10,784.00		
		12,071.62	
पु.	1,287.62	12,071.62	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,287.62 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	374.40		
		761.54	
पु.	387.14	754.60	- 6.94

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू.	2,022.00	4,818.36	4,806.91
पु.	2,796.36		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,381.00	10,252.13	10,247.60
पु.	5,871.13		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	65.00	250.93	250.93
पु.	185.93		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	17,524.00	22,664.66	22,663.04
पु.	5,140.66		
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	819.00	1,210.72	1,210.72
पु.	391.72		

उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,381.22 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-04-796(06)[15], (07) तथा (08) [90] " के अन्तर्गत ₹ 22.92 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 391.72 लाख की अतिरिक्त निधियां वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली, 3डी होलोग्राफिक परियोजना, ई-पंचायत, जन आधार ईवॉलेट, एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना तथा डिजिटल लाइब्रेरी आदि जैसी बैंक-एण्ड और नई परियोजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	900.00		
पु.	1,102.00	2,002.00	2,002.00
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,102.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियों के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	840.00		
पु.	274.00	1,114.00	1,114.00
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 274.00 लाख की अतिरिक्त निधियां ई-साइन परियोजना पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी हेतु कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	140.00		
पु.	187.63	327.63	327.63
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 187.63 लाख की अतिरिक्त निधियां के.एफ.डब्ल्यू. से राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (समाप्त)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 2022-23 के दौरान प्रावधान किया था, जिस पर 2021-22 के दौरान कार्यालय महालेखाकार द्वारा आपत्ति जताई गई थी और इस शीर्ष को संचालित करने के लिए कोई सहमति नहीं दी थी क्योंकि इस स्वायत्त संस्थान के तहत दर्ज व्यय राजस्व प्रकृति का व्यय है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[04] झालावाड़ अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय			
मू.	67.42	50.55	50.55
पु.	- 16.47		..

इस स्वायत्त संस्थान के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा शीर्ष खोला गया था। प्रारंभ में उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्ष के तहत किया गया था, इसलिए इस पूंजीगत शीर्ष को खोलने की सहमति इस वर्ष में कार्यालय महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वारा नहीं दी गई थी।

2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्ष के तहत प्रावधान तथा व्यय दर्ज किया। यह जी.एफ.एण्ड ए.आर., सरकारी लेखा नियम, 1990 और भारतीय सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस)-2 के उल्लंघन में व्यय के गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 032 - नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3456. सिविल पूर्ति और
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,84,19,31			
अनुपूरक	2,95,64,54	7,79,83,85	7,25,15,38	- 54,68,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				54,68,44
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,76,01			
अनुपूरक	..	4,76,01	85,51	- 3,90,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3,90,49

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 5,468.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों के परिवहन, संग्रहण एवं वितरण तथा रिक्त पदों को भरने की प्रत्याशा में व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 29,564.54 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 032 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[02] जिला कर्मचारी वर्ग- प्रतिबद्ध			
मू .	3,439.53		
अ.	201.01	3,128.73	3,128.72
पु .	- 511.81		- 0.01

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः रिक्त पदों को भरने की प्रत्याशा में वेतन एवं भत्तों पर व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया ₹ 201.01 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 511.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[07] उपभोक्ता संरक्षण- प्रतिबद्ध			
मू .	3,339.10		
अ.	450.00	2,998.39	2,998.40
पु .	- 790.71		+0.01

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः रिक्त पदों को भरने की प्रत्याशा में वेतन एवं भत्तों पर व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया ₹ 450.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 790.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के 16 पदों तथा सदस्यों के 10 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[01] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू .	8,740.50		
अ.	2,810.00	8,843.97	8,843.96
पु .	- 2,706.53		- 0.01

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न के परिवहन, संग्रहण और वितरण पर व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया ₹ 2,810.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 2,706.53 लाख का प्रावधान (i) इस योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त गेहूँ का वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल किया गया, (ii) कोविड-19 को देखते हुए वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने और (iii) मार्च, 2023 के अन्तिम कार्य दिवसों में कोषालय द्वारा बिलों को पास नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,662.59 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 43.94 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 339.28 लाख, ₹ 385.84 लाख, ₹ 340.41 लाख, ₹ 290.56 लाख तथा ₹ 390.50 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 80.17 प्रतिशत से 99.47 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये ।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(09) उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण			
मू.	419.97	81.04	81.04
पु.	- 338.93		
₹ 338.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जयपुर एवं कोटा में भूमि का आवंटन नहीं होने एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निधियों के उपयोग नहीं करने को आरोपित की गयी ।			

102. नागरिक आपूर्ति
- (11) भार एवं माप
- [01] उपभोक्ता मामले

मू.	56.02	3.63	3.63
पु.	- 52.39		

31 मार्च 2023 को ₹ 52.39 लाख का प्रावधान लीगल मेट्रोलॉजी सेल के ई-तुलामान पोर्टल की तैयारी एवं अद्यतन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
 2236. पोषण
 पूंजी - 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,13,83,32,92	1,39,52,81,36	1,28,90,78,62 - 10,62,02,74
अनुपूरक	25,69,48,44		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			10,61,70,12
प्रभारित			
मूल	30	1,17	91 - 26
अनुपूरक	87		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			26
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2,47,96,15	2,75,66,45	2,13,02,04 - 62,64,41
अनुपूरक	27,70,30		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			62,60,29
टिप्पणियां तथा टीकाएं :			
राजस्व			
दत्तमत			
1. ₹ 1,06,202.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2022 (₹ 1,32,700.18 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 1,24,248.26 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,56,948.44 लाख का प्रावधान का अत्यधिक था।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

2. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 54,076.68 लाख, ₹ 46,617.12 लाख, ₹ 29,102.41 लाख ₹ 31,813.89 लाख तथा ₹ 1,06,202.74 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 2.82 प्रतिशत से 8.38 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(20) विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[07] दिव्यांगजन विश्वविद्यालय			
मू .	1,000.00
पु .	- 1,000.00

31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान नई योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
- (01) अनुसूचित जाति उप परियोजना

मू .	3,599.81	2,196.33	2,196.33	..
पु .	- 1,403.48			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,403.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा 25 स्वीकृत पदों में से 17 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
- (07) राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
- [01] राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुदान

मू .	190.00	47.50	47.50	..
पु .	- 142.50			

31 मार्च 2023 को ₹ 142.50 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 23 स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों पदों में से 12 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर गाडिया लुहार हेतु अनुदान			
मू .	200.00		
		89.70	89.70
पु .	- 110.30		..
31 मार्च 2023 को ₹ 110.30 लाख का प्रावधान भवन निर्माण के लिए गाडिया लुहारों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अनुदान कम जारी हुआ, भवनों का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं होने और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक का संचालन (माध्यमिक शिक्षा विभाग)			
मू .	600.31		
		483.39	483.39
पु .	- 116.92		..
31 मार्च 2023 को ₹ 116.92 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना			
[01] महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रावास हेतु सहायता			
मू .	260.00		
		109.26	109.26
पु .	- 150.74		..
₹ 260.00 लाख का प्रावधान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के माध्यम से छात्रावासों के लिए महाविद्यालय में अध्ययनरत विभिन्न श्रेणी के 2000 छात्रों को प्रतिमाह ₹ 2,000 का अनुदान वितरण हेतु अनुमानित किया गया था । यद्यपि, योजना के लाभार्थियों की कम संख्या के कारण, 31 मार्च 2023 को ₹ 150.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया ।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] देवनारायण बोर्ड को अनुदान			
मू .	500.00		
		67.40	67.40
पु .	- 432.60		..
31 मार्च 2023 को ₹ 432.60 लाख प्रावधान संविदा कार्मिकों की देरी से नियुक्ति के कारण अनुदान कम जारी करने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिये रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना			
मू .	200.00
पु .	- 200.00
31 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था ।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक विकास निधि			
मू .	1,500.01	89.95	89.95
पु .	- 1,410.06
31 मार्च 2023 को ₹ 1,410.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को ब्याज पर अनुदान			
मू .	200.00	10.00	10.00
पु .	- 190.00
31 मार्च 2023 को ₹ 190.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अनुप्रति योजना हेतु अनुदान			
मू .	1,650.00	209.56	209.56
पु .	- 1,440.44
31 मार्च 2023 को ₹ 1,440.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास			
मू .	443.31		
पु .	- 153.95	289.36	289.36
₹ 153.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[09] अल्पसंख्यक बालक छात्रावास संचालन			
मू .	767.11		
पु .	- 124.68	642.43	642.44
₹ 124.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			+ 0.01
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(02) बधिर, मूक और अंधों के विद्यालय- आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा			
मू .	526.22		
पु .	- 398.06	128.16	128.16
31 मार्च 2023 को ₹ 398.06 लाख का प्रावधान वेतन और भत्तों पर कम व्यय तथा नये विद्यालयों के प्रारम्भ नहीं होने से मेस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किये गये हैं ।			..
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] दिव्यांग स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू .	500.01		
पु .	- 141.48	358.53	354.98
31 मार्च 2023 को ₹ 141.48 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			- 3.55

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[02] शिशु गृह/क्रेच का संचालन			
मू.	120.00
पु.	- 120.00
31 मार्च 2023 को ₹ 120.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(21) स्वधार गृहों के संचालन हेतु अनुदान			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	138.00
पु.	- 138.00
31 मार्च 2023 को ₹ 138.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वधार योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्य सरकार से राज्यांश जारी नहीं करने कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[15] सामुहिक विवाह अनुदान योजना हेतु अनुदान			
मू.	720.00	324.73	322.63
पु.	- 395.27		- 2.10
31 मार्च 2023 को ₹ 395.27 लाख का प्रावधान संस्थानों द्वारा आयोजित किये गये सामुहिक विवाहों के अनुसार सामुहिक विवाह अनुदान योजनान्तर्गत कम अनुदान जारी किये जाने, ऑनलाइन आवेदनो में जन आधार नम्बरो की कमी तथा सामुहिक विवाह पोर्टल पर वधुओं के बैंक खाते जन आधार से लिंक नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) दिव्यांग कल्याण			
[01] वृद्धाश्रम/गृह संचालन			
मू.	1,158.09	115.93	115.94
पु.	- 1,042.16		+ 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 1,042.16 लाख का प्रावधान विभाग द्वारा कम मांग किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			
मू.	1,000.00	428.40	428.40
पु.	- 571.60		..

31 मार्च 2023 को ₹ 571.60 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कमी, बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि का समय पर वितरण नहीं करने तथा बैंक द्वारा विभाग को समय पर दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण ऋण अनुदान जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना				
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण (उडान)				
मू.	13,600.00	22,356.56	22,353.22	- 3.34
अ.	13,766.94			
पु.	- 5,010.38			

सितम्बर, 2022 (₹ 10,200.00 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 3,566.94 लाख) में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के वितरण के लिए अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹13,766.94 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 5,010.38 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सैनिटरी नैपकिन की कम आपूर्ति के परिणामस्वरूप तीसरी किश्त जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना				
[08] प्रोत्साहन एवं सम्मान हेतु				
मू.	1,416.10	12.39	12.34	- 0.05
पु.	- 1,403.71			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,403.71 लाख का प्रावधान महिला दिवस पर पुरस्कारों हेतु कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण				
200. अन्य कार्यक्रम				
(18) विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धमंतु जाति कल्याण बोर्ड को अनुदान				
मू.	498.00	51.66	51.66	..
पु.	- 446.34			

31 मार्च 2023 को ₹ 446.34 लाख का प्रावधान योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों और अन्य कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान			
मू .	8,500.00	7,100.00	7,100.00
पु .	- 1,400.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,400.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री राहत निधि के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय से आकस्मिक दुर्घटना के कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
200. अन्य कार्यक्रम
(20) केश कला बोर्ड
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से

मू .	498.00	27.61	27.61	..
पु .	- 470.39			

31 मार्च 2023 को ₹ 470.39 लाख का प्रावधान योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने और आपूर्ति/कार्य के अनुसार कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
200. अन्य कार्यक्रम
(25) ट्रांसजेण्डर समुदाय के उत्थान हेतु
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से

मू .	244.00	9.69	9.70	+ 0.01
पु .	- 234.31			

31 मार्च 2023 को ₹ 234.31 लाख का प्रावधान ट्रांसजेण्डर समुदाय निधि योजना के उत्थान का पूरी तरह संचालन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
200. अन्य कार्यक्रम
(26) राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड
[01] राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड को
सहायतार्थ अनुदान

मू .	500.00	40.00	40.00	..
पु .	- 460.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 460.00 लाख का प्रावधान योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	1,950.01		
पु .	- 676.70	1,273.31	1,285.64 + 12.33

31 मार्च 2023 को ₹ 676.70 लाख का प्रावधान स्वतन्त्रता सैनानियों की मृत्यु, जीवन प्रमाण-पत्र तथा बालिग होने वाले वारिसों की जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 12.33 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

मू.	13,287.00		
अ.	20,530.91	9,558.56	9,558.56 ..
पु .	- 24,259.35		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 20,530.91 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 24,259.35 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार प्रशासनिक शुल्क पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 17,124.88 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,134.47 लाख) किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

मू.	8,549.00		
अ.	10,970.14	7,082.97	7,082.97 ..
पु .	- 12,436.17		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 10,970.14 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 12,436.17 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार प्रशासनिक व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन

मू.	599.00		
पु .	- 109.47	489.53	489.53 ..

31 मार्च 2023 को ₹ 109.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[01] मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	4,20,500.00		
		3,79,524.09	3,79,524.09
पु .	- 40,975.91		..
31 मार्च 2023 को ₹ 40,975.91 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के दूसरे स्थान पर विस्थापित होने/भौतिक सत्यापन के अभाव/ पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अन्य शीर्षों पुनर्विनियोजन किया गया ।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[01] मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	1,75,400.00		
		1,51,673.94	1,51,673.94
पु .	- 23,726.06		..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[01] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	46,700.00		
		40,033.68	40,033.68
पु .	- 6,666.32		..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[01] लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	22,400.00		
		16,801.90	16,801.90
पु .	- 5,598.10		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 35,990.48 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के दूसरे स्थान पर विस्थापित होने/भौतिक सत्यापन के अभाव/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु के कारण पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू .	2,200.00	1,929.45	1,929.45
पु .	- 270.55		..
31 मार्च 2023 को ₹ 270.55 लाख का प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध में मृतक सैनिकों की विधवाओं की मृत्यु के कारण लाभार्थियों की संख्या में कमी हुई क्योंकि अधिकांश लाभार्थी 80 से 90 वर्ष और इससे अधिक की आयु पूरी कर चुके होने के कारण पेंशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[06] युद्ध विधवाओं को सम्मान भत्ता-प्रतिबद्ध			
मू .	375.00	221.66	221.66
पु .	- 153.34		..
31 मार्च 2023 को ₹ 153.34 लाख का प्रावधान शहीदों की विधवाओं और अविवाहित शहीदों के माता-पिता की मृत्यु के कारण लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण पेंशन के भुगतान पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि अधिकांश लाभार्थी वृद्ध हैं।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(23) राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना 2021			
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
मू .	772.12	650.39	650.38
पु .	- 121.73		- 0.01
₹ 121.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के विज्ञापन पर तथा आरजीएचएस कार्ड की छपाई पूर्ण नहीं होने से हुए कम व्यय को आरोपित की गयी ।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(26) विप्र कल्याण बोर्ड			
[01] विप्र कल्याण बोर्ड को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	500.00	257.80	257.80
पु .	- 242.20		..
31 मार्च 2023 को ₹ 242.20 लाख का प्रावधान बोर्ड द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन नहीं होने तथा कार्यालय व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(02) आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से			
[02] नवीन अंशदायी पेंशन योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	2,167.23		
पु.	- 839.07	1,328.16	1,328.16

₹ 839.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राष्ट्रीय पेंशन योजना में लगे कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 01.04.2022 से राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में स्थानान्तरित होने के बाद उन्हें अन्य शीर्षों में स्थानान्तरित किया गया, (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं अर्थात् पुरानी पेंशन योजना में स्थानान्तरित होने के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के लेनदेन, रखरखाव पी आर ए एन जारी/पुनः जारी करना आदि के संबंध में शुल्क में कमी को आरोपित की गयी।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	30,000.00		
अ.	10,000.00	34,332.74	34,330.17
पु.	- 5,667.26		- 2.57

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 10,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को 5,667.26 लाख का प्रावधान योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में केन्द्र और राज्य का हिस्सा हस्तान्तरित न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। चूंकि भारत सरकार से निधियां 23.03.2023 को प्राप्त हुईं लेकिन राज्य सरकार से सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में केन्द्र और राज्य दोनों का हिस्सा हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी नहीं हुई।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	1,334.40		
पु.	- 1,021.40	313.00	313.00

31 मार्च 2023 को ₹ 1,021.40 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[17] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू.	14,823.79		
पु.	- 7,627.12	7,196.67	7,195.82

₹ 7,627.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य का हिस्सा जो पोषण मिशन के केन्द्रीय हिस्से के प्रारम्भिक शेष के अनुपात में योजना की सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया गया था, वह मूल बजट अनुमान से कम था, (ii) वर्ष के दौरान भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की प्राप्ति न होने तथा (iii) बजट प्रावधान की शेष राशि के अनुपात में राज्यांश को सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होना था।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[18] प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी. वाई.)			
मू .	8,871.61		
पु .	- 4,938.75		
	3,932.86	3,932.46	- 0.40

31 मार्च 2023 को ₹ 4,938.75 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू .	3,216.02		
पु .	1,048.14		
	4,264.16	4,264.16	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,048.14 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी क्योंकि (i) वित्त एवं विनियोग बिल 2022-23 पर बहस के दौरान विधानसभा में की गई घोषणा की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की मेस सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार करने तथा (ii) मेस व्यवस्था पर किया गया व्यय और छात्रावासों के संचालन के लिए वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुदान जारी किया गया क्योंकि अनुमानित बजट पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी के दौरान हुए व्यय की प्रवृत्ति के अनुसार स्वीकृत किया गया था । चूंकि उन वर्षों में कोविड के कारण पूरी अवधि के दौरान छात्रावासों का संचालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कम व्यय हुआ ।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
- (08) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम
- [01] राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान

मू .	1,050.00		
पु .	106.50		
	1,156.50	1,156.50	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 106.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू .	988.92		
		1,161.14	1,156.83
पु .	172.22		- 4.31

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 172.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी क्योंकि (i) वित्त एवं विनियोग बिल 2022-23 पर बहस के दौरान विधानसभा में की गई घोषणा की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की मेस सुविधाओं में विस्तार एवं सुधार करने तथा (ii) मेस व्यवस्था पर किया गया व्यय और छात्रावासों के संचालन के लिए वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुदान जारी किया गया क्योंकि अनुमानित बजट पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी के दौरान हुए व्यय की प्रवृत्ति के अनुसार स्वीकृत किया गया था। चूंकि उन वर्षों में कोविड के कारण पूरी अवधि के दौरान छात्रावासों का संचालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कम व्यय हुआ।

₹ 4.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू .	9,000.00		
		13,284.32	13,284.32
पु .	4,284.32		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,284.32 लाख की अतिरिक्त निधियां छात्रवृत्ति के बकाया आवेदनों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों का संचालन			
मू .	880.23		
		1,145.79	1,144.82
पु .	265.56		- 0.97

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 265.56 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया देनदारियों के भुगतान और नये छात्रावासों के संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[05] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू .	2,155.72		
		2,820.93	2,820.93
पु .	665.21		..

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 665.21 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) मेहरा गुजरवास, शिवगंज और पीपलोद में 3 नये आवासीय विद्यालयों के संचालन तथा रिक्त पदों पर शिक्षाकर्मी की नियुक्ति से वेतन एवं भत्तों पर वृद्धि होना, (ii) आवर्ती और गैर आवर्ती वस्तुओं का क्रय तथा संविदा सेवाओं पर व्यय होना और (iii) मेहरा गुजरवास, शिवगंज और पीपलोद में संचालित नये आवासीय विद्यालयों में उन प्रत्येक आवासीय विद्यालय में छात्र क्षमता 280 होने के कारण खाद्य सामग्री पर अधिक व्यय होने के कारण उपलब्ध कराया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू .	1,600.00		
पु .	878.98	2,478.98	2,478.98

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 878.98 लाख की अतिरिक्त निधियां योजनान्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये सम्बन्धित स्कूलों को दो सत्रों अर्थात् 2021-22 एवं 2022-23 के भुगतान हेतु उपलब्ध कराया गया।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना हेतु अनुदान			
मू .	1,500.00		
पु .	1,954.87	3,454.87	3,454.87

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,954.87 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2021-22 की बकाया स्कूटी खरीद के भुगतान हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू .	8,776.64		
पु .	2,205.16	10,981.80	10,981.80

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,205.16 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध कराई गईं।

03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(04) अनुप्रति योजना			
[01] अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुदान			
मू .	600.00		
पु .	748.94	1,348.94	1,348.94

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 748.94 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 की अन्तिम तिमाही में शुरू की गयी थी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(40) मानसिक पुनर्वास गृह संचालन			
मू.	1,900.00	2,198.34	2,198.34
पु .	298.34		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 298.34 लाख की अतिरिक्त निधियां मानसिक पुनर्वास गृह के संचालन हेतु अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(02) कल्याण विस्तार योजनाएं सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य			
[01] निर्देशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	70.00	280.46	280.46
पु .	210.46		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 210.46 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(23) उज्रवला योजना			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	24.00	192.54	192.54
पु .	168.54		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 168.54 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने कारण उपलब्ध करायी गयी। भारत सरकार के 20.07.2022 तक सम्पूर्ण राशि हस्तान्तरित करने के निर्देशों की अनुपालना में सम्पूर्ण राशि राज्य की समेकित निधि को नामे कर योजना की सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की गई ।			
02. समाज कल्याण			
104. वृद्ध, आशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता-प्रतिबद्ध			
मू.	4,165.91	6,143.22	6,143.20
पु .	1,977.31		- 0.02
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,977.31 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) वेतन निर्धारण के बाद न्यायिक अधिकारियों के बकाया के भुगतान के कारण वेतन और भत्तों, (ii) अधिक सम्मेलनों का आयोजन होने तथा (iii) विभाग और अधिनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर पदस्थापित होम गार्ड, सुरक्षा गार्ड, सफाईकर्मी एवं कम्प्यूटर युक्त कर्मियों के भुगतान पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[01] संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	3,040.00		
अ.	0.01	3,939.80	3,937.65
पु .	899.79		- 2.15

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 899.79 लाख की अतिरिक्त निधियां साथिन (महिला सहायिका) की संख्या में वृद्धि से उनके मानदेय के भुगतान पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु
[23] बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

अ .	0.03			
पु .	414.20	414.23	414.23	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 414.20 लाख की अतिरिक्त निधियां बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति हुई और इसे राज्य की समेकित निधि को नामे करके योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानान्तरित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(05) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां

मू.	100.00			
पु .	3,376.45	3,476.45	3,476.45	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,376.45 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(15) दिव्यांग कल्याण
[11] पेंशनधारी निशक्त व्यक्तियों को स्वावलम्बन हेतु अनुदान

मू.	0.01			
पु .	507.03	507.04	507.04	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 507.03 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) दिव्यांग कल्याण			
[13] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को अनुदान			
मू.	2,600.00	3,196.67	3,196.67
पु.	596.67		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 596.67 लाख की अतिरिक्त निधियां शारीरिक और मानसिक पीड़ितों के क्षेत्रों में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को अधिक सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[01] नशा मुक्ति कार्यक्रम			
मू.	112.51	257.77	257.77
पु.	145.26		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 145.26 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त निधियां राज्य की समेकित निधि में नामे करके योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[07] निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	37,000.00	49,414.77	49,414.77
पु.	12,414.77		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,414.77 लाख की अतिरिक्त निधियां अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि ₹ 500 एवं ₹ 1,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 1,500 एवं ₹ 2,500 करने तथा मार्च, 2023 में गत वर्ष की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[08] सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	2,200.00	3,477.06	3,477.06
पु.	1,277.06		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,277.06 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नई श्रेणियों के जुड़ने के कारण अधिक आवेदन प्राप्त होने तथा कोरोना काल के बाद अधिक विवाह होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	200.00	500.00	500.00
पु .	300.00		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की अतिरिक्त निधियां आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[03] कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण			
मू .	2,900.00	3,965.01	3,965.01
पु .	1,065.01		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,065.01 लाख की अतिरिक्त निधियां शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार योजना पर हुए व्यय को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[07] इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र			
मू .	16.00	273.86	273.90
अ.	0.01		
पु .	257.85		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 257.85 लाख की अतिरिक्त निधियां 33 जिलों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों के संचालन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(14) पीडित प्रतिकर योजना			
[01] राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मू.	1,700.00	2,003.90	2,029.40
पु .	303.90		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 303.90 लाख की अतिरिक्त निधियां पीडित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत पीडितों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 25.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(17) बच्चों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता			
[01] गृह (ग्रुप-2) विभाग			
मू.	25.00		
पु .	118.30	143.30	143.30
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 118.30 लाख की अतिरिक्त निधियां जोधपुर में साम्प्रदायिक हिंसा प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सैनिकों एवं उनके परिवारों को सहायता			
[02] कारगिल पैकेज के अन्तर्गत शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता			
मू.	800.00		
पु .	1,700.00	2,500.00	2,500.00
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,700.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से भुगतान के बाद सहायता की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[16] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,142.00		
पु .	369.99	1,511.99	1,511.99
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 369.99 लाख की अतिरिक्त निधियां आशा सहयोगिनी को मानदेय के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(02) इन्दिरा महिला शक्ति योजना			
[01] आंगनबाडी केन्द्रों का विद्युतीकरण			
मू .	0.02		
पु .	551.96	551.98	551.98
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 551.96 लाख की अतिरिक्त निधियां आंगनबाडी केन्द्रों पर पानी और बिजली कनेक्शन के लिए उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(03) इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आईजीएमपीवाई)			
[01] आईसीडीएस के माध्यम से			
अ .	0.05		
पु .	781.05	781.10	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 781.05 लाख की अतिरिक्त निधियां नॉन-टी एस पी जिलो में <i>इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना</i> के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] सहयोगिनी को मानदेय- प्रतिबद्ध			
मू .	14,958.00	19,781.88	- 0.83
पु .	4,823.88	19,781.05	
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,823.88 लाख की अतिरिक्त निधियां आशा सहयोगिनी को मानदेय के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 2,770.30 लाख के कुल अनुपुरक अनुदान में से, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,770.28 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था ।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 4,056.23 लाख, ₹ 3,141.31 लाख, ₹ 2,343.90 लाख, ₹ 10,513.52 लाख तथा ₹ 6,264.41 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.29 प्रतिशत से 36.02 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(11) विमंदिता महिला एवं बालग्रह भवन निर्माण			
मू .	5,500.01		
पु .	- 5,107.62	392.39	..

31 मार्च 2023 को ₹ 5,107.62 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया ₹ 392.39 लाख का समस्त व्यय 30.03.2023 को कृषि उपज मंडी निधि के निक्षेप खाते में हस्तान्तरित किया गया ।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(04) औलड एज होम भवन निर्माण			
मू.	5,500.00		
पु .	- 3,500.00	2,000.00	2,000.00
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 3,500.00 लाख का प्रावधान वृद्धाश्रम के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,761.47 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,738.53 लाख) किया गया ।

शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया ₹ 2,000.00 लाख का समस्त व्यय 30.03.2023 को कृषि उपज मंडी निधि के निक्षेप खाते में हस्तान्तरित किया गया ।

02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			

मू.	200.01		
पु .	- 200.01

31 मार्च 2023 को ₹ 200.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			

मू.	350.00		
पु .	- 230.99	119.01	119.01
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 230.99 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हनुमानगढ एवं प्रतापगढ के जिला कार्यालयों के निर्माण कार्य नहीं कराये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आगंनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			

मू.	500.00		
पु .	- 500.00

31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आगंनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रखरखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	500.00
पु .	- 500.00

31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू .	4,500.00	5,884.45	..
पु .	1,384.45	5,884.45	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,384.45 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दावों के भुगतान एवं नये छात्रावासों के निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[02] प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम			
मू.	5,700.00	9,980.58	..
अ.	2,770.28	9,980.58	..
पु.	1,510.30	9,980.58	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,510.30 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू .	500.00		
पु .	118.94		
	618.94	618.94	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 118.94 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[04] अल्पसंख्यक विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय भवन निर्माण			
मू .	1,000.00		
पु .	200.00		
	1,200.00	1,200.00	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 200.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन निर्माण			
मू .	60.00		
पु .	490.00		
	550.00	550.00	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 490.00 लाख की अतिरिक्त निधिया आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए नये छात्रावासों के निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया ₹ 550.00 लाख का समस्त व्यय माह फरवरी, 2023 में कृषि उपज मंडी निधि के निक्षेप खाते में हस्तान्तरित किया गया ।			

अनुदान संख्या 034 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	41,58,76,89			
अनुपूरक	3,00,38,38	44,59,15,27	29,46,58,44	- 15,12,56,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				12,93,41,55
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 30,038.38 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 1,51,256.83 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 21,915.28 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
01. सूखा				
101. आनुग्रहिक राहत				
(14) सूखा के तहत आनुग्रहिक राहत				
[02] वृद्ध, अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत				
मू.	100.00			
पु.	- 100.00
01. सूखा				
102. पीने के पानी की पूर्ति				
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति				
[01] ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति				
मू.	1,400.00			
पु.	- 1,400.00

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[02] नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	120.00
पु.	- 120.00		
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[03] पशु शिवरों में जल आपूर्ति			
मू.	100.00
पु.	- 100.00		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,720.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[04] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति			
मू.	5,000.00	5,157.83	4,113.24 - 1,044.59
पु.	157.83		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 157.83 लाख की अतिरिक्त निधियां सूखे के तहत पेयजल आपूर्ति पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,044.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[01] यातायात			
मू.	3,600.00	246.15	196.92 - 49.23
पु.	- 3,353.85		
31 मार्च 2023 को ₹ 3,353.85 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 49.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अन्तर्गत चारे की पूर्ति			
[02] पशु पोषण केन्द्र			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00		

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(04) सूखे क्षेत्रों में पशु चिकित्सा			
[01] औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[27] कीट आक्रमण में व्यय			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[01] अन्य विशेष राहत			
मू.	200.00	..	- 4.89
पु.	- 200.00	..	- 4.89
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,400.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
शीर्ष "2245-01-800(03) [01]" के अन्तर्गत ₹ 4.89 लाख का ऋण व्यय आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा अवशेष राशि जमा कराने के कारण रहा।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[02] अग्नि सहायता			
मू.	2,000.00	815.27	651.02
पु.	- 1,184.73		- 164.25
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[04] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	10,600.00	74.66	58.14
पु.	- 10,525.34		- 16.52

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[07] प्रशिक्षण व्यय			
मू.	1,000.00		
पु.	- 789.27	210.73	196.93
			- 13.80
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[01] आपात परिचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण			
मू.	6,000.00		
पु.	- 5,917.14	82.86	66.29
			- 16.57
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 18,416.48 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 211.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[02] संबंध पक्षो/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण			
मू.	100.00		
पु.	- 100.00
			..
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[03] राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबन्धन केन्द्रों को सहायता			
मू.	100.00		
पु.	- 100.00
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण			
मू.	2,400.00		
पु.	- 1,913.22	486.78	401.07
			- 85.71

31 मार्च 2023 को ₹ 1,913.22 लाख का प्रावधान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 85.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[05] आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
31 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2019-20 तथा 2021-22 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[02] अंग भंग या चक्षु क्षति पर अनुग्रहिक राहत			
मू.	100.00
पु.	- 100.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[04] वृद्ध, अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत			
मू.	100.00
पु.	- 100.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[07] जीवन बचाव हेतु नाव किराया			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[08] आवश्यक वस्तुओं की हवाई आपूर्ति			
मू.	100.00
पु.	- 100.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(04) बाढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति			
[01] मानवीय जल पूर्ति			
मू.	200.00
पु.	- 200.00

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(04) बाढ़ क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति			
[02] पशुओं के लिए जल पूर्ति			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
104. चारे की पूर्ति			
(02) आपदा से प्रभावितों को चारे की पूर्ति			
[01] आपदा से प्रभावितों को चारे की पूर्ति			
मू.	200.00
पु.	- 200.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
105. पशु चिकित्सा			
(05) बाढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सा			
[01] औषधियों एवं टीका दवाईयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	100.00
पु.	- 100.00
उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,200.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[05] कपड़े एवं बर्तन			
मू.	1,000.00	199.32	157.29
पु.	- 800.68		- 42.03
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[06] आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत			
मू.	200.00	58.29	46.63
पु.	- 141.71		- 11.66
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 942.39 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 53.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[02] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	5,000.02		
पु.	- 4,808.13	191.89	158.28 - 33.61
31 मार्च 2023 को ₹ 4,808.13 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार सर्च रेस्क्यू एवं संचार उपाय एवं उपकरणों का क्रय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । ₹ 33.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
107. खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत			
[01] बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत			
मू.	1,000.00		
पु.	- 908.60	91.40	73.12 - 18.28
31 मार्च 2023 को ₹ 908.60 लाख का प्रावधान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया । ₹ 18.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
[01] बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
मू.	1,000.00		
पु.	- 1,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
(02) बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
[01] बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
मू.	1,000.00		
पु.	- 782.64	217.36	176.29 - 41.07
31 मार्च 2023 को ₹ 782.64 लाख का प्रावधान बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया । ₹ 41.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[01] पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	2,000.00		
पु.	- 1,922.75	77.25	61.88
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[03] पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	1,000.00		
पु.	- 995.07	4.93	3.97
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[04] गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	1,000.00		
पु.	- 912.83	87.17	69.92
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[05] गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	1,000.00		
पु.	- 763.70	236.30	182.48
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[06] गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	1,000.00		
पु.	- 986.40	13.60	10.75
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[07] आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू.	2,000.00		
पु.	- 1,616.98	383.02	305.57

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 7,197.73 लाख का प्रावधान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2245-02-113(09) [01], [04], [05] तथा [07]" के अंतर्गत ₹ 163.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	5,000.00		
पु.	- 2,663.76	2,336.24	1,826.43
			- 509.81
31 मार्च 2023 को ₹ 2,663.76 लाख का प्रावधान ओलावृष्टि के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
₹ 509.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[04] पाला			
मू.	1,000.00		
पु.	- 1,000.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान पाला के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	1,000.00		
पु.	- 999.77	0.23	0.18
			- 0.05
31 मार्च 2023 को ₹ 999.77 लाख का प्रावधान शीतलहर के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	5,000.00		
पु.	- 4,305.32	694.68	571.25
			- 123.43
31 मार्च 2023 को ₹ 4,305.32 लाख का प्रावधान ओलावृष्टि के कारण कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
₹ 123.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[04] पाला			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,000.00 लाख का समस्त प्रावधान पाला तथा शीतलहर के कारण कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान पर आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(11) कीट आक्रमण में व्यय			
[01] कीट आक्रमण में व्यय			
मू.	1,000.00
पु.	- 1,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान टिड्डी झुंड के कारण फसलों के नुकसान हेतु किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि आदान अनुदान के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
115. भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता			
(02) भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता			
[01] भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता			
मू.	100.00
पु.	- 100.00
31 मार्च 2023 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने के लिए आवश्यकतानुसार हुए व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता			
मू.	1,000.00		
पु.	- 966.43	33.57	26.74
			- 6.83
31 मार्च 2023 को ₹ 966.43 लाख का प्रावधान बाढ़ से हुए नुकसान पर पशु क्रय के लिए कृषकों को आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 6.83 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
मू.	2,000.00		
पु.	48.54	2,048.54	1,648.03
			- 400.51
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 48.54 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण कार्यों पर बड़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 400.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
191. नगर निगमों को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता			
मू.	100.00		
पु.	- 100.00
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
मू.	200.00		
पु.	- 200.00
			..

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
193. स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
मू.	600.00
पु.	- 600.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 900.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ से प्रभावित नगर निगम, नगर पालिकाओं/नगर परिषदों, पंचायतों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों को आवश्यकतानुसार सहायता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य			
[01] दवाईयों की पूर्ति			
मू.	63,700.00	..	- 10.27
पु.	- 63,700.00		- 10.27
31 मार्च 2023 को ₹ 63,700.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड महामारी समाप्ति के कारण कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹15,925.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 47,775.00 लाख) किया गया।			
₹ 10.27 लाख का ऋण व्यय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अवशेष राशि जमा कराने के कारण आरोपित की गयी।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य			
[02] मृत शरीरों एवं लाशों को निपटारा			
मू.	100.00
पु.	- 100.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ और चक्रवात के कारण मृत शरीरों एवं लाशों के निपटारे की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(08) कोविड-19 क्लस्टर कन्टेन्मेंट ऑपरेशन्स			
[01] महानिदेशक पुलिस के माध्यम से			
मू.	5,000.00
पु.	- 5,000.00		

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(08) कोविड-19 क्लस्टर कन्टेन्मेंट ऑपरेशन्स			
[02] महानिदेशक होमगार्ड के माध्यम से			
मू.	5,000.00
पु.	- 5,000.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 10,000.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड महामारी के समाप्त होने के कारण कोविड-19 क्लस्टर कन्टेन्मेंट ऑपरेशन्स के तहत मानदेय पर व्यय की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. राज्य आपदा मोचन निधि
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अन्तरण-
राज्य आपदा मोचन निधि
- (02) राज्य आपदा मोचन निधि को अन्तरण
- [01] राज्य आपदा मोचन निधि को अन्तरण

मू.	2,07,400.00	1,67,266.00	1,67,266.00	..
पु.	- 40,134.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 40,134.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्यांश का राज्य आपदा मोचन निधि में स्थानान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. राज्य आपदा मोचन निधि
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अन्तरण-
राज्य आपदा मोचन निधि
- (03) राज्य आपदा मिटिगेशन निधि का बजट शीर्ष
8121-00-130-(01) को स्थानान्तरण
- [01] केन्द्र का हिस्सा

मू.	0.02			
अ.	30,038.38
पु.	- 30,038.40			

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राज्य आपदा मिटिगेशन निधि में केन्द्रीय निधि के हस्तान्तरण हेतु लिया गया ₹ 30,038.38 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 30,038.40 लाख का समस्त प्रावधान 29.03.2023 को केन्द्रीय अंशदान की प्रथम किश्त प्राप्त होने पर राज्य आपदा मिटिगेशन निधि में हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 28,184.65 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,853.74 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	986.08	849.81	- 0.06
पु.	- 136.27		

₹ 136.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वर्ष के दौरान कर्मचारियों के स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त होने एवं दोहरे प्रभार वाले अधिकारियों द्वारा अन्य विभाग से वेतन आहरण करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अन्तर्गत चारे की पूर्ति			
[04] पशु शिविर/गोशाला			
मू.	3,000.00	5,387.74	..
पु.	2,387.74	5,387.74	

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,387.74 लाख की अतिरिक्त निधियां सूखे के तहत आवश्यकतानुसार पशु शिविरों/गोशाला में चारे की आपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[05] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	13,000.00	21,240.93	- 3,792.54
पु.	8,240.93	17,448.39	

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,240.93 लाख की अतिरिक्त निधियां सूखे के कारण हुए फसल नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

यद्यपि, ₹ 3,792.54 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[06] लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	20,759.76		
पु.	12,309.85		
	33,069.61	26,465.83	- 6,603.78
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,309.85 लाख की अतिरिक्त निधियां सूखे के कारण हुए फसल नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, ₹ 6,603.78 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[01] अन्य मद			
मू.	200.00		
पु.	4,849.12		
	5,049.12	5,049.13	+ 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,849.12 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनो को प्रति व्यक्ति ₹ 0.50 लाख की सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[01] सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
मू.	12,000.00		
पु.	3,523.59		
	15,523.59	15,523.59	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,523.59 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनःस्थापना हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता			
[02] पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	2,000.00		
पु.	1,310.69		
	3,310.69	2,619.45	- 691.24
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,310.69 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ के कारण पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे घरों की आवश्यकतानुसार मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, ₹ 691.24 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
02. बाढ़, चक्रवात आदि				
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता				
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान				
[01] बाढ़				
मू.	5,000.00	23,515.99	18,472.52	- 5,043.47
पु.	18,515.99			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,515.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ के कारण हुए फसल नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

यद्यपि, ₹ 5,043.47 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. बाढ़, चक्रवात आदि				
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता				
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान				
[01] बाढ़				
मू.	5,000.00	13,772.56	10,750.40	- 3,022.16
पु.	8,772.56			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,772.56 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ के कारण हुए फसल नुकसान हेतु आवश्यकतानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

यद्यपि, ₹ 3,022.16 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य				
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अंतरण				
(01) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि				
[01] प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा राहत निधि के बजट शीर्ष 8235-00-200-(09)-[01] में अंतरण				
मू.	0.01	13,738.00	13,738.00	..
पु.	13,737.99			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,737.99 लाख की अतिरिक्त निधियां प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा राहत निधि को निधियों के हस्तान्तरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)

5. राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.):— पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष के लिए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में मौजूदा राज्य आपदा मोचन निधि को जारी रखते हुए राज्य आपदा शमन निधि (एस.डी.एम.एफ.) के सृजन की अनुशंसा की गयी थी जिन्हें साथ में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एस.डी.आर.एम.एफ.) कहा जाएगा। एस.डी.आर.एफ. और एस.डी.एम.एफ. के कुल पूंजी की संबंधित निधि में केन्द्र और राज्य सरकार के 75:25 के अनुपात की वर्तमान लागत साझाकरण व्यवस्था को जारी रखने की अनुशंसा की गयी। दोनों ही निधियों को, वर्तमान अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज क्रेडिट करने एवं अनिवेशित राशि पर ब्याज देने की मौजूदा व्यवस्था के साथ ब्याज धारक निधि में रखा जायेगा। एस.डी.एम.एफ. में 31.3.2020 को अंतिम शेष 2021-22 के लिए प्रारम्भिक शेष के रूप में एस.डी.एम.एफ. को स्थानान्तरित किया जाएगा और इसी तरह 2025-26 तक।

2022-23 के दौरान ₹ 1,65,920.00 लाख को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई। केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार को राज्य आपदा मिटिगेशन निधि के तहत भारत सरकार से ₹ 15,560.00 लाख प्राप्त हुए, लेकिन वर्ष के दौरान इस निधि में कोई राशि हस्तान्तरित नहीं की गयी। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्य सरकार को ₹ 1,346.00 लाख भी प्राप्त हुए। प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 1,11,346.85 लाख को वर्ष के दौरान (एस.डी.आर.एफ.) से पूरित किया गया।

31 मार्च 2023 को ₹ 3,18,122.59 लाख का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा। उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2022-23 के विवरण संख्या 14,15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,

2220. सूचना तथा प्रचार,

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,

5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,04,00,66			
अनुपूरक	1,65,84,62	7,69,85,28	6,05,97,39	- 1,63,87,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,63,87,77
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	8,58,26,92			
अनुपूरक	13,40,00,06	21,98,26,98	3,71,21,74	- 18,27,05,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				18,27,05,21

टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 16,387.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2022 (₹ 16,200.07 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 384.55 लाख) में लिया गया ₹ 16,584.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 13,332.36 लाख, ₹ 4,728.62 लाख, ₹ 13,926.18 लाख, ₹ 4,096.54 लाख तथा ₹ 16,387.89 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 8.65 प्रतिशत से 26.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्व अनुसंधान एवं विश्लेषण			
[01] सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस(सीओईआरआरए)			
मू .	985.94
पु .	- 985.94

31 मार्च 2023 को ₹ 985.94 लाख का समस्त प्रावधान नव निर्मित विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप न्यायिक व्ययकर और कानूनी सलाहकार पर व्यय नहीं करने, अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 8 वाहनो को किराये पर नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया । कार्यालय फर्नीचर और कम्प्यूटर सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये, जो भी बचत का कारण था ।

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

203. कम्प्यूटर सेवाएं

(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

[12] स्वान होरीजेन्टल

मू .	3,300.00	1,224.00	1,224.00	..
पु .	- 2,076.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 2,076.00 लाख का प्रावधान राजकॉम्प इन्फ्रो सर्विसेज लिमिटेड (आर आई सी एल) के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता और निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

203. कम्प्यूटर सेवाएं

(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

[30] राजनेट

मू .	6,000.00	4,896.00	4,896.00	..
पु .	- 1,104.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,104.00 लाख का प्रावधान राजनेट परियोजना के तहत राजकॉम्प इन्फ्रो सर्विसेज लिमिटेड के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता और निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

203. कम्प्यूटर सेवाएं

(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

[32] सम्पर्क केन्द्र ऑपरेशन

मू .	272.00
पु .	- 272.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 272.00 लाख का समस्त प्रावधान राजीव गांधी सर्विस सेन्टर पर संचालित पावर स्काडा परियोजना के राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत रखरखाव/संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(09) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
अ .	16,200.00
पु .	- 16,200.00		

सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 16,200.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अन्तर्गत चिरंजीवी परिवारो की महिला मुखिया को तीन वर्ष की मुफ्त इन्टरनेट कनेक्टिविटी युक्त स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने हेतु लिया गया। यद्यपि निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण 31 मार्च 2023 को ₹ 16,200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 9,108.13 लाख) और अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,091.87 लाख) किया गया

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू .	625.52	501.93	501.94 + 0.01
पु .	- 123.59		

₹ 123.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (क) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने तथा (ख) अन्य विभाग से स्थानान्तरित होकर विभाग में कार्य ग्रहण करने वाले कर्मचारियों का कम वेतन भी बचत का कारण रहा तथा (ii) विज्ञापन और कम्प्यूटीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[05] यंग इंटर्न्स प्रोग्राम			
मू .	578.51	251.64	251.63 - 0.01
पु .	- 326.87		

₹ 578.51 लाख का प्रावधान मुख्यतः यंग इंटर्न्स प्रोग्राम (डायरेक्ट मोड और केम्पस इंटरव्यू मोड) के अन्तर्गत नवीन यंग इंटर्न्स को मानदेय के भुगतान हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2023 को ₹ 326.87 लाख का प्रावधान (i) यंग इंटर्न्स प्रोग्राम (वाई आई पी)(डायरेक्ट मोड) के तहत इंटर्न्स की चयन प्रक्रिया में देरी होने, (ii) वाई आई पी (केम्पस इंटरव्यू मोड) के तहत 55 इंटर्न्स में से 9 इंटर्न्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम छोड़ने तथा (iii) वर्ष 2022-23 के दौरान वाई आई पी (डायरेक्ट मोड) के तहत इंटर्न्स का चयन नहीं हुआ क्योंकि चयन हेतु दिशा-निर्देश वित्त विभाग में विचाराधीन थे, जिसके कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[06] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,805.16	1,500.65	1,500.65
पु .	- 304.51		..

₹ 304.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर (क) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने तथा (ख) अन्य विभागों से स्थानान्तरण पर विभाग में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों का वेतन कम होने के कारण कम व्यय होने तथा (ii) बिजली बिलो और अन्य शीर्षों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी
(04) राजीव गांधी युवा कोर (आरवाईसी)
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू .	3,541.00	2,504.09	2,504.09	..
पु .	- 1,036.91			

₹ 1,036.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजीव गांधी युवा मित्र इंटरनशिप कार्यक्रम के लिए भवन किराये पर लेने हेतु किराये पर कम खर्च हुआ क्योंकि (क) युवा मित्र के लिए कोई अलग भवन किराये पर नहीं लिया गया क्योंकि सभी ब्लॉक में से चयनित हुए केवल पांच से सात युवा मित्र के इंटरनशिप के लिए ब्लॉक कार्यालय में उपलब्ध पर्याप्त स्थान में ही समायोजित किये गये और (ख) बड़े शहरी निकायों जैसे जयपुर और जोधपुर में अधिक संख्या में युवा मित्रों का चयन होने के कारण केवल इन दो स्थानों के लिए किराये के भवनों की आवश्यकता थी, लेकिन कार्यक्रम देरी से जुलाई, 2022 में शुरू हुआ, जबकि जयपुर में किराये के भवन का अनुबंध फरवरी, 2023 में निष्पादित हुआ था, (ii) राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम विलम्ब से शुरू होने और अनुमान से कम संख्या में इंटरस के कारण मानदेय का कम भुगतान, (iii) टेबलेट कम्प्यूटर की खरीद नहीं होने क्योंकि किसी अन्य फर्म के शामिल नहीं होने के कारण निविदा प्रक्रिया रद्द होने तथा (iv) मार्च, 2023 के अन्तिम सप्ताह में मोबाईल एप का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू .	4,774.58	5,998.68	5,998.69
पु .	1,224.10		+ 0.01

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,224.10 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) कुछ रिक्त पदों के भरने, (ii) डिगफेस्ट जयपुर और डिगफेस्ट जोधपुर आयोजित करने, (iii) डिगफेस्ट जोधपुर के तहत राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्था के उद्घाटन हेतु विज्ञापन का भुगतान करने, (iv) नये वाहनो की खरीद, (v) पिछले वर्ष के बिलो का भुगतान और (iv) आईटी पुरस्कारों के वितरण के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] जी. आई. एस.			
मू .	335.00		
पु .	1,359.51	1,694.51	1,694.51
			..

31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,359.51 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जी आई एस और आर्क जी आई एस के नवीनीकरण और रखरखाव, (ii) स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन प्लेटफार्म की स्थापना और रखरखाव, (iii) जी आई एस आधारित वेब एप्लीकेशन/मोबाईल एप और वर्कफ्लो प्रबन्धन प्रणाली के रखरखाव और विकास, (iv) जी आई एस के लिए विशेषज्ञ सेवाएं, (v) जयपुर के 3 डी शहर कार्यान्वयन और (vi) नये निर्माण कार्यों के साथ भवन योजना अनुमोदन प्रणाली का रखरखाव जैसे (क) डिजिटल संग्रहालय की स्थापना, जी आई एस आधारित वेब एप्लीकेशन/मोबाईल एप के विकास और रखरखाव हेतु विशेषज्ञ सेवाओं को किराये पर लेना, (ख) ओगमेन्टेड रियलिटी (ए आर)/वर्चुअल रियलिटी (वी आर) पहल/प्रोद्योगिकियों की विभिन्न कार्यक्रमों की प्रदर्शनी, (ग) कम्प्यूटिंग बुनियादी ढांचे की खरीद, (घ) सैटेलाईट इमेजरी और इमेज प्रोसेसिंग प्लेटफार्म के नवीनीकरण और रखरखाव और (ङ) अन्य सॉफ्टवेयर उपकरणों/ प्लेटफार्म/सेवाओं की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
203. कम्प्यूटर सेवाएं
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[25] राज सम्पर्क

मू .	1,904.00			
अ .	384.51	4,308.00	4,308.00	
पु .	2,019.49			..

31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,019.49 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सुदृढीकरण के लिए कॉल सेन्टर की सीटो को 400 सीटो से बढ़ाकर 1,000 सीटे करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
203. कम्प्यूटर सेवाएं
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[28] ई-ऑफिस

मू .	613.00			
पु .	120.85	733.85	733.85	
				..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.85 लाख की अतिरिक्त निधियां सभी राज्य विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों में ई-ऑफिस (राजकाज संस्करण 2) योजना को सशक्त करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
203. कम्प्यूटर सेवाएं
(05) राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवान्स टेक्नोलोजी (आर-केट)
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

मू .	480.00			
अ .	0.02	1,020.61	1,020.61	
पु .	540.59			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 540.59 लाख की अतिरिक्त निधियां राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवान्स टेक्नोलॉजी (आर-केट) में पाठ्यक्रम को संचालित करने एवं अन्य परिचालन व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(10) ब्लॉक चैन सेन्टर ऑफ़ एकसीलेंस			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
अ .	0.01		
पु .	287.99	288.00	288.00
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 287.99 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्लॉक चैन सेन्टर ऑफ़ एकसीलेंस की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(03) राजस्थान जन आधार योजना			
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को सहायता			
मू .	3,510.00		
पु .	792.31	4,302.31	4,302.31
31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 792.31 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली साफ्टवेयर में संशोधन, जनआधार एप्लीकेशन का विकास, प्लेटफार्म पर माईग्रेशन आदि पर व्यय के लिए धनराशी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को जनआधार कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान करने हेतु जारी करने, (ii) भारतीय डाक विभाग के माध्यम से जनआधार कार्ड के वितरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु तथा (iii) रिक्त पदों के भरने के कारण वेतन तथा भत्तों पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 1,82,705.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2022 (₹ 1,34,000.04 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 0.02 लाख) में लिया गया ₹ 1,34,000.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेन्टल			
मू .	480.00		
पु .	- 344.00	136.00	136.00

31 मार्च 2023 को ₹ 344.00 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में विलम्ब तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[25] वाई-फाई हॉट स्पॉट			
मू .	510.00
पु .	- 510.00
31 मार्च 2023 को ₹ 510.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में राजकॉम्प इनफो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) के स्तर पर योजना के कार्यान्वयन पूर्ण नहीं होने तथा आर आई एस एल के पास गत वर्ष की अनुपयोजित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(21) राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवान्स टेक्नोलोजी (आर-केट)			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	2,482.00	874.00	874.00
पु .	- 1,608.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,608.00 लाख का प्रावधान राजस्थान सोसायटी एक्ट के तहत राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवान्स टेक्नोलॉजी के पंजीकरण में विलम्ब के कारण सॉफ्टवेयर लाइसेन्स/उपकरण की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(22) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	60,000.00
अ.	1,34,000.00
पु .	- 1,94,000.00
सितम्बर 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,34,000.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अन्तर्गत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाने हेतु लिया गया। यद्यपि निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण 31 मार्च 2023 को ₹ 1,94,000.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,79,482.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,517.73 लाख) किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(23) ब्लॉक चेन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	250.00
पु .	- 250.00
31 मार्च 2023 को ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान ब्लॉक चेन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू .	2,311.00		
पु .	3,508.04	5,819.04	5,819.04

31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,508.04 लाख का प्रावधान बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं यथा वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली, 3 डी होलोग्राफी परियोजना, ई-पंचायत, जन आधार ई-वॉलेट एकीकृत स्वास्थ्य प्रबन्धन प्रणाली, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना तथा डिजिटल लाईब्रेरी इत्यादि के संचालन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया।

800. अन्य व्यय
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[27] जी.आई.एस.

मू .	5,500.00		
पु .	936.99	6,436.99	6,436.99

31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 936.99 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जी आई एस और आर्क जी आई एस के नवीनीकरण और रखरखाव, (ii) स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन प्लेटफार्म की स्थापना और रखरखाव, (iii) जी आई एस आधारित वेब एप्लीकेशन/मोबाइल एप और वर्कफ्लो प्रबन्धन प्रणाली के रखरखाव और विकास, (iv) जी आई एस के लिए विशेषज्ञ सेवाएं, (v) जयपुर के 3 डी शहर कार्यान्वयन और (vi) नये निर्माण कार्यों के साथ भवन योजना अनुमोदन प्रणाली का रखरखाव जैसे (क) डिजिटल संग्रहालय की स्थापना, जी आई एस आधारित बेब एप्लीकेशन/मोबाइल एप के विकास और रखरखाव हेतु विशेषज्ञ सेवाओं को किराये पर लेना, (ख) ओगमेन्टेड रियलिटी (ए आर)/वर्चुअल रियलिटी (वी आर) पहल/प्रौद्योगिकियों की विभिन्न कार्यक्रमों की प्रदर्शनी, (ग) कम्प्यूटिंग बुनियादी ढांचे की खरीद, (घ) सेटलाइट इमेजरी और इमेज प्रोसेसिंग प्लेटफार्म के नवीनीकरण और रखरखाव तथा (ङ) अन्य सॉफ्टवेयर उपकरणों/ प्लेटफार्म/सेवाओं की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[28] राजसमर्पक

मू .	68.00		
पु .	442.00	510.00	510.00

31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 442.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट में की गयी घोषणा की अनुपालना में 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सुदृढीकरण के लिए काल सेन्टर की सीटों को 400 सीटों से बढ़ाकर 1,000 सीटों करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[29] विकास केन्द्र

मू .	34.00		
पु .	714.00	748.00	748.00

31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 714.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सेवा द्वार के उन्नयन हेतु उपलब्ध करायी गयी जो कि राज्य सरकार की विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं एवं विभागीय एप्लीकेशन के मध्य इंटर एप्लीकेशन कम्प्यूनिक्शन स्थापित करने हेतु एक क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं।

अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] ई-ऑफिस			
मू .	759.22		
पु .	532.51		
	1,291.73	1,291.73	..
31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 532.51 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला/ब्लॉक/नगरपालिका स्तर के कार्यालयों के निदेशक/सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट-कम प्रोग्रामर के स्वीकृत पदों हेतु लेपटॉप तथा (ii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला/ब्लॉक/नगरपालिका स्तर के कार्यालयों में आई. टी. केडर हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिंटर को प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] राजनेट			
मू .	3,000.00		
पु .	6,924.00		
	9,924.00	9,924.00	..
31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,924.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता योजना हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियां हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[36] डाटा सेन्टर और नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर (नोक)			
मू .	4,080.01		
पु .	1,054.99		
	5,135.00	5,134.96	- 0.04
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,054.99 लाख की अतिरिक्त निधियां ई- साइन परियोजना पर हुये व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
800. अन्य व्यय			
(24) जन आधार ई-वॉलिट			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
अ .	0.01		
पु .	398.19		
	398.20	398.20	..
31 मार्च 2023 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 398.19 लाख अतिरिक्त की निधियां लाभार्थियों को उनके विकल्प के अनुसार गैर नगदी लाभ जैसे स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, कृषि यन्त्र और विशेष योग्यजनों के उपकरण आदि प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

अनुदान संख्या 036 – सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और
2425. सहकारिता
पूंजी – 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,
6425. सहकारिता के लिए कर्ज और
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	16,86,51,44	16,86,51,44	12,41,83,20	- 4,44,68,24
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,44,64,86
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,43,14	11,43,14	10,91,76	- 51,38
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				51,37
टिप्पणी तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. बचत (अनुदान के अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

2425. सहकारिता
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) निदेशन

मू.	500.00	121.43	120.00	- 1.43
पु.	- 378.57			

31 मार्च 2023 को ₹ 378.57 लाख का प्रावधान सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्यक्रम लागू नहीं होने से कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 036 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू .	52,400.00		
पु .	- 41,200.00	11,200.00	11,200.00
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 41,200.00 लाख का प्रावधान वित्तीय संस्थाओं से ऋण कम/नहीं प्राप्त होने के कारण सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु कम अनुदान जारी होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 38,120.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,079.73 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता
(25) कोर बैंकिंग

मू .	6,000.00		
पु .	- 4,483.33	1,516.67	1,516.67
			..

₹ 4,483.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता
(30) दीर्घकालीन ऋणियों के लिए ब्याज अनुदान
[01] राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक
लिमिटेड के माध्यम से

मू .	1,700.00		
पु .	- 184.10	1,515.90	1,515.90
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 184.10 लाख का प्रावधान वित्तीय संस्थाओं से ऋण कम/नहीं प्राप्त होने के कारण सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु कम अनुदान जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार			
मू .	300.00		
पु .	- 51.24	248.76	248.76
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 51.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 037 - कृषि

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम

पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,

4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय,

6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और

6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	47,85,43,55	47,85,43,75	35,71,63,18 - 12,13,80,57
अनुपूरक	20		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			12,13,79,30
प्रभारित			
मूल	1,02	74,17	48,46 - 25,71
अनुपूरक	73,15		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			25,71
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	3,35,03,05	3,35,03,06	1,89,47,07 - 1,45,55,99
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,45,55,98
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 49,328.42 लाख, ₹ 33,386.08 लाख, ₹ 35,569.42 लाख, ₹ 42,712.13 लाख तथा ₹ 1,21,380.57 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.12 प्रतिशत से 25.36 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म 001. निदेशन तथा प्रशासन (07) राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डवलपमेन्ट बोर्ड [01] संस्थापन व्यय			
मू .	1,000.00		
अ.	0.06	141.51	141.51
पु .	- 858.55		..
₹ 858.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ, क्योंकि वेतन एवं भत्तों का भुगतान नवसृजित राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के प्रथम वर्ष में सृजित पदों पर पदस्थापित कार्मिकों की संख्या के अनुसार किया गया था, जिसके लिये कार्यालय की स्थापना एवं संचालन तथा पदों के सृजन से पूर्व प्रावधान का अनुमान लगाया गया था तथा (ii) दो कम्प्यूटर ऑपरेटर पदों की मंजूरी, जिसके लिए बजट प्रावधान का अनुमान लगाया गया था, को आरोपित की गई।			
105. खाद तथा उर्वरक (11) खाद तथा उर्वरक योजना			
मू .	1,009.01		
पु .	- 427.58	581.43	581.23
			- 0.20
₹ 427.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
107. वनस्पति रक्षण (06) नॉन-इन्डेमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन			
मू .	945.71		
पु .	- 539.13	406.58	406.80
			+ 0.22
31 मार्च 2023 को ₹ 539.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (02) कृषि सूचना			
मू .	860.01		
पु .	- 832.70	27.31	27.31
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 832.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन [01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन			
मू .	2,197.00		
पु .	- 639.45	1,557.55	1,557.55
			..
₹ 639.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश की अनुपालना में 33 जिलों के कृषि विभाग के उपनिदेशक कृषि तथा पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) कार्यालयों में उपपरियोजना निदेशक (कृषि तकनीकी प्रबन्धन अभिकरण) के पदों को समाप्त करने तथा (ii) जिला कार्यालयों में उप निदेशक, कृषि तथा पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) के 6 पदों, उप परियोजना निदेशक के 4 पदों तथा लेखाकार कम लिपिक के 8 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।			

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवम रोपण सामग्री			
मू .	981.05		
पु .	- 278.32	702.73	702.73
			..

31 मार्च 2022 को ₹ 278.32 लाख का प्रावधान भारत सरकार से अक्टूबर, 2022 के माह में केवल पहली किश्त प्राप्त होने तथा तदनुसार माह दिसम्बर, 2022 माह में राज्य सरकार द्वारा सिंगल नोडल एजेन्सी के बैंक खाते में केन्द्रांश तथा राज्यांश के हस्तान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन
[03] कृषि अभियांत्रिकी

मू .	454.00		
पु .	- 446.63	7.37	7.37
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 446.63 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन
[05] कृषि में ई-गवर्नेंस योजना

मू .	300.00		
पु .	- 300.00
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(17) जैविक उत्पाद बोर्ड
[01] संचालन

मू .	500.00		
पु .	- 500.00
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान जैविक उत्पाद बोर्ड की स्थापना नहीं होने, जो कि प्रक्रियाधीन थी, के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	7,725.00	2,275.34	2,275.34
पु.	- 5,449.66		..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,449.66 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य के विस्तृत क्षेत्र में शुष्क जलवायु के प्रचलन में होने तथा विषम जलवायु परिस्थितियों का प्रभाव <i>बागवानी विकास कार्यक्रम</i> को लागू करने में प्रभावित करता है। राज्य के विषम तथा शुष्क जलवायु दशाओं से उत्पन्न प्राथमिकता में बदलाव आने के कारण भी कृषक विभागीय योजना के लिये आवेदन नहीं करते, इसलिए योजना की प्रगति आशानुरूप नहीं बन सकी।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(29) फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता			
मू.	2,050.30	2.33	2.33
पु.	- 2,047.97		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,047.97 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय बागवानी मिशन</i> के तहत व्यय इस शीर्ष के स्थान पर <i>कृषक कल्याण निधि</i> के माध्यम से किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	7,000.01
पु.	- 7,000.01		..
31 मार्च 2023 को ₹ 7,000.01 लाख का समस्त प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत <i>ग्रीन हाउस और शेड-नेट हाउस</i> के निर्माण पर व्यय इस शीर्ष के बजाय <i>कृषक कल्याण निधि</i> के माध्यम से करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	6,800.00
पु.	- 6,800.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 6,800.00 लाख का समस्त प्रावधान सौर ऊर्जा पम्प सेटों पर सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि राज्य निधि से अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए किया गया था।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(37) आटोमेशन पर सहायता			
मू.	390.00	11.89	11.89
पु.	- 378.11		..
31 मार्च 2023 को ₹ 378.11 लाख का प्रावधान निविदा कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(47) सुक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	35,000.00		
पु .	- 24,844.05		
	10,155.95	10,154.69	- 1.26
31 मार्च 2023 को ₹ 24,844.05 लाख का प्रावधान सुक्ष्म सिंचाई निधि के अन्तर्गत राज्य सरकार से अतिरिक्त टॉप-अप राशि के भुगतान हेतु 09.03.2023 को राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ, इसलिए वर्ष के दौरान भुगतान नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप इस मद में कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 18,971.44 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,872.61 लाख) किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू .	1,135.00		
पु .	- 888.75		
	246.25	246.25	..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू .	15,337.75		
पु .	-7,413.83		
	7,923.92	7,923.92	..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू .	700.00		
पु .	-378.95		
	321.05	321.05	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 8,681.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किश्त प्राप्त नहीं हुई क्योंकि द्वितीय किश्त मार्च, 2023 में प्राप्त हुई थी और तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार			
मू .	3,090.00		
पु .	- 2,098.00		
	992.00	992.00	..

31 मार्च 2023 को ₹ 2,098.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 24.03.2023 को भारत सरकार से प्राप्त तीसरी किश्त कोषालय द्वारा बिल पास नहीं होने के कारण योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं की जा सकी, यह भी बचत का कारण रहा।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू .	3,546.00	1,586.53	1,586.53
पु .	- 1,959.47		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,959.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। इसके अलावा, दिनांक 29.03.2023 को भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किश्त कोषालय में जमा नहीं की जा सकी इसलिए यह राशि योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं हुई। यह भी बचत का कारण था।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू .	520.00	286.25	286.25
पु .	- 233.75		..
31 मार्च 2023 को ₹ 233.75 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू .	4,937.66	2,626.25	2,626.26
पु .	- 2,311.41		+ 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 2,311.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[35] टिकाऊ खेती मिशन-कृषि वानिकी			
मू .	182.00
पु .	- 182.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 182.00 लाख का समस्त प्रावधान अव्ययित राशि का पुनर्वैधीकरण नहीं करने एवं भारत सरकार द्वारा कृषि वानिकी सबमिशन योजना को बन्द करने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[36] बीज विकास			
मू .	1,304.55	1.57	1.57
पु .	- 1,302.98		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,302.98 लाख का प्रावधान व्यय इस शीर्ष के बजाय मुख्यमन्त्री कृषक साथी योजना के माध्यम से किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[37] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पौष्टिक अनाज			
मू.	3,044.50	1,422.70	1,422.69
पु .	- 1,621.80		
			- 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 1,621.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तृतीय किशत प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि द्वितीय किशत मार्च, 2023 में प्राप्त हुई थी और परिणामस्वरूप राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[38] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	3,598.83	1,860.11	1,860.11
पु .	- 1,738.72		
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,738.72 लाख का प्रावधान योजना के एस. एन. ए. के बैंक खाते में निधियों के कम हस्तान्तरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[40] कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान			
मू.	6,800.00
पु .	- 6,800.00		
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 6,800.00 लाख का समस्त प्रावधान इस शीर्ष के बजाय मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कृषक कल्याण निधि के माध्यम से व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[41] कृषि उत्पाद भंडारण हेतु सहायता			
मू.	680.00	575.51	575.51
पु .	- 104.49		
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 104.49 लाख का प्रावधान प्याज भंडारण संरचना के निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के परिणामस्वरूप कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[42] भूमिहीन श्रमिकों को सहायता			
मू.	6,800.00
पु .	- 6,800.00		
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 6,800.00 लाख का समस्त प्रावधान इस शीर्ष के बजाय मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कृषक कल्याण निधि के माध्यम से व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[43] आर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता			
मू.	680.00
पु.	- 680.00
31 मार्च 2023 को ₹ 680.00 लाख का समस्त प्रावधान वर्ष 2022-23 से राजस्थान जैविक कृषि मिशन का क्रियान्वयन शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) जल आयोजना हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[01] सिंचाई जल का समुचित उपयोग			
मू.	4,200.01
पु.	- 4,200.01
31 मार्च 2023 को ₹ 4,200.01 लाख का समस्त प्रावधान इस शीर्ष के बजाय मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कृषक कल्याण निधि के माध्यम से व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	5,867.77	4,957.94	4,957.93
पु.	- 909.83		- 0.01
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	6,734.00	3,189.54	3,189.54
पु.	- 3,544.46		..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	875.00	110.00	110.00
पु.	- 765.00		..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[17] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	200.00	13.70	13.70
पु.	- 186.30		..

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[18] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के माध्यम से			
मू.	200.00	20.00	20.00
पु.	- 180.00		..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 5,585.59 लाख का प्रावधान भारत सरकार से दिनांक 29.03.2023 को प्राप्त हुई दूसरी किश्त कोषालय में जमा नहीं हो सकी, इसलिए यह राशि योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	1,750.00
पु.	- 1,750.00		..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[12] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	800.00
पु.	- 800.00		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,550.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से दिनांक 29.03.2023 को प्राप्त हुई दूसरी किश्त कोषालय में जमा नहीं हो सकी, इसलिए यह राशि योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मु.	6,120.00	1,310.94	1,310.94
पु.	- 4,809.06		..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,809.06 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किश्त प्राप्त नहीं होने क्योंकि मार्च, 2023 में द्वितीय किश्त प्राप्त हुई तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(40) शून्य लागत आधारित कृषि			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मु.	340.00
पु.	- 340.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 340.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान जैविक खेती मिशन का क्रियान्वयन शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[02] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	7,902.00		
अ.	0.01	6,623.00	6,623.00
पु .	- 1,279.01		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,279.01 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायता			
मू .	12,270.00		
पु .	- 11,872.28	397.72	397.72

31 मार्च 2023 को ₹ 11,872.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा योजना का 60 प्रतिशत केन्द्रीयांश सीधे ही लाभार्थियों को जारी किया गया था। राज्य सरकार ने केवल अपना 40 प्रतिशत हिस्सा ही जारी किया।

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 23,416.87 लाख, ₹ 12,840.61 लाख, ₹ 2,384.05 लाख, ₹ 2,978.06 लाख तथा ₹ 14,555.99 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 11.01 प्रतिशत से 56.06 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत (जो अनुदान के अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(05) सुक्ष्म सिंचाई के लिए उत्कृष्टता केन्द्र			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	345.00
पु .	- 345.00

31 मार्च 2023 को ₹ 345.00 लाख का समस्त प्रावधान सुक्ष्म सिंचाई हेतु उत्कृष्टता केन्द्र के लिए प्रारूप परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु प्रस्तावित दस्तावेजों के लिए प्रार्थना का अनुमोदन नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(06) मधुमक्खी पालन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र			
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	345.00
पु .	- 345.00
31 मार्च 2023 ₹ 345.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीयों से भरतपुर में मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना वित्त विभाग स्तर पर विचाराधीन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
बजट भाषण में, राज्य सरकार ने भरतपुर में मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी । इसी तरह, केन्द्र सरकार ने भी इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के माध्यम से निधियां आवंटित कीं। चूंकि एक ही स्थान पर, एक ही उद्देश्य के लिए दो अलग-अलग केन्द्र स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय निधि के उपयोग को बजट घोषणा को पूरा करने के लिए प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव को वित्त विभाग को विचार हेतु भेजा गया ।			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[01] भवन			
मू .	210.00
पु .	- 210.00
31 मार्च 2023 को ₹ 210.00 लाख का समस्त प्रावधान कृषि विभागीय भवनों के निर्माण/मरम्मत हेतु सिविल कार्यों हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू .	3,600.00
पु .	- 3,600.00
31 मार्च 2023 को ₹ 3,600.00 लाख का प्रावधान किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन का निर्माण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,154.56 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 445.44 लाख) किया गया ।			
वित्त एवं विनियोग अधिनियम पर चर्चा के दौरान की गयी बजट घोषणा में राजस्व, कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सभी पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक छत के नीचे लाने की घोषणा की गयी । घोषणा की अनुपालना में, वित्त विभाग ने मिनी सचिवालय भवन के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को नोडल विभाग नामित किया । अतः सेवा केन्द्रों का निर्माण नहीं होने के कारण शीर्ष में बचत रही ।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू .	823.00	707.97	..
पु .	- 115.03	707.97	..

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	575.00		
पु .	- 489.00	86.00	86.00
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[09] वन विभाग के माध्यम से			
मू .	3,200.00		
पु .	- 2,683.12	516.88	516.88
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 3,287.15 लाख का प्रावधान भारत सरकार से 29.03.2023 को प्राप्त द्वितीय किश्त कोषालय में जमा नहीं की जा सकी इसलिए यह योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू .	2,500.00		
पु .	- 2,500.00
800. अन्य व्यय			
(03) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू .	600.00		
पु .	- 600.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 3,100.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से 29.03.2023 को प्राप्त द्वितीय किश्त कोषालय में जमा नहीं की जा सकी इसलिए यह योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
800. अन्य व्यय			
(07) बाजरे के लिए उत्कृष्टता केन्द्र			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू .	345.00		
पु .	- 345.00

31 मार्च 2023 को ₹ 345.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत उत्कृष्टता केन्द्र परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ और कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को इस कार्य के निष्पादन की सहमति दिये जाने के परिणामस्वरूप इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा			
मू .	750.00		
पु .	- 683.00	67.00	67.00
31 मार्च 2023 को ₹ 683.00 लाख का प्रावधान महाविद्यालय भवन के ले-आउट प्लान में परिवर्तन के कारण निर्माण कार्य रूकने एवं कृषि विश्वविद्यालय, हिन्दोली के भवन निर्माण का निविदा कार्य सम्पदा अधिकारी का पद रिक्त रहने से निष्पादित नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(10) कृषि उपज मण्डियों को उधार (नाबार्ड)			
[01] कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर को कर्ज			
मू .	700.00		
पु .	- 520.37	179.63	179.63
31 मार्च 2023 को ₹ 520.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू .	6,000.00		
पु .	- 2,500.00	3,500.00	3,500.00
31 मार्च 2023 को ₹ 2,500.00 लाख का प्रावधान (i) भूमि विवाद के कारण रामगढ (अलवर) में गोदामों का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने तथा (ii) डिजायन का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण दंतौर (बीकानेर) में गोदामों का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

3. निम्न शीर्षों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान प्रावधान किया गया जिस पर कार्यालय महालेखाकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान आपत्ति जताई थी तथा इन शीर्षों को संचालित करने की सहमति नहीं दी गयी थी क्योंकि इन मदों के अन्तर्गत दर्ज व्यय राजस्व प्रकृति का है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(01) कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान			
[01] स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर			
मू .	65.00	65.00	65.00
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[02] स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर			
अ .	1,030.00	1,030.00	1,030.00
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर			
मू .	3,382.00	3,407.00	3,407.00
पु .	25.00		
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा			
मू .	750.00	67.00	67.00
पु .	- 683.00		
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[05] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू .	2,040.00	2,040.00	2,040.00

ये पूंजीगत शीर्ष वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा स्वायत्त संस्थाओं/निकायों में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु खोले गये। प्रारम्भ में, उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान मौजूदा नियमों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्षों में किया गया था इसलिए इन पूंजीगत शीर्षों को खोलने के लिए उस वर्ष में कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी।

वर्ष 2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान किया तथा व्यय को दर्ज किया गया। यह जीएफ एण्ड एआर, सरकारी लेखा नियम-1990 और भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.-2) के उल्लंघन में व्यय के गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 038 – लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और

2702. लघु सिंचाई

पूंजी – 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,53,54,90	1,65,35,07	1,57,56,34	- 7,78,73
अनुपूरक	11,80,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,25,02
प्रभारित				
मूल	5	5	..	- 5
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				5
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	38,71	1,40,95	1,30,48	- 10,47
अनुपूरक	1,02,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				10,47
टिप्पणियाँ तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 778.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,180.17 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 778.73 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 353.71 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 038 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) कार्य योजना के भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय			
मू .	3,000.10		
अ .	1,121.00	4,031.28	3,682.91
पु .	- 89.82		- 348.37

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,121.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत ₹ 438.19 लाख (₹ 89.82 लाख + ₹ 348.37 लाख) को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 89.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। जिसके तथा ₹ 348.37 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2702. लघु सिंचाई

02. भू-जल

005. अन्वेषण

(01) भू-जल का सर्वेक्षण व अनुसंधान-प्रतिबद्ध

मू .	2,188.41			
		1,945.42	1,944.62	- 0.80
पु .	- 242.99			

₹ 242.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, महंगाई भत्ते की दरों में अनुमान से कम बढ़ोत्तरी और बकाया का कम भुगतान होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन और
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय और
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	21,20,93,32	22,30,86,61	21,26,95,48	- 1,03,91,13
अनुपूरक	1,09,93,29			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
प्रभारित				
मूल	2	3	..	- 3
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,42,00,06	1,42,00,09	1,02,63,97	- 39,36,12
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 10,391.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 10,993.29 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 10,993.28 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(29) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाईल वेटनरी यूनिट)			
मू .	4,512.00
पु .	- 4,512.00

31 मार्च 2023 को ₹ 4,512.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,340.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,171.21 लाख) किया गया।

102. पशु तथा भैंस विकास
(16) पशुधन नस्ल सुधार योजना
[01] स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से

मू .	500.00	21.23	21.23	..
पु .	- 478.77			

31 मार्च 2023 को ₹ 478.77 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरण जे.के. के बकाया बिलों के भुगतान पर निर्णय नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

102. पशु तथा भैंस विकास
(28) ऊँट संरक्षण के लिए अनुदान
[01] पशु पालन विभाग

मू .	250.00	124.18	124.18	..
पु .	- 125.82			

31 मार्च 2023 को ₹ 125.82 लाख का प्रावधान योजना देरी से स्वीकृत होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

102. पशु तथा भैंस विकास
(29) जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
[01] पशु पालन विभाग

मू .	1,000.00	100.00	100.00	..
पु .	- 900.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 900.00 लाख का प्रावधान नव निर्मित पशु कल्याण बोर्ड में स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमित कर्मचारियों का पदस्थापन नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्ते पर कम व्यय होने तथा बोर्ड में कार्यालय देरी से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(01) निदेशालय पशु पालन विभाग			
[01] पशु बीमा			
मू .	2,360.00		
पु .	- 1,680.00	680.00	680.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,680.00 लाख का प्रावधान बजट उदघोषणा के अनुसार बीमा कंपनियों से समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन नहीं होने और योजना शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण			
(04) कौशल विकास एवं विस्तार			
[01] विकास एवं विस्तार			
मू .	156.62		
पु .	- 135.64	20.98	20.80
31 मार्च 2023 को ₹ 135.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया , वर्ष के दौरान भारत सरकार से पूर्व में प्राप्त निधियों में से केवल अव्ययित राशि ही व्यय की गयी।			
2405. मछली पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,045.44		
पु .	- 144.02	901.42	901.40
₹ 144.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मत्स्य विकास अधिकारी एवं सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।			
101. अन्तर्देशीय मछली पालन			
(10) नीली क्रांति			
[02] क्राफ्ट एण्ड गियर			
मू .	141.93		
पु .	- 141.85	0.08	0.08
31 मार्च 2023 को ₹ 141.85 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के केंद्रीय हिस्से की निधियों को भारत सरकार द्वारा राज्य समेकित निधि के बजाय सीधे एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में हस्तान्तरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूँजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(16) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उपकेन्द्रों/औषधालयों का निर्माण-नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,000.00
पु .	- 1,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों का निर्माण			
[01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXVII			
मू.	2,500.00
पु .	- 2,500.00
31 मार्च 2023 को ₹ 2,500.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(19) पशु रोग जाँच प्रयोगशाला			
[01] पशुपालन विभाग			
मू.	250.00
पु .	- 250.00
31 मार्च 2023 को ₹ 250.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
800. अन्य व्यय			
(01) नंदीशाला योजना			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना			
मू .	7,300.00	1,091.18	1,091.19 + 0.01
पु .	- 6,208.82		
31 मार्च 2023 को ₹ 6,208.82 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,027.08 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 181.74 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(11) जिला कार्यालय एवं पशु चिकित्सालय			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	350.00	1,976.90	1,976.90
पु .	1,626.90		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,626.90 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(14) पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उपकेन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	300.00	1,000.00	1,000.00
पु .	700.00		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यकारी अभिकरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, निधियां 22.03.2023 को बोर्ड के जमा खातों में स्थानांतरित की गयी थी।			

101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(18) पशु चिकित्सा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[01] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर			
मू .	700.00	4,333.20	4,333.20
अ .	0.01		
पु .	3,633.19		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,633.19 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (स्वायत्तशासी अभिकरण) में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु विश्वविद्यालय को अनुदान जारी करने बजाय पूंजीगत प्रकृति के व्यय करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। ₹ 4,333.20 लाख के कुल व्यय में से, माह फरवरी, 2023 में ₹ 525.00 लाख विश्वविद्यालय के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित लेखों में अन्तिम व्यय दर्ज किया गया।			

इस स्वायत्त संस्थान के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा शीर्ष खोला गया था। प्रारंभ में उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्ष के तहत किया गया था, इसलिए इस पूंजीगत शीर्ष को खोलने की सहमति कार्यालय महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वारा नहीं दी गई थी क्योंकि उस वर्ष में निधियां राजस्व व्यय शीर्ष के तहत अनुदान के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वायत्त संस्थान/निकाय को जारी की जानी चाहिए थी।

2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्ष के तहत प्रावधान तथा व्यय दर्ज किया। यह जी.एफ.एण्ड ए.आर., सरकारी लेखा नियम, 1990 और भारतीय सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस)-2 के उल्लंघन में व्यय के गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 039 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(18) पशु चिकित्सा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय			
[02] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान			
विश्वविद्यालय, बीकानेर नाबाई			
(आर.आई.डी.एफ.-XXVII)			
मू.	1,700.00	1,700.00	..

₹ 1,700.00 लाख का प्रावधान राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर (स्वायत्तशासी संस्थान) में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए विश्वविद्यालय को अनुदान जारी करने बजाय पूंजीगत प्रकृति के व्यय करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 1,700.00 लाख के कुल व्यय में से, माह फरवरी, 2023 में ₹ 925.00 लाख विश्वविद्यालय के निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित लेखों में अन्तिम व्यय दर्ज किया गया।

इस स्वायत्त संस्थान के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 2021-22 के दौरान प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा शीर्ष खोला गया था। प्रारंभ में उपरोक्त व्यय के लिए बजट प्रावधान के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजस्व व्यय शीर्ष के तहत किया गया था, इसलिए इस पूंजीगत शीर्ष को खोलने की सहमति कार्यालय महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वारा नहीं दी गई थी क्योंकि उस वर्ष में निधियां राजस्व व्यय शीर्ष के तहत अनुदान के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए स्वायत्त संस्थान/निकाय को जारी की जानी चाहिए थी।

2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार ने शीर्ष के तहत प्रावधान तथा व्यय दर्ज किया। यह जी.एफ.एण्ड ए.आर., सरकारी लेखा नियम, 1990 और भारतीय सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस)-2 के उल्लंघन में व्यय के गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,90,10	1,90,10	1,65,75	- 24,35
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				24,33
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1

अनुदान संख्या 041 – सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	99,09,97,77		
अनुपूरक	6	99,09,97,83	60,54,43,26 – 38,55,54,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			38,47,65,45
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	..	1	.. – 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1

पूंजी

दत्तमत			
मूल	1		
अनुपूरक	34,24,99	34,25,00	22,57,09 – 11,67,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			9,96,68

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,85,554.57 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 789.12 लाख अन्-अभ्यर्पित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निर्देशन एवं प्रशासन			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,994.24		
अ .	0.02	1,725.89	1,724.74 – 1.15
पु .	- 268.37		

₹ 268.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) जिला आयोजना कार्यालय			
[01] मुख्य आयोजना कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,655.34	1,456.46	1,456.23
पु.	- 198.88		
			- 0.23
31 मार्च 2023 को ₹ 198.88 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,10,500.00	28,512.95	28,512.95
पु.	- 81,987.05		
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 81,987.05 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	4,420.00
पु.	- 4,420.00		
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,420.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू.	10,189.38	4,969.79	4,969.79
पु.	- 5,219.59		
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,219.59 लाख का प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	96,736.80	76,070.08	76,070.08
पु .	- 20,666.72		..
31 मार्च 2023 को ₹ 20,666.72 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू .	40,757.50	19,879.16	19,879.16
पु .	- 20,878.34		..
31 मार्च 2023 को ₹ 20,878.34 लाख का प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	3,62,763.00	1,63,833.85	1,63,741.32
पु .	- 1,98,929.15		- 92.53
31 मार्च 2023 को ₹ 1,98,929.15 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,18,734.46 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 80,194.69 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 92.53 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	54,352.70
पु .	- 54,352.70		..
31 मार्च 2023 को ₹ 54,352.70 लाख का समस्त प्रावधान 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 041 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू .	1,51,040.63		
	74,505.75	74,456.46	- 49.29
पु .	- 76,534.88		

31 मार्च 2023 को ₹ 76,534.88 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 49.29 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी अनुदान (टाईड)			
अ.	0.01		
	3,034.68	3,034.68	..
पु .	3,034.67		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,034.67 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(01) तदर्थ सहायतार्थ अनुदान

[01] संस्थापन

मू .	90,612.24		
	1,08,195.00	1,07,945.75	- 249.25
पु .	17,582.76		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,582.76 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 249.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी अनुदान (टाईड)			
अ.	0.01		
		12,138.73	12,138.73
पु .	12,138.72		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,138.72 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(18) हैण्डपम्प मिस्त्रीयों एवं फिटर्स के लिये अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय हेतु अनुदान			
मू .	10,000.00		
		11,234.00	11,126.81
पु .	1,234.00		- 107.19
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,234.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 107.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[04] सामान्य बुनियादी अनुदान (टाईड)			
अ.	0.01		
		45,650.35	45,616.80
पु .	45,650.34		- 33.55
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,650.34 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, जिसके तथा ₹ 33.55 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 1,167.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पंचायत समितियों/जिला परिषदों के भवन निर्माण हेतु लिया गया ₹ 3,424.99 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 1,167.91 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 171.23 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
मू .	0.01		
अ .	3,424.99	2,428.32	- 171.23
पु .	- 996.68		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पंचायत समितियों/जिला परिषदों के भवन निर्माण के लिए लिया गया ₹ 3,424.99 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 996.68 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 171.23 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 042 - उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग और
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं
 पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज,
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज और
 7453. विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	3,95,64,65		
अनुपूरक	1,86,43,93	5,82,08,58	5,64,05,69 - 18,02,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			18,02,88
प्रभारित			
मूल	3		
अनुपूरक	..	3	.. - 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			3
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	6,02,49		
अनुपूरक	1,43,91	7,46,40	6,84,00 - 62,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			62,40

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,802.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 18,643.93 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 18,643.91 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 3,640.28 लाख, ₹ 10,119.43 लाख, ₹ 5,338.30 लाख, ₹ 14,132.41 लाख तथा ₹ 1,802.89 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.10 प्रतिशत से 29.22 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	6,300.00	3,231.25	3,231.25
पु.	- 3,068.75		

31 मार्च 2023 को ₹ 3,068.75 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(18) माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेज क्लस्टर डवलपमेन्ट प्रोग्राम(एमएसई-सीडीपी)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	170.00
पु.	- 170.00		

31 मार्च 2023 को ₹ 170.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

102. लघु उद्योग			
(21) मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
अ.	1,475.01	692.64	692.64
पु.	- 782.37		

फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना हेतु लिया गया ₹ 1,475.01 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 782.37 लाख की निधियां अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजन करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

105. खादी ग्रामोद्योग			
(06) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संस्थापन एवं प्रशासनिक व्यय			
[01] राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू.	930.00	656.80	656.80
पु.	- 273.20		

₹ 273.20 लाख की प्रत्याशित बचत पिछले वर्ष की अनुपयोजित राशि के उपयोग में लेने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) जिला उद्योग केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	3,946.38	3,321.83	3,321.84
पु.	- 624.55		
₹ 624.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डीएमआईसी)			
मू.	288.04	168.37	168.38
पु.	- 119.67		
31 मार्च, 2023 को ₹ 119.67 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) आयुक्त, उद्योग विभाग			
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,699.72	1,479.44	1,479.44
पु.	- 220.28		
₹ 220.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(23) शिल्प माटी कला बोर्ड को अनुदान			
मू.	500.00	250.00	250.00
पु.	- 250.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 250.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(24) अप्रवासी भारतीय विभाग			
[01] राजस्थान फाउन्डेशन			
मू.	260.00	130.00	130.00
पु.	- 130.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 130.00 लाख का प्रावधान विदेश में नया चैप्टर खोलने का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने और कॉर्पस फण्ड पर अर्जित ब्याज से निधियों का उपयोग करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(25) राजस्थान वित्त निगम			
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना हेतु सहायता			
मू.	699.99		
		425.00	425.00
पु.	- 274.99		..

31 मार्च 2023 को ₹ 274.99 लाख का प्रावधान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण वितरण में कमी के कारण सहाय्य कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
102. औद्योगिक उत्पादकता
(27) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस)
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा अनुदान

मू.	735.00		
		635.00	635.00
पु.	- 100.00		..

31 मार्च 2023 को ₹ 250.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	7,000.00		
		7,900.00	7,900.00
पु.	900.00		..
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 (उद्योग विभाग)			
[02] पूंजीगत अनुदान			
मू.	40.00		
अ.	24.87		
पु.	497.78		
		562.65	562.65

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,397.78 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(17) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	3,079.35		
अ.	6,986.73	11,904.63	11,904.63
पु.	1,838.55		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,838.55 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

105. खादी ग्रामोद्योग
(01) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान

मू.	650.00			
पु.	125.00	775.00	775.00	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.00 लाख की अतिरिक्त निधियां खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2852. उद्योग
80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) निदेशन और अधीक्षण

मू.	17.60			
पु.	134.23	151.83	151.82	- 0.01

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 134.23 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 62.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 143.91 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 043 - खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,69,53,40			
अनुपूरक	1	1,69,53,41	1,54,65,62	- 14,87,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				14,87,77
प्रभारित				
मूल	4			
अनुपूरक	23,95	23,99	23,96	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	6,20,30,06			
अनुपूरक	..	6,20,30,06	4,11,99,82	- 2,08,30,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,08,30,24

टिप्पणियां तथा टीकाएं :**राजस्व****दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग				
02. खानों का विनियमन तथा विकास				
001. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश				
(07) खनिज सघन पूर्वक्षण, सर्वेक्षण एवं मानचित्रण योजना				
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग- प्रधान कार्यालय				
मू.	715.12	391.22	391.22	..
पु.	- 323.90			

अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)

31 मार्च 2023 को ₹ 323.90 लाख का प्रावधान (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के लगातार अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होने के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) उच्च एवं योजना स्तर पर उपकरण खरीद के लिए फर्म निश्चित नहीं होने तथा (iii) विभागीय ऑन-लाईन सिस्टम के सपोर्ट एवं मेन्टीनेन्स कार्य के कम क्रियान्वित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच पी सी एल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[01] रिफायनरी			
मू. 60,000.00	40,000.00	40,000.00	..
पु. - 20,000.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 20,000.00 लाख का प्रावधान राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पूंजीगत व्यय कम किया जिसके परिणामस्वरूप निवेश कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू. 1,500.00	1,199.82	1,199.82	..
पु. - 300.18			

31 मार्च 2023 को ₹ 300.18 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू. 500.00
पु. - 500.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान मशीनरी व उपकरण खरीद और सिलिकॉसिस रिसर्च एवं रिहेबिलेशन केन्द्र, जोधपुर के निर्माण के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 044 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

पूँजी - 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	29,95,12		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		29,95,12	24,48,69 - 5,46,43
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		1	.. - 1
			5,46,45

पूँजी

दत्तमत			
मूल	3,83,50		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)		3,83,50	.. - 3,83,50

टिप्पणियां तथा टीकाएं:**राजस्व****दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
103. सरकारी मुद्रणालय			
(01) मुद्रण कार्य			
[01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू.	2,585.51		
पु.	- 407.91		
		2,177.60	2,177.61 + 0.01

अनुदान संख्या 044 - (समाप्त)

₹ 407.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आवंटित बजट का उपयोग नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लेखन सामग्री मद में आवंटित बजट को फ्रीज (बन्द) कर दिया गया था ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
104. अन्य साधनों से मुद्रण की लागत			
(01) केन्द्रीय मुद्रणालय			
[01] बहुरंगीय मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू.	200.00	55.95	55.95
पु.	- 144.05		..

31 मार्च 2023 को ₹ 144.05 लाख का प्रावधान आवंटित बजट का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रिंटिंग मद में आवंटित बजट को फ्रीज (बन्द) कर दिया गया था ।

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
103. सरकारी मुद्रणालय			
(01) मुद्रण कार्य			
[02] आधुनिक मुद्रण यंत्र			
मू.	383.50
पु.	- 383.50		..

31 मार्च 2023 को ₹ 383.50 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान फाईनेंशियल सर्विस डिलिवरी लिमिटेड से तकनीकी विश्लेषण प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने से वर्ष के दौरान बहुरंगीय मुद्रण मशीनों की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2021-22 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था ।

अनुदान संख्या 045 - राज्य कर्मचारियों को ऋण
(समस्त दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	27,01,39,58		
अनुपूरक	1	27,01,39,59	- 2,62,70,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,60,41,19
प्रभारित			
मूल	7		
अनुपूरक	3,08,63	3,08,70	- 1,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,92
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	37,73,88,71		
अनुपूरक	7	37,73,88,78	- 15,42,89,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			15,43,15,16
प्रभारित			
मूल	3		
अनुपूरक	1,13,68	1,13,71	- 4,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			4,86

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 26,270.18 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 228.99 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अभियन्ता एवं संबंधित कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	700.15		
पु.	- 151.37	548.78	548.77
			- 0.01

₹ 151.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान कार्मिकों के पदोन्नति पर स्थानान्तरण होने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय
- [04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी -प्रतिबद्ध

मू.	420.00	235.61	235.61	..
पु.	- 184.39			

₹ 420.00 लाख का प्रावधान भाखरा नांगल परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूल किये राजस्व के 50 प्रतिशत राशि के पुनर्भरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, अधिकांश वसूली वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में की गई, जिसके कारण संगमों को 50 प्रतिशत राशि लौटाना संभव नहीं हो सका, परिणामतः 31 मार्च 2023 को राशि ₹ 184.39 लाख अभ्यर्पित की गयी।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)
- [01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध

मू.	10,800.00	9,641.06	9,641.08	+ 0.02
पु.	- 1,158.94			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,158.94 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन के अनुसार भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड को निर्माण कार्यों से सम्बन्धित राज्य सरकार का हिस्सा जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम
- [01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	10,800.00	8,751.04	8,751.04	..
पु.	- 2,048.96			

31 मार्च 2023 को ₹ 2,048.96 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन के अनुसार भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड को निर्माण कार्यों से सम्बन्धित राज्य सरकार का हिस्सा जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इन्दिरा गांधी नहर कि.मी.0 से कि.मी.74 तक मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[02] अनुरक्षण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,566.12		
पु.	- 169.74		
	1,396.38	1,396.37	- 0.01
₹ 169.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने तथा पदोन्नति पर स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना के प्रवर्तन व अनुरक्षण पर व्यय मुख्य अभियन्ता, इ.गां.न.प.बीकानेर के माध्यम से)			
[02] प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,782.85		
पु.	- 958.10		
	2,824.75	2,824.76	+ 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 958.10 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	2,788.32		
पु.	- 290.59		
	2,497.73	2,496.95	- 0.78
₹ 290.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चयन ग्रेड स्केल में वेतन निर्धारण न होने से एरियर का भुगतान नहीं होने तथा कार्मिकों के स्थानान्तरण होने से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गाँधी नहर किमी 0 से किमी 74 तक मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ के माध्यम से			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	531.46		
पु.	- 138.32		
	393.14	393.11	- 0.03
31 मार्च 2023 को ₹ 138.32 लाख का प्रावधान कर्मचारियों को पदोन्नति पर स्थानान्तरण होने तथा सेवानिवृत्त होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(03) इन्दिरा गांधी नहर किमी 74 से किमी 189 तक मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ के माध्यम से			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	420.60	312.83	312.83
पु.	- 107.77		..
31 मार्च 2023 को ₹ 107.77 लाख का प्रावधान कर्मचारियों का पदोन्नति पर स्थानान्तरण होने तथा सेवानिवृत्त होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(07) मुख्य अभियन्ता, इ.गां.न.प. बीकानेर के माध्यम से			
[01] कार्य प्रभारित व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,810.50	2,211.16	2,209.99
पु.	- 599.34		- 1.17
31 मार्च 2023 को ₹ 599.34 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	49,736.99	49,736.99	45,715.82
₹ 4,021.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)- प्रतिबद्ध			
मू.	380.00	92.98	92.98
पु.	- 287.02		..
31 मार्च 2023 को ₹ 287.02 लाख का प्रावधान नहर की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि री-लाइनिंग का 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था ।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(03) हरिके बैरेज			
[01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	150.00
पु.	- 150.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 150.00 लाख का समस्त प्रावधान हरिके बैरेज के रखरखाव के लिए पंजाब सरकार से मांग नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निष्पादन			
[02] निष्पादन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	558.03	446.52	446.51
पु.	- 111.51		- 0.01
₹ 111.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों का पदोन्नति पर स्थानान्तरण होने तथा सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) राजस्थान में रखरखाव			
[04] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	400.00	263.80	263.75
पु.	- 136.20		- 0.05
₹ 136.20 लाख का प्रावधान गंग नहर सिंचाई प्रणाली के जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूल किये राजस्व के 50 प्रतिशत राशि के पुनर्भरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, अधिकांश वसूली वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में की गई, जिसके कारण संगमों को 50 प्रतिशत राशि लौटाना संभव नहीं हो सका परिणामतः 31 मार्च 2023 को राशि ₹ 136.20 लाख अभ्यर्पित की गयी।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	37,036.15	34,780.00	33,778.22
पु.	- 2,256.15		- 1,001.78
31 मार्च 2023 को ₹ 2,256.15 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी खाते पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,001.78 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
34. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	854.86	733.08	702.41
पु.	- 121.78		- 30.67

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
35. धौलपुर लिफ्ट			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,736.94		
		3,721.68	3,682.45
			- 39.23
पु.	- 1,015.26		

31 मार्च 2023 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,137.04 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी खाते पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 69.90 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रिक्चरिंग प्रोजेक्ट			
फॉर डेजर्ट एरिया			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर),			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
मू.	824.28		
	
पु.	- 824.28		
31 मार्च 2023 को ₹ 824.78 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रिक्चरिंग प्रोजेक्ट			
फॉर डेजर्ट एरिया -प्रतिबद्ध			
मू.	11,128.33		
		10,547.13	9,581.66
			- 965.47
पु.	- 581.20		
31 मार्च 2023 को ₹ 581.20 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी खाते पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 965.47 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

2701. मध्यम सिंचाई			
24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,752.53		
		1,726.53	89.49
			- 1,637.04
पु.	- 26.00		

31 मार्च 2023 को ₹ 26.00 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी खाते पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,637.04 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
44. गम्भीरी परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) निष्पादन			
[01] अन्य रखरखाव व्यय -प्रतिबद्ध			
मू.	294.81		
पु.	- 107.01	187.80	187.80
			..
₹ 107.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
मू.	1,591.43		
पु.	- 86.44	1,504.99	1,229.00
			- 275.99
31 मार्च 2023 को ₹ 86.44 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी खाते पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 275.99 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[04] रूपांकन-प्रतिबद्ध			
मू.	451.34		
पु.	- 122.21	329.13	337.06
			+ 7.93
31 मार्च 2023 को ₹ 122.21 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7.93 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	395.69		
पु.	- 101.71	293.98	293.98
			..
₹ 101.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों का पदोन्नति पर स्थानान्तरण होने तथा सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	2,464.88		
पु.	- 380.71		
		2,084.17	2,084.16
			- 0.01
₹ 380.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानांतरित कर्मचारियों के संस्थापन व्यय हेतु सहायता			
[01] पंचायतों को अनुदान			
मू.	495.00		
पु.	- 263.46		
		231.54	230.12
			- 1.42
31 मार्च 2023 को ₹ 263.46 लाख का प्रावधान ग्राम पंचायतों में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मजदूरी के भुगतान हेतु पंचायत समिति के निजी निक्षेप खातों में अनुदान हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानांतरित कर्मचारियों के संस्थापन व्यय हेतु सहायता			
[01] पंचायतों को संस्थापन व्यय एवं अनुरक्षण सामग्री हेतु अनुदान			
मू.	576.50		
पु.	- 255.97		
		320.53	320.53
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 255.97 लाख का प्रावधान ग्राम पंचायतों में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार मजदूरी के भुगतान हेतु पंचायत समिति के निजी निक्षेप खातों में अनुदान हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(07) जल उपभोक्ता संगम			
[01] जल उपभोक्ता संगमों को प्रभार की वापसी-प्रतिबद्ध			
मू.	174.00		
पु.	- 121.03		
		52.97	52.97
			..
₹ 121.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से			
मू.	6,739.02		
		2,413.35	
पु.	- 4,325.67	2,413.35	..

₹ 4,325.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कृषि और बागवानी विभाग को आवश्यकतानुसार सब्सिडी जारी करने तथा संविदा सेवाओं पर अनुबन्धित व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखडा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उचंत			
(02) भाखडा ब्यास प्रबंधक मंडल-प्रतिबद्ध			
मू.	110.00		
		226.66	
पु.	116.66	227.29	+ 0.63
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 116.66 लाख की अतिरिक्त निधियां भाखडा ब्यास प्रबंधक मण्डल से प्राप्त उचंत लेनदेन के लेखांकन के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(02) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय (मुख्य अभियन्ता, इ.गां.न.प.बीकानेर के माध्यम से)			
[01] अन्य रखरखाव-प्रतिबद्ध			
मू.	80.01		
		192.68	
पु.	112.67	192.68	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 112.67 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से संचालन कार्य निविदा के माध्यम से निष्पादित होने से मरम्मत एवं अनुरक्षण पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति करने तथा पिछले वर्ष की बकाया देनदारियों के भुगतान के लिए उपलब्ध करवायी गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(03) इंदिरा गांधी नहर कि.मी. 74 से कि.मी. 189 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] अन्य रखरखाव-प्रतिबद्ध			
मू.	153.50		
पु.	124.39		
	277.89	277.88	- 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 124.39 लाख की अतिरिक्त निधियां नहरों की सिल्ट सफाई, बर्म कटिंग, केली हटाने और अन्य सामान्य रखरखाव कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गयी ।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,581.95		
पु.	600.00		
	5,181.95	5,181.95	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी खाते पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध कराई गयी ।			
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
	..	1,063.60	+ 1,063.60
बिना प्रावधान के ₹ 1,063.60 लाख का व्यय करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) । शीर्ष के अन्तर्गत किया गया व्यय पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन से संबंधित है, जो प्रतिवर्ष परियोजना से संबंधित कार्य पर किये गये कुल पूंजी व्यय पर लगाया जाता है । राज्य सरकार द्वारा इसके लिए समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए था ।			
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) रखरखाव और मरम्मत(राजस्थान भाग)			
[01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	60.00		
पु.	108.43		
	168.43	168.43	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 108.43 लाख की अतिरिक्त निधियां किसानों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर नहरों पर जंगल हटाने एवं बर्म कटिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराई गयी ।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निष्पादन (यूनिट-1)-प्रतिबद्ध			
मू.	631.59		
पु.	131.36		
	762.95	762.96	+ 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 131.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(02) सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर			
मू.	151.01		
		527.10	
पु.	376.09	527.10	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 376.09 लाख की अतिरिक्त निधियां सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
799. उच्च			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर-प्रतिबद्ध			
अ.	0.01		
		107.67	
पु.	107.66	107.66	- 0.01

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 107.66 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के समायोजन हेतु उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत / आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन कटौति, अनावश्यक/अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[01] दांयी मुख्य नहर से स्थानान्तरित प्रोरेटा -प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
		113.18	
पु.	113.17	..	- 113.18

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 113.17 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रो-रेटा शुल्क के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, प्रो-रेटा शुल्कों के समायोजन नहीं करने के परिणामतः ₹ 113.18 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

02. भाखडा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) जवाहर सागर बांध			
[01] अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	109.22		
		86.69	
पु.	- 109.22	..	+ 86.69

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

31 मार्च 2023 को ₹ 109.22 लाख का समस्त प्रावधान पूंजी खाते पर ब्याज का समायोजन नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, कार्य परिव्यय पर ब्याज की गणना की गयी परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत बिना बजट प्रावधान व्यय दर्ज हुआ। ₹ 109.22 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 86.69 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. भाखडा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,996.19		
पु.	990.92		
	7,987.11	6,791.43	- 1,195.68

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 990.92 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना पर कार्यों के अधिक निष्पादन की प्रत्याशा में पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वर्ष के दौरान परियोजना पर कार्यों का निष्पादन कम हुआ परिणामतः ₹ 1,195.68 लाख की अंतिम बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)

001. निदेशन तथा प्रशासन

(01) अनुरक्षण व्यय

[01] इन्दिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध

मू.	993.71		
पु.	- 68.74		
	924.97	1,050.63	+ 125.66

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 68.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके और ₹ 125.66 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)

800. अन्य व्यय

(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	92.86		
पु.	- 92.86		
	..	289.75	+ 289.75

36. जयसमन्द ई.आर.एम.

800. अन्य व्यय

(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	831.71		
पु.	- 831.71		
	..	594.72	+ 594.72

31 मार्च 2023 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 924.57 लाख का समस्त प्रावधान पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, कार्य परिव्यय पर ब्याज की गणना की गयी परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत बिना बजट प्रावधान व्यय दर्ज हुआ। उपरोक्त दोनों शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 924.57 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 884.47 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,891.16		
		..	3,893.79 + 3,893.79
पु.	- 3,891.16		
31 मार्च 2023 को ₹ 3,891.16 लाख का समस्त प्रावधान पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित (₹ 3,545.67 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 345.49 लाख) किया गया। यद्यपि, कार्य परिव्यय पर भारित किये गये ब्याज के परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय दर्ज हुआ। ₹ 3,891.16 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 3,893.79 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,661.09		
		5,481.94	5,808.29 + 326.35
पु.	- 1,179.15		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,179.15 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, कार्य परिव्यय पर भारित ब्याज की गणना संशोधित अनुमानों से ज्यादा रही परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य व्यय दर्ज किया गया। ₹ 1,179.15 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 326.35 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण(वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,812.17		
		..	2,749.62 + 2,749.62
पु.	- 2,812.17		

31 मार्च 2023 को ₹ 2,812.17 लाख का समस्त प्रावधान पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन न होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, कार्य परिव्यय पर भारित किये गये ब्याज के परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान के बिना व्यय दर्ज किया गया। ₹ 2,812.17 लाख की प्रत्याशित बचत और ₹ 2,749.62 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

5. **उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के "अनुदान संख्या 019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (5) में स्पष्ट की गयी है।
2022-23 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
राजस्व *				
स्टॉक	(+) 489.04	120.03	138.52	(+) 470.55
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 269.19	214.92	106.88	(+) 377.23
योग	(+) 758.23	334.95	245.40	(+) 847.78

* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 1,54,289.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,54,315.16 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 23,913.44 लाख, ₹ 26,152.82 लाख, ₹ 48,527.10 लाख, ₹ 23,644.47 लाख तथा ₹ 1,54,289.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 8.71 प्रतिशत से 40.88 प्रतिशत के बीच थी। बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	2,508.00	162.98	162.98
पु.	- 2,345.02		
31 मार्च 2023 को ₹ 2,345.02 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[21] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ. XXVI			
मू.	1,653.00	1,059.89	1,059.81
पु.	- 593.11		

31 मार्च 2023 को ₹ 593.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और कार्यों की अवधिवार प्रगति को बनाये नहीं रखने के कारण अनुबन्ध के क्लॉज के अनुसार ठेकेदार पर लगाए गये जुर्माने की कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बांई मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	2,500.01	164.53	164.53
पु.	- 2,335.48		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,335.48 लाख का प्रावधान अक्टूबर/नवम्बर 2022 के अन्त में लाइनिंग कार्य के लिए कार्यादेश देरी से जारी होने तथा नवम्बर से मार्च तक शाखा में पानी का प्रवाह होने से कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बांई मुख्य नहर)			
[13] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ. XXII			
मू.	3,385.00	2,852.73	2,852.51
पु.	- 532.27		- 0.22
31 मार्च 2023 को ₹ 532.27 लाख का प्रावधान प्री-मानसून बारिश होने के कारण कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	7,729.14	6,255.47	6,255.47
पु.	- 1,473.67		..
₹ 1,473.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अन्तिम कुछ महीनों के लिए ठेकेदार द्वारा काम बन्द करने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित होने, (ii) इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से राजकोष से पारित होने के बाद भी कुछ बिलों का भुगतान नहीं होने और (iii) नये वेतनमान और सलेक्शन ग्रेड स्केल में वेतन निर्धारण नहीं होने से कार्मिकों को बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन पर कम व्यय होने को आरोपित की गई ।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलौदी लिफ्ट योजना)			
मू.	2,400.67	1,197.50	1,196.21
पु.	- 1,203.17		- 1.29
₹ 1,203.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः ठेकेदारों द्वारा कम दरें देने के कारण नहरों पर कार्यों के निष्पादन पर कम व्यय होने और लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कराने के कारण मुआवजे पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	8,174.36		
पु.	- 4,234.13	3,940.23	3,935.34
			- 4.89

₹ 4,234.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी और नहरों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 4.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (06) बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट (कवरसेन लिफ्ट)
योजना (मु.अ.इ.गां.न.प. के माध्यम से)
- [01] विस्तार

मू.	2,360.00	778.16	778.16	..
पु.	- 1,581.84			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,581.84 लाख का प्रावधान री-लाइनिंग कार्यों के कम निष्पादन होने, इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से कुछ बिलों का भुगतान कोषालय से पारित होने पर भी नहीं होने और योजना में परिवर्तन के कारण मशीनरी और उपकरणों की खरीद नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से 74 कि.मी. तक)
(मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)
- [02] सेमी निवारण कार्य

मू.	265.00	135.80	135.80	..
पु.	- 129.20			

31 मार्च 2023 को ₹ 129.20 लाख का प्रावधान सेम ग्रस्त बडोपल गांव के पम्प हाउस में स्थित पम्पों के कम संचालन होने के कारण अभ्यर्पित अकिया गया क्योंकि चार वर्षों तक इन पम्पों के नियमित संचालन से पानी में सेम कम होने से बिजली बिलों पर कम व्यय हुआ।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं
जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम
(फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास)
(प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत)
- [01] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट

मू.	2,400.00	1,220.63	1,220.63	..
पु.	- 1,179.37			

31 मार्च 2023 को ₹ 1,179.37 लाख का प्रावधान ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन में देरी, कार्यों की धीमी प्रगति एवं इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से बिलों का भुगतान कोषालय द्वारा पारित होने पर भी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत)			
[02] पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट			
मू.	2,400.00		
पु.	- 803.55	1,596.45	1,596.45
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 803.55 लाख का प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से कोषालय द्वारा पारित होने पर भी कुछ बिलो का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[01] द्वितीय चरण की नहरों का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से			
मू.	3,650.00		
पु.	- 780.97	2,869.03	2,869.03
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 780.97 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(11) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का विस्तार, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, (नाबार्ड आर आई डी एफ XXVI)			
मू.	4,500.00		
पु.	- 915.87	3,584.13	3,584.13
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 915.87 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
052. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, के माध्यम से			
मू.	5,000.01		
पु.	- 4,866.77	133.24	133.24
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,866.77 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान सामग्री की आपूर्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	17,000.00		
पु.	- 13,896.65	3,103.35	3,103.35
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 13,896.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[02] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV			
मू.	915.57		
पु.	- 215.08	700.49	700.49
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 215.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	6,642.07		
पु.	- 6,161.70	480.37	480.36
			- 0.01
31 मार्च 2023 को ₹ 6,161.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	23,977.77		
पु.	- 15,265.97	8,711.80	8,712.07
			+ 0.27
31 मार्च 2023 को ₹ 15,265.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रेचरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरीया			
मू.	33,445.26		
पु.	- 8,265.35	25,179.91	25,179.90
			- 0.01

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

₹ 8,265.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार नवम्बर, 2022 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर और इसकी शाखाओं, वितरिकाओं तथा माइनर्स के पुनर्जीवीकरण के ट्रेंच-2 की संसोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की प्राप्ति होने से निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् कार्यादेश जारी हुए थे। समस्त प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में समय लगने के परिणामतः व्यय आशा के अनुरूप नहीं किया जा सका, (ii) परियोजना के अन्तर्गत गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरणों की खरीद हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने तथा (iii) ट्रेंच-2 की स्वीकृति में देरी के कारण किसानों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन न होने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	700.00		
पु.	- 133.39	566.61	566.61
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 133.39 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	6,499.38		
पु.	- 4,483.05	2,016.33	2,016.33
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,483.05 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
64. परवन लिफ्ट योजना (अवाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	20,000.01		
पु.	- 20,000.01
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 20,000.01 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
72. परवन लिफ्ट योजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,720.00		
पु.	- 1,405.97	1,314.03	1,314.03
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,405.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	13,952.53	3,409.14	3,460.72
पु.	- 10,543.39		+ 51.58

₹ 13,952.53 लाख का प्रावधान विश्व बैंक से पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अन्तर्गत 36 बांधा के लिए अनुमानित था। 36 बांधों में से, सात बांधों का कार्य प्रगति पर था तथा शेष बांधों की परियोजना स्क्रीनिंग जांच केन्द्रीय जल आयोग और विश्व बैंक स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित थी। वीडियोग्राफी/बांधों की स्वास्थ्य जांच/मरम्मत और बांधों के गेटों की वर्तमान अवस्था/आपातकालीन परियोजना में बदलाव के लिए सर्वेक्षण और जांच से संबंधित कार्य के लिए प्रावधान किया गया था जो कि बांधों के निर्माण के साथ किया जाना था, लेकिन उपरोक्त स्वीकृति के अभाव में कार्य का निष्पादन नहीं किया जा सका परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 10,543.39 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

₹ 51.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निष्पादन			
मू.	172.85	48.47	48.46
पु.	- 124.38		- 0.01

₹ 124.38 लाख की प्रत्याशित बचत कम्प्यूटीकरण पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

101. सतही जल
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य
[06] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII

मू.	1,640.00	921.79	921.79	..
पु.	- 718.21			

31 मार्च 2023 को ₹ 718.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

101. सतही जल
(03) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण
[01] निर्माण कार्य

मू.	4,918.40	2,320.28	2,320.28	..
पु.	- 2,598.12			

31 मार्च 2023 को ₹ 2,598.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[01] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू. 4,216.00	1,330.06	1,330.06	..
पु. - 2,885.94			
31 मार्च 2023 को ₹ 2,885.94 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार कम राज्यांश जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू. 20,762.84	8,360.54	8,360.54	..
पु. - 12,402.30			
31 मार्च 2023 को ₹ 12,402.30 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू. 1,691.69	441.81	441.81	..
पु. - 1,249.88			
31 मार्च 2023 को ₹ 1,249.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से)			
मू. 19,682.50	6,084.03	6,050.96	- 33.07
पु. - 13,598.47			
₹ 13,598.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार न करने तथा पेशेवर और विशेष सेवाओं पर कम व्यय को आरोपित की गयी क्योंकि एनजीओ सेवाओं से संबंधित कार्य फरवरी, 2023 में शुरू किया गया था।			
₹ 33.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(13) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर			
मू.	10,000.01	0.58	0.58
पु.	- 9,999.43		..
31 मार्च 2023 को ₹ 9,999.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[18] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आर.आई.डी.एफ.-XXII			
मू.	3,989.00	4,801.61	4,801.61
पु.	812.61		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 812.61 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[15] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आरआईडीएफ- XXV			
मू.	2,884.98	4,008.16	4,008.16
पु.	1,123.18		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,123.18 लाख की अतिरिक्त निधियां रेगुलेशन एवं वर्षा ऋतु मे समय की उपलब्धता के दौरान ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[16] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण- आरआईडीएफ- XXVI			
मू.	0.01	140.77	140.77
पु.	140.76		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 140.76 लाख की अतिरिक्त निधियां चल रहे निर्माण कार्यों की समाप्ति के पश्चात् अन्तिम बिल का भुगतान करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) राणा प्रताप सागर बांध (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	170.00		
		401.19	
पु.	231.19	401.19	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 231.19 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(10) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत नहरों के पुनरुद्धार/नवीनीकरण कार्य			
[02] द्वितीय चरण की नहरों का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	1,359.60		
		1,839.99	
पु.	480.39	1,839.99	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 480.39 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(12) इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर (द्वितीय चरण)			
[01] चारणवाला ब्राच केनाल सिस्टम का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (नाबार्ड आर आई डी एफ XXVII)			
अ.	0.01		
		179.30	
पु.	179.29	179.30	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 179.29 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	34.00		
		3,607.14	
पु.	3,573.14	3,607.14	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,573.14 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[03] नर्बदा प्राधिकरण की हिस्सा राशि			
मू.	100.00		
पु.	371.27		
	471.27	471.27	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 371.27 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड में विनियोजन			
[01] पूर्वी राजस्थान नगर निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
पु.	13,599.99		
	13,600.00	13,600.00	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,599.99 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII			
मू.	34.00		
पु.	216.45		
	250.45	250.45	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 216.45 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारी के वेतन भत्ते)			
मू.	2,120.77		
पु.	1,875.04		
	3,995.81	3,995.81	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,875.04 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 69. राजगढ परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	34.00		
पु.	370.89	404.89	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 370.89 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101. सतही जल (02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य [02] निर्माण कार्य			
मू.	5,409.32	8,497.01	..
पु.	3,087.69	8,497.01	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,087.69 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
101. सतही जल (02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य [07] नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV			
मू.	2,469.84	2,878.53	..
पु.	408.69	2,878.53	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 408.69 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
101. सतही जल (02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य [08] नाबार्ड आर आई डी एफ XXV			
मू.	1,640.00	2,560.50	..
पु.	920.50	2,560.50	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 920.50 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
101. सतही जल (12) जल संरक्षण उपकर निधि से पोषित कार्य [01] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	680.00	815.65	..
पु.	135.65	815.65	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 135.65 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य			
[03] अन्य जिले			
मू .	866.68		
		1,477.60	1,477.60
पु .	610.92		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 610.92 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

7. **उचन्त लेन-देन** : 2022-23 में पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
पूंजी *				
स्टॉक	(-) 4,332.14	22.06	47.35	(-) 4,357.43
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2,656.13	15.02	28.64	(-) 2,669.75
योग	(-) 6,988.27	37.08	75.99	(-) 7,027.18

* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त लेन देन सम्मिलित हैं।

अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन
 पूंजी - 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,15,89,30	2,11,29,85	2,09,08,55	- 2,21,30
अनुपूरक	95,40,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,21,30
प्रभारित				
मूल	1	9,01	9,00	- 1
अनुपूरक	9,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	81,34,47	81,34,47	59,90,77	- 21,43,70
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				21,43,70

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 221.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2023 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 9,540.55 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

पूंजी

दत्तमत

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 1,612.97 लाख, ₹ 2,519.90 लाख, ₹ 658.47 लाख, ₹ 3,467.09 लाख तथा ₹ 2,143.70 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 21.12 प्रतिशत से 81.59 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 047 - (समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
80. सामान्य				
800. अन्य व्यय				
(01) पर्यटन स्थलों का विकास				
मू.	2,961.18	898.30	898.30	..
पु.	- 2,062.88			

31 मार्च 2023 को ₹ 2,062.88 लाख का प्रावधान पर्यटन विकास कोष से विकास कार्यों के लिए स्वीकृति जारी होने तथा कार्यकारी एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं कराने के कारण बकाया देनदारियों का कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,043.67 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 19.21 लाख) किया गया ।

80. सामान्य				
800. अन्य व्यय				
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास				
मू.	173.26	92.47	92.47	..
पु.	- 80.79			

₹ 80.79 लाख की प्रत्याशित बचत पर्यटन विकास कोष से विकास कार्यों के लिए स्वीकृति जारी होने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 048 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2801. बिजली और
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	1,53,37,55,79		
अनुपूरक	3,02,84,07	1,56,40,39,86	1,56,40,39,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			49
पूंजी			
मूल	16,90,74,29		
अनुपूरक	..	16,90,74,29	7,33,01,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			9,57,73,11

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

पूंजी

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 27,627.43 लाख, ₹ 21,672.53 लाख, ₹ 1,03,339.37 लाख, ₹ 16,056.00 लाख तथा ₹ 95,773.11 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.77 प्रतिशत से 77.50 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	21,248.64		
पु.	- 19,445.96	1,802.68	1,802.68

31 मार्च 2023 को ₹ 19,445.96 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पूंजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	14,280.00	3,796.44	3,796.44
पु.	- 10,483.56		
31 मार्च 2023 को ₹ 10,483.56 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	41,299.12	17,850.00	17,850.00
पु.	- 23,449.12		
31 मार्च 2023 को ₹ 23,449.12 लाख का प्रावधान जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	38,998.00	9,273.84	9,273.84
पु.	- 29,724.16		
31 मार्च 2023 को ₹ 29,724.16 लाख का प्रावधान जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश			
मू.	41,568.40	8,986.88	8,986.88
पु.	- 32,581.52		
31 मार्च 2023 को ₹ 32,581.52 लाख का प्रावधान अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूँजीगत व्यय कम किये जाने के परिणामतः कम निवेश के कारण अभ्यर्पित (₹ 12,670.18 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 19,911.34 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 048- (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(09) राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड			
मू.	11,000.00	30,000.00	30,000.00
पु.	19,000.00		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड में निवेश के कारण उपलब्ध करायी गयी।

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			

मू.	680.00	1,591.34	1,591.34
पु.	911.34		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 911.34 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को के. एफ. डब्ल्यू. से ऋण प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 049 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	4,23			
अनुपूरक	83	5,06	4,11	- 95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				95

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	53,32,24,42		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)	53,32,24,42	34,06,16,93	- 19,26,07,49
पूंजी			
मूल	9,70		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)	9,70	..	- 9,70
			9,70

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 12,034.30 लाख, ₹ 8,133.12 लाख, ₹ 14,604.61 लाख, ₹ 92,794.83 लाख तथा ₹ 1,92,607.49 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.54 प्रतिशत से 36.12 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)			
मू .	2,85,840.00		
पु .	- 1,81,200.25		
		1,04,639.75	1,04,639.75
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,81,200.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,76,170.54 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,029.71 लाख) किया गया । भारत सरकार ने राज्य सरकार को नवीन लक्ष्य के स्थान पर 2021-22 के स्वीकृत प्रगतिशील आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिये ।

अनुदान संख्या 050- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(02) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु			
[01] सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु अनुदान			
मू .	3,034.61
पु .	- 3,034.61

31 मार्च 2023 को ₹ 3,034.61 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
101. पंचायती राज			
(01) महात्मा गांधी जन-भगीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू .	1,700.00	340.00	340.00 ..
पु .	- 1,360.00		

31 मार्च 2023 को ₹ 1,360.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] मुख्यालय			
मू .	25.22	3,309.60	3,309.61 + 0.01
पु .	3,284.38		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,284.38 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।

अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,
 2029. भू-राजस्व,
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,
 2041. वाहन कर,
 2055. पुलिस,
 2056. जेल,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2211. परिवार कल्याण,
 2217. शहरी विकास,
 2220. सूचना तथा प्रचार,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत,
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
 2425. सहकारिता,
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई,
 2702. लघु सिंचाई,
 2705. कमान क्षेत्र विकास,
 2801. बिजली,
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग,
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 3054. सड़क तथा सेतु,
 3055. सड़क परिवहन,
 3075. अन्य परिवहन सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
 3451. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं,
 3452. पर्यटन,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6700. मुख्य सिंचाई के लिए कर्ज,
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

राजस्व

दत्तमत

मूल 2,36,74,90,69

अनुपूरक 1,17,00,60

2,37,91,91,29 2,13,19,60,11 - 24,72,31,18

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2023)

24,49,29,28

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	67,62,68,11	71,72,68,50	40,26,70,28 - 31,45,98,22
अनुपूरक	4,10,00,39		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			31,42,93,03

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- सितम्बर, 2022 (₹ 11,700.22 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 0.38 लाख) में लिया गया ₹ 11,700.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 2,47,231.18 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,301.90 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 72,309.59 लाख, ₹ 2,02,807.99 लाख, ₹ 1,71,647.48 लाख, ₹ 2,21,901.85 लाख तथा ₹ 2,47,231.18 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.02 प्रतिशत से 12.15 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(01) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[02] समग्र शिक्षा अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	1,79,505.01	1,60,280.57	1,58,823.99 - 2,456.58
पु.	- 19,224.44		

₹ 19,224.44 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीयंश एवं आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने को आरोपित की गयी।

₹ 2,456.58 लाख की अंतिम बचत भारत सरकार से प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण रही।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[02] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	1,402.01		
पु.	- 336.79		
	1,065.22	981.98	- 83.24
₹ 336.79 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीयंश एवं आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के द्वारा जमा कराने को आरोपित की गयी।			
₹ 83.24 लाख की अंतिम बचत समग्र शिक्षा द्वारा चालान के माध्यम से वापस जमा कराने और इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के द्वारा बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण रही।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	10,200.00		
पु.	- 2,255.97		
	7,944.03	7,918.46	- 25.57
31 मार्च 2023 को ₹ 2,255.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रीयंश एवं आनुपातिक राज्यांश के रूप में प्राप्त निधियां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा चालान के माध्यम से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 25.57 लाख की अंतिम बचत इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से शिक्षा के अधिकार के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण रही।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	22,960.00		
पु.	- 8,947.15		
	14,012.85	14,012.85	..
31 मार्च 2023 को ₹ 8,947.15 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्कूल वापसी अभियान			
[01] निःशुल्क पोषाक एवं पाठ्य पुस्तकों पर व्यय			
मू.	5,200.00		
पु.	- 2,162.25		
	3,037.75	2,685.71	- 352.03
₹ 2,162.25 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीयंश प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 352.03 लाख की अंतिम बचत विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक की राशि डीबीटी के द्वारा हस्तांतरित नहीं किये जाने के कारण रही।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृतियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियां			
मू.	8,410.00		
पु.	- 3,481.09		
	4,928.91	4,928.90	- 0.01

₹ 3,481.09 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी ।

- 02. माध्यमिक शिक्षा
- 107. छात्रवृतियां
- (05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृतियां
- [04] कक्षा 6-8 के बालकों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

मू.	2,300.00		
पु.	- 457.60		
	1,842.40	1,842.40	..

31 मार्च 2023 को ₹457.60 लाख का प्रावधान कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति के पात्र विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 02. माध्यमिक शिक्षा
- 113. समग्र शिक्षा
- (01) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत समग्र शिक्षा
- [02] समग्र शिक्षा-अनुसूचित जातियों के लिए

मू.	23,656.02		
पु.	- 3,749.71		
	19,906.31	19,906.32	+ 0.01

₹ 3,749.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भारत सरकार द्वारा योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में सीधे केंद्रीयंश जमा किये जाने को आरोपित की गयी ।

- 02. माध्यमिक शिक्षा
- 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)
- [01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)

मू.	1,33,888.59		
पु.	- 15,226.94		
	1,18,661.65	1,18,661.34	- 0.31

₹ 15,226.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकल का वितरण			
मू.	2,362.50	16.72	16.72
पु.	- 2,345.78		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,345.78 लाख का प्रावधान निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	850.00	488.00	488.00
पु.	- 362.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 362.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजनान्तर्गत आवश्यकतानुसार कम्प्यूटरीकरण पर व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	336.57
पु.	- 336.57		..
31 मार्च 2023 को ₹ 336.57 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिये)			
[02] संस्कृत स्कूल			
मू.	2,104.96	1,768.83	1,768.82
पु.	- 336.13		- 0.01
₹ 336.13 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदोन्नति होने के कारण वेतन एवं भत्तों का भुगतान इस शीर्ष के बजाय अन्य लेखा शीर्षों से होने तथा आश्वासित कैरियर प्रगति के बकाया का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) राजस्थान तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम			
[01] शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम			
मू.	450.00
पु.	- 450.00
31 मार्च 2023 को ₹ 450.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	1,257.93	225.62	225.63 + 0.01
पु.	- 1,032.31		
31 मार्च 2023 को ₹ 1,032.31 लाख का प्रावधान विभागीय स्मारकों के संरक्षण, मरम्मत एवं विकास कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	1,808.21	1,426.18	1,426.17 - 0.01
पु.	- 382.03		
31 मार्च 2023 को ₹ 382.03 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	1,943.46
पु.	- 1,943.46
31 मार्च 2023 को ₹ 1,943.46 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	2,250.50	1,980.46	1,980.46
पु.	- 270.04		..
31 मार्च 2023 को ₹ 270.04 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	4,391.82	3,590.30	3,588.31
पु.	- 801.52		- 1.99
₹ 801.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, निःशुल्क जाँच योजना के तहत कम परीक्षण और अस्पतालों में मरीजों की कम भर्ती होने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) जनता क्लीनिक			
[01] डी.एम.एच.एस. के माध्यम से			
मू.	390.02	3.91	3.91
पु.	- 386.11		..
31 मार्च 2023 को ₹ 386.11 लाख का प्रावधान जनता क्लीनिक की कम स्थापना होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय प्रावधान किया जिसके तहत प्रत्येक केन्द्र के लिए पांच पद स्वीकृत किये गये। इन केन्द्रों को जनता क्लीनिक के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य मद से कुल दो पद स्वीकृत किये जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान का उपयोग नहीं हो सका।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	39,425.00	31,450.00	31,450.00
पु.	- 7,975.00		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

31 मार्च 2023 को ₹ 7,975.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रथम पॉलिसी वर्ष 2021-22 में कंपनी द्वारा दावों का कम भुगतान करने तथा योजना के तहत कम परिवारों का पंजीकरण होने के कारण राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी (आर एस एच ए ए) को राशि वापस करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण उपकेन्द्रों का संचालन			
[03] अनुसूचित जातिय क्षेत्र हेतु ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू.	14,747.51		
पु.	- 1,584.97	13,162.54	13,153.45
			- 9.09

₹ 1,584.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 9.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना

मू.	2,718.48			
पु.	- 2,183.48	535.00	535.00	..

31 मार्च 2023 को ₹ 2,183.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)

मू.	53,823.00			
पु.	- 18,808.34	35,014.66	35,014.66	..

₹ 18,808.34 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी को आरोपित की गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन. यू.एच.एम.)
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन. यू.एच.एम.)

मू.	1,235.30			
पु.	- 1,235.30

31 मार्च 2023 को ₹ 1,235.30 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार की प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) से राज्य की योजना सीमा अधिक होने से राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता के अनुमानों में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना			
[01] मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस			
मू.	510.01
पु.	- 510.01
31 मार्च 2023 को ₹ 510.01 लाख का समस्त प्रावधान योजना का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के द्वारा करने के परिणामस्वरूप योजना को एन.एच.एम. द्वारा प्रदर्शन सुधार योजना (पीआईपी) में शामिल करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	6,849.48	6,013.39	..
पु.	- 836.09	6,013.39	..
31 मार्च 2023 को ₹ 836.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	664.18	167.75	..
पु.	- 496.43	167.75	..
31 मार्च 2023 को ₹ 496.43 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(49) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	927.16
पु.	- 927.16
31 मार्च 2023 को ₹ 927.16 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[17] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	537.87
पु.	- 537.87
31 मार्च 2023 को ₹ 537.87 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	1,564.56	395.14	395.14
पु.	- 1,169.42
31 मार्च 2023 को ₹ 1,169.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(53) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] नगरीय स्थानीय निकायों में सार्वजनिक रोशनी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	855.84
पु.	- 855.84
31 मार्च 2023 को ₹ 855.84 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[08] प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	355.38
पु.	- 355.38

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(55) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[11] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	1,360.84
पु.	- 1,360.84
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,716.22 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] मोटर यान कराधान अधिनियम के अंतर्गत अधिभार का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	6,350.00	4,484.39	4,484.39
पु.	- 1,865.61		..
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[05] ग्रीन टैक्स का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	5,200.00	3,971.07	3,971.07
पु.	- 1,228.93		..
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार का आर.टी.आई.डी.एफ. के बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	10,350.00	7,453.98	7,453.98
पु.	- 2,896.02		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 5,990.56 लाख का प्रावधान संबंधित निधियों में राशि के कम हस्तांतरण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण			
(04) राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[02] राजस्थान शहरी विकास निधि के बजट शीर्ष			
8229-200-(10) में अन्तरण (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	3,000.00
पु.	- 3,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान शहरी विकास निधि को निधियों का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	10,002.00	8,745.83	..
पु.	- 1,256.17	8,745.83	..
₹ 1,256.17 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	50,000.00		
अ.	0.01	21,611.53	..
पु.	- 28,388.48	21,611.53	..
₹ 28,388.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे केंद्रीयों का हस्तांतरण किये जाने को आरोपित की गयी।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(22) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना			
मू.	6,516.50		
पु.	- 6,121.95	394.55	..
31 मार्च 2023 को ₹ 6,121.95 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	15,445.00	9,801.28	9,801.28
पु.	- 5,643.72		..

31 मार्च 2023 को ₹ 5,643.72 लाख का प्रावधान मुख्यतः संशोधित अनुमान में *मुख्यमंत्री युवा संबल योजना* की व्यय सीमा में कटौती करने तथा लाभार्थियों को पोशाक का वितरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए नवजीवन योजना			

मू.	1,500.01	1,201.64	1,201.64
पु.	- 298.37		..

31 मार्च 2023 को ₹ 298.37 लाख का प्रावधान *नवजीवन योजना* अंतर्गत शिक्षा का अधिकार के तहत फीस प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देरी से मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग			

मू.	300.00	113.40	113.40
पु.	- 186.60		..

₹ 300.00 लाख का प्रावधान महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये कर्ज हेतु अनुमानित था। शिक्षा विभाग की शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निधियों के उपयोग हेतु ₹ 175.00 लाख की निधियों को अन्य मद में स्थानांतरित किये जाने के कारण अनुमानित बजट ₹ 125.00 लाख तक कम कर दिया गया। इसके अलावा, ₹ 125.00 लाख में से ₹ 113.40 लाख वितरित किए गए, शेष ऋण अनुदान राशि ₹ 11.60 लाख बैंकों द्वारा समय पर ऋण स्वीकृति के संबंध में अनुदान के दावे ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं करने के कारण वितरित नहीं किए गए। उपरोक्त को देखते हुए, 31 मार्च 2023 को ₹ 186.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[06] स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण (उड़ान)			
मू.	3,600.00		
अ.	2,700.00	5,247.08	- 0.02
पु.	- 1,052.92		

सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु लिया गया ₹ 2,700.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 1,052.92 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन के कम वितरण के परिणामस्वरूप तीसरी किस्त जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इंदिरा महिला शक्ति योजना			
[08] प्रोत्साहन एवं सम्मान हेतु			
मू.	324.14		
पु.	- 321.82	2.32	2.32

31 मार्च 2023 को ₹ 321.82 लाख का प्रावधान महिला दिवस पर पुरस्कार हेतु कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	5,562.00		
पु.	- 1,388.19	4,173.81	4,173.81

31 मार्च 2023 को ₹ 1,388.19 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	3,708.00		
पु.	- 683.54	3,024.46	3,024.46

31 मार्च 2023 को ₹ 683.54 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	1,09,100.00	86,262.21	86,262.21
पु.	- 22,837.79		
31 मार्च 2023 को ₹ 22,837.79 लाख का प्रावधान मौजूदा पेंशनभोगियों के बाहर चले जाने/भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनभोगियों के गलत बैंक खाते और पेंशनभोगियों की मृत्यु होने से पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			..
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	45,900.00	40,058.01	40,058.01
पु.	- 5,841.99		
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	14,200.00	12,482.06	12,482.06
पु.	- 1,717.94		
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	4,400.00	3,334.30	3,334.30
पु.	- 1,065.70		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 8,625.63 लाख का प्रावधान पेंशनभोगियों की संख्या में अनुमान से कम वृद्धि के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
[01] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	3,833.42		
पु.	- 2,387.76	1,445.66	1,545.66 + 100.00
31 मार्च 2023 को ₹ 2,387.76 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पोषण मिशन के केन्द्रीयशांश के प्रारम्भिक शेष के अनुपात में राज्यांश योजना की सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था जो मूल बजट अनुमान से कम था, (ii) वर्ष के दौरान भारत सरकार से केन्द्रीयशांश प्राप्त नहीं होने तथा (iii) बजट प्रावधान की शेष राशि के अनुपात में राज्यांश को एस.एन.ए. के बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 100.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
[01] प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	2,025.81		
पु.	- 1,232.14	793.67	793.65 - 0.02
31 मार्च 2023 को ₹ 1,232.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापना व्यय हेतु			
[37] कृषि यंत्रीकरण पर अनुदान			
मू.	1,400.00		
पु.	- 1,400.00
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापना व्यय हेतु			
[39] भूमिहीन श्रमिकों को सहायता			
मू.	1,400.00		
पु.	- 1,400.00

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [04] जल आयोजन हेतु अनुदान			
मू.	5,400.01
पु.	- 5,400.01		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 8,200.01 लाख का समस्त प्रावधान इस शीर्ष के बजाय मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसान कल्याण निधि के द्वारा व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [14] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहू			
मू.	273.00	68.00	68.00
पु.	- 205.00		..
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	4,775.00	1,997.50	1,997.50
पु.	- 2,777.50		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,982.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई क्योंकि दूसरी किस्त माह मार्च, 2023 में प्राप्त हुई तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	500.00	333.33	333.33
पु.	- 166.67		..
31 मार्च 2023 को ₹ 166.67 लाख का प्रावधान 29.03.2023 को भारत सरकार से प्राप्त दूसरी किस्त कोषालय में जमा नहीं होने के कारण योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं की जा सकी तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] बीज विकास			
मू.	410.00		
		11.09	11.09
पु.	- 398.91		..
31 मार्च 2023 को ₹ 398.91 लाख का प्रावधान इस शीर्ष के स्थान पर <i>मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना</i> के द्वारा व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पोष्टिक अनाज			
मू.	680.00		
		363.38	363.38
पु.	- 316.62		..
31 मार्च 2023 को ₹ 316.62 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किश्त प्राप्त नहीं हुई क्योंकि दूसरी किस्त माह मार्च, 2023 में प्राप्त हुई तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[30] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	1,148.86		
		505.05	505.05
पु.	- 643.81		..
31 मार्च 2023 को ₹ 643.81 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त समस्त निधियां योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में हस्तांतरित नहीं की गई तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[17] कृषि विस्तार सेवाएं			
मू.	239.51		
		28.14	28.14
पु.	- 211.37		..
31 मार्च 2023 को ₹ 211.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	1,200.00		
		552.50	552.50
पु.	- 647.50		..

31 मार्च 2023 को ₹ 647.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। राज्य के बड़े क्षेत्र में शुष्क जलवायु की व्यापकता तथा विषम जलवायु परिस्थितियों का प्रभाव बागवानी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावित करता है। साथ ही, इच्छुक आवेदकों ने राज्य की विषम जलवायु परिस्थितियों से उत्पन्न अपनी प्राथमिकता में बदलाव के कारण विभागीय योजना के लिये आवेदन नहीं किया, इसलिए, योजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से
[07] फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता

मू.	542.70		
		0.36	0.36
पु.	- 542.34		..

31 मार्च 2023 को ₹ 542.34 लाख का प्रावधान इस शीर्ष के स्थान पर *राष्ट्रीय बागवानी मिशन* के अंतर्गत *कृषक कल्याण निधि* के द्वारा व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से
[10] ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहायता

मू.	1,700.01		
	
पु.	- 1,700.01		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,700.01 लाख का समस्त प्रावधान ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस के निर्माण पर व्यय इस शीर्ष के स्थान पर *कृषक कल्याण निधि* से किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से
[12] सौर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता

मू.	1,800.00		
		691.60	691.60
पु.	- 1,108.40		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,108.40 लाख का प्रावधान मई, 2022 में एम.एन.आर.ई. के साथ अनुबंध की समाप्ति से पहले दरों और फर्म को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लक्ष्य के अनुसार सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	755.00		
पु.	- 200.00	555.00	555.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	1,624.70		
पु.	- 1,191.63	433.07	433.07
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	210.00		
पु.	- 180.00	30.00	30.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,571.63 लाख का प्रावधान 29.03.2023 को भारत सरकार से प्राप्त दूसरी किस्त कोषालय में जमा नहीं हुई जिसके कारण योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं की जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	800.00		
पु.	- 800.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[08] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	440.00		
पु.	- 440.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,240.00 लाख का समस्त प्रावधान 29.03.2023 को भारत सरकार से प्राप्त दूसरी किस्त कोषालय में जमा नहीं हुई जिसके कारण योजना के एस.एन.ए. के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं की जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,620.00	487.09	487.09
पु.	- 1,132.91		..

31 मार्च 2023 को ₹ 1,132.91 लाख का प्रावधान भारत सरकार से तीसरी किस्त प्राप्त नहीं हुई क्योंकि दूसरी किस्त माह मार्च, 2023 में प्राप्त हुई तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(14) पी.एम.-कुसुम कंपोनेट 'बी' हेतु सहायता
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	5,100.00	2,062.89	2,062.89	..
पु.	- 3,037.11			

31 मार्च 2023 को ₹ 3,037.11 लाख का प्रावधान मई, 2022 में एम.एन.आर.ई. के साथ अनुबंध की समाप्ति से पहले लक्ष्य के अनुसार दरों और फर्म को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(15) सूक्ष्म सिंचाई हेतु अतिरिक्त अनुदान
[01] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	8,500.00	974.14	974.13	- 0.01
पु.	- 7,525.86			

31 मार्च 2023 को ₹ 7,525.86 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लागत ड्रिप संयंत्रों की प्रचलित इकाई लागत से कम होने से कम अनुदान के कारण कृषकों द्वारा कम रुचि दिखाने के परिणामस्वरूप ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। योजना में कृषकों की रुचि इसलिए भी कम रही क्योंकि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत आदिवासी कृषकों के लिए कोई विशिष्ट अनुदान श्रेणी निर्धारित नहीं की गई थी।

2403. पशु-पालन

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) पशुपालन विभाग
[05] पशु रोग नियंत्रण योजना

मू.	388.15	171.54	169.18	- 2.36
पु.	- 216.61			

₹ 216.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) संचलन पोर्टल के द्वारा योजनाओं पर व्यय करने के लिए भारत सरकार से जनवरी, 2023 में भारत सरकार कोड की प्राप्ति होने, (ii) भारत सरकार से जनवरी, 2023 में कार्य योजना और संशोधित कार्य योजना प्राप्त होने तथा (iii) सामग्री क्रय के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने से योजना पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग			
[12] जोखिम प्रबन्धन-पशुधन एवं पशुपालक बीमा हेतु सहायता			
मू.	633.00		
		180.00	180.00
पु.	- 453.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 453.00 लाख का प्रावधान बजट उदघोषणा के अनुसार बीमा कंपनियों से समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन नहीं होने और योजना शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) पशुधन नस्ल सुधार योजना			
[01] पशुपालन विभाग			
मू.	1,000.00		
		25.02	25.02
पु.	- 974.98		..
31 मार्च 2023 को ₹ 974.98 लाख का प्रावधान संशोधित अनुमान की स्वीकृति के पश्चात भी योजना के मई, 2022 में पूरा होने पर कार्यकारी अभिकरण जे.के. के बकाया बिलों के भुगतान पर निर्णय नहीं लिये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेन्सरियों की स्थापना तथा सुदृढीकरण			
[01] पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मोबाईल वेटेनरी यूनिट)			
मू.	1,284.00		
	
पु.	- 1,284.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,284.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[02] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट शीर्ष 8229-00-104- (02) में अन्तरण			
मू.	32,000.00		
		20,000.00	20,000.00
पु.	- 12,000.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 12,000.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू. 12,720.00			
	1,530.00	1,530.00	..
पु. - 11,190.00			
31 मार्च 2023 को ₹ 11,190.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू. 6,800.00			
	4,824.00	4,824.00	..
पु. - 1,976.00			
31 मार्च 2023 को ₹ 1,976.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) राजीव गाँधी जल संचय योजना			
[03] जल संरक्षण योजना (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू. 7,200.00			
	230.58	230.58	..
पु. - 6,969.42			
31 मार्च 2023 को ₹ 6,969.42 लाख का प्रावधान राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण के कार्यान्वयन के लिए ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट का देशी से अनुमोदन होने से निधियां जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू. 22,140.00			
	16,966.44	16,966.44	..
पु. - 5,173.56			
31 मार्च 2023 को ₹ 5,173.56 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[03] अनुदान			
मू.	3,000.00
पु.	- 3,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)			
मू.	1,90,693.80	79,181.86	..
पु.	- 1,11,511.94	79,181.86	..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,11,511.94 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। भारत सरकार ने राज्य सरकार को नवीन लक्ष्य के स्थान पर 2021-22 के स्वीकृत प्रगतिशील आवासों को पूर्ण करने का निर्देश दिये।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	573.76
पु.	- 573.76
31 मार्च 2023 को ₹ 573.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	29,250.00	11,483.87	..
पु.	- 17,766.13	11,483.87	..
31 मार्च 2023 को ₹ 17,766.13 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,170.00
पु.	- 1,170.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,170.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	2,677.50	1,305.92	..
पु.	- 1,371.58	1,305.92	..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,371.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	25,606.80	19,989.22	..
पु.	- 5,617.58	19,989.22	..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,617.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	10,710.00	5,223.72	..
पु.	- 5,486.28	5,223.72	..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,486.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
25 15. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू. 96,025.50	53,893.31	53,864.52	- 28.79
पु. - 42,132.19			
31 मार्च 2023 को ₹ 42,132.19 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 28.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू. 14,282.45
पु. - 14,282.45			
₹ 14,282.45 लाख का समस्त प्रावधान 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2023 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] सामान्य बुनियादी अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू. 40,162.50	19,578.15	19,567.42	- 10.73
पु. - 20,584.35			
₹ 20,584.35 लाख का प्रावधान केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2023 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 10.73 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू. 450.00	90.00	90.00	..
पु. - 360.00			
31 मार्च 2023 को ₹ 360.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू. 3,000.00			
पु. - 2,700.00	300.00	300.00	..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,700.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) ग्रामीण रोजगार हेतु राज्य अनुदान			
[01] ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से			
मू. 6,000.00			
पु. - 5,797.43	202.57	202.57	..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,797.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2700. मुख्य सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रिक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
मू. 213.96			
पु. - 213.96
31 मार्च 2023 को ₹ 213.96 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू. 11,158.18			
पु. - 11,158.18
31 मार्च 2023 को ₹ 11,158.18 लाख का समस्त प्रावधान विद्युत् बिलों के साथ उपभोक्ताओं से वसूले गए विद्युत् शुल्क के एवज में विद्युत् वितरण कंपनी को सहाय्य जारी नहीं किए जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	8,073.70
पु.	- 8,073.70
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	10,359.66
पु.	- 10,359.66
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 18,433.36 लाख का समस्त प्रावधान विद्युत बिलों के साथ उपभोक्ताओं से वसूले गए विद्युत शुल्क के एवज में विद्युत वितरण कंपनी को सहाय्य जारी नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	432.00
पु.	- 432.00
31 मार्च 2023 को ₹ 432.00 लाख का समस्त प्रावधान विद्युत वितरण कंपनी को कंपाउंडिंग शुल्क के एवज में सहाय्य जारी नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) ग्रिड से जुड़े हुए पम्प सेटों के सौर ऊर्जाकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	306.36
पु.	- 306.36
31 मार्च 2023 को ₹ 306.36 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(27) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	1,600.00		
पु.	- 304.12	1,295.88	1,292.79
			- 3.09
31 मार्च 2023 को ₹ 304.12 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई योजना डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 शुरु की गयी			
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
[01] महानगरों के अतिरिक्त शहरी सड़कों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं पुनरुद्धार			
मू.	7,132.00
पु.	- 7,132.00
31 मार्च 2023 को ₹ 7,132.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू.	1,210.00	324.00	324.00
पु.	- 886.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 886.00 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.) के पास गत वर्ष की अव्ययित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[28] राजनेट			
मू.	2,200.00	1,296.00	1,296.00
पु.	- 904.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 904.00 लाख का प्रावधान राजनेट परियोजना के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया में देरी और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के पास अव्ययित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	1,750.00		
पु.	- 231.77		
	1,518.23	1,518.23	..

31 मार्च 2023 को ₹ 231.77 लाख का प्रावधान राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के पास अव्ययित राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[36] स्टार्ट अप			
मू.	360.00		
पु.	- 360.00		
	

31 मार्च 2023 को ₹ 360.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) वित्तीय सहायता के लिए स्टार्ट-अप के आवेदन अपेक्षित रूप से प्राप्त नहीं हुए, इसलिए स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए पदार्थ भत्ता/सीड फण्ड/विपणन सहायता/तकनीकी निधि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करने तथा (ii) कार्यशालाओं का कम आयोजन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजीव गांधी युवा कोर (आर. वाई. सी.)			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	1,590.00		
पु.	- 890.70		
		699.30	699.30
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 890.70 लाख का प्रावधान (i) जुलाई, 2022 में राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया और मानदेय अगस्त, 2022 से जारी किया गया तथा अनुमान से कम प्रशिक्षुओं की संख्या के कारण युवा मित्रों को कम मानदेय का भुगतान करने, (ii) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण राज्य/जिला समन्वय पर 200 युवा मित्र की नियुक्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप मानदेय पर कम व्यय होने तथा (iii) टैबलेट कंप्यूटर का क्रय नहीं होने क्योंकि किसी भी फर्म की भागीदारी नहीं होने के कारण निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
अ .	5,000.00
पु .	- 5,000.00
सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,000.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने हेतु लिया गया। यद्यपि, निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 31 मार्च 2023 को ₹ 5,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	320.21
पु .	- 320.21
31 मार्च 2023 को ₹ 320.21 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू .	712.74
पु .	- 712.74
31 मार्च 2023 को ₹ 712.74 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021			
[01] इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत सहायता			
मू .	890.00	279.36	..
पु .	- 610.64	279.36	..
31 मार्च 2023 को ₹ 610.64 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	6,000.00		
अ.	4,000.00	9,000.00	..
पु.	- 1,000.00		

सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा *इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना* पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 4,000.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
113. समग्र शिक्षा			
(02) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[05] राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना पर व्यय			
मू.	398.08		
पु.	409.94	808.02	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 409.94 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश अधिक जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू.	0.01		
पु.	6,094.13	6,094.14	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,094.13 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार			
मू.	1,400.00		
		2,671.13	2,671.13
पु.	1,271.13		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,271.13 लाख की अतिरिक्त निधियां गार्गी पुरस्कार योजना के तहत वास्तविक पात्र छात्राओं के अनुसार उपलब्ध करायी गयी।

04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) नवभारत साक्षरता कार्यक्रम			
[01] साक्षरता विभाग के माध्यम से			
अ .	0.01		
		168.34	168.34
पु .	168.33		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 168.33 लाख की अतिरिक्त निधियां नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। समस्त राशि योजना की एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
मू.	1,665.26		
		4,715.96	4,715.96
पु.	3,050.70		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,050.70 लाख की अतिरिक्त निधियां नवीन चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के फलस्वरूप 447 नवसृजित पदों पर पदस्थापन के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आयुर्वेदिक शिक्षा			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	616.00		
		780.00	780.00
पु.	164.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 164.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	11,121.01		
		12,991.71	12,989.41
पु.	1,870.70		- 2.30
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,870.70 लाख की अतिरिक्त निधियां नवीन चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के फलस्वरूप 429 नवसृजित पदों पर पदस्थापन के कारण वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सा समूह, अजमेर			
मू.	4,224.12		
		4,779.12	4,778.96
पु.	555.00		- 0.16
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 555.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सा समूह, जोधपुर			
मू.	5,364.32		
		6,032.28	6,032.28
पु.	667.96		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 667.96 लाख की अतिरिक्त निधियां परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद नर्सों को नियमित वेतनमान स्वीकृत करने तथा चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर से संलग्न अस्पतालों में अन्य जिलों से नर्सिंग स्टाफ का स्थानांतरण होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी को अनुदान			
मू.	2,087.89		
		2,308.00	2,308.00
पु.	220.11		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 220.11 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू.	6,200.00		
पु.	1,576.80		
		7,776.80	7,807.87
			+ 31.07

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,576.80 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 31.07 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अनुदान			
मू.	11,000.00		
पु.	3,000.00		
		14,000.00	14,000.00
			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत दवाओं एवं सर्जिकल टांके की मांग में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(48) इंदिरा गांधी रसोई योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये उपयोग			
मू.	0.01		
पु.	786.89		
		786.90	786.90
			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 786.89 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(50) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से संचालित योजनाएं			
[02] मिलियन प्लस शहरों के लिए वायु सुधार हेतु बाध्य अनुदान (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	2,603.18		
पु.	1,113.31		
		3,716.49	3,716.49
			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,113.31 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(51) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार			
[02] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	42.78	1,069.80	1,069.80
पु.	1,027.02		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,027.02 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	953.59	1,536.94	1,536.94
पु.	583.35		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 583.35 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	3,507.84	5,545.36	5,545.36
पु.	2,037.52		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,037.52 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(52) इंदिरा गांधी रसोई योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	0.01	1,354.20	1,354.20
पु.	1,354.19		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,354.19 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(56) स्थानीय शहरी निकायों में सड़कों की वृहद मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार			
[02] सड़कों की मरम्मत/सुधार/पुररूद्धार (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	64.18	1,604.70	1,604.70
पु.	1,540.52		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,540.52 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) अनुसूचित जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	12,500.00	14,953.34	14,953.34
पु.	2,453.34		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,453.34 लाख की अतिरिक्त निधियां पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि ₹ 500 एवं ₹ 1,000 से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 1,500 एवं ₹ 2,500 करने तथा लाभार्थी बच्चों की संख्या में 1,40,304 से 1,67,589 की वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) अनुसूचित जातियों के लिए सहयोग योजना अंतर्गत अनुदान			
मू.	1,500.00	2,451.46	2,451.46
पु.	951.46		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 951.46 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में नई श्रेणियों को शामिल करने के परिणामस्वरूप अधिक आवेदन प्राप्त होने तथा कोरोना अवधि के पश्चात् अधिक विवाह होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अंतर्जातिय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	2,500.00	3,145.00	3,145.00
पु.	645.00		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 645.00 लाख की अतिरिक्त निधियां अंतर्जातिय विवाह के तहत अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(22) आवासीय विद्यालय				
[01] आवासीय विद्यालयों का संचालन				
मू.	4,234.06	4,674.12	4,674.11	- 0.01
पु.	440.06			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 440.06 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जैसिंधर स्टेशन पर दोनों नव संचालित बालक आवासीय विद्यालय एवं बालिका आवासीय विद्यालय के वेतन एवं भत्तों पर व्यय तथा रिक्त पदों पर शिक्षा स्टाफ की नियुक्ति होने, (ii) आवर्ती एवं गैर-आवर्ती वस्तुओं का क्रय एवं जैसिंधर स्टेशन के उपरोक्त आवासीय विद्यालयों की संविदा सेवाओं पर व्यय होने तथा (iii) इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक की क्षमता 280 छात्रों की होने के परिणामस्वरूप जैसिंधर स्टेशन पर उपरोक्त नव संचालित आवासीय विद्यालयों पर खाद्य सामग्री पर अधिक व्यय होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(09) राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम को सहायता

मू.	2,200.00	3,000.00	3,000.00	..
पु.	800.00			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(19) अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुदान

मू.	650.00	1,249.81	1,249.81	..
पु.	599.81			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 599.81 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में शुरू होने के कारण गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(27) काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
[01] अनुसूचित जातियों की छात्राओं हेतु स्कूटी वितरण

मू.	1,840.00	2,098.00	2,098.00	..
पु.	258.00			

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 258.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2021-22 की बकाया स्कूटी क्रय के भुगतान हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम			
[03] राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	892.00	1,340.00	1,340.00
पु.	448.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹448.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[05] अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना के अंतर्गत संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	611.00	958.54	958.22
पु.	347.54		- 0.32

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 347.54 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(06) जीवन दुर्घटना बीमा योजना
[01] राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के माध्यम से

मू.	3,600.00	8,640.00	8,640.00
पु.	5,040.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,040.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अधिक दावें प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना			
[01] अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नागरिकों हेतु तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	300.00		
पु.	516.00	816.00	816.00
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 516.00 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	2,000.00		
पु.	1,198.34	3,198.34	3,196.46
			- 1.88
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,198.34 लाख की अतिरिक्त निधियां पशुओं में गांठदार त्वचा रोग के इलाज पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग			
[17] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	6,119.36		
पु.	799.97	6,919.33	6,918.71
			- 0.62
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 799.97 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) पशुधन परिचारकों की नई भर्ती, पशुओं में गांठदार त्वचा रोग के कारण अनुबंध पर पशु चिकित्सकों और पशुधन परिचारकों की नियुक्ति और परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद कार्मिकों को नियमित वेतनमान का भुगतान करने के कारण वेतन और भत्ते पर व्यय, (ii) मेडिकल केयर रिलीफ सोसाइटी के द्वारा विभागीय संस्थानों की मरम्मत और नवीकरण कार्य करने तथा (iii) पशुधन परिचर और जलधारी के रिक्त पदों के विरुद्ध होम गार्ड विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नागरिक स्वयंसेवकों को भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2404. डेरी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड के माध्यम से अनुदान			
मू.	14,000.00		
पु.	2,000.00	16,000.00	16,000.00
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत पशुपालकों के लिए दूध की अनुदान राशि की दर ₹ 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹ 5 प्रति लीटर करने के फलस्वरूप राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फ़ैडरेशन लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निबल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	2,582.00		
पु.	313.14		
	2,895.14	2,894.03	- 1.11
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 313.14 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(14) राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉआपरेटिव फंडरेशन लिमिटेड			
[03] महिला निधि हेतु अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
अ.	0.02		
पु.	- 0.02		
	..	624.98	+ 624.98
₹ 624.98 लाख का बिना प्रावधान के व्यय करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(43) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषद के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
अ.	0.01		
पु.	797.42		
	797.43	797.43	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 797.42 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समिति के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
अ.	0.01		
पु.	3,189.73		
	3,189.74	3,189.74	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,189.73 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(35) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[06] सामान्य बुनियादी (टाईड) अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
अ .	0.01		
पु .	11,995.71	11,995.72	- 8.82
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,995.71 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 8.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू .	1,21,694.64	1,39,217.94	1,39,217.94
पु .	17,523.30		..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू .	1,74,184.91	2,33,345.71	2,33,345.71
पु .	59,160.80		..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू .	1,01,488.44	1,16,869.55	1,16,869.55
पु .	15,381.11		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 92,065.21 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2022-23 में विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली वास्तविक टैरिफ सहाय्य की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई जीएसडीपी की 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा की सुविधा के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को सहाय्य के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	1,259.50		
पु.	508.45	1,767.95	1,767.95

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 508.45 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन हेतु निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

मू.	0.01	605.66	605.66	..
पु.	605.65			

80. सामान्य

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(11) विद्युत् वितरण कम्पनियों की हानि को अधिग्रहित किये जाने हेतु अनुदान
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

मू.	0.01	31,770.90	31,770.90	..
पु.	31,770.89			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,376.54 लाख की अतिरिक्त निधियां वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित विद्युत् वितरण कंपनियों के 60 प्रतिशत नुकसान को अधिग्रहण करने के लिए उपलब्ध करायी गयी। पहन्द्रवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जी.एस.डी.पी. के 0.50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा प्रदान की जो विद्युत क्षेत्र में निष्पादन और सुधार से जुडी हैं। यद्यपि, विद्युत वितरण कंपनियों के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, राज्य सरकार ने संशोधित अनुमान के अनुसार घाटे के बदले 60 प्रतिशत सहाय्य जारी की।

80. सामान्य

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(12) वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टेरिफ अनुदान)
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

अ .	0.01	4,392.36	4,392.36	..
पु .	4,392.35			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान)			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		13,206.96	13,206.96
पु.	13,206.95		..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) वितरण निगमों को राज्य सरकार से प्राप्त (टैरिफ अनुदान)			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		5,800.68	5,800.68
पु.	5,800.67		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,399.97 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्षों की बकाया टैरिफ सहाय्य के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(32) डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
अ .	0.05		
		657.50	657.49
पु .	657.45		- 0.01
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 657.45 लाख की अतिरिक्त निधियां डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) कार्मिक विभाग के माध्यम से			
[02] राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि के बजट मद 8229-200-06-01 में अन्तरण -एस.सी.एस.पी.			
अ .	0.01		
		79,499.00	79,499.00
पु .	79,498.99		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 79,498.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में किए गए प्रावधान के अनुसार राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन निधि में निधियों के हस्तांतरण के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अधिनियम के अनुच्छेद 6-ए के अनुसार, "किसी भी वर्ष में राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियां गत वर्ष की तुलना में 17.5 प्रतिशत से अधिक और कोई अन्य राजस्व प्राप्तियां, जैसाकि राज्य सरकार उचित समझे, यदि राज्य विधानमंडल इस संबंध में विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा, आगामी वर्ष में निधि में जमा की जाएगी।"

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	2,504.72	4,066.43	4,065.90
पु.	1,561.71		
			- 0.53

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,561.71 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) डिगफेस्ट जयपुर और डिगफेस्ट जोधपुर का आयोजन करने तथा (ii) डिगफेस्ट जोधपुर के तहत राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के उदघाटन के लिए विज्ञापन का भुगतान करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] जी. आई. एस.			
मू.	87.00	447.99	447.99
पु.	360.99		
			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 360.99 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जीआईएस प्लेटफॉर्म और आर्कजीआईएस का नवीकरण और रखरखाव, (ii) स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन प्लेटफॉर्म की स्थापना और रखरखाव, (iii) जीआईएस आधारित वेब एप्लिकेशन/मोबाइल ऐप और कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव और विकास, (iv) जीआईएस के लिए विशेषज्ञ सेवाएं, (v) जयपुर के 3डी शहर का कार्यान्वयन तथा (vi) नए कार्यों के साथ भवन योजना अनुमोदन प्रणाली का रखरखाव जैसे (ए) डिजिटल संग्रहालय की स्थापना, जीआईएस आधारित वेब एप्लिकेशन/मोबाइल ऐप के विकास और रखरखाव के लिए विशेषज्ञ सेवाओं की नियुक्ति, (बी) संवर्धित वास्तविकता (एआर) /वर्चुअल रियलिटी (वीआर) पहल/प्रौद्योगिकियों की विभिन्न घटनाओं की प्रदर्शनी, (सी) कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की खरीद, (डी) उपग्रह इमेजरी और छवि प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण और रखरखाव और (ई) अन्य सॉफ्टवेयर उपकरण/प्लेटफॉर्म/सेवाएँ का क्रय करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] राज सम्पर्क			
मू.	504.00	1,140.00	1,140.00
पु.	636.00		
			..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 636.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा के अनुपालन में सीएम हेल्पलाइन 181 को मजबूत करने के लिए कॉल सेंटर की सीटें 400 से बढ़ाकर 1,000 सीटें करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जन आधार योजना			
[02] राजस्थान जन आधार प्राधिकरण			
मू.	1,300.00		
पु.	400.00		
	1,700.00	1,700.00	..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को जन आधार कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली सॉफ्टवेयर में संशोधन, जन आधार एप्लिकेशन के विकास, प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन आदि पर व्यय के लिए निधियां जारी करने तथा (ii) भारतीय डाक विभाग के द्वारा जन आधार कार्ड के वितरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

3456. सिविल पूर्ति

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

 (03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

 [02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना

 मू.
 6,900.00 | | |

 पु.
 5,231.96 | | |

12,131.96

12,131.96

..

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

 (03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

 [03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु

 मू.
 5,785.00 | | |

 पु.
 6,296.18 | | |

12,081.18

12,081.18

..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,528.14 लाख की अतिरिक्त निधियां कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को वर्ष 2022-23 तक बढ़ाये जाने के कारण निःशुल्क गेहूं वितरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 3,14,598.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2022 (₹ 4,10,00.21 लाख) तथा फरवरी, 2023 (₹ 0.18 लाख) में लिया गया ₹ 4,10,00.39 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 3,14,598.22 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 305.19 लाख अन्व्यर्पित रही।
3. वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 1,33,390.32 लाख, ₹ 98,463.22 लाख, ₹ 1,97,341.69 लाख, ₹ 83,556.69 लाख तथा ₹ 3,14,598.22 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.18 प्रतिशत से 43.86 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का अधिकांश कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होना था।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[01] आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से			
मू. 1,100.00	563.78	563.78	..
पु. - 536.22			
31 मार्च 2023 को ₹ 536.22 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 1,150.00	570.90	570.90	..
पु. - 579.10			
31 मार्च 2023 को ₹ 579.10 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू. 779.00	474.13	474.13	..
पु. - 304.87			
31 मार्च 2023 को ₹ 304.87 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) माध्यमिक शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,106.65
पु.	- 2,106.65
31 मार्च 2023 को ₹ 2,106.65 लाख का समस्त प्रावधान भवन निर्माण कार्य हेतु भूमि का चयन एवं मानचित्र से संबंधित कार्यवाही पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य			
मू.	580.00
पु.	- 580.00
31 मार्च 2023 को ₹ 580.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	452.00
पु.	- 452.00
31 मार्च 2023 को ₹ 452.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	615.00
पु.	- 615.00
31 मार्च 2023 को ₹ 615.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] समग्र शिक्षा में निर्माण कार्य			
मू.	3,400.00
पु.	- 3,400.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 3,400.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा			
[01] माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत समग्र शिक्षा निर्माण कार्य			
मू.	11,300.00	1,732.30	1,732.30
पु.	- 9,567.70		..
31 मार्च 2023 को ₹ 9,567.70 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	414.29	167.72	167.72
पु.	- 246.57		..
31 मार्च 2023 को ₹ 246.57 लाख का प्रावधान राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग करने तथा मशीनरी एवं उपकरणों के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा के अनुसार बिड प्राप्त नहीं होने तथा फर्मों द्वारा क्रय आदेशानुसार समय पर सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) भवन			
मू.	200.00
पु.	- 200.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भरतपुर के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	794.00		
पु.	- 344.00	450.00	450.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 344.00 लाख का प्रावधान खेल विभाग की मांग अनुसार निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[01] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	190.80		
पु.	- 190.80
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 190.80 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,224.75		
पु.	- 1,040.30	184.45	184.45
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,040.30 लाख का प्रावधान (i) भरतपुर, बीकानेर और जालौर में खाद्य प्रयोगशालाओं में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति जारी नहीं होने, (ii) मेड़ता शहर में ट्रोमा केन्द्र का निर्माण दानदाताओं द्वारा करने, (iii) राजगढ़ और नोहर में ट्रोमा केन्द्र के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी होने, (iv) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हलेना जिला भरतपुर के भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने तथा (v) निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण मशीनरी और उपकरणों का क्रय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)			
मू.	6,970.00		
पु.	- 4,166.80	2,803.20	2,803.20
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 4,166.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	634.50		
		74.96	66.34
पु.	- 559.54		- 8.62

31 मार्च 2023 को ₹ 559.54 लाख का प्रावधान (i) नए निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण मेडिकल कॉलेज में डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट सुविधा की स्थापना नहीं होने, (iii) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम द्वारा डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटर लैब आइटम की स्थापना के लिए फर्म को पारित बिलों का भुगतान नहीं करना तथा (iv) मेडिकल कॉलेज और संलग्न अस्पतालों में नवीकरण और मरम्मत कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(03) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	292.00			
पु.	- 292.00			

31 मार्च 2023 को ₹ 292.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(03) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर
[02] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज

मू.	476.95			
पु.	- 476.95			

31 मार्च 2023 को ₹ 476.95 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू.	2,600.00			
पु.	- 2,020.11			

31 मार्च 2023 को ₹ 2,020.11 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	400.04		
पु.	- 160.02	240.02	239.72 - 0.30
31 मार्च 2023 को ₹ 160.02 लाख का प्रावधान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) पी.एम.एस.एस.वाई. के अंतर्गत चिकित्सा			
महाविद्यालय का उन्नयन फेज-III			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	150.01
पु.	- 150.01
31 मार्च 2023 को ₹ 150.01 लाख का समस्त प्रावधान सुपर स्पेशियलिटी विंग के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकरण एच.एस.सी.सी. लिमिटेड/एच.आई.टी.ई.एस. को निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कार्यकारी अभिकरण को कार्य की समीक्षा के बाद कार्य के अनुपात में भुगतान किया जाना था।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में			
मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	770.00	460.00	..
पु.	- 310.00	460.00	..
31 मार्च 2023 को ₹ 310.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में			
मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	1,300.00	800.00	..
पु.	- 500.00	800.00	..
31 मार्च 2023 को ₹ 500.00 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दिन निधियां हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में निधियां हस्तांतरित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	423.01		
		250.00	250.00
पु.	- 173.01		..
31 मार्च 2023 को ₹ 173.01 लाख का प्रावधान उपकरण क्रय करने एवं निर्माण कार्यो हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने/योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	1,500.00		
		900.00	900.00
पु.	- 600.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 600.00 लाख का प्रावधान योजना के सिंगल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में राज्यांश के हस्तांतरण की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[02] नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय			
मू.	2,200.00		
	
पु.	- 2,200.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,200.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	30,000.00		
अ.	0.01	18,040.00	18,040.00
पु.	- 11,960.01		..
31 मार्च 2023 को ₹ 11,960.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) नवीन पब्लिक हेल्थ कॉलेज			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	1,000.01
पु.	- 1,000.01
31 मार्च 2023 को ₹ 1,000.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	19,324.41	9,862.05	9,820.08 - 41.97
पु.	- 9,462.36		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-II			
मू.	469.33	185.83	185.83 ..
पु.	- 283.50		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	494.79	341.05	341.05 ..
पु.	- 153.74		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[56] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम)			
मू.	5,387.61	1,645.45	1,607.84 - 37.61
पु.	- 3,742.16		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[81] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	2,886.29		
पु.	- 618.82	2,267.47	2,267.47
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[97] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXVI)			
मू.	609.15		
पु.	- 272.29	336.86	336.86
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 14,532.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "4215-01-789(01) [01] और [56]" के अंतर्गत ₹ 79.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[86] गरडदा पेयजल परियोजना			
मू.	806.22		
पु.	- 806.22
31 मार्च 2023 को ₹ 806.22 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[17] बोराबास मंडाना जल प्रदाय योजना			
मू.	280.23		
पु.	- 280.23

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	427.20
पु.	- 427.20		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[45] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	496.44
पु.	- 496.44		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,203.87 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	630.00	334.02	..
पु.	- 295.98		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)			
मू.	1,699.37	1,674.10	- 214.98
पु.	- 25.27		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[61] राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना, चरण तृतीय (शहरी)			
मू.	6,949.10		
पु.	- 2,932.16	4,016.94	4,016.94
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूँदी जिले को हिंडोली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	476.58		
पु.	- 263.36	213.22	213.22
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 3,516.77 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "4215-01-789(02) [58] " के अंतर्गत ₹ 214.98 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[65] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू.	1,115.75		
पु.	- 1,115.75
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[67] चुरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरु बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (शहरी भाग)			
मू.	449.90		
पु.	- 449.90
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 1,565.65 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[01] जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का संवर्धन एवं पुनर्गठन			
मू.	23,381.06		
पु.	- 23,379.51	1.55	1.55
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 23,379.51 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 19,927.73 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,451.78 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[03] बीसलपुर-दूदू-फुलेरा पेयजल परियोजना			
मू.	276.43		
पु.	- 276.43
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[04] चुरू-झुन्झुनू पेयजल परियोजना-द्वितीय चरण आपणी योजना			
मू.	332.31		
पु.	- 332.31
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[06] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण-क्लस्टर पार्ट-बी (नाबाई)			
मू.	230.36		
पु.	- 230.36
			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[08] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन			
मू.	1,151.75
पु.	- 1,151.75
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[09] गागरीन पेयजल परियोजना			
मू.	332.31
पु.	- 332.31
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[10] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	230.36
पु.	- 230.36
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[11] चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	3,265.92
पु.	- 3,265.92
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[12] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर-क्लस्टर परियोजना प्रथम चरण भाग-द्वितीय (नाबार्ड)			
मू.	575.88
पु.	- 575.88

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[13] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	254.22
पु.	- 254.22
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[14] नर्मदा डी.आर. क्लस्टर (नाबार्ड)			
मू.	446.54
पु.	- 446.54
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[15] बाड़मेर जिले की शिव तहसील की नर्मदा से जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	230.36
पु.	- 230.36
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[16] भीनमाल एवं 256 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना			
मू.	691.05
पु.	- 691.05
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[18] जवाई क्लस्टर परियोजना, पार्ट-चतुर्थ			
मू.	575.88
पु.	- 575.88

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[21] निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गांवों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना			
मू.	230.36
पु.	- 230.36
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[22] बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना			
मू.	691.05
पु.	- 691.05
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[23] झुन्झुनू जिले की अलसीसर पंचायत समिति की चुरू बिसाउ परियोजना			
मू.	460.71
पु.	- 460.71
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[24] बीसलपुर-चाकसू परियोजना			
मू.	345.53
पु.	- 345.53
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[26] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	172.77
पु.	- 172.77

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[28] ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना			
मू.	3,455.22
पु.	- 3,455.22
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[29] पाली जिले के सोजत तहसील के 10 ग्राम पंचायतों की जोधपुर के दांतीवाडा आई.जी.एन.पी. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जलाशय से क्षेत्रीय जलप्रदाय परियोजना			
मू.	345.53
पु.	- 345.53
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[30] चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-चरण प्रथम से बूंदी जिले की हिंडौली-नैनवा पेयजल परियोजना			
मू.	1,246.15
पु.	- 1,246.15
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[31] राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोराइड निवारण परियोजना, द्वितीय चरण			
मू.	3,455.22
पु.	- 3,455.22

उपरोक्त बाईस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 18,995.91 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[19] नागौर लिफ्ट योजना चरण-प्रथम			
मू.	3,891.13		
पु.	- 3,664.49	226.64	226.64
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 3,664.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[32] वृहद पेयजल परियोजनाओं में रेट्रोफिटिंग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत एच.एफ.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने का कार्य			
मू.	8,409.68		
पु.	- 6,884.68	1,525.00	1,525.00
			..
₹ 6,884.68 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[33] बीकानेर जिले की डूंगरगड कस्बा तथा श्री डूंगरगढ तथा लुणकरणसर ब्लॉक के 108 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	691.05		
पु.	- 691.05
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[34] बीकानेर जिले की खाजूवाला विधानसभा की पेयजल परियोजना			
मू.	575.88		
पु.	- 575.88
			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[35] चुरु जिले की आपणी योजना प्रथम चरण, सरदारशहर के 60 ग्रामों तथा चुरु बिसाउ परियोजना की पुर्नगठन तथा सुदृढीकरण योजना (ग्रामीण भाग)			
मू.	230.36
पु.	- 230.36
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[36] झालावाड़ जिले की राजगढ़ बांध से झालारापाटन कस्बा तथा 104 ग्रामों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण भाग)			
मू.	230.36
पु.	- 230.36
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[37] सिरोही जिले की बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू.	230.36
पु.	- 230.36
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[38] जिले की शिवगंज तहसील के 70 ग्रामों को जवाई बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध बत्तीसा नाला बांध से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने			
मू.	230.36
पु.	- 230.36

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[39] जोधपुर जिले की क्षेत्रीय जल प्रदाय भेर हरलाया (भाग प्रथम) परियोजना से एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराये जाने की परियोजना			
मू.	575.88
पु.	- 575.88
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[40] चित्तोडगढ जिले के भैसरोडगढ ब्लॉक के 38 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	173.46
पु.	- 173.46
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[41] राजसमंद जिले की भीम एवं देवगढ तहसील की चम्बल भीलवाडा परियोजना से क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना			
मू.	1,036.57
पु.	- 1,036.57
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[42] बीकानेर जिले की नोखा तहसील की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना			
मू.	691.05
पु.	- 691.05

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[43] जल जीवन मिशन के तहत जिला अजमेर हेतु जल उत्पादन संरचना एवं केकडी सरवाड पेयजल योजना का संवर्धन एवं सुदृढीकरण			
मू.	415.39
पु.	- 415.39
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) जल जीवन मिशन			
[44] बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण, भाग-'अ'			
मू.	274.16
पु.	- 274.16
उपरोक्त बारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 5,354.88 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधियां जारी करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[03] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXIV)			
मू.	1,227.06
पु.	- 1,227.06
31 मार्च 2023 को ₹ 1,227.06 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[04] नाबार्ड पोषित पेयजल परियोजनाएं (आर.आई.डी.एफ. XXV)			
मू.	349.15	0.49	..
पु.	- 348.66	0.49	..
31 मार्च 2023 को ₹ 348.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,740.30		
पु.	- 1,277.52	462.78	462.78
31 मार्च 2023 को ₹ 1,277.52 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	713.20		
पु.	- 222.88	490.32	490.32
31 मार्च 2023 को ₹ 222.88 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से संचालित योजनाएं			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
मू.	4,279.20		
पु.	- 1,953.53	2,325.67	2,325.67
31 मार्च 2023 को ₹ 1,953.53 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	2,817.20		
पु.	- 1,408.60	1,408.60	1,408.60
			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	2,817.20	1,408.60	1,408.60
पु.	- 1,408.60		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	2,817.20	1,408.60	1,408.60
पु.	- 1,408.60		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 4,225.80 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन)			
मू.	5,200.00	4,676.72	4,676.72
पु.	- 523.28		..
31 मार्च 2023 को ₹ 523.28 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,000.00
पु.	- 3,000.00
31 मार्च 2023 को ₹ 3,000.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राज्य स्तर, जिला पॉलीक्लिनिक्स, पशु चिकित्सा अस्पतालों और उप-केन्द्रों/औषधालयों का निर्माण- नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.-XXVI)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,000.00		
		250.00	250.00
पु.	- 750.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 750.00 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों का निर्माण			
[01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी-XXVII			
मू.	1,500.00		
	
पु.	- 1,500.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,500.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) नंदीशाला योजना			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि से संचालित योजना			
मू.	7,000.00		
		126.54	126.54
पु.	- 6,873.46		..
31 मार्च 2023 को ₹ 6,873.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) प्राकृतिक अनुभव केन्द्र			
[01] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	300.00		
	
पु.	- 300.00		..
31 मार्च 2023 को ₹ 300.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	1,620.00
पु.	- 1,620.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,620.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना को बंद करने के कारण भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,238.00
पु.	- 1,238.00
31 मार्च 2023 को ₹ 1,238.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा नये कार्यों/स्वीकृतियों पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण केन्द्रांश जारी नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[03] दाईं मुख्य नहर आर.आई.डी.एफ.- XXII			
मू.	1,083.00	832.64	832.64
पु.	- 250.36		..
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[04] दाईं मुख्य नहर आर.आई.डी.एफ.- XXIII			
मू.	360.00	201.25	201.25
पु.	- 158.75		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[05] दाईं मुख्य नहर आर.आई.डी.एफ.- XXV			
मू.	1,168.00		
		991.69	..
पु.	- 176.31		
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[06] दाईं मुख्य नहर आर.आई.डी.एफ.- XXVI			
मू.	425.00		
		192.08	..
पु.	- 232.92		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 818.34 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[07] बाईं मुख्य नहर आर.आई.डी.एफ.- XXII			
मू.	871.00		
		709.48	..
पु.	- 161.52		
31 मार्च 2023 को ₹ 161.52 लाख का प्रावधान प्री-मानसून वर्षा के कारण संवेदकों द्वारा काम की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	272.00		
		58.92	- 0.57
पु.	- 213.08		
31 मार्च 2023 को ₹ 213.08 लाख का प्रावधान कार्य की धीमी प्रगति के कारण संवेदकों द्वारा बिल जमा नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[08] गुरु जम्भेक्ष्वर लिफ्ट (फलौदी लिफ्ट)			
मू.	411.00	87.49	87.49
पु.	- 323.51		..
31 मार्च 2023 को ₹ 323.51 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[11] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	432.00	107.73	107.73
पु.	- 324.27		..
31 मार्च 2023 को ₹ 324.27 लाख का प्रावधान संवेदकों द्वारा कार्य में देरी तथा धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[12] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	432.00	108.16	108.16
पु.	- 323.84		..
31 मार्च 2023 को ₹ 323.84 लाख का प्रावधान कोषालय द्वारा बिल पारित करने उपरान्त भी इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[17] द्वितीय चरण की नहरों का नाबार्ड पुनरोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., बीकानेर के माध्यम से			
मू.	1,300.00	114.39	114.39
पु.	- 1,185.61		..
31 मार्च 2023 को ₹ 1,185.61 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,482.90		
पु.	- 1,383.86	99.04	99.04
31 मार्च 2023 को ₹ 1,383.86 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[03] द्वितीय चरण की नहरों का नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXV के तहत नहरों के पुनरोद्धार/नवीनीकरण कार्य मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न.प., जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	906.40		
पु.	- 246.42	659.98	659.98
31 मार्च 2023 को ₹ 246.42 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] मुख्य नहर (कि.मी. 74 से 189 तक) का पुर्नजीविकरण/ उन्नयन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण			
मू.	200.00		
पु.	- 176.41	23.59	23.59
31 मार्च 2023 को ₹ 176.41 लाख का प्रावधान नहरों के रखरखाव पर कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
31. गंगनहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,054.00		
पु.	- 1,020.75	33.25	33.25
31 मार्च 2023 को ₹ 1,020.75 लाख का प्रावधान पंजाब जल संसाधन विभाग द्वारा फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप पंजाब सरकार को कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य	मू. 14,634.00 पु. - 2,684.61	11,949.39	11,949.38
			- 0.01
₹ 2,684.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य	मू. 4,500.00 पु. - 3,024.61	1,475.39	1,475.39
			..
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य [03] निर्माण कार्य	मू. 2,009.27 पु. - 1,869.56	139.71	139.71
			..
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निदेशन तथा प्रशासन [01] निर्माण कार्य	मू. 6,473.53 पु. - 3,058.95	3,414.58	3,414.58
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 7,953.12 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से [01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया	मू. 8,626.23 पु. - 2,553.09	6,073.14	6,073.14
			..

31 मार्च 2023 को ₹ 2,553.09 लाख का प्रावधान परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार परियोजना की संशोधित वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण इंदिरा गांधी मुख्य नहर और इसकी वितरिकाओं के पुनरुद्धार कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
[03] निर्माण कार्य			
मू.	1,910.13		
पु.	- 1,539.29	370.84	370.84
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) गागरिन परियोजना			
मू.	720.00		
पु.	- 464.08	255.92	255.92
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 2,003.37 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,440.00		
पु.	- 1,004.35	435.65	435.65
31 मार्च 2023 को ₹ 1,004.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,474.00		
पु.	- 2,494.65	979.35	979.35

₹ 3,474.00 लाख का प्रावधान विश्व बैंक से वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत 36 बांधों के लिए अनुमानित था। 36 बांधों में से सात बांधों का कार्य प्रगति पर था, दो बांधों का टेंडर कार्य प्रक्रियाधीन था, दो बांधों का प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जोनल स्तर पर लंबित था और शेष 25 बांधों का प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट स्वीकृति के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया था। वर्ष के दौरान केंद्रीय जल आयोग से केवल तीन बांधों की स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन वित्त विभाग के स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति लंबित होने के कारण इस शीर्ष में कम व्यय हुआ और ₹ 2,494.65 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[03] वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रेक्चर			
मू.	6,001.93		
		2,103.16	
पु.	- 3,898.77	2,103.16	..
31 मार्च 2023 को ₹ 3,898.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[04] आधुनिकीकरण/उन्नयन/पुनर्जीवीकरण			
मू.	1,428.40		
		675.51	
पु.	- 752.89	676.51	+ 1.00
31 मार्च 2023 को ₹ 752.89 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[07] पुनर्जीवन/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नबीनीकरण			
मू.	1,116.00		
		315.27	
पु.	- 800.73	315.27	..
31 मार्च 2023 को ₹ 800.73 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति कम प्राप्त होने तथा तदानुसार राज्यांश कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[09] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII			
मू.	360.00		
		206.16	
पु.	- 153.84	206.16	..
31 मार्च 2023 को ₹ 153.84 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	447.80		
पु.	- 432.83	14.97	14.97
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 432.83 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना			
(आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से			
मू.	4,833.00		
पु.	- 3,637.92	1,195.08	1,195.08
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 3,637.92 लाख का प्रावधान ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं होने के परिणामस्वरूप 36 मुख्य कार्यों के शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) सौर ऊर्जा आधारित लघु सिंचाई परियोजना			
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर			
मू.	3,000.01		
पु.	- 2,999.66	0.35	0.35
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,999.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[01] अमर सिंह जस्साना में भूमि विकास कार्य			
मू.	178.50		
पु.	- 174.50	4.00	4.00
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 174.50 लाख का प्रावधान कोर्सेज (खाला) के निर्माण की धीमी गति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	416.50		
पु.	- 382.37	34.13	34.13
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 382.37 लाख का प्रावधान कोर्सेज (खाला) के निर्माण की धीमी गति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास ई.गा.न.प.,			
बीकानेर के माध्यम से			
[01] गंग नहर फैज-II			
मू.	1,363.00		
पु.	- 779.24	583.76	583.76
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 779.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड			
में विनियोजन			
मू.	5,624.64		
पु.	- 5,147.46	477.18	477.18
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 5,147.46 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड			
में विनियोजन			
मू.	3,780.00		
पु.	- 2,775.06	1,004.94	1,004.94
			..
31 मार्च 2023 को ₹ 2,775.06 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	10,932.12	4,725.00	4,725.00
पु.	- 6,207.12		
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	10,323.00	2,454.84	2,454.84
पु.	- 7,868.16		
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	11,003.40	2,378.88	2,378.88
पु.	- 8,624.52		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 22,699.80 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनियों द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[02] रिफायनरी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	50,000.00	40,000.00	40,000.00
पु.	- 10,000.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 10,000.00 लाख का प्रावधान राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड द्वारा कम पूंजीगत व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मार्इनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	600.00		
पु.	- 324.96	275.04	275.04
31 मार्च 2023 को ₹ 324.96 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मार्इनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	295.00		
पु.	- 295.00
31 मार्च 2023 को ₹ 295.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान और पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2019-20 और 2021-22 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	9,093.30		
पु.	- 7,993.29	1,100.01	1,098.98
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	347.69		
पु.	- 299.61	48.08	49.92
			+ 1.84

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	16,997.70		
पु.	- 7,632.81	9,364.89	9,346.86 - 18.03
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	23,239.56		
पु.	- 17,704.57	5,534.99	5,532.97 - 2.02
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	15,868.70		
पु.	- 5,203.67	10,665.03	10,658.87 - 6.16
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXVIII (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	1,789.00		
पु.	- 736.41	1,052.59	1,052.59 ..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	24,783.70		
पु.	- 18,973.70	5,810.00	5,810.00 ..

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को ₹ 58,544.06 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-03-789 (10) और 04-789(04) [16]" के अंतर्गत ₹ 24.19 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	2,102.19		
		972.76	972.75
			- 0.01
पु.	- 1,129.43		
31 मार्च 2023 को ₹ 1,129.43 लाख का प्रावधान पर्यटन विकास कोष से विकास कार्यों की स्वीकृति जारी होने और लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	1,335.90		
		351.08	351.08
			..
पु.	- 984.82		
31 मार्च 2023 को ₹ 984.82 लाख का प्रावधान पर्यटन विकास कोष से विकास कार्यों की स्वीकृति जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जोधपुर			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	5,000.01		
		3,919.11	3,919.11
			..
पु.	- 1,080.90		
31 मार्च 2023 को ₹ 1,080.90 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-सी.ए.टी.)			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू.	657.00		
		234.00	234.00
			..
पु.	- 423.00		
31 मार्च 2023 को ₹ 423.00 लाख का प्रावधान राजस्थान सोसायटी अधिनियम के तहत राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के पंजीकरण में देरी के कारण सॉफ्टवेयर लाइसेंस/उपकरण का क्रय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
मू .	36,000.00		
अ .	41,000.00
पु .	- 77,000.00		

सितम्बर, 2022 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 41,000.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल की मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के लिए लिया गया। यद्यपि, निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ₹ 77,000.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित (₹ 12,000.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 65,000.00 लाख) किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू .	400.00		
पु .	281.83	681.83	681.83

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 281.83 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन			
[01] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)			
अ .	0.01		
पु .	2,345.69	2,345.70	2,345.70

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,345.69 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत मिशन के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
42 10. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	992.00		
पु.	684.40		
	1,676.40	1,676.40	..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	1,074.00		
पु.	416.50		
	1,490.50	1,490.50	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,100.90 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड-28 चरण-I के तहत 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और नाबार्ड.28-II के तहत 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सिविल कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	700.02		
पु.	1,048.91		
	1,748.93	1,748.93	..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,048.91 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जनाना चिकित्सालय, जयपुर में विकास कार्यों के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड को निधियां हस्तांतरण करने तथा (ii) रोबोटिक सर्जरी प्रणाली क्रय के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	350.00		
पु.	1,185.28		
	1,535.28	1,535.06	- 0.22

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,185.28 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	300.00		
		1,725.74	1,725.73
			- 0.01
पु.	1,425.74		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,425.74 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह,
जोधपुर

मू.	1,050.00		
		5,043.80	5,043.81
			+ 0.01
पु.	3,993.80		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,993.80 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट के लिए भवन का निर्माण कराने तथा (ii) पेट सीटी स्कैन मशीन, कैथ लैब के लिए उपकरण, सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए उपकरणों तथा डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट लैब उपकरण का क्रय करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(07) पी.एम.एस.एस.वाई के अन्तर्गत चिकित्सा
महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	0.02		
		197.02	197.02
			..
पु.	197.00		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 197.00 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित बकाया दायित्वों का भुगतान करने, (ii) नेटवर्किंग और ई.पी.बी.एक्स. कार्य और फिक्स्ड फर्नीचर के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को निधियों का हस्तांतरण करने तथा (iii) हाइट्स-एच.एल.एल., इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (प्रोक्योरमेंट सपोर्ट एजेंसी) नोएडा, को निधियों का हस्तांतरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी.सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज-II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू.	1,500.00		
		2,299.58	2,299.23
			- 0.35
पु.	799.58		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 799.58 लाख की अतिरिक्त निधियां एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में आई.पी.डी टावर के निर्माण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को निधियां हस्तान्तरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) नवीन नर्सिंग महाविद्यालय			
[01] निदेशालय चिकित्सा शिक्षा			
मू.	3,000.01		
		3,481.60	3,481.60
			..
पु.	481.59		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 481.59 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(16) क्षेत्रीय कैंसर संस्थान			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	500.01		
		965.51	965.51
			..
पु.	465.50		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 465.50 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, जोधपुर के लिए उपकरणों का क्रय करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[28] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	24.98		
		247.96	247.96
			..
पु.	222.98		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[62] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	98.97		
		375.63	
पु.	276.66		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[89] डूंगरपुर, आसपुर एवं दोबड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	0.02		
		1,125.31	
पु.	1,125.29		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	466.65		
		707.19	
पु.	240.54		

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,865.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[02] आर.यू.आई.डी.पी.चतुर्थ चरण			
मू.	9,000.00		
		11,297.88	
पु.	2,297.88		

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,297.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)			
[03] आर.यू.आई.डी.पी.चतुर्थ चरण ट्रांच 2 (ई.ए.पी.)			
अ.	0.01		
		1,113.88	1,113.88
पु.	1,113.87		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,113.87 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण (प्रोग्राम लोन)			
मू.	5,500.00		
		7,999.99	7,999.99
पु.	2,499.99		..
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0			
[01] स्वायत्त शासन विभाग			
अ.	0.02		
		2,358.06	2,358.06
पु.	2,358.04		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,858.03 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	330.02		
		716.85	716.85
पु.	386.83		..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 386.83 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उदघोषणा के अनुपालन में अनुसूचित जाति के बालकों के लिए नये छात्रावासों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू. 0.01	638.10	593.10	- 45.00
पु. 638.09			
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 638.09 लाख की अतिरिक्त निधियां भवन निर्माण के लिए जिला परिषदों/पंचायत समितियों को निधियां जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, जिसके तथा ₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डांग जिले			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] डांग क्षेत्र का विकास			
मू. 166.00	446.90	446.90	..
पु. 280.90			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू. 171.00	355.00	355.00	..
पु. 184.00			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[02] मगरा क्षेत्र का विकास			
मू. 166.00	319.44	319.44	..
पु. 153.44			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 618.34 लाख की अतिरिक्त निधियां डांग/मेवात/मगरा क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[09] बाईं मुख्य नहर-आर.आई.डी.एफ.-XXV			
मू.	742.00	955.87	955.87
पु.	213.87		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 213.87 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्षा ऋतु में रेगुलेशन एवं समय उपलब्ध होने के कारण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	9.00	954.83	954.83
पु.	945.83		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 945.83 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड में विनियोजन			
[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड			
मू.	0.01	3,600.00	3,600.00
पु.	3,599.99		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,599.99 लाख की अतिरिक्त निधियां पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम लिमिटेड में निवेश के कारण उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य-अन्य जिले			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर के माध्यम से			
मू.	190.25	351.05	351.05
पु.	160.80		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 160.80 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023) ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	891.50	1,125.80	1,125.80
पु.	234.30		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू.	891.50	1,502.34	1,502.34
पु.	610.84		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 845.14 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्षा ऋतु में रेगुलेशन एवं समय उपलब्ध होने के कारण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,984.80	17,092.97	17,080.47
पु.	7,108.17		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.- XXVI (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	536.70	1,040.39	1,031.13
पु.	503.69		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	2,674.50	6,373.32	6,368.10
पु.	3,698.82		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,794.75		
पु.	5,848.64	11,643.39	11,641.60
			- 1.79
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(15) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि से पोषित ग्रामीण सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	23,179.00		
पु.	5,719.54	28,898.54	28,897.12
			- 1.42
उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,878.86 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "5054-03-789(04)[90], 04-789(04)[15] तथा 04-789(05)" के अन्तर्गत ₹ 26.98 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	85.00		
पु.	573.11	658.11	658.11
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 573.11 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	1,088.00		
पु.	469.73	1,557.73	1,557.73
			..
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 469.73 लाख की अतिरिक्त निधियां वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली, 3डी होलोग्राफिक परियोजना, ई-पंचायत, जन आधार ईवॉलेट, एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना तथा डिजिटल लाइब्रेरी आदि जैसी बैंक-एण्ड और नई परियोजनाओं के तहत विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी. आई. एस.			
मू.	900.00		
		1,085.99	1,085.99
पु.	185.99		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.99 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जीआईएस प्लेटफॉर्म और आर्कजीआईएस का नवीकरण और रखरखाव, (ii) स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन प्लेटफॉर्म की स्थापना और रखरखाव, (iii) जीआईएस आधारित वेब एप्लिकेशन/मोबाइल ऐप और कार्य प्रवाह प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव और विकास, (iv) जीआईएस के लिए विशेषज्ञ सेवाएं, (v) जयपुर के 3डी शहर का कार्यान्वयन तथा (vi) नए कार्यों के साथ भवन योजना अनुमोदन प्रणाली का रखरखाव जैसे (ए) डिजिटल संग्रहालय की स्थापना, जीआईएस आधारित वेब एप्लिकेशन/मोबाइल ऐप के विकास और रखरखाव के लिए विशेषज्ञ सेवाओं की नियुक्ति, (बी) संवर्धित वास्तविकता (एआर) /वर्चुअल रियलिटी (वीआर) पहल/प्रौद्योगिकियों की विभिन्न घटनाओं की प्रदर्शनी, (सी) कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की खरीद, (डी) उपग्रह इमेजरी और छवि प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण और रखरखाव और (ई) अन्य सॉफ्टवेयर उपकरण/प्लेटफॉर्म/सेवाएँ के क्रय करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[25] विकास केन्द्र

मू.	9.00		
		194.00	194.00
पु.	185.00		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज सेवा द्वार जो एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है के उन्नयन के लिए जो विभागीय एप्लिकेशन और राज्य सरकार की विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के बीच अंतर एप्लिकेशन संचार स्थापित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[27] ई-ऑफिस

मू.	216.00		
		427.86	427.86
पु.	211.86		..

31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 211.86 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जिला/ब्लॉक/नगरपालिका स्तर के कार्यालयों के लिए अतिरिक्त निदेशक/सिस्टम विश्लेषक/विश्लेषक सह प्रोग्रामर और प्रोग्रामर के स्वीकृत पदों के लिए लैपटॉप तथा (iii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला/ब्लॉक/नगर पालिका स्तर कार्यालयों में आईटी कैंडर के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	1,100.00	2,574.00	2,574.00
पु.	1,474.00		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,474.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के भाग-V ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियों के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	1,080.00	1,401.00	1,401.00
पु.	321.00		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 321.00 लाख की अतिरिक्त निधियां ई-साइन परियोजना पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी हेतु कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	180.00	421.24	421.24
पु.	241.24		
31 मार्च 2023 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 241.24 लाख की अतिरिक्त निधियां के.एफ.डब्ल्यू. से राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसार निगम लिमिटेड को ऋण प्राप्त होने कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (समाप्त)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान की कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का विकास			
मू.	210.01		
		2.10	210.00
पु.	- 207.91		+ 207.90

31 मार्च 2023 को ₹ 207.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 207.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
(व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
ब्याज अदायगियां
लोक सेवा आयोग
001. राज्य विधान मंडल
003. सचिवालय
004. जिला प्रशासन
005. प्रशासनिक सेवाएं
006. न्याय प्रशासन
007. निर्वाचन
008. राजस्व
009. वन	1,99,04,02	..
010. विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012. अन्य कर	1,01,77,16	75,00,03
013. आबकारी
014. बिक्री कर	1,44,58,81	..
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2	..
016. पुलिस	5,00	..
019. लोक निर्माण कार्य	6,87,86,49	83,54
021. सड़कें एवं पुल	2,06,35,93	20,50,39,65
022. क्षेत्र का विकास	..	2
023. श्रम तथा रोजगार
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति
025. कोषालय व लेखा प्रशासन

शिशु

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
2,41	..	+ 2,41	..
1,43	..	+ 1,43	..
8,11	..	+ 8,11	..
2,94	..	+ 2,94	..
15,97	..	+ 15,97	..
13,91	..	+ 13,91	..
1,13,69	..	+ 1,13,69	..
81	..	+ 81	..
16,11	..	+ 16,11	..
1,67,19,80	..	- 31,84,22	..
..	..	- 1	..
27,43,54	12,67,00	- 74,33,62	- 62,33,03
1,16	..	+ 1,16	..
1,59,60,90	..	+ 15,02,09	..
33,74	..	+ 33,72	..
6,59,11	..	+ 6,54,11	..
4,97,18,15	83,52	- 1,90,68,34	- 2
1,49,16,36	27,63,42,10	- 57,19,57	+ 7,13,02,45
..	47	..	+ 45
5,40,76,02	..	+ 5,40,76,02	..
1,53,96,34	..	+ 1,53,96,34	..
1,29	..	+ 1,29	..

(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027. पेय जल योजना	2,19,16,90	5
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1	..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2,32,25,79	3,06,23,01
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास	2,45,81,78	5,14,35,96
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
दत्तमत	72,84,89	1,40,79
प्रभारित	1	..
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत	20,74,00,10	..
035. विविध सामुदायिक एवं		
आर्थिक सेवाएं
036. सहकारिता
037. कृषि
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण
039. पशुपालन एवं चिकित्सा	3,24,56,01	73,00,00
042. उद्योग
043. खनिज	9	20,00,05
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण
046. सिंचाई	5,60,54,74	11,02,13
048. विद्युत्
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट		
संघटक योजना	2,62,74,68	6,56,12,41
दत्तमत	53,31,62,44	37,08,37,64
कुल वसूलियां		
प्रभारित	1	..

शिष्ट (समाप्त)

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
12,96,55,76	..	+ 12,96,55,75	..
1,83,98,07	30,85	- 35,18,83	+ 30,80
5,02,33	..	+ 5,02,32	..
2,25,84,97	5,89,59,62	- 6,40,82	+ 2,83,36,61
6,13,15,68	5,85,83,55	+ 3,67,33,90	+ 71,47,59
1,05,85,90	1,19,61	+ 33,01,01	- 21,18
..	..	- 1	..
11,27,88,08	..	- 9,46,12,02	..
3,39	..	+ 3,39	..
1	..	+ 1	..
11,60	..	+ 11,60	..
93	..	+ 93	..
3,95,17,45	10,91,19	+ 70,61,44	- 62,08,81
16,49	..	+ 16,49	..
13,06	11,99,82	+ 12,97	- 8,00,23
4	..	+ 4	..
3,69,41,62	9,15,99	- 1,91,13,12	- 1,86,14
8,90,00,00	..	+ 8,90,00,00	..
8,57,45,67	7,48,14,28	+ 5,94,70,99	+ 92,01,87
77,74,79,00	47,34,08,00*	+ 24,43,16,56	+ 10,25,70,36*
3,84	..	+ 3,83	..

* पूर्ण राशि के पूर्णांक करने से (+) ₹ 01 हजार का अन्तर है।

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2023

www.cag.gov.in